SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

## मध्य प्रदेश शासन

## 2025 का प्रतिवेदन संख्या 4

## (अनुपालन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर
# मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
# प्रतिवेदन

**मध्य प्रदेश शासन**

**2025 का प्रतिवेदन संख्या 4**

**(अनुपालन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)**

# विषय-सूची


| कंडिका क्र. | विवरण | संदर्भ पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रस्तावना** | | iii |
| **कार्यकारी सारांश** | | v-xiii |
| **अध्याय I: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली** | | |
| **1.1** | परिचय | 1 |
| **1.2** | जवाबदेही ढांचा | 3 |
| **1.3** | मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी | 4 |
| **1.4** | एसपीएसई में निवेश | 4 |
| **1.5** | वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल | 6 |
| **1.6** | लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया | 6 |
| **1.7** | लेखों में बकाया राशि का प्रभाव | 7 |
| **1.8** | नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार एसपीएसई का प्रदर्शन | 7 |
| **1.9** | लेखों पर टिप्पणियाँ | 14 |
| **1.10** | एसपीएसई का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण तथा विद्युत क्षेत्र में कोई सुधार | 14 |
| **1.11** | कॉर्पोरेट गवर्नेंस | 14 |
| **1.12** | निदेशक मंडल का संयोजन | 15 |
| **1.13** | एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्य | 17 |
| **1.14** | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पदों को भरना | 20 |
| **1.15** | इस संबंध में निदेशक मंडल और बोर्ड समिति की बैठक | 22 |
| **1.16** | लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियाँ | 22 |
| **1.17** | व्हिसिल ब्लोअर तंत्र (डब्ल्यूबीएम) | 25 |
| **1.18** | आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका | 25 |
| **1.19** | विधिक ढांचा | 26 |

| कंडिका क्र. | विवरण | संदर्भ पृष्ठ |
|---|---|---|
| **1.20** | आंतरिक लेखापरीक्षा | 26 |
| **1.21** | निष्कर्ष | 26 |
| **1.22** | अनुशंसाएँ | 28 |
| **अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण** | | |
| **2.1** | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईटी/विनिर्माण पार्कों में भूमि/स्थान के विकास और आवंटन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 29-52 |
| **2.2** | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल की कार्यप्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 53-64 |
| **2.3** | मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन एवं विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 65-88 |
| **2.4** | मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 89-123 |
| **परिशिष्ट** | | 125-206 |
| **शब्दावली** | | 207-209 |

# प्रस्तावना

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधायिका के समक्ष रखे जाने के लिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण प्रेक्षण शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं, जो 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए, साथ ही वे मामले जो पिछले वर्षों में जानकारी में आए, लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए जा सके; आवश्यकतानुसार, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

# कार्यकारी सारांश

# कार्यकारी सारांश

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) की कार्यप्रणाली

- 31 मार्च 2023 तक, मध्य प्रदेश में 73 एसपीएसई थे, जिनमें 61 सरकारी कंपनियां, तीन सांविधिक निगम और नौ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां सम्मिलित थीं। इनमें से सात एसपीएसई के कोई लेखा बकाया नहीं है, तीन एसपीएसई के तीन वर्ष से अधिक के लेखे बकाया हैं, पांच एसपीएसई के पांच वर्ष से अधिक के लेखे बकाया हैं और सात एसपीएसई ऐसे हैं जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक समय से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

  राज्य सरकार ने ₹ 68,060.51 करोड़ (अंश पूंजी और दीर्घकालिक ऋण) का निवेश किया था। सरकार एसपीएसई द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए वह प्रति वर्ष आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक 73 एसपीएसई में से आठ के संबंध में बकाया गारंटी की राशि (मूलधन + ब्याज) ₹ 8,038.41 करोड़ थी ।

  **(कंडिका 1.1, 1.4.1,1.5.1 एवं 1.6)**

- इस प्रतिवेदन में 32 एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है, जहां टर्नओवर सकारात्मक था और 2022-23 से पहले कम से कम तीन वर्षों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया था। इन 32 एसपीएसई का टर्नओवर (₹ 95,645.11 करोड़) वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 13,22,821 करोड़) का 7.23 प्रतिशत था, जिसमें से 98 प्रतिशत से अधिक का योगदान बिजली क्षेत्र के सात एसपीएसई द्वारा किया गया था। इनमें से 11 एसपीएसई ने 2022-23 में ₹ 552.22 करोड़ का संयुक्त लाभ अर्जित किया, जिसमें से शीर्ष तीन एसपीएसई - मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड – ने ₹ 409.68 करोड़ (74.18 प्रतिशत) का लाभ दिया। 2022-23 के दौरान बारह एसपीएसई को कुल ₹ 1,940.50 करोड़ की हानि हुई और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) 9.51 प्रतिशत था । 12 एसपीएसई को हुई हानि 2020-21 में ₹ 4,009.02 करोड़ से उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार 2022-23 में घटकर ₹ 1,940.50 करोड़ हो गई। इसके अलावा, छह एसपीएसई (मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड और मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की निवल संपत्ति संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति या तो शून्य या नकारात्मक थी। इन छह एसपीएसई की संयुक्त निवल संपत्ति 31 मार्च 2023 को ₹ 18,177.00 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 42,410.39 करोड़ थी । इन छह एसपीएसई में, जिनकी पूंजी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उनमे 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंशपूंजी और बकाया ऋण क्रमशः ₹ 36.00 करोड़ रुपये और ₹ 25,236.90 करोड़ रुपये थे ।

  **(कंडिका 1.1, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4 एवं 1.8.5)**

- 39 वित्तीय विवरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और 23 वित्तीय विवरणों के संबंध में 61 टिप्पणियां जारी की गई थी। एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 1,847.14 करोड़ रुपये था।

**(कंडिका 1.9.1)**

- कार्पोरेट गवर्नेंस सरकारी कंपनियों द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 32 एसपीएसई में से, जहां स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने थे, 19 एसपीएसई ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की थी। इसके अलावा, महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए आवश्यक 19 एसपीएसई में से केवल 11 एसपीएसई में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति केवल 62 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में थी। हालांकि 2022-23 के दौरान वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समय पांच एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में थे, लेकिन उनमें से कोई भी संबंधित एजीएम में शामिल नहीं हुआ। सात एसपीएसई में जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड पर थे वहाँ स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई थी। किसी भी एसपीएसई ने कंपनी अधिनियम के अनुसार 2022-23 के दौरान बोर्ड में शामिल स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया।

  30 एसपीएसई में से केवल 16 एसपीएसई में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे। सूचना प्रस्तुत करने वाले 36 एसपीएसई में से 25 एसपीएसई ने 2022-23 के दौरान कम से कम चार निदेशक मण्डल (बीओडी) की बैठकें आयोजित कीं, जबकि 11 एसपीएसई ने अनिवार्य चार बीओडी बैठकों से कम आयोजित की थी। इसके अलावा, 17 एसपीएसई में से, जहां लेखापरीक्षा (ऑडिट) कमेटी की बैठकें आयोजित की गई थीं, 15 एसपीएसई की ऑडिट समितियों ने आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया, जबकि 10 एसपीएसई की ऑडिट समितियों ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा और निगरानी की। नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन 11 एसपीएसई में किया गया था, जबकि पांच एसपीएसई में एनआरसी की संरचना अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं थी। 18 एसपीएसई में से केवल पांच एसपीएसई में व्हिसल ब्लोअर तंत्र था। 25 एसपीएसई में से चार एसपीएसई ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की।

**(कंडिका 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16.3, 1.17 एवं 1.19)**

## मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईटी/विनिर्माण पार्कों में भूमि/स्थान के विकास और आवंटन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

- एमपीएसईडीसी ने आईटी पार्कों के विकास के लिए एक दीर्घकालिक या रणनीतिक योजना तैयार नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप भूखंडों/स्थान के आवंटन के लिए वार्षिक लक्ष्यों की कमी हुई। नतीजतन, विकास धीमा रहा है। 240 भूखंडों में से केवल 26 ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया और मार्च 2023 तक अपेक्षित रोजगार का केवल चार प्रतिशत (576 के मुकाबले 14,548) पैदा किया। इसके अलावा, चूंकि एमपीएसईडीसी ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास के लिए मांग का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास की प्रगति और भूखंडों/स्थानों के आवंटन की प्रगति पूरे राज्य में एक समान नहीं थी।

**(कंडिका 2.1.4.1)**

- स्थानीय निवासियों ने दो आईटी पार्कों (भोपाल और इंदौर) में 13.57 एकड़ (3.68 प्रतिशत) भूमि पर अतिक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप एमपीएसईडीसी को विकास व्यय के लिए किए गए ₹ 3.62 करोड़ रुपये की हानि हुई और भूमि प्रीमियम से होने वाली ₹ 2.28 करोड़ की संभावित आय की हानि हुई।

**(कंडिका 2.1.4.3)**

- वर्ष 2013 में एमपीएसईडीसी और मध्य प्रदेश आवास एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (एमपीएचआईडीबी) के बीच आईटी पार्कों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें विशिष्ट पर्यवेक्षण और वास्तुशिल्प शुल्क शामिल था। समझौता ज्ञापन में एमपीएचआईडीबी को एमपीएसईडीसी द्वारा प्रदान की गई निधियों से व्यय को ध्यान में रखना आवश्यक था। मार्च 2023 तक, एमपीएचआईडीबी को आईटी पार्कों के निर्माण/विकास के लिए अग्रिम भुगतान में ₹ 327.85 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। मार्च 2018 से पहले आईटी भवनों का निर्माण पूरा होने और आवंटित आईटी फर्मों से किराए की नियमित वसूली के बावजूद, व्यय का विवरण न तो एमपीएसईडीसी द्वारा मांगा गया था और न ही एमपीएचआईडीबी द्वारा प्रदान किया गया था।

**(कंडिका 2.1.4.4)**

- नवंबर 2020 से आईटी पार्कों में भूखंडों का आवंटन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने के बावजूद, आईटी भवनों में स्थान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जा रहे थे। जगह की उपलब्धता के बारे में जानकारी की कमी थी, क्योंकि इसे न तो ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था और न ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। इसके कारण इंदौर में ₹ 24.10 करोड़ रुपये का एक आईटी भवन और भोपाल और जबलपुर में ईएमसी कॉमन यूटिलिटी सेंटर शामिल हैं, जिनकी लागत क्रमशः ₹ 4.07 करोड़ रुपये और ₹ 1.10 करोड़ रुपये है वे खाली पड़े रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.27 करोड़ रुपये का निवेश व्यर्थ रहा।

**(कंडिका 2.1.5.3)**

- नवंबर 2020 में, आईटी पार्क, जबलपुर में कुल 1.32 एकड़ क्षेत्र के 11 भूखंडों को एक खुली निविदा के माध्यम से आवंटित किया गया था और जून और अगस्त 2021 के बीच पट्टा अनुबंध निष्पादित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएसईडीसी ने जिला कलेक्टर, जबलपुर से अंतिम भूमि सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना विकास कार्य शुरू कर दिया, जिससे भूमि संबंधी विवाद हो गया। नतीजतन, निदेशक मंडल ने जून 2022 में पट्टा अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित भूखंडों के विकास पर ₹ 4.56 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

**(कंडिका 2.1.5.6)**

- हालांकि एमपीएसईडीसी विकास शुल्क की दरों को संशोधित करने के लिए सक्षम था, लेकिन उसने मई 2013 से विकास शुल्कों को संशोधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 10 वर्ष पहले निर्धारित दरों पर केवल ₹ 42.86 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जबकि व्यय में कुल विकास व्यय ₹ 228.10 करोड़ रुपये था। यदि एमपीएसईडीसी ने प्रचलित मूल्यों और वास्तविक लागतों के अनुरूप दरों को अद्यतन किया होता, तो वास्तविक व्यय का एक बड़ा हिस्सा वसूल किया जा सकता था।

**(कंडिका 2.1.5.8)**

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 169 फर्मों से जगह का किराया (भवनों) और पट्टे के किराए (भूखंड) के रूप में ₹ 9.81 करोड़ की राशि (मार्च 2023 तक) वसूल की जानी थी। हालांकि, एमपीएसईडीसी ने राशि की वसूली या पट्टा रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

**(कंडिका 2.1.5.9)**

- 2020-21 से 2022-23 के दौरान, 'स्किल गैप स्कीम' के तहत 12 फर्मों को ₹ 1.55 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी, लेकिन इन फर्मों ने प्रशिक्षण कैलेंडर और व्यय अभिलेख जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। इनमें से पांच फर्मों ने 20 या उससे अधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया, जबकि ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कोई भी ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं था।

**(कंडिका 2.1.6.1)**

- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आईटी पार्कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि पूर्ण हो चुकी 20 इकाइयों में से 11 ऐसी गतिविधियों में लिप्त थीं जो उनके पट्टा अनुबंध से संबंधित नहीं थीं और आईटी उद्योग से संबंधित गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आती थीं।

**(कंडिका 2.1.7.3)**

## मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (एमपीएलयूएन) भोपाल की कार्यप्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश ने रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य में एमएसएमई को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई नीति, 2021 पेश की। इस नीति के तहत, एमपीएलयूएन, राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना के लिए नोडल एजेंसी थी, जिसका उद्देश्य राज्य भर में फैले एमएसएमई समूहों के लिए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधा केंद्र बनाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एमपीएलयूएन ने अपने दीर्घकालिक, मध्यम अवधि या अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कोई रणनीतिक योजना तैयार नहीं की थी।

  इसके अलावा, यद्यपि कंपनी ने लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई) को विपणन सहायता प्रदान की है, फिर भी उसने राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के संवर्धन और विकास के लिए अथवा एमएसएमई नीति में परिकल्पित क्लस्टर दृष्टिकोण के प्रबंधन/विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी।

**(कंडिका 2.2.4)**

- 57 चयनित अनुबंधों में से 19 की समीक्षा में, आंकलित लागत की तुलना में कार्य के निष्पादित मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर देखा गया। आंकलन से अंतर (-) 62.92 प्रतिशत और 41.23 प्रतिशत के बीच था। यह इंगित करता है कि आंकलन उचित सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत विश्लेषण के साथ तैयार नहीं किए गए थे।

**(कंडिका 2.2.5.1)**

- 57 चयनित अनुबंधों में से 31 अनुबंधों की समीक्षा में, ठेकेदारों ने विभिन्न मात्राओं में लघु खनिजों का उपयोग करके निर्माण कार्यों को निष्पादित किया। हालांकि, कंपनी द्वारा न तो ₹ 2.79 करोड़ रुपये की रॉयल्टी काट कर सरकारी खातों में जमा की गई, और न ही अंतिम भुगतान करने से पहले ठेकेदारों से "रॉयल्टी के बकाया के अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किया गया।

**(कंडिका 2.2.5.3)**

- 57 चयनित अनुबंध में से 23 अनुबंधों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदारों ने अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार अनिवार्य तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं किया। जीसीसी के प्रावधानों का पालन न करने पर ठेकेदारों पर ₹ 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया था।

**(कंडिका 2.2.5.4)**

- 57 चयनित अनुबंधों में से 29 की समीक्षा के दौरान, अनुबंधों के निष्पादन में 87 दिनों से 577 दिनों के बीच का विलंब देखा गया। तथापि, संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार ₹ 5.71 करोड़ रुपए का लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) नहीं लगाया गया था।

**(कंडिका 2.2.5.5)**

- एमपीएलयूएन कंपनी ने अधिनियम की कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, जिसने कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण को उजागर किया। इनमें, 12 अनिवार्य के बजाय केवल आठ निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करना, वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए कंपनी के लेखों को अंतिम रूप देने में देरी, और उस अवधि के दौरान लाभ कमाने वाली इकाई होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों (सीएसआर) पर कोई राशि खर्च नहीं करना शामिल है।

**(कंडिका 2.2.9.1, 2.2.9.2 और 2.2.9.3)**

## मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन एवं विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

- मध्य प्रदेश राज्य ने 12,018.00 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसके मुकाबले मार्च 2023 तक सृजित संचयी क्षमता 5,732.13 मेगावाट (47.70 प्रतिशत) थी। लेखापरीक्षा ने मार्च 2023 तक पांच प्रमुख राज्यों - गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र के प्रदर्शन के साथ उपलब्धि की तुलना की और पाया कि इन पांच राज्यों में उपलब्धि 57.87 प्रतिशत और 172.39 प्रतिशत के बीच थी, जो मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक है।

**(कंडिका 2.3.3.1)**

- मध्य प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (एमपीएनआरईडी) ने रीवा सोलर पार्क के लिए अप्रैल 2017 में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) के साथ एक भूमि उपयोग अनुमति समझौता किया। एमपीएनआरईडी को अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली पांच समान वार्षिक किस्तों में भूमि उपयोग शुल्क एकत्र करने की आवश्यकता थी, लेकिन न तो मांग बढ़ाई गई और न ही समय पर इनकी वसूली की गई। एमपीएनआरईडी ने सरकारी आदेश के तहत देरी से भुगतान के लिए ₹ 8.16 करोड़ रुपये का ब्याज शुल्क भी

नहीं लगाया। इसी तरह, सौर पार्कों की एएसएन परियोजनाओं (आरयूएमएसएल की एक अन्य परियोजना) के मामले में, एमपीएनआरईडी मार्च 2023 तक आरयूएमएसएल से ₹ 25.12 करोड़ के भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं कर सका, न ही भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी के लिए ₹ 2.65 करोड़ (मार्च 2023 तक) का ब्याज शुल्क लगाया गया।

**(कंडिका 2.3.3.3)**

- 38 कैपेक्स परियोजनाओं में से 27 में ठेकेदारों द्वारा ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना में एक माह से लेकर 16 माह तक का विलंब हुआ । इसके अतिरिक्त, 27 नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं में, रूफटॉप सिस्टम की स्थापना में एक माह से सात माह तक का विलंब हुआ था। इस देरी के परिणामस्वरूप बाद में परियोजनाओं के चालू होने में भी विलंब हुआ।

**(कंडिका 2.3.4.3 ए)**

- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) सोलर रूफटॉप सिस्टम के चालू होने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, अपने उपयोगकर्ता हिस्से के लिए नौ सरकारी संस्थानों से ₹ 3.32 करोड़ की वसूली नहीं कर सका (मार्च 2023)।

**(कंडिका 2.3.4.3 ई)**

- ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना था कि 5 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाले सभी ऑफ-ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काड़ा) क्षमताओं से लैस हों। एमपीयूवीएनएल को प्रदर्शन विश्लेषण के लिए इन स्काड़ा-सक्षम प्रणालियों से डेटा की दूरस्थ रूप से निगरानी करनी थी। तथापि, 5 किलोवाट या उससे अधिक की पांच चयनित ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं में से किसी में भी स्काड़ा/आरएमएस क्षमताएं नहीं थीं। परिणामस्वरूप, एमपीयूवीएनएल द्वारा कार्य-निष्पादन के वांछित स्तर की निगरानी/सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

**(कंडिका 2.3.4.3 एफ)**

- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत एमपीयूवीएनएल ने 1 एचपी, 2 एचपी और 5 एचपी सौर कृषि पंपों के लाभार्थियों से ₹ 9.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि एकत्र की, और इसके विपरीत 3 एचपी पंपों के लाभार्थियों से ₹ 5.55 करोड़ की राशि कम एकत्र की।

**(कंडिका 2.3.5.1)**

- 31 मार्च 2023 तक, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएमकुसुम) के घटक ए के तहत केवल 98.78 मेगावाट सौर ऊर्जा पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि राज्य के 500 मेगावाट के लक्ष्य से काफी कम था। इसमें से केवल तीन मेगावाट चालू किया गया था, जो लक्ष्य उपलब्धि के एक प्रतिशत से भी कम का प्रतिनिधित्व करता है।

**(कंडिका 2.3.5.2 ए)**

## मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

- आईपीडीएस योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर कि कमियों को दूर किया जाना था। तथापि, डिस्कॉम ने अपने सब-स्टेशनों/कार्यालयों को एनओएफएन से जोड़ने के लिए कमियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया था। एनओएफएन की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन न तो किसी डिस्कॉम द्वारा तैयार की गई थी और न ही इस योजना के तहत इस घटक को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) को प्रस्तुत की गई थी।

**(कंडिका 2.4.5.4)**

- डिस्कॉम ने बोलीदाताओं के लिए विशिष्ट तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय मूल्यांकन मानदंडों के साथ सभी 43 वृत्त के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी किए। हालांकि, प्रत्येक लॉट के लिए बोली दस्तावेजों (एनआईटी) के साथ एसबीडी की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने तकनीकी मानदंडों में महत्वपूर्ण विचलन देखा, जिसमें पात्रता मानकों को शिथिल किया गया जिसने कमजोर फर्मों को बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल गई।

**(कंडिका 2.4.6.2 ए)**

- मार्च 2016 में, निगरानी समिति ने 12 वृत्त में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) के लिए टर्नकी परियोजनाओं को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि टर्नकी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य पैकेज तय करने के लिए आवश्यक अंतर-विभागीय समिति विश्लेषण के बिना निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिससे निष्पादन के संबंध में कई संशोधन, रद्दीकरण और अनिर्णय हुए। रद्द की गई निविदाओं (₹ 167.02 करोड़) के साथ आवंटित कार्यों (लॉट-1 से 7) (₹ 216.02 करोड़) की मदवार दरों की तुलना करते हुए, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी को उच्च दरों पर काम अवार्ड करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम सुदृढ़ीकरण कार्यों में ₹ 49.00 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

**(कंडिका 2.4.6.3)**

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) की डीपीआर को वर्ष 2014-15 के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें निष्पादन अवधि के दौरान बढ़ी हुई लागत पर विचार नहीं किया गया था। नतीजतन, दोनों डिस्कॉम को अनुमानित लागत को स्वीकृत लागत तक सीमित रखने के लिए स्वीकृत डीपीआर की मात्रा को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके कारण ₹ 53.35 करोड़ रुपये के कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया और योजना के तहत प्राप्त होने वाले ₹ 32.01 करोड़ रुपये के अनुदान (60 प्रतिशत) की हानि हुई।

**(कंडिका 2.4.6.4)**

- मार्च 2017 में, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का आंकलन करते हुए, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने पाया कि एक ठेकेदार ने बोली आवेदन में पिछले मुकदमेबाजी का 'शून्य' इतिहास घोषित किया, जबकि उसने डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत अनुबंध के लिए आवेदन करते समय पहले तीन मुकदमेबाजी के मामलों का खुलासा किया गया था। तथापि, म.प्र.प.क्षे.वि.कं.लि. ने अपने विधि विभाग की राय के आधार पर कि बोलीदाता का मुकदमेबाजी का कोई सुसंगत इतिहास नहीं था, ने मुकदमेबाजी के स्पष्ट ज्ञात इतिहास के साथ ठेकेदार को ₹ 21.23 करोड़ मूल्य का कार्य सौंपा।

**(कंडिका 2.4.6.5)**

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि की लेखापरीक्षा ने एनआईटी के बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में निर्दिष्ट मात्रा और सभी 43 वृत में प्रमुख कार्यों के लिए क्लोजर रिपोर्ट में दर्ज की गई निष्पादित मात्रा के बीच महत्वपूर्ण विचलन की पहचान की। 10 प्रमुख वस्तुओं में भिन्नता 13.11 से 900 प्रतिशत तक थी। वितरण सुधार समिति को प्रस्तुत किए गए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में औचित्य का भी अभाव था।

**(कंडिका 2.4.7.1)**

- लेखापरीक्षा ने पाया कि खराब प्रगति, पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती न करने, सामग्री/उपकरणों को न खरीदने, परियोजना के अनुचित प्रबंधन आदि के कारण तीनों डिस्कॉम में 21 परियोजनाओं में ₹ 130.83 करोड़ रुपये की डीस्कोपिंग की गई थी।

**(कंडिका 2.4.7.2)**

- निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने में देरी, निविदाओं को रद्द करना, बार-बार समय बढ़ाने, टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कार्य की खराब प्रगति आदि के कारण आठ वृत में ₹ 48.99 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई थी।

**(कंडिका 2.4.7.4)**

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने वर्ष 2016-17 के लिए एसओआर के आधार पर निविदाएं जारी कीं और बोलियों को एसओआर दरों के ऊपर (+/-) दरों पर अंतिम रूप दिया गया। एसओआर दरें एनआईटी तैयार करने का आधार थीं, जिस पर बोलीदाता अपनी दरें उद्धृत करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 10 परियोजनाओं में, एनआईटी में ही कुछ वस्तुओं की दरें प्रासंगिक एसओआर 2016-17 दरों की तुलना में अधिक थीं। इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ और उन्हें ₹ 34.38 करोड़ रुपये की उच्च दरों का भुगतान करना पड़ा।

**(कंडिका 2.4.7.6)**

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि परामर्शदाताओं (पीएमए) का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारदर्शी रूप से किया जाना चाहिए और उनके भुगतान को कार्य प्रगति के साथ सहसंबद्ध किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि ने पीएमए को नामांकन के आधार पर कार्य सौंपे। इसके अलावा, प्रदान की गई दरें अन्य दो डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई दरों की तुलना में एक प्रतिशत अधिक थीं (डीपीआर और निविदा कार्यों को छोड़कर)। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, सभी तीन डिस्कॉम ने सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए परामर्शदाताओं को ₹ 4.24 करोड़ रुपये का निश्चित भुगतान किया।

**(कंडिका 2.4.7.8)**

- योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक 12 वृत में लगाए जाने वाले प्रस्तावित 4,32,114 उपभोक्ता मीटरों के मुकाबले केवल 2,43,998 मीटर (56.47 प्रतिशत) ही लगाए जा सके। इस प्रकार, पूर्ण मीटरिंग के अभाव में, स्थायी आधार पर सटीक और विश्वसनीय ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करने के योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त किया जाना बाकी था।

**(कंडिका 2.4.7.10)**

- सभी 25 वृत में (बड़वानी वृत और खंडवा वृत को छोड़कर) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा लगाए गए टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को मूल अनुबंध की समय-सीमा समाप्त होने के बाद समय विस्तार दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीकेसी द्वारा देरी के लिए बताए गए कारण उनके नियंत्रण में थे। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय, पीएमए या डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा समय विस्तार प्रस्तावों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को ₹ 17.18 करोड़ और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. को ₹ 21.84 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

**(कंडिका 2.4.7.13)**

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश (दिसंबर 2019) पर पंजाब नेशनल बैंक से अपने ऋण को 6.70 प्रतिशत की ब्याज दर पर पुनर्वित्त किया। जबकि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने इसे पुनर्वित्त नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उसको ₹ 21.92 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, इस संदर्भ में म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के प्रबंधन द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई।

**(कंडिका 2.4.7.16)**

# अध्याय I

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

# अध्याय I: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

## 1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) में राज्य सरकार की कंपनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। एसपीएसई की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ चलाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए के लिए की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, मध्य प्रदेश में 73 एसपीएसई थे। विवरण नीचे दिया गया है।

**तालिका 1.1: 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई की कुल संख्या**

| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रकार | कुल |
|---|---|
| सरकारी कंपनियाँ[1] | 61 |
| सांविधिक निगम[2] | 03 |
| सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी[3] | 09 |
| **कुल** | **73** |

(***स्रोत:*** *कंपनियों/निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)*

31 मार्च 2023 तक, **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में वर्णित अनुसार मध्य प्रदेश में 73 एसपीएसई थे, जिनमें 61 सरकारी कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम[4] और नौ सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ[5] शामिल थीं। वर्ष के दौरान, कोई भी सरकारी कंपनी विघटित/विलय नहीं हुई, जबकि एक सरकारी कंपनी[6] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आई। इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। इसके अलावा, 15 एसपीएसई[7] ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले तीन से 33 वर्षों के दौरान अपना परिचालन बंद कर दिया था।

73 एसपीएसई में से, 46 एसपीएसई ने 30 सितंबर 2023 तक 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए कम से कम एक लेखा प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस प्रतिवेदन में केवल 32 कार्यरत एसपीएसई शामिल किए गए हैं और इसमें 41 एसपीएसई शामिल नहीं हैं (14 एसपीएसई जिनके नवीनतम लेखे[8] उपलब्ध थे, लेकिन पिछले तीन या अधिक वर्षों के लिए 'शून्य' टर्नओवर घोषित किया गया था, और 21 एसपीएसई जो निष्क्रिय हैं या लेखे तीन से 33 वर्षों तक बकाया हैं और छह एसपीएसई के संबंध में पहले लेखे 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए हैं)।

---

1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में संदर्भित सरकारी कंपनियां।

2 संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

3 जैसा कि कंपनी (कठिनाइयों का निवारण) सातवें आदेश, 2014, अधिसूचित (4 सितम्बर 2014) में परिभाषित किया गया है, कोई अन्य कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व में हो या नियंत्रित हो, उसे सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी कहा जाता है।

4 मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक निगम तथा मध्य प्रदेश वित्त निगम।

5 जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** क्रम संख्या 65 से 73 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

6 मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड।

7 जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** क्रम संख्या 48 से 61 और 64 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

8 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए कोई/सभी लेखे।

## तालिका 1.2: इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकारी कंपनियॉ और सांविधिक निगम) के वित्तीय प्रर्दशन का सांराश

| सरकारी कंपनी | |
|---|---|
| **I- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या** | **24** |
| प्रदत्त पूंजी ( ₹ करोड़ में) | 47,921.01 |
| दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में) | 51,401.61 |
| कुल सम्पत्तियॉ (₹ करोड़ में) | 1,58,382.49 |
| निवल मूल्य (₹ करोड़ में) | (-)11,908.38 |
| **II- वित्तीय प्रर्दशन** | |
| अर्जित लाभ (संख्या में) | 09 |
| शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) | 550.27 |
| घोषित/भुगतान लांभाश (छः में)( ₹ करोड़ में) | 42.45 |
| वहन हानि (संख्या में) | 11 |
| शुद्ध हानि (₹ करोड़ में) | (-)1,940.45 |
| न लाभ न हानि (संख्या में) | 04[9] |
| प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में) | 05[10] |
| **सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियॉ** | |
| **I- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या** | **08** |
| प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में) | 1,201.10 |
| दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में) | -- |
| कुल सम्पत्तियॉ (₹ करोड़ में) | 4,283.10 |
| निवल मूल्य (₹ करोड़ में) | 1,369.62 |
| **II- वित्तीय प्रर्दशन** | |
| अर्जित लाभ (संख्या में) | 02 |
| शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) | 1.95 |
| घोषित/भुगतान लांभाश | -- |
| वहन हानि (संख्या में) | 01 |
| शुद्ध हानि (₹ करोड़ में) | (-)0.05 |
| न लाभ न हानि (संख्या में) | 05[11] |
| प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में) | 01[12] |

*(**स्रोत**: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित जानकारी)*

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन 32 एसपीएसई (आठ सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है और इन 32 एसपीएसई के संबंध में मुख्य वित्तीय आंकड़े **परिशिष्ट 1.1 (बी)** में दर्शाए गए हैं।

[9] मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड और जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड।

[10] बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[11] उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बी-नेस्ट फांउडेशन।

[12] इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन।

**तालिका 1.3: मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एसपीएसई के टर्नओवर की हिस्सेदारी के विरुद्ध क्षेत्रवार टर्नओवर**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम सं. | क्षेत्र का नाम | एसपीएसई की संख्या | वर्ष के लिए टर्नओवर | सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर का प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऊर्जा | 7 | 94,513.83 | 7.14 |
| 2 | कृषि और संबद्ध | 2 | 680.89 | 0.05 |
| 3 | सेवा | 2 | 30.92 | 0.01 |
| 4 | अधोसंरचना | 10 | 138.02 | 0.01 |
| 5 | उद्योग | 10 | 219.84 | 0.01 |
| 6 | वित्त | 1 | 61.61 | 0.01 |
| **कुल** | | **32** | **95,645.11** | **7.23** |

*(स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित जानकारी)*

वर्ष 2022-23 के लिए, इन 32 एसपीएसई का टर्नओवर (₹ 95,645.11 करोड़) मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 13,22,821 करोड़) का 7.23 प्रतिशत था। 2022-23 के दौरान एसपीएसई के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 98 प्रतिशत से अधिक है।

इस प्रतिवेदन में शामिल 32 एसपीएसई में से, उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार 11 एसपीएसई ने 2022-23 में ₹ 552.22 करोड़ का संयुक्त लाभ कमाया, 12 एसपीएसई को 2022-23 में ₹ 1,940.50 करोड़ की हानि हुई। शेष नौ एसपीएसई को 2022-23 के दौरान न तो लाभ हुआ और न ही हानि।

## 1.2 जवाबदेही ढांचा

1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। तथापि, 1 अप्रैल 2014 से पहले शुरू हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होती रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और/या राज्य सरकार के पास हो। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अधिनियम के तहत सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 139 और 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

### *1.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षा*

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों के मामले में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, जबकि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा संबंधित विधानों के तहत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती है और उसके बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

### *1.2.2 सरकार और विधायिका की भूमिका*

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन एसपीएसई के कारोबार पर नियंत्रण रखती है। इन एसपीएसई के बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका एसपीएसई में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की निगरानी भी करता है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार की कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन और उन पर सीएजी की टिप्पणियों के साथ अधिनियम की धारा 394 के तहत विधायिका के समक्ष रखी जानी चाहिए। इसी तरह, सांविधिक निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन, सीएजी की प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ उनके संबंधित शासित अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष रखी जानी चाहिए। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

## 1.3 मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

एसपीएसई में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों में आती है, अर्थात शेयर पूंजी और ऋण, अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से विशेष बजटीय सहायता और एसपीएसई द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी।

- **शेयर पूंजी और ऋण -** शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर एसपीएसईएस को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता -** राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एसपीएसई को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **गारंटी -** राज्य सरकार वित्तीय संस्थाओं से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

## 1.4 एसपीएसई में निवेश

### *1.4.1 धारित अंशपूंजी और एसपीएसई को दिए गए ऋण*

वित्त लेखों[13] के अनुसार, वर्ष 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सार्वजनिक उद्यमों में ₹ 68,060.51 करोड़ (अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण) का निवेश किया था, जिसमें से मार्च 2023 के अंत तक 73 एसपीएसई में ₹ 64,871.76 करोड़[14] (अंशपूंजी और ऋण) का निवेश किया गया था। 73 एसपीएसई से संबन्धित विवरण **तालिका 1.4** में दिया गया है:

**तालिका 1.4: राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल इक्विटी निवेश और ऋण[15]**

**(₹ करोड़ में)**

| निवेश के स्रोत | 31 मार्च 2021 तक | | | 31 मार्च 2022 तक | | | 31 मार्च 2023 तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| राज्य सरकार | 30,244.60 | 31,820.52 | 62,065.12 | 31,421.75 | 31,597.77 | 63,019.52 | 32,667.50 | 32,204.26 | 64,871.76 |
| केंद्र सरकार | 221.88 | 0.00 | 221.88 | 649.79 | 419.09 | 1,068.88 | 639.11 | 653.85 | 1,292.96 |
| अन्य | 19,327.67 | 24,538.08 | 43,865.75 | 19,445.90 | 25,415.33 | 44,861.23 | 19,742.66 | 23,334.04 | 43,076.70 |
| **कुल** | **49,794.15** | **56,358.60** | **1,06,152.75** | **51,517.44** | **57,432.19** | **1,08,949.63** | **53,049.27** | **56,192.15** | **1,09,241.42** |

[13] 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखो के स्टेटमेंट 18 एवं 19

[14] 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त नवीनतम लेखो एवं एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

[15] कुल निवेश मे राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं अन्य संस्थानो द्वारा निवेश शामिल है।

| निवेश के स्रोत | 31 मार्च 2021 तक | | | 31 मार्च 2022 तक | | | 31 मार्च 2023 तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल | शेयर पूंजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में) | 60.74 | 56.46 | 58.47 | 60.99 | 55.02 | 57.84 | 61.57 | 57.31 | 59.38 |

*(**स्रोत:** 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरणों और एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)*

2020-21 से 2022-23 के दौरान इन एसपीएसई में कुल निवेश में मामूली रूप से तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में, अंशपूंजी में निवेश को ₹ 3,255.12 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है ताकि इसे ऋण घटक के करीब लाया जा सके। 2021-23 के दौरान, इन एसपीएसई में दीर्घकालिक ऋणों में 2020-21 में ₹ 56,358.60 करोड़ से 2022-23 में ₹ 56,192.15 करोड़ तक मामूली कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई के कुल ऋणों की राशि ₹ 56,192.15 करोड़ थी, जिसमें से राज्य सरकार से ऋण ₹ 32,204.26 करोड़ (57.31 प्रतिशत) था।

चार्ट 1.1 एसपीएसई में निवेश

**(₹ करोड़ में)**

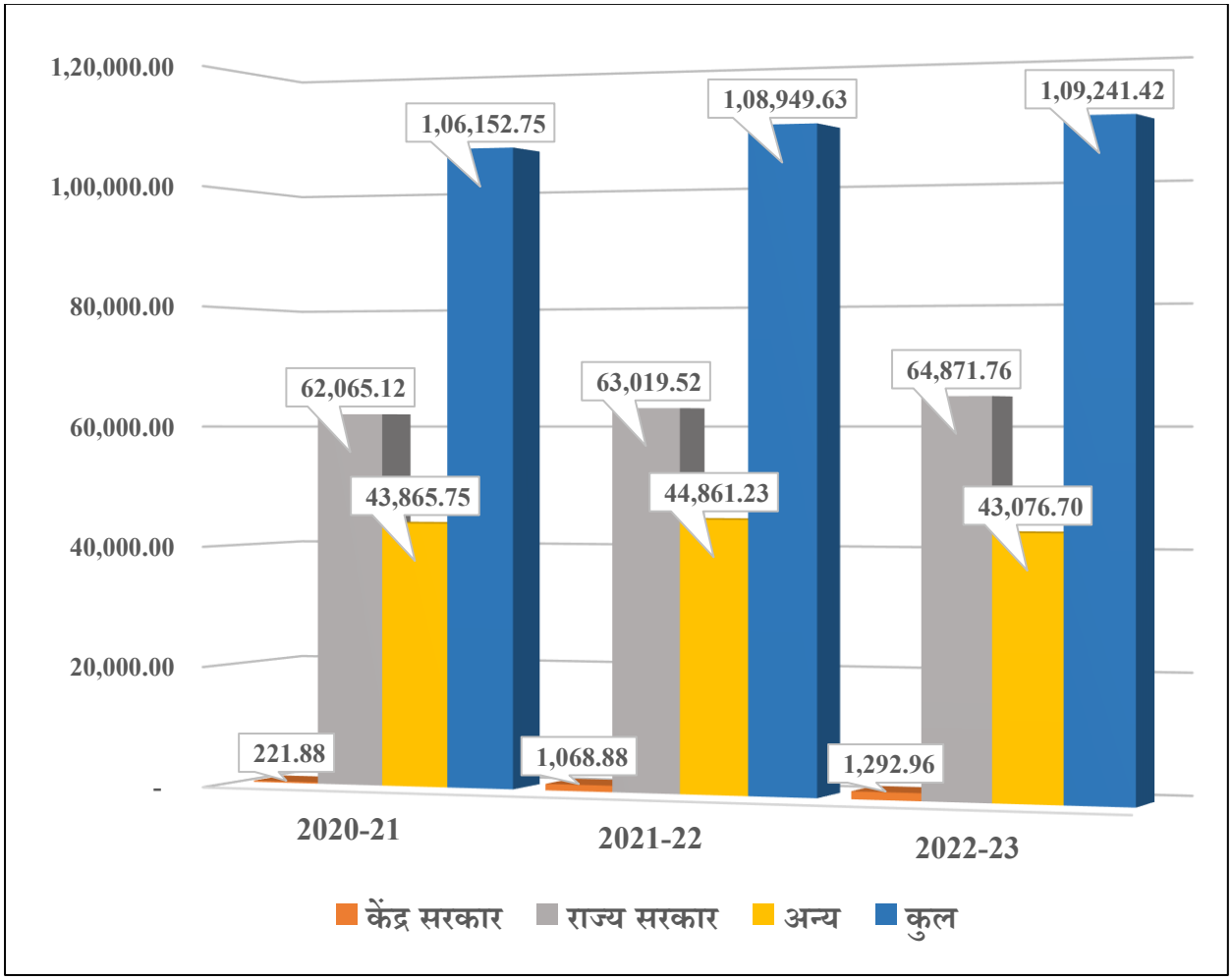

## 1.5 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

### *1.5.1 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान और गारंटी पर जानकारी*

मध्य प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान और सब्सिडी के रूप में एसपीएसई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार एसपीएसई द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए वह प्रति वर्ष आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से अनुदान, सब्सिडी और गारंटी प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए एसपीएसई से डेटा मांगा गया था। वर्ष 2022-23 के लिए, 73 एसपीएसई में से 24[16] द्वारा डेटा प्रदान किया गया था। शेष 49 एसपीएसई ने अनुरोध किए जाने के बावजूद जानकारी प्रदान नहीं की (दिसंबर 2023) ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटीय सहायता की वर्षवार प्राप्ति का ब्यौरा ***तालिका* 1.5** में दिया गया है।

**तालिका 1.5: एसपीएसई को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विवरण[17] | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसपीएसई की संख्या | राशि | एसपीएसई की संख्या | राशि | एस.पी.एस.ई. की संख्या | राशि |
| (i) | प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी | 13 | 20,414.17 | 09 | 32,768.78 | 06 | 37,592.06 |
| (ii) | बकाया गारंटी | 05 | 5,297.52 | 05 | 9,107.71 | 05 | 5,548.58 |
| (iii) | गारंटी प्रतिबद्धता | 04 | 9,022.50 | 03 | 2,160.10 | 05 | 10,211.87 |

*(स्रोत:/एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी)*

इसके अलावा, बकाया गारंटी और प्रतिबद्धताओं के आंकड़ों की तुलना 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे से की गई थी। वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक बकाया गारंटी की कुल राशि (मूलधन + ब्याज) पांच एसपीएसई[18] के संबंध में ₹ 6,723.70 करोड़ थी। हालांकि, इन पांच एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, कुल गारंटी आंकड़े 5,548.59 करोड़ रुपये थे। इसके अतिरिक्त, इन पांच एसपीएसई के अलावा, वित्त लेखे में तीन[19] और एसपीएसई का उल्लेख किया गया था, जिनकी गारंटी बकाया राशि ₹ 1,315.01 करोड़ रुपये थी।

वित्त लेखे के आंकड़ों और एसपीएसई द्वारा अनुरक्षित या प्रदान किए गए आंकड़ों के बीच विसंगति के लिए दोनों के बीच मिलान की आवश्यकता है।

## 1.6 लेखो के अंतिमिकरण का बकाया

अधिनियम की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर यानी सितंबर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है।

16 24 एसपीएसई में से 19 ने गारंटी के आंकड़ों को "शून्य" के रूप में सूचित किया।

17 यह राशि केवल राज्य बजट से व्यय को दर्शाती है।

18 एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और एम पी अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

19 एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और एमपी पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसी तरह, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितंबर 2023 तक लेखों को अंतिम रूप देने में कार्यशील एसपीएसई द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

**तालिका 1.6: कार्यशील एसपीएसई के लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति**

| क्र.सं. | विवरण | 2022-23 |
|---|---|---|
| 1. | एसपीएसई की संख्या | 73 |
| 2. | वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या | 51 |
| 3. | बकाया लेखों की संख्या | 258 |
| 4. | बकाया लेखों वाले एसपीएसई की संख्या | 66 |
| 5. | बकाया की सीमा (वर्षों में) | 1 to 33 |

*(**स्रोत:** कार्यालय के अभिलेख और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा दी गई जानकारी)*

प्रशासनिक विभागों पर एसपीएसई की गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है। संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे कि एसपीएसई निर्धारित अवधि के भीतर अपने लेखों को अंतिम रूप दें और अपनाएं। एसपीएसई द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में भारी बकाया को देखते हुए, महालेखाकार (एजी) एसपीएसई के लेखों के बकाया को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ नियमित रूप से मामले को उठा रहे थे (दिसंबर 2023)। हालांकि, सितंबर 2023 तक, 66 एसपीएसई के पास 33 साल तक के बकाया अवधि वाले 258 लेखो का बैकलॉग था, जो कि **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाए अनुसार महत्वपूर्ण था।

## 1.7 लेखो में बकाया का प्रभाव

लेखो को अंतिम रूप देने में देरी से संबंधित क़ानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी बढ़ जाता है। कंडिका 1.6 के तहत बताए गए लेखों के बकाए की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद में एसपीएसई का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान की जानकारी राज्य विधायिका को नहीं दी जा सकी।

*इसलिए सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:*

- सरकार को एक मजबूत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी एसपीएसई लेखों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करें, जिससे इन संगठनों के भीतर पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिले।

## 1.8 नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार एसपीएसई का प्रदर्शन

### *1.8.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ*

इस प्रतिवेदन में शामिल 32 एसपीएसई में से, 11 एसपीएसई ने 2022-23 में ₹ 552.22 करोड़ का संयुक्त लाभ कमाया, जबकि 13 एसपीएसई (32 एसपीएसई में से) ने 2021-22 में ₹ 1,797.34 करोड़ का लाभ कमाया। कुल लाभ में गिरावट मुख्य रूप से एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा ₹ 895.94 करोड़ के व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में

डालने के कारण हुई है। तीन शीर्ष एसपीएसई ने 2022-23 में कुल लाभ में 74.18 प्रतिशत का योगदान दिया। विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है:

**तालिका 1.7: शीर्ष एसपीएसई जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया**

**(₹ करोड़ में)**

| एस.पी.एस.ई. का नाम | अर्जित शुद्ध लाभ | कुल एसपीएसई लाभ में लाभ का प्रतिशत |
|---|---|---|
| मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | 208.53 | 37.76 |
| मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 141.66 | 25.65 |
| मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 59.49 | 10.77 |
| **कुल** | **409.68** | **74.18** |

*(**स्रोत:** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर संकलित)*

### *1.8.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश*

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार, सभी लाभ कमाने वाले एसपीएसई को कर भरने के बाद लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रतिफल देना आवश्यक है।

**तालिका 1.8: एसपीएसई का लाभांश भुगतान**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कुल एसपीएसई | | | | लाभांश भुगतान प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|
| | जिन्होंने लाभ कमाया | | जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5*100/3** |
| 2020-21 | 18 | 671.29 | 6 | 25.29 | 3.78 |
| 2021-22 | 13 | 1,797.34 | 5 | 25.95 | 1.44 |
| 2022-23 | 11 | 552.22 | 5 | 42.45 | 7.68 |

*(**स्रोत**: एसपीएसई द्वारा दी गई जानकारी)*

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, इस प्रतिवेदन में शामिल 32 एसपीएसई में से 11 एसपीएसई ने ₹ 552.22 करोड़ का संयुक्त शुद्ध लाभ अर्जित किया, जिसके विरुद्ध सरकार को ₹ 110.44 करोड़ का न्यूनतम लाभांश भुगतान किया जाना था। इनके विरुद्ध, केवल पांच एसपीएसई ने कुल ₹ 42.45 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम ₹ 67.99 करोड़ का कम भुगतान हुआ। केवल तीन[20] एसपीएसई ने न्यूनतम निर्धारित रिटर्न का भुगतान किया, जबकि शेष दो[21] एसपीएसई ने राज्य सरकार की लाभांश नीति का पालन नहीं किया।

### *1.8.3 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल*

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना किसी कंपनी की ब्याज और करों से पहले की कमाई को नियोजित पूंजी[22] से विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 32 कार्यशील एसपीएसई के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है।

[20] मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम।

[21] मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[22] नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

### तालिका 1.9: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | वर्ष | एस.पी.एस.ई. की संख्या | ब्याज और कर से पहले की कमाई | नियोजित पूंजी | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **सरकारी कंपनियाँ/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | | | | |
| अर्जित लाभ | 2020-21 | 17 | 4,027.28 | 26,367.14 | 15.27 |
| | 2021-22 | 12 | 3,475.95 | 24,961.21 | 13.93 |
| | 2022-23 | 10 | 2,535.27 | 23,945.41 | 10.59 |
| वहन की गई हानि | 2020-21 | 13 | -348.96 | 4,525.85 | -7.71 |
| | 2021-22 | 10 | -3,139.90 | -3,999.67 | -- |
| | 2022-23 | 11 | 1426.10 | -4,593.48 | -31.05 |
| न लाभ/ न हानि | 2020-21 | 07 | 209.56 | 1,015.63 | 20.63 |
| | 2021-22 | 08 | -32.65 | 18,311.45 | -0.18 |
| | 2022-23 | 09 | -359.37 | 18,785.21 | -1.91 |
| **सांविधिक निगम** | | | | | |
| अर्जित लाभ | 2020-21 | 1 | 353.87 | 1,213.62 | 29.16 |
| | 2021-22 | 1 | 554.48 | 1,348.42 | 41.12 |
| | 2022-23 | 1 | 289.11 | 1,943.53 | 14.88 |
| वहन की गई हानि | 2020-21 | 1 | 25.41 | 855.25 | 2.97 |
| | 2021-22 | 1 | -6.92 | 782.18 | -0.88 |
| | 2022-23 | 1 | -6.92 | 782.18 | -0.88 |
| न लाभ/ न हानि | 2020-21 | -- | -- | -- | -- |
| | 2021-22 | -- | -- | -- | -- |
| | 2022-23 | -- | -- | -- | -- |
| **कुल** | **2020-21** | **39** | **4,057.60** | **32,965.98** | **12.31** |
| | **2021-22** | **32** | **850.96** | **41,403.59** | **2.06** |
| | **2022-23** | **32** | **3,884.19** | **40,862.85** | **9.51** |

*(**स्रोत:** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 32 एसपीएसई में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) 2020-23 की अवधि के दौरान 12.31 प्रतिशत से घटकर 9.51 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, 32 एसपीएसई में से 13 (सभी सात[23] ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई और छह[24] गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई) जो अपना स्वयं का राजस्व उत्पन्न करते हैं और वाणिज्यिक तर्ज पर चलते हैं, का आरओसीई वर्ष 2022-23 के लिए सकारात्मक (11.49 प्रतिशत) था। गैर-ऊर्जा क्षेत्र में शेष 19 एसपीएसई का आरओसीई जो गैर-वाणिज्यिक तर्ज पर चलते हैं, वर्ष

[23] मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

[24] मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम।

2022-23 के लिए नकारात्मक (0.55 प्रतिशत) था। वाणिज्यिक तर्ज पर चलने वाले 13 एसपीएसई में से छह[25] एसपीएसई (पांच सरकारी कंपनियां और एक सांविधिक निगम) को 2022-23 के दौरान हानि हुई।

### *1.8.4 वहन की गई हानि*

32 एसपीएसई में से 12 एसपीएसई ऐसे थे जिन्हें उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखो के अनुसार हानि हुई। इन एसपीएसई को हुई हानि उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में ₹ 4,009.02 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 1,940.50 करोड़ हो गई, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 1.10** में दिया गया है :

**तालिका 1.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि में रहने वाले एसपीएसई की संख्या**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | हानि वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या | वर्ष के लिए शुद्ध हानि | संचित हानि | निवल मूल्य[26] |
|---|---|---|---|---|
| **सरकारी कंपनियाँ** | | | | |
| 2020-21 | 11 | 3,970.75 | 52,983.52 | -34,076.56 |
| 2021-22 | 08 | 6,473.77 | 58,728.72 | -39,924.63 |
| 2022-23 | 10 | 1,891.15 | 60,702.30 | -41,622.36 |
| **सांविधिक निगम** | | | | |
| 2020-21 | 01 | 37.89 | 12.09 | 424.83 |
| 2021-22 | 01 | 49.30 | 12.09 | 424.78 |
| 2022-23 | 01 | 49.30 | 12.09 | 424.78 |
| **सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | | | |
| 2020-21 | 02 | 0.38 | 0.16 | 239.94 |
| 2021-22 | 02 | 0.05 | 0.07 | 498.33 |
| 2022-23 | 01 | 0.05 | 0.12 | 199.88 |
| **कुल** | | | | |
| **2020-21** | **14** | **4,009.02** | **52,971.59** | **-33,411.79** |
| **2021-22** | **11** | **6,523.12** | **58,716.70** | **-39,001.52** |
| **2022-23** | **12** | **1,940.50** | **60,690.33** | **-40,997.70** |

*(**स्रोत:** एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)*

वर्ष 2022-23 में, 12 एसपीएसई द्वारा वहन की गई कुल ₹ 1,940.50 करोड़ की हानि में से, प्रमुख हिस्सा अर्थात 91 प्रतिशत यानी ₹ 1,779.26 करोड़ का योगदान तीन ऊर्जा क्षेत्र[27] के एसपीएसई द्वारा किया गया। राज्य के आर्थिक विकास के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/अनुदान पर काम करती हैं। यह देखा गया है कि नियमित दावे करने के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डिस्कॉम को सब्सिडी की पूरी राशि समय पर/नियमित रूप से जारी नहीं की गई, जिसके कारण फंड की कमी हो गई, जिसके कारण डिस्कॉम द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण लिया गया और वित्त/ब्याज लागत बढ़ गई, जिससे अंततः हानि का एक दुष्चक्र बना, जिससे खर्च बढ़ गया। इन एसपीएसई में निवेश का विवरण नीचे **तालिका 1.11** में दिया गया है:

[25] मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और एमपी जल निगम मर्यादित और एमपी होटल कॉर्पोरेशन और एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन।

[26] निवल मूल्य = चुकता पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष - (संचित घाटा + आस्थगित राजस्व व्यय)।

[27] मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीओकेवीवीसीएल), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएकेवीवीसीएल), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल)।

## तालिका 1.11: 2022-23 में घाटे में चल रहे एसपीएसई में निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | कंपनी/ निगम का नाम | अंशपूंजी | | | | दीर्घकालिक ऋण | | | | कर पश्चात शुद्ध लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मप्र शासन | भारत सरकार | अन्य | कुल | मप्र शासन | भारत सरकार | अन्य | कुल | |
| **सरकारी कंपनियाँ** | | | | | | | | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 0 | 0 | 6,133.01 | 6,133.01 | 9,237.63 | 0 | 1,903.83 | 11,141.46 | -617.84 |
| 2 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 36 | 0 | 5,785.83 | 5,821.83 | 7,976.62 | 0 | 1,492.86 | 9,469.48 | -903.88 |
| 3 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 0 | 0 | 6,072.70 | 6,072.70 | 8,022.65 | 0 | 3,891.47 | 11,914.12 | -257.54 |
| 4 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 218.47 | 218.47 | -12.69 |
| 5 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 |
| 6 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0 | 0 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | -3.74 |
| 7 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 0 | 0 | 112.86 | 112.86 | 0 | 0 | 260.54 | 260.54 | -76.39 |
| 8 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| 9 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 0.80 | 0 | 0 | 0.80 | 2581.72 | 0 | 50.39 | 2,632.11 | -14.85 |
| 10 | मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1,188.82 | 1,188.82 | -3.41 |

| क्र. सं. | कंपनी/ निगम का नाम | अंशपूंजी | | | | दीर्घकालिक ऋण | | | | कर पश्चात शुद्ध लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मप्र शासन | भारत सरकार | अन्य | कुल | मप्र शासन | भारत सरकार | अन्य | कुल | |
| | कार्पोरेशन लिमिटेड | | | | | | | | | |
| | **कुल** | **146.80** | **0** | **18,154.40** | **18,301.20** | **27,818.62** | **0.00** | **9,010.38** | **36,829.00** | **-1,891.15** |
| **सांविधिक निगम** | | | | | | | | | | |
| 11 | मध्य प्रदेश वित्त निगम | 383.70 | 0 | 22.40 | 406.10 | 115.76 | 0.00 | 241.64 | 357.40 | -49.30 |
| | **कुल** | **383.70** | **0** | **22.40** | **406.10** | **115.76** | **0.00** | **241.64** | **357.40** | **-49.30** |
| **सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | | | | | | | | | |
| 12 | सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 0 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| **कुल** | | **0** | **0** | **200.00** | **200.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-0.05** |
| **महायोग** | | **530.50** | **0** | **18,376.80** | **18,907.30** | **27,934.38** | **0.00** | **9,252.02** | **37,186.40** | **-1,940.50** |

*(**स्रोत**: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)*

31 मार्च 2023 तक, हानि में चल रहे 12 एसपीएसई में कुल निवेश ₹ 56,093.70 करोड़ था, जिसमें 33.71 प्रतिशत अंशपूंजी (₹ 18,907.30 करोड़) और 66.29 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण (₹ 37,186.40 करोड़) शामिल थे। कुल निवेश में से, अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में राज्य सरकार का निवेश ₹ 28,464.88 करोड़ है। अन्य स्रोतों से ₹ 27,628.82 करोड़ का निवेश जुटाया गया।

### *1.8.5 एसपीएसई में पूंजी का क्षरण*

निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त भंडार तथा अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद प्राप्त होने वाला कुल योग। अनिवार्य रूप से यह इस बात का माप है कि स्वामी के लिए इकाई का मूल्य क्या है। नकारात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामी द्वारा किया गया पूरा निवेश संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय के कारण समाप्त हो गया है।

31 मार्च 2023 तक, 32 एसपीएसई में से 14 एसपीएसई ऐसे थे जिनकी संचित हानि ₹ 63,830.51 करोड़ थी। इन 14 एसपीएसई में से नौ एसपीएसई को 2022-23 के दौरान ₹ 1,876.07 करोड़ की हानि हुई और पांच एसपीएसई को हानि नहीं हुई, यद्यपि उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार उनकी संचित हानि ₹ 3,035.74 करोड़ थी।

14 एसपीएसई में से छह का निवल मूल्य संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनकी नेटवर्थ या तो शून्य या नकारात्मक थी। 31 मार्च 2023 तक इन छह एसपीएसई की कुल नेटवर्थ, ₹ 18,177.00 करोड़ के अंशपूंजी निवेश के विरुद्ध (-) ₹ 42,410.39 करोड़ थी। जिन छह एसपीएसई की पूंजी खत्म हो गई थी, उन पर 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी और बकाया ऋण क्रमशः ₹ 36.00 करोड़ और ₹ 25,236.90 करोड़ था।

**तालिका 1.12: नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार जिन एसपीएसई के निवल मूल्य में कमी आई है, उनका विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | एस.पी.एस.ई. का नाम | अंतिम रूप दिए गए लेखों का नवीनतम वर्ष | कुल प्रदत्त पूंजी | ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि | संचित हानि | निवल मूल्य | लेखा अवधि के बाद से निवल मूल्य में गिरावट | 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंशपूंजी | 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का ऋण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 6,072.70 | -257.54 | -24,854.81 | -18,712.96 | 2007-08 | 0.00 | 8,022.65 |
| 2 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 6,133.01 | -617.84 | -22,621.39 | -16,378.34 | 2007-08 | 0.00 | 9,237.63 |
| 3 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2022-23 | 5,821.83 | -903.88 | -13,107.28 | -7,285.45 | 2007-08 | 36.00 | 7,976.62 |
| 4 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 2021-22 | 112.86 | -76.39 | -125.12 | -12.26 | 2021-22 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | 2021-22 | 35.00 | -12.69 | -53.79 | -18.79 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 1.60 | -3.74 | -4.19 | -2.59 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | | **18,177.00** | **-1,872.08** | **-60,766.58** | **-42,410.39** | | **36.00** | **25,236.90** |

*(**स्रोत:** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)*

उपर्युक्त छह एसपीएसई का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह खत्म हो गया था और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन छह एसपीएसई का निवल मूल्य एक वर्ष से लेकर 16 वर्षों की अवधि के लिए नकारात्मक रहा है। इन छह एसपीएसई की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत परिचालन से राजस्व, मध्य प्रदेश सरकार से सब्सिडी[28] के कारण राजस्व और अन्य विविध प्राप्तियां थीं। इन छह एसपीएसई में से, तीनों ऊर्जा क्षेत्र एसपीएसई यानी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निवल मूल्य में काफी गिरावट आई है। इन तीन डिस्कॉम के राजस्व और व्यय दोनों को बनाने वाले प्रमुख

[28] 1. मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, 2. मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और 3. मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

घटकों के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि बिजली खरीद, ट्रांसमिशन लागत, कर्मचारी लाभ व्यय (ईबीई) और वित्त लागत के लिए प्रमुख व्यय किए गए हैं। जबकि प्राप्तियों का हिस्सा बिजली की बिक्री से राजस्व और राज्य सरकार से सब्सिडी से आता है। यह भी देखा गया है कि बिजली की बिक्री से अर्जित राजस्व बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क के प्राथमिक खर्चों को पूरी तरह से कम नहीं करता है। इसलिए, ईबीई, वित्त लागत आदि अन्य प्रमुख खर्चों के लिए, राज्य सरकार से सब्सिडी/अनुदान कम पड़ जाता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व और राज्य सरकार से सब्सिडी डिस्कॉम के बढ़ते प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए संचित हानि साल दर साल बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य में कमी आ रही है। शेष तीन एसपीएसई में यह कमी कम महत्वपूर्ण है।

## 1.9 लेखों पर टिप्पणियाँ

### *1.9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत एसपीएसई के लेखों की लेखापरीक्षा*

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए 51 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए, जिनमें से 44 पिछले वर्ष से संबंधित थे। प्राप्त 51 वित्तीय विवरणों में से, 23 एसपीएसई से संबंधित 23 वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की गई थी, और 61 टिप्पणियां जारी की गई थीं (**परिशिष्ट 1.3** में उल्लिखित नाम), जबकि अन्य छह वित्तीय विवरणों (छह एसपीएसई को शामिल करते हुए) के लिए शून्य टिप्पणियां जारी की गई थीं। 10 मामलों (सितंबर 2023) के संबंध में लेखापरीक्षा प्रगति पर थी। शेष 12 वित्तीय विवरणों (12 एसपीएसई से संबंधित) में गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। लाभप्रदता पर एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव ₹ 1,847.14 करोड़ था।

### *1.9.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के पूरक के रूप में जारी की गईं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ*

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने रिपोर्टिंग अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान प्राप्त एसपीएसई के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों, लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **परिशिष्ट 1.4** में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

## 1.10 एसपीएसई का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार

किसी भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश या निजीकरण कार्यक्रम के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

## 1.11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सरकारी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के पालन से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति, निदेशक मंडल और उसके तहत गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति, निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

### *1.11.1 परिचय*

कॉरपोरेट गवर्नेंस ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, बैंकरों और बड़े पैमाने पर समाज सहित विभिन्न हितधारकों का विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। एक कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली से निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी एसपीएसई का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा चार स्तंभों पर निर्भर करता है, जैसे पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए

निष्पक्षता। कॉरपोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन व्यवसाय में जवाबदेही, पारदर्शिता लाता है और हितधारकों का आत्मविश्वास बढ़ाता है।

### *1.11.2 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान*

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर लागू किया गया था। इसके साथ ही, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियों और लेखो पर कंपनी नियम 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। इस आवश्यकता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है :

**स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता तथा व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य और दिशानिर्देश {कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 का नियम 5, धारा 149 (6) के साथ पठित}**

**निर्धारित कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)}**

**लेखापरीक्षा समिति {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1)}, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1)}, तथा हितधारक संबंध समिति {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना**

**निदेशक मंडल की प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाएंगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1)}**

### *1.11.3 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देश*

चूंकि एसपीएसई में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी दिशानिर्देश एसपीएसई पर लागू नहीं हैं।

## 1.12 निदेशक मंडल का संयोजन

बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है जो कॉर्पोरेट प्रबंधन के लिए नीतियाँ निर्धारित करने और संगठन की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) के अनुसार, किसी कंपनी के संबंध में 'निदेशक मंडल' या 'बोर्ड' का अर्थ कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है।

### *1.12.1 स्वतंत्र निदेशक*

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हों, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि किसी कंपनी के संबंध में स्वतंत्र निदेशक का अर्थ प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अलावा कोई निदेशक

है और वह ईमानदार व्यक्ति है और उसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रमोटर होगा और न ही कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदारों का कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से परे और इस खंड में निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अलावा) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदार इस खंड में निर्धारित समय सीमा के दौरान कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के साथ प्रमुख प्रबंधकीय पद या कोई अन्य निर्धारित संबंध जैसे कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कंपनी सचिव आदि नहीं रखेंगे।

अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, (i) सार्वजनिक कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी दस करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (ii) टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (iii) जिनके पास कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि पचास करोड़ रुपये से अधिक है, उनमें कम से कम दो निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अलावा, इस नियम के अंतर्गत आने वाली कंपनी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे, जिसमें अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे।

नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करना बंद कर देती है, तो उसे तब तक इन प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वह ऐसी किसी शर्त को पूरा नहीं कर लेती।

इसके अलावा, नियम 4(2) के अनुसार, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की तीन श्रेणियों यानी संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या निष्क्रिय कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 73 एसपीएसई में से 32 एसपीएसई को, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अधिनियम, 2013 और ऊपर उल्लिखित नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की नियुक्ति करनी थी। निदेशक मंडल (बीओडी) के गठन की समीक्षा के आधार पर इन एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.13** में दी गई है।

**तालिका 1.13: स्वतंत्र निदेशक (आईडी) की नियुक्ति की स्थिति**

| विवरण | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|
| उन एसपीएसई की संख्या जहां आईडी नियुक्त करना आवश्यक था | 32 |
| उन एसपीएसई की संख्या जहां आवश्यक आईडी नियुक्त किए गए थे | 12 |
| उन एसपीएसई की संख्या जहां आवश्यक आईडी नियुक्त नहीं किए गए थे | 01 |
| उन एसपीएसई की संख्या जहां कोई आईडी नहीं थे | 19 |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

### *1.12.2 बोर्ड में महिला निदेशक*

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है - (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसकी - (ए) एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी है; या (बी) तीन सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर है। इसके अतिरिक्त, किसी महिला निदेशक के किसी भी रिक्त पद को बोर्ड द्वारा

यथाशीघ्र, किन्तु तत्काल अगली बोर्ड बैठक से पहले या ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, जो भी बाद में हो, भरा जाएगा ।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाए अनुसार, 19 एसपीएसई को वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक था। इन 19 एसपीएसई में से, 11 एसपीएसई में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक थीं, जैसा कि **तालिका 1.14** में दिया गया है:

**तालिका 1.14: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक वाली एसपीएसई**

| क्र.सं. | एसपीएसई का नाम |
|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 2. | मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड |
| 3. | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 4. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 5. | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 6. | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 7. | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड |
| 8. | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 9. | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 10. | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 11. | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

## 1.13 एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्य

### *1.13.1 सामान्य बैठक में नियुक्ति और अनुमोदन का औपचारिक पत्र जारी करना*

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति शेयरधारकों की बैठक (सामान्य बैठक) में अनुमोदित की जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से की जाएगी, जिसमें नियुक्ति की शर्तें और नियम निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाने चाहिए।

### *1.13.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण*

कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV {पैरा III (1) - स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य} के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को उचित परिचयात्मक प्रशिक्षण से गुजरना होगा और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान को अपडेट और रिफ्रेश करेंगे और कंपनी के कार्यों से परिचित होंगे। एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किसी भी एसपीएसई ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण को प्रदान नहीं किया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड मे थे।

### *1.13.3 कंपनी की बोर्ड बैठकों, बोर्ड समितियों की बैठकों और आम बैठकों में भाग लेना*

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं।

#### *1.13.3.1 बोर्ड की बैठकें*

बैठक के समय बोर्ड में शामिल स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति **तालिका 1.15** में दी गई है।

**तालिका 1.15: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति**

| क्र.सं. | एसपीएसई का नाम | बोर्ड की बैठकों की संख्या | 100 प्रतिशत आईडी की उपस्थिति के साथ बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 5 | 5 |
| 2. | मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड | 1 | 1 |
| 3. | मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड | 5 | 1 |
| 4. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 5 | 4 |
| 5. | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 3 | 3 |
| 6. | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 5 | 5 |
| 7. | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 6 | 2 |
| 8. | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 4 | 2 |
| 9. | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 4 | 2 |
| 10. | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 6 | 2 |
| 11. | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 4 | 3 |
| 12. | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 1 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 1 | 1 |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 62 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति थी।

### *1.13.3.2 बोर्ड समितियों की बैठक*

**लेखापरीक्षा समिति-** वित्त वर्ष 2022-23 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति **तालिका 1.16** में दी गई है।

**तालिका 1.16: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आईडी की उपस्थिति**

| क्र.सं. | एसपीएसई के नाम | बैठक की तिथि | बोर्ड में सम्मिलित आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 26.04.2022 | 2 | 2 |
| | | 01.12.2022 | 2 | 2 |
| | | 03.01.2023 | 2 | 2 |
| | | 15.02.2023 | 2 | 2 |
| 2. | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 29.04.2022 | 2 | 1 |
| | | 22.07.2022 | 2 | 2 |
| | | 29.09.2022 | 2 | 1 |
| | | 23.12.2022 | 2 | 1 |
| | | 17.02.2023 | 2 | 1 |
| 3. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 27.06.2022 | 2 | 2 |
| | | 25.08.2022 | 2 | 2 |
| | | 25.11.2022 | 2 | 2 |
| | | 27.02.2023 | 2 | 2 |
| 4. | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 11.10.2022 | 3 | 2 |

| क्र.सं. | एसपीएसई के नाम | बैठक की तिथि | बोर्ड में सम्मिलित आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 5. | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 07.09.2022 | 2 | 2 |
| | | 01.03.2023 | | |
| 6. | मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 27.04.2022 | 1 | 1 |
| | | 25.07.2022 | 1 | 1 |
| | | 27.09.2022 | 1 | 1 |
| | | 24.03.2023 | 3 | 3 |
| 7. | मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ सविसेस कार्पोरेशन लिमिटेड | 28.02.2023 | 2 | 1 |
| 8. | मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड | 02.02.2023 | 2 | 2 |
| 9. | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 05.01.2023 | 2 | 2 |
| 10. | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 13.12.2022 | 2 | 1 |
| | | 28.03.2023 | 2 | 2 |
| 11. | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 11.07.2022 | 2 | 1 |
| | | 14.09.2022 | 2 | 2 |
| | | 21.10.2022 | 2 | 1 |
| | | 19.01.2023 | 2 | 1 |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 11 एसपीएसई में से, सभी आईडी छह एसपीएसई (क्रम संख्या 1,3,5,6,8 और 9) में प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेते थे और शेष पांच एसपीएसई (क्रम संख्या 2,4,7,10 और 11 ऊपर) की 10 बैठकों में कम उपस्थिति थी।

### *1.13.3.3 सामान्य बैठकें*

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे। एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समय पांच एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में थे। 2022-23 में आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का विवरण, एसपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या और बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या **तालिका 1.17** में दी गई है।

**तालिका 1.17: वार्षिक आम बैठकों में स्वतंत्र निदेशको की उपस्थिति**

| क्र.सं. | एसपीएसई के नाम | एजीएम की तिथि | बोर्ड में सम्मिलित आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 30.09.2022 | 3 | 0 |
| 2. | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 29.09.2022 | 2 | 0 |
| | | 07.11.2022 | | |
| 3. | मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 29.04.2022 | 1 | 0 |
| | | 30.09.2022 | 1 | 0 |
| | | 30.12.2022 | 3 | 0 |
| 4. | मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड | 22.09.2022 | 2 | 0 |
| | | 28.02.2023 | | |

| क्र.सं. | एसपीएसई के नाम | एजीएम की तिथि | बोर्ड में सम्मिलित आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 29.04.2022<br>26.09.2022<br>07.02.2023 | 2 | 0 |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि किसी भी एसपीएसई ने स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित नहीं की।

### *1.13.4 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक*

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को एक वित्त वर्ष में कम से कम एक बैठक करनी होगी, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ऐसी बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 13 एसपीएसई में से, जिनमें 2022-23 के दौरान एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में थे, छह एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने एक पृथक बैठक आयोजित की, जबकि शेष सात एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों यानी मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, एमपी जल निगम मर्यादित और भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान पृथक बैठकों का आयोजन नहीं किया।

एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पृथक बैठकों के अभाव में, सात एसपीएसई यानी मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित और भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का उद्देश्य ही विफल हो गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन भी, जो बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है, नहीं किया जा सका, जैसा कि अनुसूची IV (VII)(3)(सी) में अपेक्षित था।

## 1.14 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पदों को भरना

अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी जो ऐसे वर्ग या कम्पनियों के वर्गों से संबंधित है, जैसे निर्धारित किया जा सकता है, में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) होंगे, अर्थात (i) प्रबंध निदेशक,

या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कंपनी सचिव; और (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि ₹ 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहियें। अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त होता है, तो परिणामी रिक्ति को बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर बोर्ड की बैठक में भरा जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30 एसपीएसई[29] की चुकता पूंजी उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक थी। इसलिए, इन कंपनियों को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करने की आवश्यकता थी, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है। इन 30 एसपीएसई में से, 16 एसपीएसई[30] में पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त पाए गए। जानकारी के अनुसार, **तालिका 1.18** में दर्शाए गए छह एसपीएसई में केएमपी की अपर्याप्त संख्या थी जबकि शेष आठ एसपीएसई[31] ने रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए थे।

**तालिका 1.18: केएमपी की नियुक्ति की स्थिति**

| क्र.सं. | एसपीएसई के नाम | केएमपी की स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड | वित्त वर्ष 2022-23 में सीएफओ का पद खाली था |
| 2. | मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड | वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी सचिव का पद रिक्त था |
| 3. | मध्य प्रदेश वित्त निगम | कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी का विवरण नहीं दिया गया |
| 4. | मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड | उपलब्ध नहीं है |
| 5. | मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड | उपलब्ध नहीं है |
| 6. | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड | कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी का विवरण नहीं दिया गया |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

[29] **परिशिष्ट 1.5** के क्र.सं. 1-9, 12-16, 18-23 और 25-34

[30] मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मप्र प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मप्र जल निगम मर्यादित, मप्र नगरीय विकास निगम लिमिटेड, मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड और मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड।

[31] डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट एसेट्स कंपनी मैनेजमेंट लिमिटेड, एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एमपी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

## 1.15 इस संबंध में निदेशक मंडल और बोर्ड समिति की बैठक

अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को अपने निगमन की तारीख से तीस दिनों के अंदर निदेशक मंडल (बीओडी) की पहली बैठक आयोजित करनी होगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करनी होंगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान प्रत्येक एसपीएसई द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 73 एसपीएसई में से 25 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम चार निदेशक मंडल बैठकें आयोजित कीं, जबकि 11 एसपीएसई[32] ने वर्ष 2022-23 के दौरान चार से कम निदेशक मंडल बैठकें आयोजित कीं। हालाँकि, शेष 37 एसपीएसई ने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

## 1.16 लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियाँ

### *1.16.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन*

अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छोड़कर, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों, या ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर करने वाली, या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा रखने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक मंडल को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा।

मानदंडों के अनुसार, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता वाली 32 एसपीएसई[33] को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 32 एसपीएसई में से, **परिशिष्ट 1.5** में दिए गए 17 एसपीएसई ने कम से कम एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक की है, जबकि चार एसपीएसई[34] ने 31 मार्च 2023 तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। शेष 11 एसपीएसई ने जानकारी नहीं दी। तीन एसपीएसई अर्थात् मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी, ने क्रमशः एक, तीन और दो लेखापरीक्षा समिति बैठकें की थीं।

अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य वित्तीय विवरण को पढ़ने और समझने में सक्षम व्यक्ति होंगे।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 19 एसपीएसई, जिनमें लेखापरीक्षा समिति गठित की गई थी, ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य रखने के मानदंड को पूरा कर लिया था।

---

32 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश नगरीय विकास निगम लिमिटेड, बी-नेस्ट फाउंडेशन, एमपी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, एमपी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपी जल निगम मर्यादित और एमपी भवन विकास निगम लिमिटेड।

33 **परिशिष्ट 1.5** के क्र.सं. 1-32

34 एमपी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, एमपी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, एमपी जेपी कोल लिमिटेड और एमपी जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड।

### 1.16.2 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा-आंतरिक नियंत्रण और वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) के अंतर्गत संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना; (ii) वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन की जांच करना; (iii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और आंतरिक और वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

एसपीएसई द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है। एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 17 एसपीएसई में से जहाँ लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं, उनमें से 15 एसपीएसई[35] ने एसपीएसई में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया, जबकि 10 एसपीएसई[36] की लेखापरीक्षा समितियों ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी की।

### 1.16.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों का निदेशक मंडल; या ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि रखने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, 34 एसपीएसई[37] को एनआरसी का गठन करना आवश्यक था। हालाँकि, **तालिका 1.19** में दी गई निम्नलिखित 12 एसपीएसई ने 31 मार्च 2023 तक एनआरसी का गठन नहीं किया। 34 एसपीएसई में से 11 एसपीएसई[38] ने एनआरसी के गठन के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

---

35 मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मप्र जल निगम मर्यादित, मप्र वित्त निगम, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड, मप्र जेपी मिनरल्स लिमिटेड, मप्र अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड।

36 एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एमपी जल निगम मर्यादित, एमपी जेपी मिनरल्स लिमिटेड, एमपी मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड और भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड।

37 **परिशिष्ट 1.5** के क्र.सं. 1-34

38 डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, एमपी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, एमपी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एमपी राज्य सड़क परिवहन निगम, एमपी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, एमपी सड़क विकास निगम लिमिटेड, एमपी पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड और सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

### तालिका 1.19: एसपीएसई जिन्होंने एनआरसी का गठन नहीं किया

| क्र.सं. | एसपीएसई का नाम |
|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड |
| 2. | मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 3. | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड |
| 4. | मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड |
| 5. | मध्य प्रदेश वित्त निगम |
| 6. | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड |
| 7. | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन |
| 8. | पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड |
| 9. | मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड |
| 10. | मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड |
| 11. | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड |
| 12. | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

अधिनियम, 2013 में यह भी प्रावधान है कि एनआरसी में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष (चाहे कार्यकारी हों अथवा गैर-कार्यकारी) को एनआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

11 एसपीएसई में गठित एनआरसी के विश्लेषण से पता चला कि पांच एसपीएसई अर्थात मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित और जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एनआरसी का गठन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि **तालिका 1.20** में संक्षेपित किया गया है।

### तालिका 1.20: 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई में एनआरसी का संघटन

| क्र.सं. | एसपीएसई का नाम | गठन और टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 2. | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 3. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | एक कार्यकारी सदस्य और दो स्वतंत्र निदेशकों सहित चार गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 4. | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | एक कार्यकारी सदस्य और दो स्वतंत्र निदेशकों सहित चार गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 5. | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | दो कार्यकारी सदस्य और दो स्वतंत्र निदेशकों सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 6. | मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड | दो स्वतंत्र निदेशकों सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य |
| 7. | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड | तीन गैर-कार्यकारी सदस्य लेकिन कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं |
| 8. | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | विवरण नहीं दिया गया है |
| 9. | जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | विवरण नहीं दिया गया है |
| 10. | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | विवरण नहीं दिया गया है |
| 11. | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | तीन स्वतंत्र निदेशकों सहित पाँच गैर-कार्यकारी सदस्य |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

## 1.17 व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डब्ल्यूबीएम)

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्ति) नियम के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनियां; जिन कंपनियों ने बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उधार ली है, वे अपने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता व्यवस्था स्थापित करेंगी, ताकि अनैतिक व्यवहार, संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति का उल्लंघन करने के बारे में वास्तविक चिंताओं और शिकायतों की रिपोर्ट की जा सके। यह ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 एसपीएसई, जिन्होंने ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक उधार लिया है, को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डब्ल्यूबीएम) स्थापित करना आवश्यक था। केवल पांच एसपीएसई अर्थात् मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में व्हिसल ब्लोअर तंत्र था और **तालिका 1.21** में दिए गए आठ एसपीएसई में व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था।

**तालिका 1.21: व्हिसल ब्लोअर तंत्र का कार्यान्वयन**

| क्र.सं. | एसपीएसई का नाम |
|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 2. | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड |
| 3. | मध्य प्रदेश वित्त निगम |
| 4. | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड |
| 5. | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन |
| 6. | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड |
| 7. | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड |
| 8. | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड |

*(**स्रोत:** एसपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

हालाँकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन 18 एसपीएसई को डब्ल्यूबीएम का गठन करना था, उनमें से पांच एसपीएसई[39] ने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

## आंतरिक लेखापरीक्षा विधिक ढांचा

## 1.18 आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

### *1.18.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचय और महत्व*

आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए), आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार परिभाषित करता है: "एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श गतिविधि जिसे किसी संगठन के संचालन में मूल्य जोड़ने और उसे बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि किसी संगठन को जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण

[39] डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, एमपी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, एमपी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, एमपी राज्य सड़क परिवहन निगम, एमपी पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है।" तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका यह स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि किसी संगठन का जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।

आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाले ढांचे में आंतरिक लेखापरीक्षा को शासन को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन के रूप में परिभाषित किया गया है।

## 1.19 विधिक ढांचा

### *1.19.1 कंपनी अधिनियम के प्रावधान और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश*

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) में यह प्रावधान है कि (क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; (ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर; या बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पच्चीस करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमा राशि थी, को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक होगा, जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा कंपनी के कार्यों और गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए तय किया जाए।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, **परिशिष्ट 1.6** में दी गई जानकारी के अनुसार, 25 एसपीएसई को आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था। इन 25 एसपीएसई में से, चार एसपीएसई[40] ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया, जबकि आठ एसपीएसई[41] ने आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

## 1.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

### *1.20.1 आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति और रिपोर्टिंग*

अधिनियम, 2013 की धारा 138(2) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार नियमों द्वारा वह प्रणाली और अंतराल निर्धारित कर सकती है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

एसपीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नियम अभी तक (मार्च 2023) निर्धारित नहीं किए गए हैं और इसलिए, एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा दैनिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर आयोजित की गई थी।

## 1.21 निष्कर्ष

यह अध्याय सरकार द्वारा अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश की राशि से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन; विभिन्न मानदंडों के अनुपालन मामलों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने के संबंध में सीएजी की निगरानी की भूमिका; और सरकारी कंपनियों के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के पालन, को प्रस्तुत करता है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में

[40] मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड।

[41] डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, एमपी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, एमपी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, एमपी राज्य सड़क परिवहन निगम, एमपी पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड और सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

स्वतंत्र निदेशकों/ महिला निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों, लेखापरीक्षा समिति के गठन आदि को इस अध्याय में प्रमुखता से दिखाया गया है।

i. 31 मार्च 2023 तक, मध्य प्रदेश में 61 सरकारी कंपनियों, तीन सांविधिक निगमों और नौ सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों सहित कुल 73 एसपीएसई थीं। 73 एसपीएसई में से, 46 एसपीएसई ने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए कम से कम एक खाता प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस प्रतिवेदन में केवल 32 कार्यशील एसपीएसई सम्मिलित हैं।

ii. इन 32 एसपीएसई का टर्नओवर (₹ 95,645.11 करोड़) वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 13,22,821 करोड़) का 7.23 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान एसपीएसई के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 98 प्रतिशत से अधिक है।

iii. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 32 एसपीएसई में से 11 एसपीएसई ने लाभ कमाया। वर्ष 2021-22 में 13 एसपीएसई के द्वारा अर्जित ₹ 1,797.34 करोड़ के लाभ की तुलना में 32 एसपीएसई (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 एसपीएसई द्वारा वर्ष 2022-23 में अर्जित लाभ ₹ 552.22 करोड़ था।

iv. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए सरकारी अंशपूँजी, ऋण और गारंटी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बनाए गए/प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में विसंगति के उदाहरण थे।

v. 30 सितंबर 2023 तक 66 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 258 लेखे बकाया थे और बकाये की सीमा दो से 33 वर्ष तक थी।

vi. प्राप्त 51 वित्तीय विवरणों में से 39 वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई तथा अन्य 12 वित्तीय विवरणों के संबंध में गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, समीक्षा किए गए 39 वित्तीय विवरणों में से 23 वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गई हैं।

vii. वर्ष 2022-23 के दौरान, 32 एसपीएसई जिनमें स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किये जाने थे, में से 19 एसपीएसई ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त, 19 एसपीएसई जिनमें महिला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक था, में से पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में केवल 11 एसपीएसई में ही महिला निदेशक नियुक्त थीं। स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति केवल 62 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में ही थी। किसी भी एसपीएसई ने कंपनी अधिनियम के अनुसार 2022-23 के दौरान बोर्ड में शामिल स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया।

viii. इसके अतिरिक्त, सात एसपीएसई, जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे, में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। 30 एसपीएसई में से केवल 16 एसपीएसई में ही पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे। इसके अतिरिक्त, 15 एसपीएसई की लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया।

ix. 11 एसपीएसई में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित की गई, जबकि पांच एसपीएसई में एनआरसी का संघटन अधिनियम के प्रावधान के तहत नहीं था। 18 एसपीएसई में से केवल पांच एसपीएसई में व्हिसल ब्लोअर तंत्र था। और यह भी कि 25 में से चार एसपीएसई ने आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किये थे।

## 1.22 अनुशंसाएँ

i. मध्य प्रदेश सरकार हानि में चल रहे सभी सार्वजनिक उद्यमों के कामकाज की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सरकार एसपीएसई को, विशेष रूप से विद्युत वितरण कंपनियों को देय राशि (सब्सिडी/दावे) का भुगतान/प्रतिपूर्ति करके उनकी अच्छी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित कर सकती है।

ii. मध्य प्रदेश सरकार सरकारी अंशपूँजी, ऋणों और गारंटियों के संबंध में वित्त लेखे में सूचित आंकड़ों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) द्वारा अनुरक्षित या प्रस्तुत आंकड़ों के मिलान हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकती है।

iii. मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तथा बकाया लेखों के निपटान की सख्ती से निगरानी करने और लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया को कम करने के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

iv. मध्य प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी एसपीएसई लेखों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करें, एक मजबूत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली लागू कर सकती है, जिससे इन संगठनों के अंदर पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिले। साथ ही एसपीएसई का प्रबंधन, विचलन को कम करने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू लेखांकन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित कर सकता है।

v. मध्य प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एसपीएसई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों की संख्या एसपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

vi. मध्य प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि निदेशक मंडल की बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित की जाएं।

vii. सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि उन्हें अद्यतन व्यावसायिक परिवेश के बारे में जानकारी मिलती रहे।

viii. सरकार यह सुनिश्चित करे कि व्हिसल ब्लोअर तंत्र कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित किया जाए।

# अध्याय II

# अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

# अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह अध्याय विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार की तीनों विद्युत वितरण कंपनियाँ और उनकी होल्डिंग कंपनी, ये सभी उपक्रम जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है पर गई व्यापक अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य संबंधित विनियमों के पालन, आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता आदि का प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन करना था, और साथ ही संभावित कमियों या अनुपालन संबंधी मुद्दों की पहचान करना था।

आगामी भाग में प्रत्येक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए विशिष्ट प्रेक्षण और संभावित प्रभावों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहाँ सुधार की आवश्यकता है। इन प्रेक्षणों का उद्देश्य प्रबंधन को ऐसे व्यावहारिक सुझाव प्रदान करना है, जिनसे वे अपनी वित्तीय प्रक्रियाओं और समग्र संचालन दक्षता को बेहतर बना सकें।

## 2.1 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईटी/विनिर्माण पार्कों में भूमि/स्थान के विकास और आवंटन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.1.1 परिचय

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) को मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग (डीओएसटी) के अंतर्गत नवंबर 1983 में मध्य प्रदेश शासन (राज्य सरकार) के विभागों, निगमों, कम्पनियों, सोसाईटियों, मंडलो आदि में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के प्रयोग को बढावा देने के लिए स्थापित किया गया था। एमपीएसईडीसी के कार्यक्षेत्र में परामर्श सेवा, सॉफ्टवेयर विकसित करना, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय करना, प्रशिक्षण, परीक्षण, नेटवर्किंग और निर्दिष्ट क्षेत्रों का हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्रोद्यौगिकी पार्कों के रूप में विकसित करना सम्मिलित है। एमपीएसईडीसी विभिन्न आईटी परियोजनाओ[42] के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

राज्य सरकार ने 1999 में एक सूचना प्रोद्यौगिकी (आईटी) नीति लागू की थी, जिसे बाद में वर्ष 2006, 2012, 2014 और 2016 में संशोधित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य आईटी उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और राज्य में रोजगार के अवसर को सृजित करना था। एमपीएसईडीसी को राज्य में आईटी, आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) और इलैक्ट्रानिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योगों को लाने के उद्देश्य के साथ आईटी नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त (अक्टूबर 2006) किया गया था। एमपीएसईडीसी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर (दो स्थानों - परदेशीपुरा और सिंहासा) और जबलपुर में आईटी पार्कों के विकास और उन्नति के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार, एमपीएसईडीसी आईटी पार्कों में भूखंड (खुली जगह एकड़ में) के साथ-साथ स्थान (इमारतों के भीतर वर्ग फुट में) दोनों को पट्टे के आधार पर आईटी/आईटीईएस/ ईएसडीएम फर्मों को आवंटित करती है। एमपीएसईडीसी पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान लाभ कमाने वाली कंपनी रही है।

---

[42] स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेंटर, परिचय, ई-ऑफिस, आधार, आदि।

## एमपीएसईडीसी द्वारा भूखंडों एवं स्थानों के आवंटन का विवरण

आईटी पार्कों में भूखंडों और स्थानों के आवंटन का विवरण (मार्च 2023) नीचे **तालिका 2.1.1** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.1: आईटी पार्कों में भूखंडों और स्थानों के आवंटन का विवरण (मार्च 2023)**

| भूखंड | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | आईटी पार्क | मार्ग और अन्य उपयोगिताओं सहित क्षेत्रफल (एकड़ में) | आवंटन योग्य/विकसित भूखंड | | आवंटित भूखंड[43] | | प्रतिशत | |
| | | | संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | कुल क्षेत्रफल में आवंटन योग्य क्षेत्रफल | आवंटन योग्य क्षेत्र से आवंटित क्षेत्र |
| 1. | भोपाल | 204.17 | 120 | 131.32 | 103 | 92.56 | 64 | 70 |
| 2. | ग्वालियर | 65.00 | विकास कार्य अभी प्रारंभ किया जाना था (मार्च 2023) | | | | 0 | 0 |
| 3. | इंदौर (सिंहासा) | 107.33 | 37 | 59.96 | 34 | 42.65 | 56 | 71 |
| 4. | जबलपुर | 63.06 | 116 | 30.25 | 103 | 28.49 | 48 | 94 |
| **उप-योग** | | **439.56** | **273** | **221.53** | **240** | **163.70** | **50** | **74** |

**आईटी पार्क स्थान**

| क्र.सं. | आईटी पार्क | उपलब्ध स्थान | आवंटित स्थान | शेष स्थान जिसे आवंटित किया जाना है | शेष स्थान और उपलब्ध स्थान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 94,351 | 94,351 | 0 | **0** |
| 2. | ग्वालियर | 75,000 | 55,000 | 20,000 | **27** |
| 3. | इंदौर (परदेशीपुरा) | 1,70,000 | 1,70,000 | 0 | **0** |
| 4. | इंदौर (सिंहासा) | 76,800 | 0 | 76,800 | **100** |
| 5. | जबलपुर | 75,514 | 75,514 | 0 | **0** |
| **उप-योग** | | **4,91,665** | **3,94,865** | **96,800** | **20** |

*(**स्रोत:** एमपीएसईडीसी द्वारा प्रदत्त सूचना)*

आईटी पार्क के भूखंडों के मामले में, मार्च 2014 से जनवरी 2020 के बीच पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया गया था, और नवंबर 2020 के बाद, भूखंडों को ऑनलाइन खुली निविदा प्रणाली पर आवंटित किया गया था। इस दौरान, मई 2013[44] से आईटी पार्क के स्थान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए गए थे।

उपरोक्त 439.56 एकड़ भूमि में से 90 एकड़ (भोपाल में 50 एकड़ और जबलपुर में 40 एकड़) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए आरक्षित रखी गई।

### 2.1.2 संगठनात्मक संरचना

एमपीएसईडीसी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल में निहित होता है। प्रबंध निदेशक (एमडी), इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता हैं और उनकी सहायता के लिए छह महाप्रबंधक (जीएम) होते हैं। आईटी पार्कों के मामलों का

[43] कुल 259 भूखंड आवंटित किये गये, जिनमें से 19 को बाद में रद्द कर दिया गया।

[44] आईटी भवनों में स्थानों के आवंटन के लिए आयु-वार डेटा एमपीएसईडीसी के पास उपलब्ध नहीं है और इस बात को **कंडिका 2.1.5.9** में बताया गया है।

प्रबंधन पार्क प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो कि समग्र रखरखाव व भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पार्क प्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं। एमपीएसईडीसी की दो सहायक कम्पनियां भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क हैं।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और दायरा/कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से की गई थी ताकि यह आंकलन किया जा सके कि क्या आईटी पार्कों में स्थानों/भूखंडों की योजना, विकास और आवंटन तथा फीस/प्रभारों का संग्रहण और सब्सिडी का वितरण लागू मानदंडों के अनुसार था और क्या फर्मों द्वारा रोजगार सृजन सहित व्यावसायिक गतिविधियों पर निगरानी/ पर्यवेक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आईटी नीति 2016 और म. प्र. शासन द्वारा जारी संबंधित आदेशों के आधार पर बेंचमार्क किया गया । इसके अतिरिक्त, एमपीएसईडीसी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त/कार्यसूची दस्तावेज़, एमआईएस प्रतिवेदन, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि की भी जांच की गई ताकि आईटी पार्कों में भूखंडों और स्थानों की आवंटन प्रक्रियाओं का आंकलन किया जा सके और यह देखा जा सके कि पट्टा अनुबंध की शर्तों का पालन किया गया था या नहीं। इसके अलावा, एमपीएसईडीसी की प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन, वार्षिक बजट, वित्तीय खाते, वार्षिक प्रतिवेदन को भी लागू मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड के रूप में आधार बनाया गया।

लेखापरीक्षा अप्रैल और जून 2023 के मध्य आयोजित की गई जिसमें 2020-21 से 2022-23 तक की तीन वर्षों की अवधि को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2020-21 से पहले के सभी मामलों की भी जिसमे बकाया लीज़ किराया, रखरखाव शुल्क की वसूली न होना, विकास शुल्क का अनुपातहीन संग्रह, रोजगार सृजन और निविदा प्रक्रिया से संबंधित मामलों के लिए जांच की गई। एमपीएसईडीसी के एमडी कार्यालय में प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा दल ने एमपीएसईडीसी के प्रतिनिधियों के साथ आईटी पार्कों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

**लेखापरीक्षा प्रेक्षण**

लेखापरीक्षा ने एमपीएसईडीसी के कामकाज का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की जांच की:

1. आईटी पार्कों के विकास में शामिल प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ:
2. आईटी पार्कों में फर्मों/आवेदकों को भूखंडों/स्थानों का आवंटन:
3. मौजूदा नियमों के अनुसार निगरानी की समग्र प्रक्रिया, जिसमें मौजूदा समझौतों के अनुसार रोजगार सृजन और सब्सिडी के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

निष्कर्षों का विस्तृत विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

### 2.1.4 आईटी पार्कों का विकास

आईटी नीति, 2016 के अनुसार, राज्य सरकार ने पार्कों के विकास के लिए डीओएसटी,एमपी को भूमि प्रदान की। आईटी पार्कों के विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते एमपीएसईडीसी ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर (सिंहासा) में आईटी भवनों के निर्माण सहित आईटी पार्कों के विकास और निर्माण का काम मध्य प्रदेश हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एमपीएचआईडीबी) को डिपॉज़िट कार्य के रूप में सौंपा था । इंदौर (परदेशीपुरा) में आईटी पार्क भवन का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) को सौंपा गया था।

आईटी पार्कों के विकास से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.1.4.1 दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं को तैयार न करना

दीर्घकालिक रणनीतिक योजना एक दस्तावेज होता है जो एक संगठन के अगले तीन से पांच वर्षों के लिए दृष्टिकोण, मिशन, लक्ष्यों और रणनीतियों को रेखांकित करता है। यह टीम के कार्यों और निर्णयों को संगठन के वांछित परिणामों और दिशा के साथ संरेखित करने में मदद करता है । एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आईटी नीति, 2016 का लक्ष्य/दृष्टिकोण अन्य बातों के साथ-साथ आईटी पार्कों और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना था, जिसके परिणामस्वरूप आईटी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होंगे। राज्य में आईटी नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, एमपीएसईडीसी को एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएसईडीसी ने लागू आईटी नीति के अनुरूप, राज्य के आईटी पार्कों को विकसित करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना या रणनीतिक योजना तैयार नहीं की थी। दीर्घकालिक योजना और रणनीतिक योजना के तैयार न होने के कारण, एमपीएसईडीसी ने भूखंडों/ स्थान के आवंटन एवं फर्मों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने/सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। इसके अलावा, एमपीएसईडीसी ने आईटी अवसंरचना के विकास के लिए मांग का आंकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, पूरे राज्य में आईटी पार्कों के विकास और भूखंडों/स्थानों के आवंटन की प्रगति एक समान नहीं थी। उदाहरण के लिए, ग्वालियर में, भूखंडों के लिए विकास कार्य शुरू भी नहीं हुआ था, जबकि अन्य तीन आईटी पार्कों के संबंध में, 273 आवंटन योग्य/विकसित भूखंडों में से केवल 240 ही आवंटित किए गए थे (मार्च 2023)। इसके अतिरिक्त, पहले से आवंटित 240 भूखंडों में से केवल 26 भूखंडों में ही फर्मों/कंपनियों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, निर्धारित लक्ष्यों (14,548 की तुलना में 576) की तुलना मे केवल चार प्रतिशत रोजगार उत्पन्न किया गया। (***कंडिका 2.1.7.1 में*** *विस्तृत पर चर्चा की गई है*)।

प्रबंधन ने दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं (दिसंबर 2024) को तैयार न करने के लिए कोई विशिष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया (दिसंबर 2023)।

### 2.1.4.2 सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) का लागू न होना

आईटी नीति-2016 में एमपीएसईडीसी द्वारा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की स्थापना करना निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएसईडीसी ने राज्य के आईटी पार्कों में आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजनाओं और अनुमोदनों की समय पर मंजूरी की सुविधा के लिए एसडब्ल्यूसीएस के कार्यान्वयन के लिए आईटी नीति का अनुपालन नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि एमपीएसईडीसी ने निवेशकों को भवन-निर्माण अनुमति, बैंक सहायता और अन्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिए मौखिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा, बैंक से वित्तीय सहायता के लिए एमपीएसईडीसी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किया गया था।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईटी नीति में वर्ष 1999 में इसके प्रारंभ से ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि औद्योगिक अवसंरचना की योजना बनाने और निर्माण करने के लिए राज्य शासन की एक समान एजेंसी मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने उपरोक्त प्रणाली स्थापित की है, जिससे सभी निवेशकों के लिए एक स्थान पर समाधान संभव बनाया है।

### 2.1.4.3 आईटी पार्कों में अतिक्रमण के कारण हानि

अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि दो आईटी पार्कों (भोपाल और इंदौर) में 13.57 एकड़ भूमि (3.68 प्रतिशत) का स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण[45] किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शासन को विकास व्यय[46] के रूप में ₹ 3.62 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, एमपीएसईडीसी ₹ 2.28 करोड़ अवसर लागत के से भी वंचित रह गया, जिसे भूमि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो सकता था यदि इसने इस अतिक्रमण को रोका होता और आवेदक फर्मों को भूमि आवंटित की होती। विवरण नीचे **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1.2: अतिक्रमित भूमि का विवरण**

| क्र. सं. | आईटी पार्क | कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) | अतिक्रमित भूमि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्रफल (एकड़ में) | भूमि प्रीमियम (₹ में) | विकास शुल्क (₹ में) | कुल मूल्य (₹ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)+(6) |
| 1 | भोपाल | 212.63 | 8.46 | 1,71,25,510 (@20,24,291) | 1,84,25,880 (@21,78,000) | 3,55,51,390 |
| 2 | इंदौर (सिंहासा) | 112.44 | 5.11 | 56,88,963 (@11,13,300) | 1,78,07,328 (@34,84,800) | 2,34,96,291 |
| **कुल** | | **368.63** | **13.57** | **2,28,14,473** | **3,62,33,208** | **5,90,47,681** |

*(**स्रोत**: एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

एमपीएसईडीसी द्वारा अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने के लिए किए गए प्रयासों का भी अभिलेखो में उल्लेख नहीं है।

प्रबंधन ने आईटी पार्कों में अतिक्रमण के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

### 2.1.4.4 व्यय का विवरण प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान

**ए.** एमपीएसईडीसी और एमपीएचआईडीबी के बीच आईटी पार्कों के निर्माण/ विकास के लिए, छह प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क और 2.5 प्रतिशत वास्तुकला शुल्क पर एक डिपॉज़िट कार्य के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे (फरवरी और मार्च 2013)। समझौता ज्ञापन के पैरा 7 (ii) के अनुसार, एमपीएचआईडीबी अपने पास उपलब्ध निधि में से हुए व्यय का लेखा एमपीएसईडीसी को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एमपीएचआईडीबी ने आईटी पार्कों के निर्माण/विकास के लिए कुल ₹ 327.85 करोड़[47] का अग्रिम भुगतान (मार्च 2023 तक) प्राप्त किया था। लेकिन व्यय का विवरण न तो एमपीएसईडीसी द्वारा मांगा गया और न ही एमपीएचआईडीबी द्वारा प्रदान किया गया जबकि आईटी भवनों का निर्माण कुछ वर्षों पूर्व (मार्च 2018 से पहले) ही पूर्ण हो चुका था। उन भवनों में आईटी फर्मों को स्थान आवंटित कर दिए गए थे और 2016 से नियमित रूप से किराया वसूला जा रहा था। एमपीएचआईडीबी को भुगतान किए गए अग्रिम का विवरण नीचे **तालिका 2.1.3** में दर्शाया गया है:

[45] अवैध कब्जे की वास्तविक अवधि एमपीएसईडीसी के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

[46] सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली, सीवेज नेटवर्क, बिजली और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए किया गया विकास व्यय।

[47] एमपीएसईडीसी से ₹ 275.60 करोड़ और एमपीएसईडीसी की सहायक कंपनियों से ₹ 52.25 करोड़।

**तालिका 2.1.3: एमपीएचआईडीबी को भुगतान किए गए अग्रिम का विवरण**

| क्र.सं. | कार्य का नाम | अग्रिम भुगतान (₹ करोड़ में) | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | आईटी भवन, भोपाल | 19.00 | 08/2013 से 03/2016 |
| 2. | आईटी भवन, इंदौर (सिंहासा) | 16.50 | 08/2013 से 09/2016 |
| 3. | आईटी भवन, जबलपुर | 12.00 | 11/2015 से 03/2017 |
| 4. | आईटी पार्क, भोपाल | 70.75 | 03/2013 से 01/2022 |
| 5. | आईटी पार्क, इंदौर (सिंहासा) | 92.23 | 06/2013 से 09/2021 |
| 6. | आईटी पार्क, जबलपुर | 65.12 | 08/2013 से 02/2023 |
| **कुल** | | **275.60** | |
| **एमपीएसईडीसी की सहायक कंपनी द्वारा किया गया अग्रिम भुगतान** | | | |
| 1. | ईएमसी, भोपाल | 27.75 | 11/2014 to 01/2018 |
| 2. | ईएमसी, जबलपुर | 24.50 | 01/2014 to 01/2020 |
| **कुल** | | **52.25** | |

*(**स्रोत**: एमपीएसईडीसी के अभिलेखो से)*

**बी.** समझौता ज्ञापन के पैरा 15 के अनुसार, एमपीएचआईडीबी परियोजना का निर्माण आपसी सहमति से तय की गई परियोजना पूर्णता समय-सारणी के अनुसार करेगा । अगर कोई कार्य तय समय में न हो सके तो एमपीएचआईडीबी ठेकेदारों से देरी के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु निविदा प्रावधान लागू करेगा और प्राप्त क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत एमपीएसईडीसी को भुगतान करेगा।

एमपीएचआईडीबी से व्यय का लेखा-जोखा न मिलने के कारण, एमपीएसईडीसी को यह जानकारी नहीं थी कि एमपीएचआईडीबी ने दोषी ठेकेदारों से कितना जुर्माना वसूला था, तथा उसके परिणामस्वरूप उनके पक्ष में कितना हिस्सा अर्जित हुआ था।

**सी.** एमपीएसईडीसी और इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (जून 2013) के पैरा 7.03 अनुसार, आईडीए परियोजना पर आने वाली लागत के लिए अलग लेखे रखेगा और जब भी एमपीएसईडीसी द्वारा मांग की जाएगी इसकी प्रति प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन के पैरा 8 मे यह भी प्रावधान है कि, आईडीए द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद सात दिनों के अंदर एमपीएसईडीसी को निर्माण-कार्य पर एक मासिक प्रतिवेदन और ऐसी कोई भी सूचना जो एमपीएसईडीसी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2013 से सितम्बर 2021 के दौरान आईडीए को इंदौर (परदेशीपुरा) में आईटी पार्क/ भवन के निर्माण के लिए ₹ 47.29 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। हालांकि, आईडीए के द्वारा किए गए भुगतानों के लेखे न तो एमपीएसईडीसी द्वारा मांगे गए और न ही आईडीए द्वारा प्रदान किए गए।

**डी.** यद्यपि आईटी भवनों (भोपाल, इंदौर और जबलपुर) और आईटी पार्कों (भोपाल और इंदौर) का कार्य पूर्ण हो चुका था, फिर भी अग्रिम की संपूर्ण राशि ₹ 47.25 करोड़ एमपीएसईडीसी की बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रैस के मूल्य के रूप में दर्शाई जा रही थी । परिणामस्वरूप, एमपीएसईडीसी अंतिम लागत के विरुद्ध अग्रिम राशि को समायोजित करने और शेष राशि की वसूली, यदि कोई हो, करने में विफल रहा। इसके अलावा, पूर्ण हो चुके कार्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता न देकर, एमपीएसईडीसी ने अपनी परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी की है।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (जून 2023) कि "डिपॉज़िट कार्य की अनुसूची" और डिपॉज़िट कार्य का विवरण संबंधित निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा ठेकेदारों को आवंटित कार्य का विवरण प्राप्त किया गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि एमपीएसईडीसी ने वित्तीय औचित्य का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया और व्यय के विवरण के अभाव में, बचत या अतिरिक्त राशि का भी आंकलन नहीं किया जा सका।

### 2.1.5 आईटी पार्कों में भूखंडों और स्थान का आवंटन

#### *2.1.5.1 पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भूखंडों के आवंटन में कमियां*

आईटी नीति 2016 के पैरा 7.2.7 के अनुसार, आवंटन एजेंसी द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। हालांकि, आवंटन एजेंसी, अपने विवेकाधिकार पर, खुली नीलामी के माध्यम से किसी भी भूमि को आवंटित करने का निर्णय ले सकती है।

विभाग ने आईटी नीति, 2016 के तहत आवंटन के उद्देश्य से भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तीन आईटी पार्कों में 273 भूखंड विकसित किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटी नीति की भूमि आवंटन प्रक्रिया के अनुसार, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 154 भूखंडों (मार्च 2014[48] और जनवरी 2020 के बीच) के आवंटन के लिए 124 चयनित फर्मों को आवंटन पत्र (एलओए) जारी किए गए थे।

आवंटन की प्रक्रिया को बाद में (नवंबर 2020) पहले आओ पहले पाओ के आधार से ऑनलाइन खुली निविदा प्रणाली में बदल दिया गया और ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के आधार पर जनवरी 2021 और अप्रैल 2022 के बीच 85 फर्मों को 105 भूखंड आवंटित किए गए।

शेष 14 भूखंडों में से (273 भूखंडों में से 259 आवंटित भूखंड घटाकर):

- तीन भूखंडों को आईटी भवन के रूप में विकसित किया गया (फर्मों को उनके परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए);
- एक भूखंड राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार को तथा दूसरा भूखंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया;
- दो भूखंड क्रमशः पीपीपी परियोजनाओं और भविष्य में विस्तार के लिए आरक्षित किए गए;
- दो भूखंड अदालती मामलों में उलझे हुए थे; और
- आवंटन के लिए पांच भूखंड[49] उपलब्ध थे।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन की जांच से निम्नलिखित तथ्य मिले:

i. एक फर्म (मेसर्स एम एप्स) ने आईटी पार्क, भोपाल में भूखंड संख्या 4 और 5 के आवंटन के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अनुरोध किया (नवंबर 2014), लेकिन इसका आवेदन इस आधार पर

[48] आईटी नीति, 2016 के लागू होने से पहले आईटी पार्कों में भूखंड/स्थान का आवंटन मप्र सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 और मप्र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/प्रबंधन औद्योगिक निवेश नीति 2014 द्वारा निर्देशित होता था।

[49] वास्तविक रूप में, 24 भूखंडों को आवंटन के लिए उपलब्ध होना था क्योंकि 19 भूखंडों को आवंटित किया गया था, जिन्हें बाद में कई कारणों से समाप्त या रद्द कर दिया गया था, जैसा कि बाद के कंडिकाओं में विस्तृत किया गया है। हालांकि, 19 भूखंडों की स्थिति उपलब्ध नहीं है और इसलिए इन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

खारिज कर दिया गया कि पसंदीदा भूखंड आवंटित नहीं किए जाएंगे। बाद में भूखंड क्रमशः अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2022 में अन्य फर्मों को आवंटित किए गए। इसी तरह, आईटी पार्क इंदौर में भूखंड संख्या 17 को नवंबर 2021 में निविदा के माध्यम से मेसर्स नेट-कॉम कंप्यूटर को आवंटित किया गया था, हालांकि, मेसर्स इग्नाटुज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसी भूखंड के आवंटन के लिए दिये गए आवेदन को मार्च 2015 में खारिज कर दिया गया था। एमपीएसईडीसी की मनमानी कार्रवाई के परिणामस्वरूप भूखंड आवंटन में देरी हुई, जिससे निगम समय पर राजस्व सृजन से वंचित रह गया, जिसके परिणामस्वरूप अवसर लागत का नुकसान हुआ।

ii. आईटी नीति में आवंटित भूखंडों पर दो साल के भीतर निर्माण कार्य शुरू न करने पर आवंटन रद्द करने का प्रावधान है। कुल 154 भूखंडों में से 104 के आवंटियों, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भूमि आवंटित की गई थी, ने आवंटन की तिथि से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियां बेकार पड़ी रहीं, जो नीति के अनुसार रोजगार प्रदान कर सकती थीं और सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकती थीं। फर्मों की ओर से पहल की कमी के बावजूद, एमपीएसईडीसी ने आवंटन रद्द करने और नए आवंटन करने की दिशा मे कोई कार्रवाई नहीं की ( आगे का इसका विवरण पैरा 2.1.7.1 में है )

iii. ग्वालियर में आईटी पार्क के मामले में, मार्च 2018 में डीओएसटी, राज्य शासन द्वारा भूखंडों के विकास के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी भूखंडों पर विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है (मार्च 2023 तक)। ग्वालियर में आईटी पार्क में विकास कार्य को प्रारम्भ करने में देरी के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

### *2.1.5.2 आईटी पार्कों में स्थानों के आवंटन की प्रक्रिया और भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया के बीच व्यापक अंतर*

हालाँकि आईटी नीति, 2016 में आवंटित भूखंडों से परिभाषित लाभ और अपेक्षित रिटर्न की रूपरेखा दी गई थी, लेकिन यह नीति कुछ मानकों पर मौन थी, जैसे कि उत्पन्न होने वाले रोजगार, व्यावसायिक गतिविधियों का प्रकार, व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की समय-सीमा, आईटी भवनों में आवंटित स्थान आदि। इस प्रकार, प्रक्रियाओं में विसंगतियाँ/अंतर पाये गए जैसा कि नीचे बताया गया है :

| शर्त/ मापदंड | भूखंड | स्थान | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| भूखंड आवंटन हेतु पात्रता | अधिकतम आवंटन योग्य क्षेत्र 25 एकड़ है तथा आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम में प्रति एकड़ क्रमशः 100/150/50 लोगों को रोजगार दिया जाना है। | आईटी भवनों में स्थान आवंटन के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं थी। | जहाँ तक भूखंडों के आवंटन से उत्पन्न रोजगार सृजन की बात है, इसका लाभ मापा जा सकता है और एमपीएसईडीसी इसके अनुपालन की निगरानी कर सकता है, लेकिन आईटी भवनो मे स्थानों के आवंटन के लिए कोई ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए और इस प्रकार कंपनी के पास यह जानने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि कितना रोजगार सृजित होना था और निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध परिणामों की निगरानी की जा सके। |
| निर्माण / संचालन की शुरुआत | कब्जे की तिथि से तीन वर्ष के भीतर सेवाएं शुरू हो जाएंगी (वास्तविक कारणों पर दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) | आईटी भवनों में स्थान आवंटन के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं थी। | जहाँ एक ओर भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियां समय सीमा के भीतर शुरू होनी की जानी थी जिससे एमपीएसईडीसी परिणामों की निगरानी कर सकता था, स्थानों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, एमपीएसईडीसी ने फर्मों (जिन्हें आईटी भवनों में स्थान आवंटित किया गया था) के लिए कोई डेटाबेस भी नहीं रखा था, जैसे कि संचालन शुरू करना, रोजगार का सृजन, किए जा रहे संचालन |

| शर्त/ मापदंड | भूखंड | स्थान | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| | | | का प्रकार आदि। ऐसी स्थिति में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सकता कि आईटी भवनों में आवंटित स्थानों के संबंध में आईटी नीति के इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा रहे थे। |
| आवंटन प्रावधान | पहले आओ पहले पाओ के आधार पर और नवंबर 2020 से निविदा आधार पर। | पहले आओ पहले पाओ के आधार पर | 20 प्रतिशत स्थान भवनों में अनुपयोगी है क्योंकि कंपनी ने आईटी भवनों में उपलब्ध/खाली स्थानों के प्रचार के लिए कदम नहीं उठाए, हालांकि उसने पर्याप्त पूंजी व्यय किया। |

कंपनी ने स्थानों के आवंटन करने से पहले यह जांचने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या भूखंडों के उपयुक्त/समान प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। चूंकि एमपीएसईडीसी नीति के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक संस्था थी, इसलिए विकृत प्रावधानों के कारण आवंटियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त हुआ, जबकि उन्होंने न तो रोजगार सृजन में योगदान दिया और न ही व्यावसायिक गतिविधियों का विकास किया।

### *2.1.5.3 आईटी भवनों और सामान्य उपयोगिता केंद्रों के निर्माण हेतु निष्क्रिय निवेश*

डीओएसटी द्वारा जारी भूमि आवंटन आदेश (मार्च 2013) और आईटी नीति के अनुसार, आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि से संबंधित सूचना एमपीएसईडीसी द्वारा वेबसाइट के माध्यम से सूचना अपलोड करके और समाचार-पत्रों में समय समय पर अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीएसईडीसी ने नवंबर 2020 से आवंटन की पहले आओ पहले पाओ के आधार से ऑनलाइन निविदा प्रणाली (केवल भूखंडों के मामले में) में बदलाव किया। हालांकि, इसने आईटी भवनों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थान आवंटित करना जारी रखा। आईटी भवनों में स्थान की उपलब्धता को न तो वेबसाइट पर अपलोड किया गया और न ही समाचार पत्रों में आवधिक अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इंदौर (सिंहासा) में जुलाई 2020 में ₹ 24.10 करोड़ की लागत से निर्मित आईटी भवन (76,800 वर्गफीट) तथा भोपाल और जबलपुर में आईटी पार्कों में निर्मित ईएमसी सामान्य उपयोगिता केंद्र (खरीददारी केंद्र) (क्रमशः जुलाई 2017 और फरवरी 2020 में) जोकि क्रमश: ₹ 4.07 करोड़ और ₹ 1.10 करोड़ के व्यय पर निर्मित किए गए थे, खाली पड़े रहे है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.27 करोड़ की राशि निष्क्रिय रूप से निवेशित और अवरूद्ध हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पोर्टल विकास के चरण में है। स्थान का आवंटन सभी आईटी पार्कों के पार्क प्रबंधकों को सौंप दिया गया है। सामान्य उपयोगिता केंद्र में निर्मित वाणिज्यिक हॉल और दुकानों को किराये या लीज़ पर देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमपीएसईडीसी भूखंड और स्थान आवंटन के लिए समान मानदंड लागू करने में विफल रहा। यह भूखंडों बनाम स्थानों के आवंटन की स्थिति में परिलक्षित होता है, जहां 97 प्रतिशत भूखंड आवंटित किए गए हैं जबकि आईटी भवनों में लगभग 20 प्रतिशत, 96,800 वर्ग फुट स्थान आवंटित नहीं किए जा सके, जिससे महत्वपूर्ण अवसर लागत की हानि हुई। प्रबंधन द्वारा कुछ सुविधाओं को पूरा होने के छह वर्ष बाद भी वेबसाइट पोर्टल विकसित न कर पाना या एक समान राजस्व सृजन मॉडल स्थापित न कर पाना, आईटी नीति के साथ संरेखित रणनीतिक योजना की कमी को दर्शाता है।

### *2.1.5.4 पट्टा अनुबंध के निष्पादन में देरी के कारण आवंटन रद्द न किया जाना*

आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों के अनुसार, आवंटन पत्र (एलओए) भूमि प्रीमियम और लीज़ किराया जमा करने के बाद जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीओएसटी द्वारा जारी किए गए आदेश (सितम्बर 2013) के पैरा 18

के अनुसार, अधिकार के दिनांक से एक वर्ष के अंदर विकास शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसके बाद 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा अनुबंध निष्पादित की जाएगी। आवंटन पत्र के अनुसार, यदि पट्टा अनुबंध के निष्पादन संबंधी शर्तों का अनुपालन एक वर्ष के अंदर नहीं किया जाता है, तो भूमि का आवंटन रद्द समझा जाएगा। आईटी नीति में लीज़ किराया 2014 में एक प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसे बढाकर अक्टूबर 2016 में दो प्रतिशत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटी नीति 2014 के अनुसार 22 फर्मों (23 भूखंड) को आवंटन पत्र जारी किया गया था, लेकिन ये फ़र्मे एक वर्ष की निर्धारित समयावधि के अंदर पट्टा अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहीं। फर्मों द्वारा ये पट्टा अनुबंध आईटी नीति 2016 की अधिसूचना के बाद 18 माह से लेकर पांच वर्ष की देरी के साथ निष्पादित किए गए। हालांकि, आवंटन रद्द नहीं किए गए थे, और आईटी नीति 2014 के अनुसार पट्टा अनुबंध एक प्रतिशत लीज़ किराये के साथ निष्पादित की गई। एमपीएसईडीसी, पट्टा अनुबंध के निष्पादन में देरी के आधार पर आवंटन को समय पर रद्द करने में विफल रहने और भूमि के आईटी नीति 2016 के अनुसार (पुन: आवंटन) न करने के कारण ₹ 14.73 लाख का अतिरिक्त लीज़ वसूल नहीं कर पाई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.1** में वर्णित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि नीति के अनुसार आवंटन पत्र ही अंतिम आवंटन समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2016 से पूर्व हुए आवंटनों पर दो प्रतिशत लीज़ किराया लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवंटन पत्र, आशय पत्र की शर्तों के अनुपालन के उपरांत जारी किया जाता है, और पट्टा अनुबंध अपेक्षित शुल्कों के जमा करने और आवंटन पत्र की शर्तों के अनुपालन के बाद ही निष्पादित की जाती है। क्योंकि पट्टा अनुबंध एक वर्ष के अंदर निष्पादित नहीं किया गया था, सभी 22 आवंटियों के आवंटन रद्द कर दिए जाने चाहिए थे और भूमि का पुन:आवंटन किया जाना चाहिए था।

### *2.1.5.5 भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन निविदा जारी न किया जाना*

डीओएसटी द्वारा जारी आदेश (सितम्बर 2013) के पैरा 14 के अनुसार, एमपीएसईडीसी लोकहित में हर छह माह में, उपलब्ध भूमि के विवरण सहित एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा। डीओएसटी द्वारा जारी आदेश (नवंबर 2020) के अनुपालना में, एमपीएसईडीसी ने आवंटन प्रक्रिया को "पहले आओ-पहले पाओ" से परिवर्तित करके "ऑनलाइन खुली निविदा" कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीएसईडीसी ने न तो भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन निविदा जारी करने की कोई समयसीमा तय की थी और न ही फरवरी 2022 के बाद कोई निविदा जारी की गई थी, जबकि आवंटन के लिए कम से कम पांच भूखंड[50] उपलब्ध थे। एमपीएसईडीसी ने नवंबर 2020 से फरवरी 2022 के बीच केवल तीन ऑनलाइन निविदा जारी किए थे।

प्रबंधन ने कहा कि उपलब्ध भूखंडों के आवंटन के लिए अगली निविदा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही जारी की जाएगी। शासन ने निविदा जारी करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमपीएसईडीसी ने डीओएसटी के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं किया था।

[50] वास्तविक उपलब्ध भूखंड 25 थे, तथापि 19 भूखंडों को रद्द किए जाने के बावजूद अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है या आवंटन के लिए उपलब्ध के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है (मार्च 2023)।

### 2.1.5.6 विवादित भूखंडों के विकास पर निष्फल व्यय

आईटी पार्क, जबलपुर में कुल 1.32 एकड़ के 11 भूखंडों का आवंटन खुली निविदा (नवंबर 2020) के माध्यम से किया गया और पट्टा अनुबंध जून 2021 से अगस्त 2021 के मध्य निष्पादित की गई। एमपीएसईडीसी ने उक्त भूखंडों से भूमि प्रीमियम एवं विकास शुल्क के रूप में ₹1.02 करोड़ की राशि प्राप्त की। एमपीएसईडीसी ने उक्त भूमि पर विकास कार्य जिला कलेक्टर, जबलपुर से अंतिम भूमि सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही प्रारंभ कर दिया। परिणामस्वरूप भूमि का विवाद हुआ और जिसके उपरांत उपरोक्त सभी भूखंडों के निर्माण कार्य पर ज्ञान गंगा महाविद्यालय के निदेशक द्वारा आपत्ति जताई गई। इसके बाद, सभी आवंटियों ने इस संबंध में डीओएसटी के मंत्री से शिकायत (दिसम्बर 2021) की। निदेशक मंडल ने अपनी 147वीं बैठक (जून 2022) में इन लीज़ डीड्स को रद्द करने एवं जमा भूमि प्रीमियम व विकास शुल्क को आवंटियों को वापिस करने का निर्णय लिया। विकास गतिविधियों को प्रारंभ करने से पूर्व भूमि के स्वामित्व निर्धारण करने के लिए उचित सावधानी बरतने में एमपीएसईडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप विवादित भूखंडों के विकास पर ₹ 4.56 करोड़[51] का व्यर्थ व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि एमपीएसईडीसी ने पार्क के विकास के लिए विभाग को आवंटित भूमि के उचित सीमांकन के लिए जिला प्रशासन को अक्टूबर 2021 में पत्र लिखा था।

उत्तर स्वयं ही यह दर्शाता है कि विभाग ने गतिविधियां जिला प्रशासन से स्वामित्व निर्धारण के काफी पहले ही प्रारंभ कर दी थीं जोकि एक नियंत्रण की विफलता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि स्थल पर विकास गतिविधियां शुरू करने से पहले आवश्यक सतर्कता नहीं बरतने और बुनियादी जांच करने में विफल रहने के लिए संबंधित एमपीएसईडीसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

### 2.1.5.7 रखरखाव शुल्क न वसूले जाने के कारण हानि

डीओएसटी द्वारा जारी भूमि आवंटन आदेश (मार्च 2013) के पैरा 18 के अनुसार, आवंटियों द्वारा पट्टा अनुबंध में उल्लेखित अनुसार वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा। डीओएसटी द्वारा निर्धारित रखरखाव शुल्क की वार्षिक दरे (मई 2013) भोपाल और जबलपुर के आईटी पार्कों के लिए ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर और इंदौर के आईटी पार्क के लिए ₹ 8 प्रति वर्ग मीटर थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि पट्टा अनुबंध में रखरखाव शुल्क की वसूली का प्रावधान किया गया था, लेकिन एमपीएसईडीसी ने न तो कोई रखरखाव शुल्क लिया और न ही आवंटियों से इसे वसूलने का कोई प्रयास किया। इस प्रकार, एमपीएसईडीसी की निष्क्रियता के कारण ₹ 99.78 लाख की राशि जैसा **परिशिष्ट 2.1.2** में वर्णित है, आवंटियों से वसूल नहीं की गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि वर्तमान में रखरखाव शुल्क नहीं लिया जा रहा है। प्रभावी तिथि तय होने के बाद ही इसे लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि आवंटन आदेश (मार्च 2013) में पट्टेदारों द्वारा वार्षिक रखरखाव शुल्क के भुगतान का स्पष्ट प्रावधान था और शुल्क लगाने की प्रभावी तिथि निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

[51] ₹ 4.56 करोड़ (सड़क सहित 11 भूखंडों का कुल क्षेत्रफल, 2.83 एकड़ x प्रति एकड़ औसत विकास लागत, ₹ 1.61 करोड़। औसत विकास लागत = विकास की कुल लागत, ₹101.62 करोड़/ पार्क का कुल क्षेत्रफल, 63 एकड़)

### 2.1.5.8 विकास शुल्क का पुनरीक्षण न किया जाना

डीओएसटी, राज्य सरकार ने अपने आदेश (मई 2013) के द्वारा भोपाल व जबलपुर के आईटी पार्कों के लिए विकास शुल्क की दर ₹ 50 प्रति वर्गफीट एवं आईटी पार्क, इंदौर के लिए ₹ 80 प्रति वर्गफीट निर्धारित की थी। उक्त आदेश मे एमपीएसईडीसी को विकास शुल्क एकत्र करने, उपयोग करने एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुनरीक्षित करने के लिए प्राधिकृत किया।

मार्च 2023 तक भूमि के विकास पर हुए व्यय एवं फर्मों से वसूले गए विकास शुल्क का विवरण निम्न **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1.4: विकास व्यय एवं विकास शुल्क का विवरण**

| क्र.सं. | पार्क का नाम | कुल भूमि (एकड़ में) | विकास पर व्यय | | लगाने योग्य विकास शुल्क (₹ में) | प्राप्त विकास शुल्क (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल (₹ करोड़ में) | प्रति वर्गफीट (₹ में) | | |
| 1. | भोपाल | 204 | 70.75 | 79 | 50 | 19.38 |
| 2. | इंदौर | 112 | 92.23 | 189 | 80 | 17.11 |
| 3. | जबलपुर | 63 | 65.12 | 237 | 50 | 6.37 |
| **कुल** | | **379** | **228.10** | **--** | **--** | **42.86** |

*(**स्रोत:** एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एमपीएसईडीसी दरों को पुनरीक्षित करने के लिए सक्षम था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया जबकि दरें मई 2013 में तय की गई थीं। परिणामस्वरूप, एमपीएसईडीसी को ₹ 228.10 करोड़ के कुल विकास व्यय के विरुद्ध दस वर्ष पूर्व निर्धारित दरों पर केवल ₹ 42.86 करोड़ ही प्राप्त हुए। यदि एमपीएसईडीसी ने प्रचलित मूल्यों और लागत को ध्यान में रखकर दरें पुनरीक्षित कर दी होतीं तो वे विकास पर हुए वास्तविक व्यय का कम से कम आंशिक या पूर्ण भाग वसूल कर सकते थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि विकास शुल्क मई 2013 में शासन द्वारा तय किए गए थे। उसके उपरांत विकास शुल्क की दर में परिवर्तन के लिए शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वयं आदेश में ही एमपीएसईडीसी को विकास शुल्क की दर को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अन्य एजेंसी जैसे कि एमपीआईडीसी ने वास्तविक विकास लागत के आधार पर विकास शुल्क वसूल किए थे।

### 2.1.5.9 पट्टेधारियो द्वारा स्थान/पट्टा किराया शुल्क का भुगतान न करने के बावजूद पट्टे को समाप्त न करना

एमपीएसईडीसी के साथ पट्टेधारियो के द्वारा निष्पादित मानक किराया अनुबंध (भवनों के मामले में) के खण्ड 6.5 के अनुसार, एक कथित वित्त वर्ष में पट्टाधारी द्वारा देय किराये के तीन माह के लिए बकाया रह जाने की स्थिति में, पट्टादाता पंजीकृत पोस्ट/ई-मेल के माध्यम से पट्टाधारी को एक लिखित नोटिस जारी कर, नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर, उक्त बकाये को सुलझाने के लिए निर्देशित करेगा। यदि पट्टाधारी नियमित किराया भुगतान करने में विफल रहता है तो पट्टादाता को लीज़ रद्द/समाप्त करने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, एमपीएसईडीसी के साथ पट्टेधारियों के द्वारा निष्पादित मानक पट्टा अनुबंध (भूखंडों के मामले में) के खण्ड 8 के अनुसार, यदि लीज़ किराया, या तो पूर्ण रूप से या उसका कोई भाग, बकाया है और जिसका एक साल से भुगतान नहीं किया गया है, तो पट्टा अनुबंध समाप्त समझी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थान किराये (भवनो) के रूप में 108 फर्मों से ₹ 8.69 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी (मार्च 2023 तक) जबकि लीज़ किराये (भूखंड) के रूप में 61 फर्मों से ₹ 1.12 करोड़ की राशि शेष थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.3** में वर्णित है। हालांकि, एमपीएसईडीसी ने ऊपर उद्धृत प्रावधानों के तहत कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, कोई अभिलेख भी नहीं रखे गए जिससे कि लेखापरीक्षा में बकाया राशि का भुगतान न करने की समय-वार लम्बितता का पता लगाया जा सके।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि बकाया लीज़ किराया और स्थान किराया वसूल करने के लिए प्रबंधन द्वारा समय-समय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। कोविड-19 के कारण अधिकांश कार्यालयों के बंद होने के कारण, किराये का भुगतान करने में देरी हुई। उसके उपरांत कई कम्पनियों ने किराये में छूट के लिए आवेदन दिया और उनके विचारो को प्रबंधन के समक्ष रखे गए। किसी भी कम्पनी को किराया छूट या रियायत प्रदान नहीं की गई। कम्पनियों को बकाया राशि जमा करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

हालांकि, प्रबंधन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं कर पाया।

### 2.1.6 सब्सिडी का संवितरण

आईटी नीति 2016 के अनुसार, भूमि मूल्य में छूट, स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क में रियायत, ब्याज सब्सिडी, पूंजी सब्सिडी, कौशल अंतर प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रोत्साहन, विपणन में सहायता और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/बिज़नेस प्रोसेस मैनेज़मेंट के लिए विशेष पैकेज जैसी सब्सिडी/प्रोत्साहन का वितरण किया जाता है। सब्सिडी/प्रोत्साहनों के वितरण में कमियों के संबंध में आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### *2.1.6.1 कौशल अंतर प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी की अनियमित प्रतिपूर्ति*

आईटी नीति में आईटी फर्मों को विभिन्न प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। आईटी नीति के पैरा 7.9 में उन अभियंताओं/आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम प्रोफेशनलों, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं और संचालन प्रारंभ होने के प्रथम दो वर्षों के अंदर इकाई द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं, को 'कौशल अंतर प्रशिक्षण' की एकमुश्त प्रतिपूर्ति[52] के लिए प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, 20 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले फर्मों पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान, 'कौशल अंतर योजना' के अंतर्गत 12 फर्मों को ₹ 1.55 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई थी। अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- सभी मामलों में, दस्तावेज जैसे कि प्रशिक्षण कैलंडर, भर्ती नीति और प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण का विषय और उन पर हुआ वास्तविक व्यय, न तो मांगे गए थे और न ही प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

[52] प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹ 10,000, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत तक सीमित है, तथा प्रत्येक फर्म के लिए अधिकतम ₹ 1 करोड़।

- पांच फर्मों को 20 या अधिक कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की गई, हालांकि, कोई भी प्रतिष्ठान ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं था जैसा कि ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत आवश्यक था।

- प्रशिक्षुओं के स्थानीय निवासी एवं आईटी प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र, 12 फर्मों में से किसी से भी प्राप्त नहीं किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी नीति के अनुसार केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी कर्मचारियों/ पेशेवरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में सब्सिडी दी गई थी।

विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.4** में है।

### *2.1.6.2 आयोजित प्रशिक्षणों के लिए ब्लैक लिस्टेड फर्म को प्रतिपूर्ति*

एक फर्म (मेसर्स स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत किया गया था (अक्टूबर 2015)। गैरकानूनी प्रथाओं के कारण, सेबी ने नवंबर 2019 में फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हालाँकि, इस फर्म को 935 प्रशिक्षुओं को 31 दिसम्बर 2015 से 12 अप्रैल 2018 के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए एमपीएसईडीसी द्वारा ₹ 93.50 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (जनवरी 2021)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि फर्म के परिसर में केवल 300 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में कंपनी द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, कोई दस्तावेज जैसे आधार की प्रति, प्रशिक्षुओं का ईपीएफ नंबर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि, एमपीएसईडीसी द्वारा नहीं प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, चूंकि कंपनी को सेबी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था, एक ब्लैकलिस्ट की गई फर्म को शामिल करना और उसे बड़ी राशि का भुगतान करना, बिना यह सुनिश्चित किए कि जो प्रशिक्षण आयोजित करने का दावा किया गया था, उसकी सत्यता की जांच न करना, असामान्य था और यह एमपीएसईडीसी में प्रशिक्षणों पर निगरानी की कमी को दर्शाता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि नीति के अनुसार, व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण का विषय अनिवार्य नहीं था। हालांकि, प्रशिक्षुओं के स्थानीय निवासी होने की जाँच चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई है। प्रशिक्षण की अवधि संगठन के विवेक के अनुसार बदलती रहती है। सीए के प्रमाण पत्र के आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रशिक्षुओं की स्थानीय निवासी होने की स्थिति का सत्यापन किया जाना चाहिए था। एमपीएसईडीसी को प्रतिपूर्ति से पहले वित्तीय औचित्य के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आधार, ईपीएफ नंबर आदि जैसे विवरणों का सत्यापन करना चाहिए था। आईटी नीति सीए के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान का प्रावधान नहीं करती है।

## 2.1.7 निगरानी

चल रही परियोजनाओं और फर्मों की वाणिज्यिक गतिविधियों की निगरानी में पाई गई कमियों की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.1.7.1 भूखंडों में रोजगार सृजन का लक्ष्य पूरा न होना

आईटी नीति के अनुसार, फर्मों को उनके मुख्य संचालन के लिए आवंटित भूमि के क्षेत्र के निर्धारण के मानदंड नीचे **तालिका 2.1.5** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.5 : भूमि आवंटन के लिए मानदंड**

| क्र. सं. | क्षेत्र | रियायती दरों पर आवंटित किया जा सकने वाला अधिकतम क्षेत्र | भूमि का गैर-आईटी मे अनुमति योग्य (प्रतिशत में) | भूमि की लागत पर छूट (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आईटी | मुख्य संचालन में कार्यरत प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर एक एकड़ | 15 तक | 75 |
| | | | 40 तक | 50 |
| 2. | आईटीईएस | मुख्य संचालन में कार्यरत प्रत्येक 150 व्यक्तियों पर एक एकड़ | 15 तक | 75 |
| | | | 40 तक | 50 |
| 3. | ईएसडीएम | मुख्य संचालन में कार्यरत प्रत्येक 50 व्यक्तियों पर एक एकड़ | 15 तक | 75 |

*(**स्रोत**: एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

फर्मों को भूमि पर स्वामित्व मिलने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/सेवाएं शुरू करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीएसईडीसी ने फरवरी 2013 से सितंबर 2020 के बीच भोपाल, इंदौर और जबलपुर के आईटी पार्कों में 221.53 एकड़ भूमि पर कुल 273 भूखंड विकसित किए (मार्च 2023)। उन 273 भूखंड में से,

- 259 भूखंड, जिनमे 169.69 एकड़ भूमि सम्मिलित है, विभिन्न आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम फर्मों को आवंटित किए गए थे;
- पांच भूखंडों, जिनमें 18.32 एकड़ भूमि सम्मिलित है, का उपयोग आईटी भवन, उपयोगिता केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण के लिए किया गया था;
- एक-एक भूखंड पी.पी.पी. परियोजना (5 एकड़) और भविष्य में विस्तार (10 एकड़) के लिए आरक्षित किया गया था;
- दो भूखंडों (5 एकड़) का आवंटन न्यायालय में विचाराधीन था; और
- पांच भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध थे।

मार्च 2023 तक भूमि आवंटन, सृजित होने वाले रोजगार और सृजित रोजगार की स्थिति नीचे **तालिका 2.1.6** में दी गई है:

**तालिका 2.1.6: भूमि आवंटन और सृजित रोजगार की स्थिति**

| क्र.सं. | क्षेत्र | आवंटित भूखंड | | कुल सृजित होने वाला रोजगार | फर्म द्वारा शुरू किया गया उत्पादन (भूखंड) | कम्पनियों द्वारा अपेक्षित रोजगार सृजन | वास्तविक सृजित रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | | | | |
| 1. | आईटी | 75 | 52.75 | 5,275 | 4(07) | 752 | 08 |
| 2. | आईटीईएस | 46 | 40.26 | 6,040 | 3(04) | 305 | 131 |
| 3. | ईएसडीएम | 138 | 76.68 | 3,834 | 13(15) | 464 | 437 |
| **कुल** | | **259**[53] | **169.69** | **15,149** | **20(26)** | 1,521 | 576 |

*(**स्रोत:** एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

[53] वास्तव में, 240 भूखंड आवंटित किए गए थे। अतिरिक्त 19 भूखंड (259-240) को पैरा में वर्णित विभिन्न कारणों से समाप्त/रद्द कर दिया गया।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न फर्मों को आवंटित 259 भूखंडों के सापेक्ष 15,149 रोजगार सृजन के लक्ष्य के विपरीत केवल 576 रोजगार (3.80 प्रतिशत) ही सृजित किए गए थे। एमपीएसईडीसी द्वारा भूखंडों के आवंटन से संबंधित विवरणों के विश्लेषण से निम्नलिखित कमियां सामने आईं:

- स्वामित्व को लेकर एक शैक्षणिक संस्थान के साथ विवाद के कारण 11 भूखंडों के पट्टे समझौते रद्द कर दिए गए (जून 2022)। इस प्रकार निगरानी की कमी के कारण विवादित भूखंडों का विकास और आवंटन नहीं हो पाया और परिणामस्वरूप व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं हो पाईं; जिससे रोजगार सृजन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।
- पट्टे के समझौते विविध कारणों से अन्य आठ मामलों में या तो रद्द कर दिए गए या वापस कर दिए गए और ये सभी मामले दो साल (आवंटन के बाद) से अधिक समय बीत जाने के बाद सामने आए। भूखंड अभी भी खाली पड़े हैं (नीलामी के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं हैं) जो व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से भूखंडों को आवंटित करने के लिए विभाग की ओर से प्रयासों की कमी को दर्शाता है। अगर हम इन 19 भूखंडों को छोड़ भी दें, तो वास्तव में आवंटित 240 भूखंडों के संबंध में रोजगार सृजन का लक्ष्य 14,548 था, जिसके विरुद्ध उपलब्धि 576 (3.96 प्रतिशत) थी।
- ऊपर उल्लेखित 240 भूखंडों में से 123 भूखंडों के संबंध में आवंटन की अवधि 36 माह से अधिक हो गई है, लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। अतिरिक्त विवरण नीचे **तालिका 2.1.7** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.7: तीन वर्ष से अधिक समय से आवंटित भूखंडों में रोजगार सृजन की स्थिति**

| भूखंडों (फर्मों) की संख्या जहां | | उत्पादन स्थिति | रोजगार सृजन किया जाना था | रोजगार सृजन किया गया |
|---|---|---|---|---|
| निर्माण पूरा हुआ | 09 (07) | उत्पादन शुरू नहीं हुआ | 500 | 86 |
| निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ | 103 (84) | | 5266 | 10 |
| निर्माणाधीन | 11 (10) | | 770 | 0 |
| **कुल** | **123 (101)** | | **6536** | **96** |

*(**स्रोत:** एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

6,536 रोजगार सृजन के लक्ष्य की तुलना में, 101 फर्मों से शामिल 123 भूखंडों के संबंध में केवल 96 रोजगार ही सृजित हुए। निर्माण पूरा न होने और/या उत्पादन/संचालन शुरू न होने के बावजूद, एमपीएसईडीसी इन फर्मों के खिलाफ लीज समाप्त करके और अन्य इच्छुक पक्षों/फर्मों को फिर से आवंटन करके कार्रवाई नहीं की। तथ्य यह है कि काफी संख्या में भूखंडों (123 में से 103 अर्थात 84 प्रतिशत) में निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि फर्मों का आईटी/ आईटीईएस/ईएसडीएम से संबंधित गतिविधियां शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। फर्मों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई नहीं करने के कारण अभिलेखो मे उपलब्ध नहीं थे।

- 26 भूखंडों (20 फर्मों को आवंटित) में से, जहां उत्पादन शुरू हो गया है, वहां रोजगार सृजन में 62 प्रतिशत (लक्ष्य 1521 के विरुद्ध 576) की कमी थी।
- 95 भूखंडों में निर्माण गतिविधियां जारी हैं, लेकिन दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उत्पादन शुरू नहीं हुआ है (कुल भूखंड जहां निर्माण जारी था उनकी संख्या 101 है)। इन 95 भूखंडों में कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य 5601 था, जिसके विरूद्ध अब तक (मार्च 2023) 96 रोजगार (1.71 प्रतिशत) सृजित किए गए हैं। एमपीएसईडीसी ने रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए समय पर कारोबार पूरा करने और

शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फर्मों के साथ संपर्क नहीं किया था। इसके अलावा, कारोबारी परिचालन शुरू किए बिना 96 नौकरियां कैसे सृजित की गईं, इसका भी एमपीएसईडीसी ने विश्लेषण नहीं किया है। उदाहरण के लिए, एक मामले में (मेसर्स अपॉइंट्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड), उत्पादन/व्यावसायिक गतिविधियां शुरू न होने के बावजूद 224 नौकरियों के लक्ष्य के विरूद्ध 86 नौकरियां (38.39 प्रतिशत) पहले ही सृजित की जा चुकी थीं। एमपीएसईडीसी ने फर्मों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया (लेखापरीक्षा को दिखाए गए अभिलेखो के आधार पर)। इस प्रकार, रोजगार संबंधी आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

- 113 भूखंडों में निर्माण गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई हैं। इनमें से 86 भूखंडों में दो वर्षो से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे इन भूखंडों में रोज़गार सृजन की संभावनाएँ प्रभावित हुई हैं। इन 86 भूखंडों में कुल 4991 रोज़गार सृजित किए जाने थे, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू न होने के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके (*कंडिका 2.1.7.2 में अतिरिक्त विवरण*)।

- एमपीएसईडीसी में फर्मों द्वारा सृजित वास्तविक रोजगार को रिकॉर्ड करने/संकलित करने और समीक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पट्टा अनुबंध में प्रस्तावित गतिविधि के आरंभ के बारे में फर्म-वार विवरण का पता लगाने/रिकॉर्ड करने के लिए कोई डेटाबेस/सिस्टम नहीं था। इसलिए, सृजित रोजगार की संख्या का पता लगाना संभव नहीं था।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 1(3)(बी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान या ऐसे फर्मों के वर्ग पर लागू होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन 20 फर्मों ने उत्पादन प्रारंभ किया, उनमें से केवल आठ प्रतिष्ठान[54] ही ईपीएफओ के साथ पंजीकृत थे। हालांकि, इन आठ फर्मों में से चार प्रतिष्ठान[55] उनके पट्टा अनुबंध में घोषित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में संलग्न थे *(नीचे कंडिका 2.1.7.3 में चर्चा की गई है)*।

प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि आवंटित भूमि के संबंध में मुख्य संचालन में रोजगार सृजन की निगरानी के लिए कोई ऑनलाइन तंत्र नहीं है। मुख्य संचालन में रोजगार को भूखंड के लिए प्रस्तुत आवेदन में ली जाती है और इसे वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने पर फर्मों द्वारा भी प्रदान किया जाता है। मुख्य संचालन में रोजगार-सृजन की सूचना एमपीएसईडीसी द्वारा ईमेल या पत्र के माध्यम से एकत्रित की जाती है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 2014-15 से 240 भूखंड विभिन्न फर्मों को आवंटित किए गए थे लेकिन मार्च 2023 तक बहुत ही अल्प (कुल का 3.96 प्रतिशत अर्थात् 576) रोजगर सृजित किया जा सके। मुख्य संचालन के माध्यम से रोजगार-सृजन की निगरानी के लिए एमपीएसईडीसी ने न तो कोई तंत्र विकसित किया और न ही फर्मों से कोई रिटर्न/विवरण प्राप्त किया।

---

[54] अदिति इलेक्ट्रिकल्स, एनोड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन सर्फर, प्रेम संस, सोलुजियोन आईटी सर्विस, स्नेह कृषि केंद्र, साई ग्राफिक और टेन्को सिस्टम एंड स्विच।

[55] अदिति इलेक्ट्रिकल्स, ग्रीन सर्फर, स्नेह कृषि केंद्र और साई ग्राफिक।

### 2.1.7.2 निर्माण गतिविधियों की निगरानी न करना

पट्टा अनुबंध के खण्ड-9 के अनुसार, पट्टेधारियो को भूमि पर अधिकार मिलने की तिथि के छह माह के अंदर सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से व्यवसाय का संचालन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन/अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी। छह माह के अंदर सभी आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियां इत्यादि प्राप्त करने के बाद भी यदि पट्टेधारी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, तो उसे पट्टादाता को उक्त अवधि की समाप्ति से पहले समय-विस्तार के लिए लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा समय-विस्तार एक बार में छह माह की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगा। पट्टेधारी को दिया गया कुल समय-विस्तार दो वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, पट्टा अनुबंध की धारा 21 के अनुसार, यदि पट्टेदार द्वारा अनुबंध की किसी भी धारा का उल्लंघन/भंग किया जाता है, तो पट्टादाता पट्टेदार को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उल्लंघन/भंग को नोटिस प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर सुधारने के लिए कहा जाएगा। यदि इस नोटिस का पालन नहीं किया जाता है, तो अनुबंध को समाप्त समझा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 240 आवंटित भूखंड में से 86 ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया (मार्च 2023)। 30 भूखंडों के मामले में, आवंटियों द्वारा 38 से 48 माह बीत जाने के बाद भी एमपीएसईडीसी को आवश्यक अनुमति/अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किए थे। अन्य 36 भूखंडों में, आवंटियों ने निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी समय विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया था। इस प्रकार, आवंटियों ने खंड 9 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। हालाँकि, एमपीएसईडीसी ने 64 फर्मों से संबंधित केवल 81 भूखंडों के संबंध में नोटिस जारी किए, जो मनमानी कार्रवाई का संकेत देते हैं। उपरोक्त संबंध में जारी किए गए नोटिसों का विवरण नीचे **तालिका 2.1.8** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.8: जारी किए गए नोटिसों का विवरण**

**(भूखंडों की संख्या)**

| क्र.सं. | आईटी पार्क | मार्च 2020 तक आवंटियों की संख्या (भूखंडों की संख्या) | निर्धारित छह माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आवंटियों को जारी किया गया प्रथम नोटिस | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | छह माह तक की देरी से | सात से 12 माह तक की देरी से | 13 से 24 माह तक की देरी से | 24 माह से अधिक की देरी से |
| 1. | भोपाल | 19 (29) | 02 (2) | 08 (17) | 03 (03) | 04 (04) |
| 2. | इंदौर | 18 (18) | 04 (4) | 06 (07) | 01 (01) | 01 (01) |
| 3. | जबलपुर | 35 (39) | 03 (3) | 12 (14) | 15 (20) | 05 (05) |
| **कुल** | | **72 (86)** | **09 (09)** | **26 (38)** | **19 (24)** | **10 (10)** |

*(**स्रोत**: एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि उन पट्टेधारियो, जिनके पट्टा अनुबंध को 36 माह पूर्ण हो गए हैं अथवा पूर्ण होने वाले हैं, से पत्राचार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जाती है एवं पट्टा अनुबंध व नीतिगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पट्टेधारियो के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 36 माह तक प्रतीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं था।

### 2.1.7.3 लीज़ डीड उल्लंघनों की निगरानी की कमी और कार्रवाई करने में विफलता

पट्टा अनुबंध के खण्ड-12 के अनुसार, पट्टेधारी भूमि का उपयोग केवल पट्टा अनुबंध में वर्णित व्यवसाय/गतिविधि के उद्देश्य के लिए ही करेगा अर्थात् पंजीकृत गतिविधि मात्र के लिए। इसके अलावा, डीओएसटी ने अपने आदेश (जनवरी 2008) के तहत आईटी उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय उद्योगों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, साथ ही आईटी उद्योग के दायरे से उन घटकों की गैर-योग्यता को भी निर्दिष्ट किया, जिनका नामकरण समान है, लेकिन उनका उपयोग अन्य उद्योगों, जैसे विद्युत क्षेत्र में किया जाता है। आईटी पार्कों का संचालन पार्क प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो समग्र रखरखाव और भौतिक सत्यापन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एमपीएसईडीसी द्वारा अनुदान की राशि पार्क प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जारी की गई।

लेखापरीक्षा ने व्यवसायिक गतिविधियों, निर्माण-स्थिति और भूमि उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एमपीएसईडीसी के कर्मचारियों के साथ आईटी पार्कों भोपाल (22 जून 2023), इंदौर (12 जून 2023 और 14 जून 2023 के मध्य), जबलपुर (08 जून 2023 और 09 जून 2023 के मध्य ) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। यह देखा गया कि 20 पूर्ण इकाइयो में से 11 इकाई संबंधित पट्टा अनुबंध में उल्लेखित गतिविधियों से असंगत संलग्न थीं और आईटी उद्योग से संबंधित गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आती थीं। विवरण निम्न **तालिका 2.1.9** में दिया गया है:-

**तालिका 2.1.9: पट्टा अनुबंध में उल्लेखित गतिविधियां और वास्तव में की जा रही गतिविधियों का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र.सं. | फर्म का नाम | पट्टा अनुबंध के अनुसार गतिविधि | वास्तव में की जा रही गतिविधि | सब्सिडी की प्रकृति | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स अदिति इलैक्ट्रिकल, जबलपुर | होम लाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलर लैंप का विनिर्माण | ट्रांसफार्मर की मरम्मत और स्थापनार्थ तैयार सौर पैनल की कुछ मात्रा का भंडारण | भूमि सब्सिडी | 30.36 |
| | | | | ब्याज सब्सिडी | 8.28 |
| 2 | मैसर्स एक्वा सॉल्यूशंस, जबलपुर | इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स और घरेलू और वाणिज्यिक स्वचालन उत्पाद का विनिर्माण | जल पंप स्टार्टर, जल पंप स्वचालन और जल पंप सुरक्षा उपकरणों का संयोजन | भूमि सब्सिडी | 13.80 |
| | | | | ब्याज सब्सिडी | 1.61 |
| 3 | मैसर्स सरोवा पम्प्स, जबलपुर | इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नियंत्रण पैनल का विनिर्माण | ट्रांसफार्मर और सबमर्सिबल सौर पंप की मरम्मत | भूमि सब्सिडी | 15.50 |
| | | | | स्टाम्प शुल्क सब्सिडी | 1.08 |
| 4 | मैसर्स साई ग्राफिक्स, जबलपुर | बीपीओ व कॉल सेंटर, आईटी प्रशिक्षण केंद्र व डेटा प्रोसेसिंग केंद्र | भवन का प्रयोग नर्सिंग कॉलेज के तौर पर किया जा रहा था | भूमि सब्सिडी | 53.36 |
| 5 | मैसर्स स्नेह कृषि केंद्र, जबलपुर | पीवी सौर पैनल/ मॉड्यूल और संबद्ध उत्पादों का विनिर्माण | भवन में पंप स्टार्टर रखे गए थे | भूमि सब्सिडी | 6.79 |
| | | | | ब्याज सब्सिडी | 0.41 |
| 6 | मैसर्स फ्यूचर ग्रीन इंडिया, भोपाल | एलईडी लाइटों का विनिर्माण/संयोजन और एलईडी लाइट पुर्जों का विनिर्माण। | एलईडी बल्ब/लाइट का संयोजन मात्र | भूमि सब्सिडी | 48.58 |
| | | | | स्टाम्प शुल्क | 1.44 |
| 7 | मैसर्स नोकनिल् फार्मा, जबलपुर | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण | भवन का प्रयोग दवाइयों के भंडारण के लिए किया जा रहा था | भूमि सब्सिडी | 15.79 |
| 8 | मैसर्स एस. यूनिटेक,जबलपुर | सॉफ्टवेयर विकास सेवाएँ और अन्य आईटी सेवाएँ | बिजली के पैनल्स का विनिर्माण। | भूमि सब्सिडी | 15.78 |
| 9 | सैफरॉन सौलर सिस्टम, जबलपुर | पीवी सौर पैनल और मॉड्यूल का विनिर्माण | भवन में सौर पैनल और उससे जुड़ी सामग्री रखी गई थी | भूमि सब्सिडी | 60.73 |

| क्र.सं. | फर्म का नाम | पट्टा अनुबंध के अनुसार गतिविधि | वास्तव में की जा रही गतिविधि | सब्सिडी की प्रकृति | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | मैसर्स ग्रीन सर्फर प्रा. लि., भोपाल | एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिश्रण का विनिर्माण | एलईडी बल्ब और लाइट का संयोजन किया जा रहा था। | भूमि सब्सिडी | 121.45 |
| | | | | पूंजी, ब्याज और स्टाम्प शुल्क | 43.95 |
| 11 | मैसर्स डायमंड इलैक्ट्रिकल्स, जबलपुर | नियंत्रण और रिले पैनल, बैटरी चार्जर, प्रिंट सर्किट बोर्ड का विनिर्माण | विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले सी और आर पैनल, एचटी मीटर बॉक्स का विनिर्माण | भूमि सब्सिडी | 13.94 |
| | | | | पूंजी सब्सिडी | 4.67 |
| **कुल** | | | | | **457.52** |

*(**स्रोत**: एमपीएसईडीसी के अभिलेख)*

एमपीएसईडीसी ने, हालांकि, इन पट्टेधारको के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है बल्कि इसके बजाय उक्त फर्मों को ₹ 3.96 करोड़ की भूमि सब्सिडी और ₹ 61.44 लाख के अन्य प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान कर सहायता की है।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिए गए है:-

### *प्रकरण 1: मैसर्स सैफरॉन सौलर सिस्टम, जबलपुर*

मैसर्स सैफरॉन सौलर सिस्टम को नवंबर 2016 में आईटी पार्क, जबलपुर में एक एकड़ भूमि (भूखंड सं. 3) आवंटित हुई थी। एक ईएसडीएम प्रतिष्ठान होने के नाते, पट्टा अनुबंध के अनुसार, इस प्रतिष्ठान को पीवी सौर पैनल्स और मॉड्यूल्स का विनिर्मण करना था। तीन वर्ष के निर्धारित समय अर्थात् नवम्बर 2019 के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ न कर पाने के कारण आवंटन जनवरी 2022 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन कुछ दस्तावेज के साथ मशीनरी की सूची प्रस्तुत करने के उपरांत दिसम्बर 2022 में रद्द आवंटन को वापिस कर लिया था। रोचक बात यह है कि, इस सूची में केवल बुनियादी उपकरण ही सम्मिलित थे जैसे सोल्डरिंग आयरन, ड्रिल्स, कटर्स, वजन तोलने वाली मशीन आदि, जो कि पीवी सौर पैनल्स के विनिर्माण में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। जून 2023 में किए गए भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पीवी सौर पैनल्स के विनिर्माण के लिए स्थापित कोई मशीन नहीं पाई गई। एमपीएसईडीसी ने इस प्रतिष्ठान को ₹ 60.73 लाख की सब्सिडी प्रदान की थी।

**(चित्र 1: चित्र लेखापरीक्षा दल द्वारा, दिनांक 09/06/2023)**

### *प्रकरण 2: मैसर्स साई ग्राफिक्स, जबलपुर*

मैसर्स साई ग्राफिक्स को जून 2017 में आईटी पार्क, जबलपुर में 0.87 एकड़ भूमि (भूखंड सं. डी) आवंटित की गई थी। एक आईटीईएस प्रतिष्ठान होने के नाते, पट्टा अनुबंध के अनुसार, इस प्रतिष्ठान को बीपीओ-कॉल सेंटर, आईटी प्रशिक्षण केंद्र और डेटा प्रोसेसिंग केंद्र से संबंधित गतिविधियां संचालित करनी थीं। जून 2023 में आयोजित भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रतिष्ठान को आवंटित भूमि पर निर्मित भवन में ऐसा कोई केंद्र मौजूद नहीं था। हालांकि, भवन के बेसमेंट में "स्मिता कॉलेज

**(चित्र 2: चित्र लेखापरीक्षा दल द्वारा, दिनांक 08/06/2023)**

ऑफ नर्सिंग" नाम से एक नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा था। एमपीएसईडीसी ने इस प्रतिष्ठान को ₹ 53.36 लाख की सब्सिडी प्रदान की थी।

### *प्रकरण 3: मैसर्स ग्रीन सर्फर, भोपाल*

(चित्र 3: चित्र लेखापरीक्षा दल द्वारा, दिनांक 22/06/2023)

मैसर्स ग्रीन सर्फर को मई 2018 में आईटी पार्क, भोपाल में दो एकड़ भूमि (भूखंड सं. 30 व 31) आवंटित की गई थी। एक ईएसडीएम प्रतिष्ठान होने के नाते, पट्टा अनुबंध के अनुसार, इस प्रतिष्ठान को एलईडी लाइट्स और इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद मिश्रण का विनिर्माण करना था। जून 2023 में आयोजित भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह प्रतिष्ठान किसी उत्पाद का विनिर्मान नहीं कर रहा था। यह केवल एलईडी लाइड्स और बल्बों के पुर्जों को संयोजित कर रहा था। एमपीएसईडीसी ने इस प्रतिष्ठान को ₹ 165.40 लाख की सब्सिडी प्रदान की थी।

लेखापरीक्षा दल ने पार्क प्रबंधक की चार रिपोर्टों[56] की समीक्षा की, जिनका निरीक्षण 8 और 9 जून 2023 को पार्क प्रबंधक द्वारा लेखापरीक्षा के साथ मिलकर किया गया था। ये रिपोर्टें अनुदान जारी करने के लिए प्रस्तुत की गई थीं। इन चार इकाइयों में यह पाया गया कि इकाइयाँ अपने-अपने पट्टा अनुबंधों में स्वीकृत गतिविधियों से भिन्न गतिविधियों में संलग्न थीं। पार्क प्रबंधक ने लेखापरीक्षा की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एमपीएसईडीसी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्टों में इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियों में किसी भी प्रकार की भिन्नता का उल्लेख नहीं किया। चूंकि उन्होंने गतिविधियों में किसी भी प्रकार की भिन्नता का उल्लेख नहीं किया, इसलिए उन इकाइयों को अनुदान जारी कर दिया गया। इस प्रकार, पार्क प्रबंधकों की असंगत रिपोर्टों के आधार पर इकाइयों को अनुदान जारी किए गए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जूलाई 2023) कि आईटी पार्क प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार:

(ए) मैसर्स अदिति इलेक्ट्रिकल्स सौर रूफटॉप संयंत्रों का विनिर्माण, संयोजन और स्थापना तथा ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का कार्य कर रही थी।

(बी) मैसर्स एक्वा सॉल्यूशंस पम्प स्टार्टर्स, सुरक्षा उपकरण और स्वचालन उत्पादों का विनिर्माण कर रही थी।

(सी) मैसर्स सरोवा पम्प्स, सौर पम्प्स और पैनल्स का विनिर्माण कर रही थी।

(डी) मैसर्स स्नेह कृषि केंद्र इलैक्ट्रानिक स्टार्ट्स और नियंत्रण पैनल्स का विनिर्माण कर रही थी।

(ई) मैसर्स फ्यूचर ग्रीन और मैसर्स ग्रीन सर्फर प्राइवेट लिमिटेड ईएसडीएम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संयोजन, परीक्षण, चिह्नांकन और पैकेजिंग का कार्य कर रही थी।

एमपीएसईडीसी ने आगे कहा कि उसने सब्सिडी के वितरण से पहले इकाइयों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र लागू किया है कि वे अपनी पंजीकृत व्यावसायिक गतिविधियाँ कर रही हैं। प्रबंधन ने शेष फर्मों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

[56] मैसर्स अदिति इलेक्ट्रिकल्स, मैसर्स एक्वा सॉल्यूशंस, मैसर्स सरोवा पम्प्स तथा मैसर्स स्नेह कृषि केंद्र।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि (संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई) 11 फर्मों में से कोई भी फर्म लीज शर्तों के अनुसार वस्तुओं का निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं थी। इसके अलावा, उपरोक्त सभी अवलोकन पार्क प्रबंधक और एमपीएसईडीसी के कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम थे, और यह तथ्य ज्ञात होने के बावजूद कि पट्टेदारों द्वारा की जा रही गतिविधियाँ पट्टा अनुबंध में उल्लिखित गतिविधियों से असंगत थीं, पार्क प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत चारों रिपोर्टों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पट्टा अनुबंधों को समाप्त करने के बजाय, दोषी फर्मों को अनुदान प्रदान कर दिया गया

इसके अलावा, यह उत्तर गलत है कि एमपीएसईडीसी ने फर्मों की व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, क्योंकि उक्त तंत्र के तहत एक ही व्यक्ति पार्क मैनेजर द्वारा बिना किसी एसओपी या चेकलिस्ट तैयार किए निरीक्षण किया गया। एमपीएसईडीसी द्वारा अपनाई गई मानक प्रक्रिया के अनुसार, फर्मों का आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाई के रूप में पंजीकरण और फर्मों को भूमि का आवंटन केवल प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधि के आधार पर किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान उसी आईटी पार्क मैनेजर के साथ पाई गई फर्मों की गतिविधियाँ सब्सिडी के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भिन्न थी।

*एमपीएसईडीसी/राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाईयों कि व्यावसायिक गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए ताकि वे राज्य की आईटी नीति के अनुरूप बनी रहे। नियमों और विनियमों के अनुसार, दोषी फ़र्मों के खिलाफ कारवाई की जा सकती है, जिसमे झूठे दावों के तहत ली गई सब्सिडी की वसूली भी शामिल है। निगम संबंधित अधिकारियों की निगरानी मे चूक के कारणो की भी जांच कर सकता है।*

### *2.1.7.4 अकार्यात्मक यूनिटों के विरूद्ध कार्यवाही न होना*

पट्टा अनुबंध के खण्ड-19 के अनुसार, पट्टेधारी पट्टे की अवधि के दौरान सतत रूप से व्यवसाय/गतिविधियां चलाता रहेगा जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है। एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए व्यवसाय/गतिविधियों के बंद रहने पर अनुबंध को समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

आईटी पार्कों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (भोपाल 22 जून 2023 एवं जबलपुर 08 जून 2023 से 09 जून 2023 के मध्य) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि चार फर्मे[57], अभिलेखों में क्रियाशील दर्शाए जाने के बावजूद, वास्तव में बंद थीं और क्रियाशील नहीं थीं। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह तथ्य का उजागर होना यह दर्शाता है कि एमपीएसईडीसी ने फर्मों के कामकाज की निगरानी नहीं की और फर्मों की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि मैसर्स अक्षत आईटी एंड इलैक्ट्रानिक्स की पट्टा अनुबंध जनवरी 2022 में समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, यह देखते हुए कि निर्माण कार्य 3000 वर्ग फीट पर किया गया था एवं विद्युत पैनल असेंबली का कार्य प्रारंभ हो चुका था, प्रबंध निदेशक द्वारा दिसम्बर 2022 मे रद्दीकरण को निरस्त कर दिया गया। मैसर्स साइबर फ्यूचरिस्टिक को पट्टा अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए एक नोटिस जारी किया जा रहा था,जबकि मैसर्स डी-ऑटो ने लीज़ की शर्तों के अनुसार उत्पादन प्रारंभ कर दिया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान ये फर्में अकार्यशील पाई गयी थी।

*निगम फर्मों का नियमित निरीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्में लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही हैं।*

[57] मेसर्स अक्षत आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स साइबर फ्यूचरिस्टिक, मेसर्स श्री जी इन्फोटेक और मेसर्स डीऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।

### 2.1.7.5 दोषी फर्मों को अनुचित वित्तीय लाभ

आईटी नीति के खण्ड 10 के अनुसार, भूमि की लागत पर छूट आवेदन के प्रकार, भूमि के प्रकार और विकसित भूमि पर भूमि उपयोग के अनुपात, पर निर्भर करेगी जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.10** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1.10: भूमि की लागत पर छूट का विवरण**

***(प्रतिशत में)***

| क्र.सं. | आवेदन के प्रकार | भूमि उपयोग का अनुपात | | गैर आईटी उपयोग का अनुमति | भूमि के मूल्य पर छूट |
|---|---|---|---|---|---|
| | | आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम / डेटा केंद्र | सहायक/ वाणिज्यिक/ अन्य उद्योग/ आवासीय | | |
| 1 | आईटी/आईटीईएस/डेटा केंद्र यूनिट | 85 | 15 | गैर-आईटी प्रयोजनों के लिए उपयोग योग्य भूमि/निर्मित क्षेत्र का 15 प्रतिशत तक | 75 |
| | | 60 | 40 | गैर-आईटी प्रयोजनों के लिए उपयोग योग्य भूमि/निर्मित क्षेत्र का 40 प्रतिशत तक | 50 |
| 2. | ईएसडीएम यूनिट | 85 | 15 | गैर-आईटी प्रयोजनों के लिए उपयोग योग्य भूमि/निर्मित क्षेत्र का 15 प्रतिशत तक | 75 |

*(**स्रोत**: आईटी नीति के अनुसार)*

पट्टा अनुबंध के खण्ड-24 के अनुसार, यदि पट्टेधारी निर्धारित अवधि में लीज़ पर दी गई पूरी भूमि का उपयोग करने में असमर्थ रहता है, तो पट्टादाता को, बिना किसी भुगतान या क्षतिपूर्ति के उस अप्रयुक्त भूमि को अपने कब्जे में लेने का और पट्टेधारी को अपने प्रकरण को विधिवत् रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत पुन: आवंटन का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएसईडीसी के पास उपयोग की जाने वाली भूमि के कुल प्रतिशत की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। यह देखा गया कि आठ फर्मों[58] द्वारा गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 6.94 प्रतिशत से 35.13 प्रतिशत के बीच था। उन्होंने कुल 54,824.24 वर्ग मीटर उपयोग योग्य भूमि में से केवल 10,826.50 वर्ग मीटर का ही उपयोग किया था।

हालांकि, एमपीएसईडीसी ने भूमि उपयोग का सत्यापन नहीं किया और बिना किसी भुगतान या मुआवजे के अप्रयुक्त भूमि पर कब्ज़ा नहीं किया। उपयोग योग्य भूमि के विरुद्ध उपयोग की गई भूमि का विवरण **परिशिष्ट 2.1.5** में दिया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि भूमि आवंटन एमपीएसईडीसी द्वारा आईटी नीति के अनुसार किया गया तथा पट्टा अनुबंध में दी गई शर्तों का पालन किया गया है। भवन निर्माण की अनुमति संबंधित एजेंसी द्वारा दी गई है तथा इसमें एमपीएसईडीसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि किसी कंपनी द्वारा भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है अथवा कोई प्रस्तावित योजना नहीं है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एमपीएसईडीसी ने फर्मों द्वारा प्राप्त भूमि छूट के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत भूमि उपयोग और भवन निर्माण अनुमति के अनुपात को सत्यापित करने या जांचने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया है।

[58] अक्टूबर 2019 से पहले सात फर्मों को भूमि आवंटित की गई थी।

### 2.1.8 निष्कर्ष

एमपीएसईडीसी की लेखापरीक्षा में कामकाज में कई कमियां पाई गईं। आईटी नीति के तहत आवश्यक रणनीतिक योजना और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को तैयार नहीं किया गया था जिससे तेजी से निर्णय लेने और अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया जा सके।

हालाँकि नीति के अनुसार आईटी पार्कों में भूखंड और स्थान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए गए थे, लेकिन अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। भूखंडों के मामले में, निगम ने बाद में ऑनलाइन निविदा प्रणाली को अपनाया, हालाँकि, भवन स्थलों के मामले में ऐसा नहीं किया गया। भूखंड/स्थानों के आवंटन के बाद पट्टेधारियो की गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप फर्मों द्वारा निर्माण और/या आईटी संचालन/व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत में देरी हुई, जो कि लक्षित लक्ष्यों के विरुद्ध अपर्याप्त रोजगार सृजन के आंकड़ों में परिलक्षित हुआ।

एमपीएसईडीसी के समग्र संचालन में निगरानी की कमी और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी क्योंकि यह फर्मों की गतिविधियों का पता नहीं लगा सका, जिसके परिणामस्वरूप फर्म ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो गईं जो आईटी/आईटीईएस या इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी नहीं थीं। अयोग्य क्षेत्रों की फर्मों को प्रोत्साहन/सब्सिडी का भुगतान किया गया था। एमपीएसईडीसी ने पट्टा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन/अनुपालन न करने के लिए दोषी फर्मों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

### 2.1.9 अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि:

i. *एमपीएसईडीसी/राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए ताकि वे राज्य की आईटी नीति के अनुरूप बनी रहें। नियमों और विनियमों के अनुसार, शर्तों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें झूठे तरीके से प्राप्त की गई सब्सिडी की वसूली भी शामिल है। निगम संबंधित अधिकारियों की निगरानी में हुई चूक के कारणों की भी जांच कर सकता है।*

ii. *निगम फर्मों का नियमित निरीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्म लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है।*

## 2.2 मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल की कार्यप्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.2.1 परिचय

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एमपीएलयूएन), जिसे आगे कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है, को मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में 1961 में निगमित किया गया था। 31 मार्च 2023 को कंपनी की प्रदत शेयर पूंजी ₹ 2.83 करोड़ थी। पिछले छह दशकों से, एमपीएलयूएन मध्य प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों/संगठनों को आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण और रखरखाव, अन्य सिविल निर्माण-कार्य, मृगनयनी एम्पोरियम के माध्यम से राज्य के बुनकरों और कारीगरों को सहायता प्रदान करने, लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई इकाइयों) को लोहा/इस्पात और कोयले की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने और विभिन्न उत्पादों/कच्चे माल के लिए परीक्षण सुविधा का विस्तार करने जैसी बहुआयामी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।

### 2.2.2 कंपनी के कार्यात्मक प्रभाग और संगठनात्मक व्यवस्था

कंपनी एम्पोरिया के माध्यम से उत्पादों की बिक्री, सरकारी विभागों के लिए निविदा और उसको अंतिम रूप देने के लिए सेवा शुल्क, सरकारी विभागों के लिए निष्पादित सिविल और विद्युत कार्यों पर आकस्मिकता और पर्यवेक्षण प्रभार, अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए नमूनों पर परीक्षण शुल्क और एसएसआई इकाइयों को स्टील और कोयले की बिक्री पर सेवा शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करती है। कंपनी के कार्यात्मक प्रभाग नीचे दिए गए हैं।

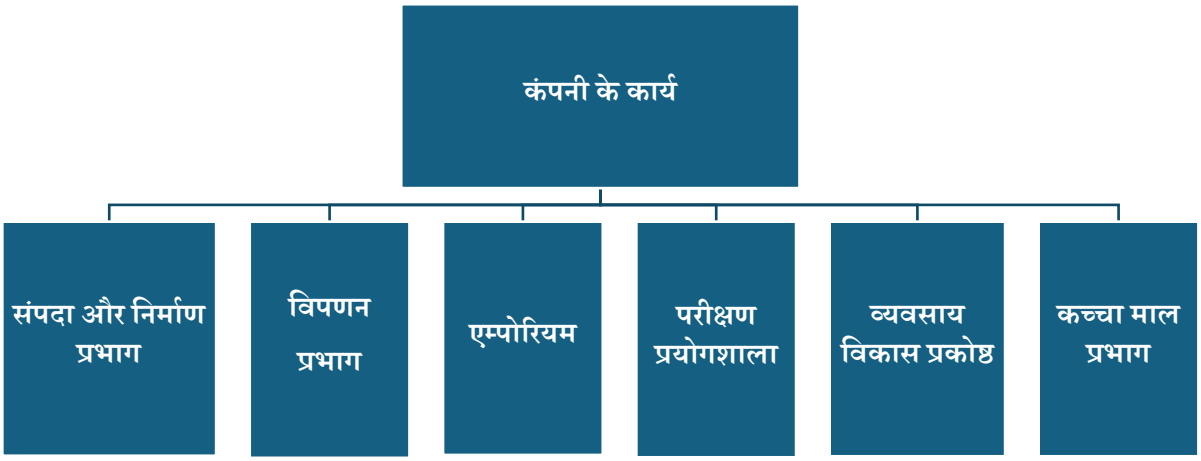


एमपीएलयूएन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। कंपनी का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है।

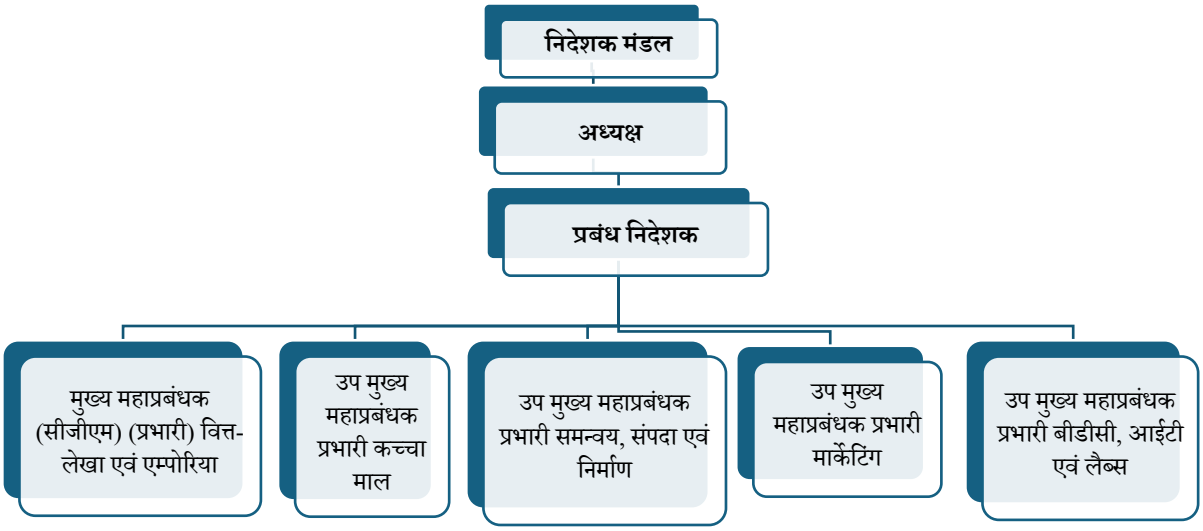


### 2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और दायरा/कार्यप्रणाली

यह लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए)[59] में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने और कार्यान्वित करने के लिए योजनाएं तैयार की गईं और कंपनी के विभिन्न विभागों का संचालन लागू नियमों और आदेशों के अनुपालन में किया गया।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड कंपनी की बोर्ड मीटिंग के एजेंडा और मिनट्स, एमओए, एम्पोरिया के लिए कंपनी की क्रय नीति और कंपनी की प्रयोगशाला की गुणवत्ता मैनुअल, 2019 से प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत और साथ ही पीडब्ल्यूडी मैनुअल, एमपी भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015, एमपी औद्योगिक संवर्धन नीति 2014, एमपी लघु खनिज नियम 1996 और एमपीएलयूएन, राज्य सरकार शासन और भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों ने भी लेखापरीक्षा के लिए बेंचमार्क के रूप में काम किया।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक तीन वर्ष की अवधि शामिल है, जिसमें भोपाल मुख्यालय (एपेक्स) और 14 में से 10 कार्यान्वयन इकाइयों के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा की गई। जबकि सभी ईएंडसी प्रभाग (तीन), परीक्षण प्रयोगशालाओं (दो) और कच्चे माल के डिपो की लेखापरीक्षा की गई, एम्पोरिया (8 में से 4) का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिंपल रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित इकाइयों के रिकॉर्ड की जांच और लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर शामिल थे। लेखापरीक्षा मई 2023 और सितंबर 2023 के बीच आयोजित की गई। कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ मई 2023 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश शासन के उत्तर अक्टूबर 2024 में प्राप्त हुए और उन्हें प्रतिवेदन में विधिवत शामिल कर लिया गया है।

[59] एमपीएलयूएन के एमओए के अनुसार, कंपनी के 49 अलग-अलग उद्देश्य हैं। इनमें छोटे उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना, सरकारी संस्थाओं के साथ अनुबंध करना, विकास योजनाओं को बढ़ावा देना और मशीनरी की खरीद और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अनुपालन लेखापरीक्षा में कंपनी की योजना, परिचालन गतिविधियों, विभिन्न प्रभागों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली आदि में विभिन्न कमियां सामने आईं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

### 2.2.4 एसएसआई के लिये योजना और प्रोत्साहन का अभाव

योजना, संगठन को दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। योजनाओं और लक्ष्यों की अनुपस्थिति में, संगठन केवल दैनिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है बिना यह विचार किए कि लंबे समय में क्या होगा। नियोजित लक्ष्य विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के लिए मानदंड के रूप में कार्य करते हैं ताकि सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य में एमएसएमई को विकसित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई नीति, 2021 की शुरुआत की। इस नीति के तहत, एमपीएलयूएन राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना के लिए नोडल एजेंसी थी, जिसका उद्देश्य राज्य भर में फैले एमएसएमई क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधा केंद्र बनाना था। इसके अलावा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति[60] 2014 (2019 के रूप में संशोधित) के अनुसार, एमपीएलयूएन को लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एंकर और विक्रेता इकाइयों के बीच कार्यशालाओं का आयोजन करना था। यह एमओए के अनुसार कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है, क्योंकि कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ विपणन, वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता, परामर्श, सहायता, वित्त सहायता प्रदान करके राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएलयूएन ने अपने दीर्घकालिक, मध्यमकालिक या अल्पकालिक के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई रणनीतिक योजना तैयार नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि कंपनी ने एसएसआई इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान की है, लेकिन राज्य में एसएसआई इकाइयों के प्रचार और विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है और साथ ही इसने एसएसआई को मजबूत करने के लिए एमपी एमएसएमई नीति में परिकल्पित क्लस्टर दृष्टिकोण के प्रबंधन/विकास की दिशा में कोई योजना तैयार नहीं की है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एमपीएलयूएन द्वारा एंकर और विक्रेता इकाइयों के बीच कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी और कंपनी ने न तो विक्रेता विकास की योजना बनाई थी और न ही एसएसआई की प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्य कुशलता में सुधार के लिए एसएसआई और अन्य इकाइयों के बीच संबंध स्थापित किया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2024) कि एमपीएलयूएन के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार की जाएंगी।

### 2.2.5 संपदा एवं निर्माण (ईएंडसी) प्रभाग का प्रदर्शन

#### *2.2.5.1 ईएंडसी प्रभागों द्वारा कार्य का अनुचित आंकलन*

विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद कार्य का विस्तृत आंकलन तैयार करना अनिवार्य है, जो यथार्थवादी और सही आंकलन प्रदान करता है। एमपीडब्ल्यूडी मैनुअल के पैरा 2.028 के अनुसार एक अधिकारी डिजाइन की सुदृढ़ता और ड्राइंग के संदर्भ में आंकलन में आवश्यक सभी मदों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार है।

[60] वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (सी एंड आई), मध्य प्रदेश सरकार (जी ओ एमपी)।

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध 114 अनुबंधों में से चुने गए 57 अनुबंधों में से 19 अनुबंधों में पाया कि आंकलन के विरुद्ध कार्य के निष्पादित मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। आंकलन में अंतर (-) 62.92 और 41.23 प्रतिशत के बीच था जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.1** में दर्शाया गया है जो दर्शाता है कि आंकलन कार्य की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उचित सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे, जो एमपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध था।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि आंकलन तैयार करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। किसी विशेष परियोजना के लिए आंकलन स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं, जिसमें कभी-कभी स्वीकृति के लिए एक से दो साल लग जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में भिन्नता हो जाती है। अतिरिक्त कार्य जो आंकलन में नहीं थे, उन्हें जोड़ने से भी वास्तविक परियोजना लागत में भिन्नता हो जाती है।

यह उत्तर कि आंकलनों को मंजूरी मिलने मे दो वर्ष का समय लगा, आंकलन मे तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि (-) 62.92 और 41.23 प्रतिशत के बीच का भारी अंतर को उचित नहीं ठहराता है।

### *2.2.5.2 निष्पादन कार्यक्रम प्रस्तुत न किया जाना*

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्यों के लिए सभी गतिविधियों के लिए सामान्य कार्यविधि, व्यवस्था, क्रम और समय दिखाते हुए अनुमोदन के लिए इंजीनियर को एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार अद्यतन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता है तो, इंजीनियर अनुबंध में बताई गई राशि रोक सकता है। निर्धारित अवधि (हर तीन माह या प्रत्येक निर्धारित लक्ष्य के अंत में, जो भी कम हो) में निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत न करने की स्थिति में, जुर्माना अनुबंध मूल्य का एक प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 50,000 तक हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदारों ने ईएंडसी डिवीजनों के सभी 57 चयनित कार्यों में ऐसा कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था । इसलिए, ठेकेदारों पर ₹ 25.43 लाख का जुर्माना लगाया जाना चाहिए था जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.2** में दर्शाया गया है। हालाँकि, इन मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि ठेकेदार द्वारा सौंपे गए कार्य के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के समय के अनुसार कार्य निष्पादन योजना संबंधित इंजीनियर को प्रस्तुत की जाती है। ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी को इसका चार्ट प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा उत्तर को सत्यापित नहीं कर सका, क्योंकि कोई भी सहायक दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, या संबंधित फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

### *2.2.5.3 रॉयल्टी जमा न करना तथा रॉयल्टी के उचित दस्तावेज प्राप्त किए बिना ₹ 2.79 करोड़ जारी किया जाना*

लघु खनिज नियम, 1996 तथा मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार, ठेकेदारों को कार्य के लिए अंतिम बिल का भुगतान केवल खनिज विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा, अन्यथा बिल से रॉयल्टी काटकर संबंधित खनन मद में जमा कर दी जाएगी। खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न सामग्रियों के लिए रॉयल्टी की दरें निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने 57 चयनित कार्यों में से 31 कार्यों में पाया कि ठेकेदारों ने विभिन्न मात्रा में लघु खनिजों का उपयोग करके निर्माण कार्य निष्पादित किए, जिसके लिए कंपनी द्वारा रॉयल्टी नहीं काटी गई थी। कंपनी द्वारा न तो रॉयल्टी सरकारी खातों में जमा की गई और न ही अंतिम भुगतान करने से पहले ठेकेदारों से "रॉयल्टी का नो ड्यूज सर्टिफिकेट" प्राप्त किया गया। फर्म से केवल एक शपथ-पत्र लिया गया, जिसमें फर्म द्वारा कहा गया कि रॉयल्टी का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, जबलपुर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4547/2016 में अपने फैसले में आदेश दिया था कि ठेकेदार द्वारा दायर शपथ-पत्र में खरीदे गए खनिजों का विवरण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, जिसमें उस व्यक्ति का विवरण भी शामिल होना चाहिए जिससे खनिज खरीदे गए थे। हालांकि, भुगतान का दावा करने के लिए ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए, रॉयल्टी के भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका।

भुगतान की गई रॉयल्टी के सत्यापन के बिना ठेकेदारों को ₹ 2.79 करोड़ की भुगतान राशि जारी करना शासन के आदेशों का उल्लंघन था और इसलिए अनियमित था। विवरण **परिशिष्ट 2.2.3** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि पुरानी प्रथा के अनुसार, विभाग ठेकेदारों से शपथ-पत्र ले रहे थे और तदनुसार रॉयल्टी जारी की गई है। हालांकि, जून 2023 से विभागों ने स्वीकृति प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी काटना शुरू कर दिया।

कंपनी द्वारा लघु खनिज नियमों और संबंधित मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के प्रावधानों का पालन न करने के बारे में उत्तर मौन है, जिसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी भुगतान के सत्यापन के बिना ₹ 2.79 करोड़ रुपये के रॉयल्टी अनियमित जारी हुई।

### *2.2.5.4 तकनीकी व्यक्तियों की तैनाती न होने पर जुर्माना न लगाया जाना*

अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) अनुबंध के निष्पादन के लिए तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यक संख्या निर्धारित करता है जो न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता है। जीसीसी के पैरा 6.1 के अनुसार, ठेकेदार निर्माण कार्य और नियमित रखरखाव के लिए तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा जैसा कि बिड़ डेटा शीट के परिशिष्ट 1-3 में प्रावधान है। आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न करने पर, ठेकेदार पर प्रत्येक ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए ₹ 30,000 प्रति माह और प्रत्येक डिप्लोमा इंजीनियर/आई.टी.आई. सर्वेयर के लिए ₹ 18,000 प्रति माह का जुर्माना लगाया जाएगा।

ईएंडसी डिवीजन के चयनित 57 कार्य अनुबंधों की समीक्षा पर यह पाया गया कि:

- 14 अनुबंधों के संबंध में, अनिवार्य तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे।
- 23 अनुबंधों के संबंध में तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, लेकिन तैनात कर्मचारियों की संख्या निविदा शर्तों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से भी कम थी।

जीसीसी के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर ठेकेदारों से ₹ 1.66 करोड़ का जुर्माना वसूलने योग्य था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.4** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि सामान्य अनुबंध शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मियों की संख्या ठेकेदारों द्वारा पूरी की जानी थी। तकनीकी कर्मियों की सूची ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के समय प्रस्तुत की गई थी और तदानुसार साइट इंजीनियर ने उसका सत्यापन किया था और बिल पास किए गए थे।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि 23 अनुबंधों के संबंध में, रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि तैनात तकनीकी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम थी। अन्य 14 अनुबंधों के संबंध में, यदि ठेकेदारों के पास तैनात तकनीकी कर्मियों की सूची उपलब्ध थी और साइट इंजीनियर को दिखाई गई थी, जैसा कि कहा गया/दावा किया गया था, तो उसे उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए था और संबंधित रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। ऐसे रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ऐसे दावों की सत्यता पर पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

### *2.2.5.5 अनुबंधों के निष्पादन में देरी और ₹ 5.71 करोड़ की लिक्विडेट डैमेज की कम वसूली*

जीसीसी के पैरा 15 के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित अनुबंध अवधि (समय विस्तार सहित) के पूरा होने तक देरी को ठीक करने में विफल रहता है, तो रोकी गई राशि को लगाए गए लिक्विडेट डैमेज (एलडी) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और यदि कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है, साथ ही ऐसे सभी विस्तार जो ठेकेदार को नियोक्ता की चूक या अप्रत्याशित घटना के लिए दिए गए हैं, तो ठेकेदार पर देरी के लिए प्रति दिन 0.05 प्रतिशत की दर से हर्जाना लगाया जाएगा, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 57 चयनित अनुबंधों में से 29 में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से 87 दिनों से लेकर 577 दिनों तक की देरी हुई। निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा न करने पर, ₹ 5.74 करोड़ की एलडी लगाई जानी थी। इसके विरुद्ध, ईएंडसी डिवीजन ने 17 अनुबंधों के संबंध में केवल ₹ 3.14 लाख का एलडी लगाई, जबकि 12 अनुबंधों के संबंध में 87 से लेकर 560 दिनों तक की देरी होने के बावजूद कोई एलडी नहीं लगाई गई।

उचित एलडी न लगाए जाने के कारण रिकॉर्ड मे उपलब्ध नहीं थे। किसी भी रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा उचित एलडी न लगाए जाने के कारणों को और क्या ऐसी कार्रवाई उचित थी, को सत्यापित/पता नहीं कर सका।

ईएंडसी डिवीजन द्वारा जी.सी.सी. की शर्तों का अनुपालन करने में अक्षमता के परिणामस्वरूप पर्याप्त औचित्य के बिना एलडी की कम वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.5** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 के कारण अधिकांश कार्य बाधित रहे थे। चूंकि शासन द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया था और लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की प्रगति धीमी रही, इसलिए ठेकेदारों को तदनुसार समय विस्तार दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विलम्ब के लिए समय विस्तार की अनुमति देकर एलडी से छूट को उचित रूप से दस्तावेजित किया जाना चाहिए था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किसी भी प्रकरण में नहीं किया गया।

### *2.2.5.6 क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना न करने पर जुर्माना न लगाया जाना*

जीसीसी 17.2 और 17.3 के अनुसार, ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, प्रयोगशाला स्थापित करने में विफल रहने पर ठेकेदार को प्रति माह अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा, जो प्रतिमाह अधिकतम ₹ 50,000 तक होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईएंडसी डिवीजन के 57 चयनित अनुबंधों में से 26 कार्यों में, जिनमें क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करना आवश्यक था, ठेकेदार ने प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन भी उपलब्ध नहीं था। जीसीसी की शर्तों के उल्लंघन के लिए, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹ 76 लाख का जुर्माना लगाया जाना था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.6** में विस्तृत है।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि ठेकेदारों द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और कार्य से संबंधित इंजीनियर ने इसका सत्यापन किया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का परीक्षण किया गया था और तदनुसार उसे मंजूरी दी गई है। डिवीजन ने क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण शुरू कर दिया है।

लेखापरीक्षा पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ था कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई थी क्योंकि संबंधित इंजीनियर की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

### *2.2.5.7 निविदा आमंत्रित किए बिना आदेश प्रदान करना*

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात अनुबंधों में संभावित अनुबंध राशि (पीएसी) में वृद्धि हुई थी। इन मामलों में बढ़ी हुई पीएसी, ₹ 40 लाख से ₹ 95 लाख के बीच थी, जो अनुबंधों के वास्तविक मूल्य से 32.05 प्रतिशत से 134.33 प्रतिशत अधिक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2.7** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, यह पाया गया कि अनुबंध दिए जाने के दो से छह माह के भीतर अनुबंध राशि बढ़ा दी गई थी, जो ईएंडसी डिवीजन की ओर से जानबूझकर किए गए दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, क्योंकि इन मामलों में कोई नई एनआईटी प्रकाशित नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह मानक निविदा आमंत्रण प्रथाओं का उल्लंघन था।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि अनुबंध की संभावित राशि कार्य शुरू होने से पहले तय की जाती है, और कार्य के निष्पादन के दौरान संबंधित विभागों की आवश्यकताओं और निर्देशों के अनुसार, पीएसी में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा संबंधित विभाग भी जल्द से जल्द काम पूर्ण कराना चाहता है, जो एमपीएलयूएन को नए टेंडर आमंत्रित करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त दो से तीन माह लगते हैं। इसलिए संबंधित विभाग की जरूरतों के अनुसार टिप्पणी किए गए कार्यों में पीएसी को तदानुसार बढ़ाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय की कमी के कारण निविदा आमंत्रित न करना, कार्य नियमावली के अनुसार अनिवार्य शर्त के उल्लंघन के लिए वैध औचित्य नहीं हो सकता है।

## 2.2.6 विप्रणन प्रभाग

कंपनी का विपणन प्रभाग विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों को प्रतिस्पर्धी दरों पर और निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर सामग्री की आपूर्ति से संबंधित निविदाओं को अंतिम रूप देता है। आपूर्तिकर्ताओं से कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क (दो प्रतिशत) का एक हिस्सा भी जारी निविदाओं के लिए अंतिम रूप से तय दरों में शामिल किया गया है।

### 2.2.6.1 निविदाओं में अनियमितताएं

#### i) फर्नीचर खरीद की निविदा प्रक्रिया में संबंधित फर्मों के लिए ब्लैकलिस्टिंग नियमों का उल्लंघन

मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 के नियम 54 के अनुसार, यदि किसी कंपनी/फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो एक ही निदेशक/मालिक/भागीदार वाली सभी अन्य कंपनियों/फर्मों को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स श्री वैष्णव इंडस्ट्रीज (प्रोपराइटरशिप फर्म), भोपाल को 26 सितंबर 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया था। हालांकि, मेसर्स श्री वैष्णव फर्नीचर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जिसके निदेशक, जो ब्लैक लिस्टेड फर्म में प्रोपराइटर थे, ने निविदा संख्या 20034-ए में भाग लिया और 22 मार्च 2021 को आयोजित तकनीकी-व्यावसायिक बोली मूल्यांकन में योग्य थे। ब्लैक लिस्टेड बोलीदाता की तकनीकी-व्यावसायिक और मूल्य बोलियों दोनों को खोलने की यह कार्रवाई नियमों के अनुसार अनियमित थी।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि मेसर्स श्री वैष्णव फर्नीचर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने बोली में भाग लिया था और मेसर्स श्री वैष्णव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया था। प्रोपराइटर और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन फर्म अलग-अलग हैं।

हालाँकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्रवाई मध्य प्रदेश क्रय और सेवा उपार्जन नियम 2015 का उल्लंघन है क्योंकि ब्लैकलिस्ट में उन फर्मों को भी शामिल किया जाता है जिनके निदेशक और मालिक वही हैं जो ब्लैकलिस्ट में डाले गए हैं।

#### ii) सुरक्षा राशि ₹ 0.60 करोड़ जब्त न किया जाना

निविदा दस्तावेज की विशेष शर्तों के अनुसार कंपनी को दर अनुबंध के निष्पादन के समय 18 माह के लिए ₹ 0.20 करोड़ की सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा राशि कार्य के सफल निष्पादन पर जारी की जाती है; विफलता के परिणामस्वरूप सुरक्षा राशि जब्त हो सकती है (निविदा शर्त 31)।

कंपनी ने वार्षिक दर अनुबंध के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(पीएचई) के लिए आईएसआई चिह्नित गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील ट्यूबों के लिए दिसंबर 2020 में एक निविदा (संख्या 20002ए) आमंत्रित की थी। चार आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक वर्ष (06 फरवरी 2021 से 5 फरवरी 2022) के लिए दर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से तीन आपूर्तिकर्ताओं ने मांग की गई मात्रा (12/10/2021) की आपूर्ति नहीं की थी। विवरण **तालिका 2.2.1** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.2.1 : उन आपूर्तिकर्ताओं का विवरण जिन्होंने मांगित मात्रा की आपूर्ति नहीं की**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | आपूर्तिकर्ता | दिए गए आपूर्ति आदेश का मूल्य | निष्पादित आपूर्ति आदेश का मूल्य | आपूर्ति आदेश का मूल्य जो निष्पादित नहीं किया गया |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मेसर्स गौरांग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 3.78 | 2.25 | 1.52 |
| 2. | मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड | 8.24 | 7.49 | 0.75 |
| 3. | मेसर्स स्पार्क इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड | 8.33 | 7.13 | 1.19 |

*(**स्रोत :** एमपीएलयूएन द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने उन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 0.60 करोड़ की सुरक्षा राशि जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जो मांग की गई सामग्री वितरित करने में विफल रहे। इसके बजाय, कंपनी ने सभी बोलीदाताओं की केवल ₹ 0.02 करोड़ की ईएमडी जब्त की थी। इसके अलावा, अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ उच्च दरों पर आपूर्ति के लिए नए दर अनुबंध निष्पादित किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति आदेश के मूल्य का 83 प्रतिशत आपूर्ति की जा चुकी थी। इकाइयों द्वारा सामग्री की पूरी आपूर्ति न करने का मुख्य कारण कोविड-19 के कारण श्रमिकों के पलायन तथा माल भाड़ा में वृद्धि के कारण कारखाने में काम का अभाव रहा। इसके बावजूद एमपीएलयूएन इकाइयों की ईएमडी जब्त कर चुकी है तथा उन्हें एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की विशेष शर्त में सुरक्षा राशि की जब्ती से छूट/जब्ती न करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा आपूर्ति न होने के परिणामस्वरूप ऊंची कीमतों पर दर अनुबंध का निष्पादन हुआ, जिससे अंततः मांगकर्ता विभाग यानी पीएचई विभाग पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

### 2.2.7 एम्पोरियम का प्रदर्शन

#### *2.2.7.1 एम्पोरियम में भंडारण प्रबंधन*

क्रय नीति (2021) के खंड 6 के अनुसार, एम्पोरियम के लिए खरीद योजना बिक्री पूर्वानुमान की प्रणाली पर आधारित होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक एम्पोरियम माहवार बिक्री लक्ष्यों का पालन करेगा, जिसके अनुसार वस्तुओं की खरीद की योजना बनाई जाएगी। इन्वेंट्री वहन लागत पर नियंत्रण रखने के लिए स्टॉक को अत्यधिक रखने से टालना होगा। साथ ही कम स्टॉक की स्थिती से भी बचना होगा ताकि स्टॉक ख़त्म होने की स्थिति पैदा न हो।

2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान चार एम्पोरिया द्वारा रखे गए एक वर्ष से अधिक की इन्वेंट्री का विवरण **तालिका 2.2.2** में दिखाया गया है।

**तालिका 2.2.2 : चार एम्पोरिया द्वारा रखे गए एक से अधिक वर्षों की इन्वेंट्री का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | एक वर्ष से कम पुराना स्टॉक | एक वर्ष से अधिक पुराना स्टॉक | वर्ष के अंत में कुल स्टॉक | कुल स्टॉक में एक वर्ष से अधिक पुराने स्टॉक का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 1.29 | 2.25 | 3.54 | 63.44 |
| **2021-22** | 1.75 | 1.67 | 3.42 | 48.92 |
| **2022-23** | 1.86 | 1.65 | 3.51 | 46.96 |

*(**स्रोत :** एमपीएलयूएन द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चारों एम्पोरिया के कुल स्टॉक में एक वर्ष से अधिक पुराने स्टॉक का प्रतिशत 46.96 प्रतिशत से 63.44 प्रतिशत के बीच है, जो चिंताजनक है और इससे स्टॉक के अप्रचलन/क्षति में वृद्धि हो सकती है।

नुकसान/अप्रचलन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि इस अवधि के दौरान निपटाए गए स्टॉक में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक के निपटान योग्य मूल्य से कम प्राप्ति हुई। विवरण **तालिका 2.2.3** में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 2.2.3: वर्ष के अंत में कुल स्टॉक में क्षतिग्रस्त स्टॉक की मात्रा का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | वर्ष के अंत में कुल स्टॉक | वर्ष के दौरान निपटान किए गए क्षतिग्रस्त स्टॉक की लागत | वर्ष के अंत में कुल स्टॉक में क्षतिग्रस्त स्टॉक की राशि |
|---|---|---|---|
| **2020-21** | 3.54 | 0.16 | 0.66 |
| **2021-22** | 3.42 | 0.30 | 0.42 |
| **2022-23** | 3.51 | 0.10 | 0.34 |

*(**स्रोत :** एमपीएलयूएन द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख)*

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए एक ही वर्ष में पूरा स्टॉक बेचना संभव नहीं है और एम्पोरिया इन्वेंट्री स्तर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बिक्री कोविड-19 के कारण बाधित रही, जिसके कारण पुराने स्टॉक का प्रतिशत अधिक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड वर्षों के दौरान, कंपनी ने 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः ₹ 3.78 करोड़ और ₹ 7.51 करोड़ की खरीदारी की, जो इंगित करता है कि उन्होंने इन वर्षों के दौरान पर्याप्त व्यवसाय की संभावना को पहले से ही अनुमानित कर लिया था। चूंकि 2020-21 में उनके पास ₹ 3.54 करोड़ मूल्य का स्टॉक बचा था, इसलिए 2021-22 में ₹ 7.51 करोड़ की खरीदारी करना उचित नहीं था।

## 2.2.8 परीक्षण प्रयोगशाला प्रभाग का प्रदर्शन

कंपनी इंदौर और जबलपुर में स्थित अपनी दो प्रयोगशालाओं के माध्यम से राज्य के एमएसएमई और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी पक्षों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करके राजस्व अर्जित करती है। एमएसएमई को परीक्षण शुल्क की प्रचलित दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

### *2.2.8.1 प्रयोगशालाओं की पूरी क्षमता का उपभोग न होना*

बिना किसी बाधा के व्यवसाय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला की क्षमता के आधार पर वार्षिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। परीक्षण प्रयोगशाला, इंदौर और जबलपुर के लिए निर्धारित व्यवसाय लक्ष्य और 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए इसकी उपलब्धियाँ नीचे **चार्ट 2.2.1** में दर्शाई गई हैं:

**चार्ट 2.2.1: प्रयोगशाला की लक्ष्य प्राप्ति**

**(₹ लाख में)**

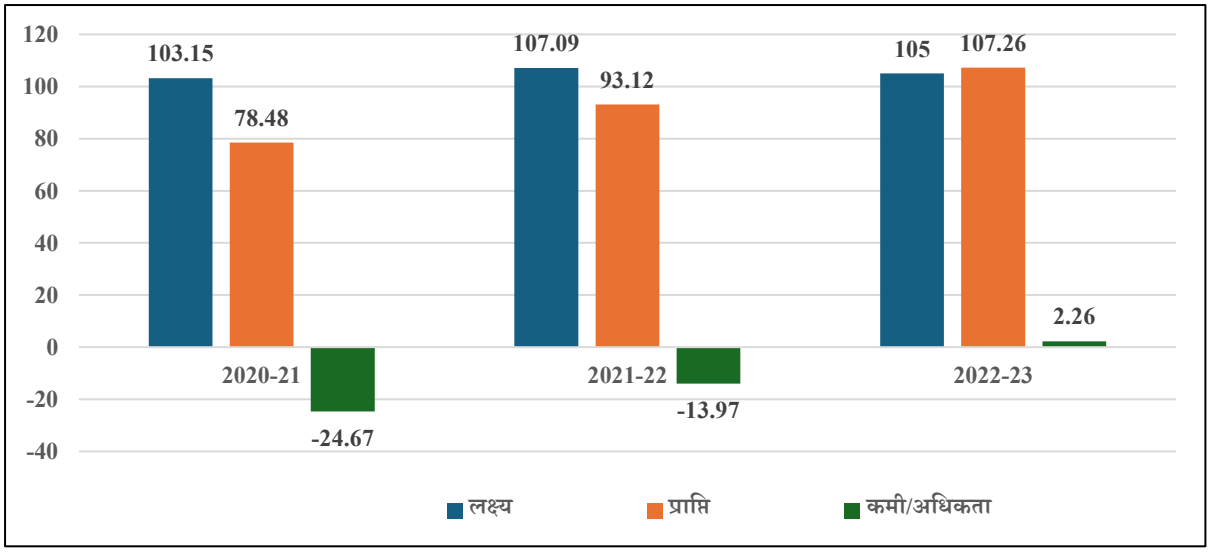

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी दोनों प्रयोगशालाओं की पूरी स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.8** में विस्तृत है। जबलपुर की परीक्षण प्रयोगशाला ने फरवरी 2022 में अपना एनएबीएल[61] दर्जा खो दिया, जिससे यह कम विश्वसनीय हो गई क्योंकि अधिकांश ग्राहक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता देते हैं। पिछले तीन वर्षों में इसका राजस्व 2020-21में ₹ 0.21 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 0.09 करोड़ रह गया है। इसके अलावा, कंपनी ने व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई व्यावसायिक प्रचार या संभावित उपभोक्ताओं के साथ बैठकें आयोजित नहीं की थीं।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि एनएबीएल दर्जे के लिए जबलपुर प्रयोगशाला ने पहले ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे (मई 2024) और समय आने पर दर्जा वापस ले लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनएबीएल दर्जा बरकरार रखने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए गए थे, इसलिए यह फरवरी 2022 मे समाप्त हो गया, लेकिन पुनरुद्धार के लिए कार्यवाही मई 2024 मे देरी से की गई थी।

### *2.2.9 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली*

#### *2.2.9.1 कंपनी के कार्यों की अपर्याप्त निगरानी*

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को निगमन के 30 दिनों के भीतर अपनी पहली बोर्ड बैठक आयोजित करनी होगी, और उसके बाद प्रति वर्ष कम से कम चार बैठकें करनी होंगी, प्रत्येक बैठक के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 24 मार्च 2020 और 3 मई 2021 को जारी परिपत्रों के माध्यम से इस आवश्यकता को 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2021 तक 180 दिनों तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और आवश्यक 12 बैठकों में से केवल आठ बैठकें आयोजित कीं, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्य की निगरानी में कमी आई।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि 2021-22 और 2022-23 में कोविड के कारण बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एमसीए द्वारा 2020-21 में विस्तार प्रदान किया गया था। जहां तक 2021-22 और 2022-23 का सवाल है, कोविड के कारण कोई लॉकडाउन नहीं था, इसलिए बोर्ड की बैठकें आयोजित न करने का कारण वैध नहीं है।

#### *2.2.9.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम का अनुपालन न किया जाना*

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, एमपीएलयूएन को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एमपीएलयूएन को सीएसआर प्रावधानों के तहत न्यूनतम ₹ 0.49 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता थी लेकिन कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में सीएसआर पर कोई राशि खर्च

[61] परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड।

नहीं की, जबकि वह लाभ में थी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम का उल्लंघन हुआ और समाज सीएसआर गतिविधियों के अपेक्षित लाभों से वंचित हो गया।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि सीएसआर के अंतर्गत इंदौर एवं जबलपुर के परीक्षण प्रयोगशाला परिसर में "परीक्षण एवं कौशल विकास केन्द्र" की स्थापना के संबंध में कंपनी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना पर कुल ₹ 1.78 करोड़ व्यय किए जाने हैं। इसे बोर्ड की बैठक (15 मार्च 2023) में रखा गया था। अनुमोदन के पश्चात कार्य योजना जिला मुख्यालयों को भेज दी गई है। क्रय हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

### *2.2.9.3 कंपनी के लेखो को अंतिम रूप देने में विलंब*

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को बोर्ड के विचारार्थ हेतु वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी के वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई है और लेखों का प्रमाणीकरण केवल 2019-20 तक ही किया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण तैयार कर लिए गए हैं और अगली बैठक में कंपनी के बोर्ड की मंजूरी लेने के बाद उन्हें पूरक लेखापरीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए क्रमशः सांविधिक लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है।

इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

## 2.2.10 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

एमपीएलयूएन को राज्य की एमएसएमई विकास नीति, 2021 के तहत मध्य प्रदेश में क्लस्टर गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। हालाकि, कंपनी ने राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के संवर्धन एवं विकास के लिए रणनीतिक योजना तैयार नहीं की। यह देखा गया कि राज्य एम्पोरिया को चलाने/ प्रबंधित करने तथा अन्य राज्य सरकार एजेंसियों के लिए निक्षेप कार्यों और खरीद में संसाधनों का निवेश करने के अलावा, कंपनी ने एमएसएमई और एसएसआई इकाइयों के व्यवस्थित विकास और सहायता में स्वयं को शामिल नहीं किया। कंपनी ने कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया, जो ढीले आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण का संकेत है।

*यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी एमएसएमई नीति 2021 में परिकल्पित क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाने के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित करे, जो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।*

## 2.3 मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन एवं विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.3.1 परिचय

मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एनआरई) गतिविधियों में ऊर्जा उत्पादन सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों, रूफटॉप सौर प्रणालियों और सौर फोटोवोल्टिक जल पंपों के साथ-साथ पवन, बायोमास और जल स्रोतों के माध्यम से भी उत्पन्न ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में एनआरई के संवर्धन और विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन (राज्य सरकार) द्वारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) का गठन (25 अगस्त 1982) किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भारत सरकार के समन्वय के माध्यम से राज्य मे विभिन्न एनआरई योजनाओं/ परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयुक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (एमपीएनआरईडी) के कार्यालय की भी स्थापना की (अप्रैल 2010)।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत में एनआरई स्रोतों से विद्युत उत्पादन ने भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में 13 प्रतिशत का योगदान दिया (कुल 16,24,465.61 जीडब्ल्यूएच[62] उत्पादन में से 2,03,552.68 जीडब्ल्यूएच उत्पादन)। मध्य प्रदेश में इसी अवधि के दौरान, एनआरई स्रोतों से उत्पादित विद्युत का योगदान लगभग छह प्रतिशत (कुल 1,52,020.26 जीडब्ल्यूएच उत्पादन में से 8,872.72 जीडब्ल्यूएच) था।

### 2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड एवं क्षेत्र/ कार्यप्रणाली

यह लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन एवं विकास भारत सरकार / राज्य सरकार की नीति/दिशानिर्देशों के अनुरूप है /

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए मध्य प्रदेश नीति, 2016 एवं मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 से प्राप्त मानदंडों के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ निर्देशों का भी संदर्भ लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए सभी तीन शीर्ष/लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों अर्थात प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (एनआरईडी, मध्य प्रदेश शासन), आयुक्त, एमपीएनआरईडी, मध्य प्रदेश शासन और एमपीयूवीएनएल के साथ-साथ इसकी कार्यान्वयन इकाइयों के अभिलेखों की भी समीक्षा की। एमपीयूवीएनएल की 32 कार्यान्वयन इकाइयों में से 11 इकाइयों (कुल आकार का 33 *प्रतिशत)* को आइडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चुना गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेख विश्लेषण, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मुद्दे, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, अधिकारियों के साथ चर्चा, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम [63](आरएमएस) के आधार पर लाभार्थी सर्वेक्षण सम्मिलित थे।

---

62 गीगा वाट घंटा (जीडबल्यूएच), ऊर्जा की एक इकाई है जो एक अरब वाट घंटे का प्रतिनिधित्व करती है।

63 रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) एक क्लाउड-आधारित प्रणाली है जो स्थापित सौर संयंत्र के प्रदर्शन की निगरानी के लिए है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन का वास्तविक समय डेटा प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को एनआरईडी विभाग, राज्य सरकार को 05 जून 2024 को अवगत कराया गया, जिसके बाद अनुस्मारक भेजे गए। प्रयासों के बावजूद, विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गया है (दिसंबर 2024)।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की नीति के निर्माण एवं इसके कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर नीचे चर्चा की गई है:

### 2.3.3 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के प्रावधानों के क्रियान्वयन में विलंब

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001[64] (अधिनियम) ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 57 के अनुसार, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। अधिनियम की धारा 14(पी) के अनुसार, केंद्र सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से, ऊर्जा के कुशल उपयोग और भवन या भवन परिसर में इसके संरक्षण के लिए एक ऊर्जा संरक्षण और भवन संहिता (ईसीबीसी) निर्धारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार को राज्य में ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निधि की स्थापना करनी आवश्यक है, जिसे राज्य सरकार या नामित एजेंसी द्वारा संचालित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने जून 2021, अर्थात तीन वर्ष बाद अपने नियम तैयार किए। इससे मध्य प्रदेश में ईसीबीसी नियमों को लागू करने में देरी हुई। इसलिए लेखापरीक्षा इस बीच की अवधि के दौरान विकसित बुनियादी ढांचों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा ₹ 6.00 करोड़ की राशि (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ₹ 4.00 करोड़[65] और ₹ 2.00 करोड़[66] राज्य सरकार द्वारा) का योगदान, जो की राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में सार्वजनिक भवनों, जैसे केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रमों, ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट आदि में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया गया था, उसका उपयोग सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

#### *2.3.3.1 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की लक्षित क्षमता प्राप्त करने में कमी*

एमएनआरई, भारत सरकार, (फरवरी 2015) ने सभी राज्यों में एनआरई की स्थापित क्षमता (वर्ष 2022 तक) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।

स्थापित क्षमता की तुलना में प्राप्त लक्ष्य नीचे **तालिका 2.3.1** में दर्शाया गया है :

[64] अधिनियम 29 सितंबर 2001 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

[65] प्रत्येक दिनांक 17 मार्च 2011 और 28 मार्च 2013 को ₹ 2.00 करोड़।

[66] 05 मार्च 2013 को ₹ 2.00 करोड़।

**तालिका 2.3.1: 2022-23 तक लक्ष्य और विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता की उपलब्धता की स्थिति**

| वर्ष | वर्ष 2022 तक प्राप्त की जाने वाली एनआरई क्षमता (मेगावाट में) | वर्ष तक सृजित क्षमता (मेगावाट में) | | | | | अल्प उपलब्धि 2022-23 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 तक | 2019-20 तक | 2020-21 तक | 2021-22 तक | 2022-23 तक | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(2)-(7) |
| सौर | 5,675 | 1,865.70 | 2,360.92 | 2,566.07 | 2,666.54 | 2,742.84 | 2,932.16 |
| पवन | 6,200 | 2,444.15 | 2,444.15 | 2,444.15 | 2,535.95 | 2,770.85 | 3,429.15 |
| छोटे हाइडल | 25 | 96.11 | 96.11 | 99.91 | 99.91 | 123.91 | उपलब्ध नहीं |
| बायोमास | 118 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 23.47 |
| **योग** | **12,018** | **4,500.49** | **4,995.71** | **5,204.66** | **5,396.93** | **5,732.13** | **6,384.78** |

*(**स्रोत:** एमपीएनआरई, भारत सरकार के दस्तावेज़ एवं एमपीएनआरईडी और डिस्कॉम द्वारा प्रदान किया गया डेटा)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एमएनआरई, भारत सरकार के लक्ष्यों के विरुद्ध वर्ष 2022-23 तक केवल 47.70[67] प्रतिशत एनआरई क्षमता प्राप्त की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने मार्च 2023 तक इस उपलब्धि की तुलना[68] अन्य पांच प्रमुख राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र के प्रदर्शन से भी की। यह देखा गया कि इन पांच राज्यों में उपलब्धि का प्रतिशत 57.87[69] प्रतिशत से 172.39[70] प्रतिशत के बीच था जो मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत अधिक है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

i. वर्ष 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के लिए लक्ष्यों को रेखांकित करने वाले भारत सरकार के एमएनआरई के विपरीत, राज्य सरकार ने 2022 में यानी सात वर्ष के अंतराल के बाद अपनी आरई नीति की योजना बनाई। नतीजतन, राज्य सरकार, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रोडमैप के साथ संरेखित करने के लिए अपने एनआरई के बुनियादी ढांचे की कुशलतापूर्वक योजना नहीं बना सकी।

ii. एमपीएनआरईडी, राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए सौर, पवन, लघु जलविद्युत और बायोमास क्षेत्रों की विशिष्ट संभावित साइटों की पहचान करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण नहीं किया।

iii. पिछले नौ वर्षों (2014-2023) के दौरान परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्तावों के लिए कोई निविदा अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित नहीं किया गया था। अंतिम आरएफपी 2014 में आमंत्रित किया गया था।

iv. पवन ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत परियोजनाओं में से सत्तर प्रतिशत को चालू नहीं किया जा सका, जैसा कि अगली कंडिका 2.3.3.2 में चर्चा की गई है।

इससे संकेत मिलता है कि संभावित क्षमता के उपयोग के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए जिससे संभवत: नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों (2015) की प्राप्ति न होने का असर पड़ा।

विभाग/राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2025)।

---

67 5,732/12,018*100= 47.70 प्रतिशत।

68 एमएनआरई की वेबसाइट से लिए गए डेटा के अनुसार।

69 महाराष्ट्र।

70 राजस्थान।

### 2.3.3.2 पवन ऊर्जा परियोजना नीति, 2012 के कार्यान्वयन में कमियां

राज्य सरकार ने (जनवरी 2012) राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक पवन ऊर्जा परियोजना नीति जारी की। इस नीति में एमपीएनआरईडी के साथ पंजीकृत पात्र परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन और छूट की परिकल्पना की गई थी। चूंकि, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाए गए थे, लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि/ प्रदर्शन का आंकलन नहीं किया जा सका। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत, चालू और अपंजीकृत पवन परियोजनाओं का विवरण नीचे **तालिका 2.3.2** में दर्शाया गया है :

**तालिका 2.3.2 : 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत, चालू और अपंजीकृत पवन परियोजनाएं**

| वर्ष | पंजीकृत परियोजनाएं | | चालू की गई परियोजनाएं | | अपंजीकृत परियोजनाओं | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | मेगावाट | संख्या | मेगावाट | संख्या | मेगावाट |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2018-19 तक | 176 | 7,939.00 | 71 | 2,444.15 | 40 | 1,421 |
| 2019-20 तक | 176 | 7,939.00 | 71 | 2,444.15 | 40 | 1,421 |
| 2020-21 तक | 178 | 8,365.70 | 71 | 2,444.15 | 40 | 1,421 |
| 2021-22 तक | 179 | 8,366.45 | 71 | 2,535.95 | 40 | 1,421 |
| 2022-23 तक | 181 | 9,128.65 | 72 | 2,770.85 | 40 | 1,421 |

*(**स्रोत**: एमपीएनआरईडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

i. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 तक 9,128.65 मेगावाट पंजीकृत पवन परियोजनाओं में से केवल 2,770.85 मेगावाट (30 प्रतिशत) परियोजनाओं को ही चालू किया जा सका था, और 1,421 मेगावाट (16 प्रतिशत) परियोजनाओं को अपंजीकृत किया गया था। इसके अलावा, 4,936.80[71] मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं अभी भी लगभग सात से दस वर्ष के अंतराल के बाद भी चालू होने के लिए लंबित थीं। लेखापरीक्षा ने पांच पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित परियोजना दस्तावेजों की जांच की और यह पाया कि परियोजनाओं के चालू होने में विफलता का मुख्य कारण एमपीएनआरईडी द्वारा पवन ऊर्जा परियोजना नीति में उल्लिखित विभिन्न चरणों के अनुक्रमण[72] का अपर्याप्त पालन था।

ii. नीति के अनुच्छेद 2 के अनुसार, एमपीएनआरईडी को प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार परियोजना आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएनआरईडी ने जनवरी 2012 में नीति के कार्यान्वयन के बाद से केवल तीन बार (मई 2012, अप्रैल 2013 और मार्च 2014) प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किये।

iii. पवन ऊर्जा परियोजना नीति, 2012 के अनुच्छेद 2 के अनुसार एमपीएनआरईडी को, जहां भी पवन निगरानी मस्तूलों को स्थापित किया गया, उनके डेटा को आवेदकों के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएनआरईडी ने आवेदकों की आसान पहुंच के लिए, अपनी स्वयं की वेबसाइट पर पवन निगरानी मस्तूलों[73] का डेटा को अपलोड नहीं किया था।

---

71 9,128.65 मेगावाट पंजीकृत (2,770.85 मेगावाट चालू + 1,421.00 मेगावाट अपंजीकृत) = 4,936.80 मेगावाट।

72 परियोजना आवंटित किए जाने के बाद, चूंकि परियोजनाएं मूर्त रूप नहीं ले सकीं, केवल कारण बताओ नोटिस ही परियोजना विकासकर्ताओं को जारी किए गए। इसके पश्चात न तो विकासकर्ताओं ने कोई उत्तर दिया और न ही एमपीएनआरईडी ने इस मामले को उनके साथ आगे बढ़ाया।

73 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा निगरानी।

#### 2.3.3.3 सौर पार्क परियोजनाओं से भूमि उपयोग शुल्क की वसूली में कमी

राज्य सरकार का आदेश (अक्टूबर 2014), जो कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि उपयोग के प्रावधानों से संबंधित है, के अनुसार भूमि उपयोग अनुमति समझौते परियोजना की प्रभावी तिथि पर गैर-सिंचित भूमि की, प्रचलित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत की दर से भूमि उपयोग शुल्क का भुगतान डेवलपर द्वारा पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। इसके अलावा, पैरा 3 में निर्धारित है कि डेवलपर परियोजना के उपयोग के लिए भूमि पर अधिग्रहण करने से पहले पहली किस्त का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एक प्रावधान तैयार किया था (2018), जिसके तहत भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी के लिए डेवलपर्स द्वारा निवेश ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

एमपीएनआरईडी, जो मध्यप्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नोडल विभाग है, ने सौर पार्क परियोजनाओं के लिए आवश्यक सरकारी राजस्व भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके बाद, एमपीएनआरईडी ने भूमि उपयोग अनुमति समझौता करके सौर पार्कों के लिए भूमि को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल[74]) को आवंटित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलयूपीए के प्रावधानों के अनुसार, आरयूएमएसएल को सौर पार्क परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए भूमि उपयोग शुल्क का राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार भुगतान करना था। इस संबंध में देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

i. एमपीएनआरईडी ने (अप्रैल 2017) रीवा सोलर पार्क में भूमि के उपयोग के लिए, आरयूएमएसएल के साथ भूमि उपयोग अनुमति समझौता किया। एलयूपीए और सरकारी आदेश के प्रावधानों के अनुसार, एमपीएनआरईडी को 16 अप्रैल 2017 से प्रभावी (भूमि के अधिग्रहण से पहले अर्थात एलयूपीए की तिथि), पांच समान वार्षिक किश्तों में भूमि उपयोग शुल्क ₹ 42.05 करोड़ एकत्र करना था। हालांकि, एमपीएनआरईडी ने न तो मांग उठाई और न ही आरयूएमएसएल से भूमि उपयोग शुल्क की सभी पांच किस्तों की वसूली समय पर की। इसके अतिरिक्त, एमपीएनआरईडी, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी के लिए ₹ 8.16 करोड़ के ब्याज शुल्क लगाने में विफल रहा।

ii. इसी तरह, सौर पार्कों की एएसएन[75] परियोजनाओं (आरयूएमएसएल की एक ओर परियोजना) के मामले में, एमपीएनआरईडी ने भूमि उपयोग के लिए आरयूएमएसएल के साथ एलयूपीए में प्रवेश किया (नवंबर 2021)। एमपीएनआरईडी को भूमि उपयोग शुल्क की दो किस्तें 24 नवंबर 2021 से मार्च 2023 तक ₹ 25.12 करोड़ को एकत्र करने की आवश्यकता थी। हालांकि, एमपीएनआरईडी मार्च 2023 तक आरयूएमएसएल से भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं कर सका और भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी के लिए ₹ 2.65 करोड़ का ब्याज शुल्क (मार्च 2023 तक) को लगाने में भी विफल रहा।

### 2.3.4 ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप परियोजनाओं में कमियां

एमएनआरई, भारत सरकार ने आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े लघु सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) रूफटॉप प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप या छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए, जिससे भारत सरकार द्वारा

[74] मध्य प्रदेश राज्य में सौर पार्क परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 10 जुलाई 2015 को शामिल किया गया।

[75] अगर, शाजापुर और नीमच।

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से लागू किया गया था अर्थात एमपीयूवीएनएल[76]। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एसएनए को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) जारी की गई थी।

एमएनआरई और राज्य सरकार सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए क्रमशः 30 प्रतिशत की दर से सीएफए की सुविधा और 20 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार की सब्सिडी प्रदान करते हैं। शेष 50 प्रतिशत, परियोजना लागत के पांच प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के साथ, उपयोगकर्ता के हिस्से के रूप में आदेश देने से पहले लाभार्थी द्वारा जमा किया जाना है।

### *2.3.4.1 ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप के लिए एमएनआरई निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना*

एमएनआरई और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक देश में 40 गीगावॉट ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम का लक्ष्य रखा है। सौर रूफटॉप और लघु सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम का उद्देश्य देश के आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने को बढ़ावा देना है।

वर्ष 2022 तक देश में 40 गीगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप प्रणालियों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप प्रणालियों के लिए 2.2 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित करके विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली 2016 के लिए मध्य प्रदेश नीति जारी की (अक्टूबर 2016) और इसको एमपीएनआरई पॉलिसी 2016 में भी अपनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में 2022-23 तक ग्रिड से जुड़े रूफटॉप लक्ष्यों की स्थिति और उनकी उपलब्धि नीचे **तालिका 2.3.3** में दर्शाई गई है:

**तालिका: 2.3.3: ग्रिड से जुड़े रूफटॉप लक्ष्यों की स्थिति और उनकी उपलब्धि 2022-23 तक**

| वर्ष | एमएनआरई द्वारा ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप का लक्ष्य मेगावाट में | कुल लक्ष्य प्राप्ति मेगावाट में | अप्राप्त लक्ष्य मेगावाट में | प्राप्ति का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5)=(3)/(2)*100 |
| 2018-19 तक | 880 | 59.17 | 820.83 | 6.72 |
| 2019-20 तक | 1,265 | 106.30 | 1,158.70 | 8.40 |
| 2020-21 तक | 1,705 | 148.20 | 1,556.80 | 8.69 |
| 2021-22 तक | 2,200 | 204.79 | 1,995.21 | 9.31 |
| 2022-23 तक | 2,200 | 270.04 | 1,929.96 | 12.27 |

*(**स्रोत:** डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार / एमपीयूवीएनएल वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक संचयी उपलब्धि, लक्ष्यों के विरुद्ध, 6.72 प्रतिशत से 12.27 प्रतिशत तक थी। वर्ष 2021-22 तक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य वर्ष 2022-23 तक भी प्राप्त नहीं किए जा सके, क्योंकि वर्ष 2022-23 तक संचयी उपलब्धि केवल 270.04 मेगावाट (12.27 प्रतिशत) थी। ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना, सौर रूफटॉप को स्थापित करने में सरकारी कार्यालयों/ विभागों को सक्रिय रूप से शामिल करने की पहल/ प्रयास और परियोजना

[76] एमपीयूवीएनएल ने 2019-20 तक ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप के लिए एसएनए के रूप में काम किया। इसके बाद, डिस्कॉम कार्यान्वयन एजेंसियां/नोडल हैं।

को समय पर पूरा करने के लिए डिस्कॉम के साथ समन्वय संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके परिणामस्वरूप एमएनआरई लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आई है।

### *2.3.4.2 केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत लक्षित मात्रा की प्राप्ति न होना*

एमपीयूवीएनएल ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान आवासीय, सरकारी और निजी संस्थानों/ कार्यालयों में ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करने के लिए एमएनआरई से चार स्वीकृति प्राप्त की। एमएनआरई से प्राप्त स्वीकृति और क्षमता निष्पादन का विवरण नीचे **तालिका 2.3.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.3.4: एमएनआरई से प्राप्त स्वीकृति और 31 मार्च 2023 को इसका निष्पादन**

| क्र. स. | क्षेत्र | स्वीकृति की तिथि | प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में) | स्वीकृति क्षमता (मेगावाट में) | सृजित/निष्पादित क्षमता (मेगावाट में) | अप्राप्त क्षमता (मेगावाट में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)-(6) |
| क. | आवासीय क्षेत्र/निजी संस्थागत के लिए | 11 मार्च 2021 | 1 | 1 | 0.81 | 0.19 |
| ख. | सरकारी क्षेत्र के लिए | 20 अप्रैल 2018 | 20 | 20 | 15.53 | 4.47 |
| | | 07 फरवरी 2019 | 45.95 | 25 | 12.44 | 12.56 |
| **कुल (क)+( ख)** | | | **66.95** | **46** | **28.78** | **17.22** |

*(**स्रोत**: ऑनलाइन पोर्टल डेटा और एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि आवासीय क्षेत्र में स्वीकृत लक्ष्य लगभग प्राप्त किए गए थे। हालांकि, सरकारी क्षेत्र के मामले में स्वीकृत क्षमता को प्राप्त/ उपयोग नहीं किया गया। 45 मेगावाट की स्वीकृति (सरकारी क्षेत्र में) के विरुद्ध, एमपीयूवीएनएल ने केवल 27.97 मेगावाट (62 प्रतिशत) निष्पादित किया।

यह भी उल्लेखनीय है कि एमपीयूवीएनएल द्वारा एमएनआरई को भेजे गए 46 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव स्वयं अपनी ओर से कार्यान्वयन की तैयारी की पुष्टि करते हैं। लेखापरीक्षा ने कारणों का विश्लेषण किया और यह पाया कि एमएनआरई, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, संभावित लाभार्थियों का मूल्यांकन न करने के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कमी आई थी। इसके अलावा, एमपीयूवीएनएल ने सरकारी कार्यालयों को सौर रूफटॉप सिस्टम का विकल्प चुनने के लिए आमंत्रित करने के लिए विशिष्ट प्रयास नहीं किए। यधपि, एमएनआरई ने अपने दिशानिर्देशों (मार्च 2017) में ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ चयनित भवनों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसकी प्रतिक्रिया अभिलेखों में नहीं मिली। इससे पता चलता है कि एमपीयूवीएनएल ने पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना स्वीकृति प्राप्त की और स्वीकृत मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए। परिणामस्वरूप, ग्रिड से जुड़े 17.22 मेगावाट सौर रूफटॉप स्थापित नहीं किए जा सके और कम लक्ष्य प्राप्त किया गया।

### 2.3.4.3 ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मुद्दे

एमपीयूवीएनएल ने कैपेक्स[77] और रेस्को[78] मॉडल के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप परियोजनाओं को स्थापित किया। परियोजनाओं को एमएनआरई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 50 किलोवाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली 22.33 मेगावाट की 133 परियोजनाओं में से, 13.62 मेगावाट की 65 परियोजनाओं[79] (48.87 प्रतिशत) का चयन किया। ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में देरी, ग्रिड कनेक्टिविटी में देरी और परियोजनाओं की कमीशनिंग तिथि की गलत रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आगे की कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

#### ए. ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में विलंब

कैपेक्स मॉडल के अंतर्गत, कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार विभिन्न कार्य आदेशों में तीन से छह माह के भीतर कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार था। रेस्को मॉडल में ठेकेदार को विद्धयुत क्रय समझौते (पीपीए) की तिथि से नौ माह के भीतर परियोजना को पूरा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने 38 कैपेक्स परियोजनाओं में से 27 में ठेकेदारों द्वारा सिस्टम की स्थापना में एक माह से 16 माह तक की देरी देखी। इसके अतिरिक्त, 27 रेस्को परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं की स्थापना में, एक माह से सात माह के बीच स्थापना में देरी हुई थी। इस देरी के परिणामस्वरूप बाद में परियोजनाओं से चालू हो सकी।

#### बी. रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के बावजूद नेट मीटरिंग की स्थापना में देरी

कैपेक्स और रेस्को[80] मोड के तहत निष्पादित परियोजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित वितरण लाइसेंसी और/या सीईए और नेट मीटरिंग प्रावधानों के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं की मीटरिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, अंतिम रूप दिए गए आरएफपी की शर्तों के अनुसार, नोडल एजेंसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकती है; हालांकि, पूरी जिम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि 65 परियोजनाओं में से चयनित 62[81] में नेट मीटर की स्थापना और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्थापना के बाद भी सिस्टम निष्क्रिय रहा। सिस्टम की निष्क्रिय अवधि एक माह से 46 माह (नेट मीटर स्थापना तिथि तक) के बीच थी। नेट मीटर की अनुपलब्धता के कारण 62 में से 34 परियोजनाओं, पांच से लेकर 46 माह तक निष्क्रिय रहीं। इस तरह की देरी का मुख्य कारण लाभार्थी, ठेकेदार

---

77 कैपेक्स का अर्थ पूंजीगत व्यय है। इस मॉडल में, अग्रिम पूंजी निवेश उपभोक्ता से आता है जो छत का मालिक है। उपभोक्ता एक सौर परियोजना डेवलपर को काम पर रखता है, जो संपूर्ण सौर ऊर्जा प्रणाली की टर्नकी स्थापना प्रदान करता है और स्थापना के बाद संपूर्ण सौर ऊर्जा प्रणाली उपभोक्ता को सौंप दी जाती है।

78 रेस्को का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी है। इसका मतलब यह है कि जहां बिजली उत्पादक ने खरीदार के स्वामित्व वाले/उपयोग किए गए परिसर में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की और पारस्परिक व्यवस्था या प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित टैरिफ पर 25 परिचालन वर्षों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए खरीदार के साथ पीपीए में प्रवेश किया।

79 रेस्को मोड के तहत 28 परियोजनाएं और कैपेक्स मोड के तहत 37 परियोजनाएं।

80 इस मोड में, डेवलपर परियोजना को स्वयं निष्पादित करता है और सब्सिडी के बाद लागत वहन करता है। लाभार्थी परियोजनाओं की स्थापना के लिए छत /भूमि प्रदान करता है। प्रतिस्पर्धी टैरिफ दरों के आधार पर डेवलपर और लाभार्थी के बीच बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

81 रेस्को मोड के तहत 26 परियोजनाएं और कैपेक्स मोड के तहत 36 परियोजनाएं।

और एमपीयूवीएनएल के बीच नेट मीटरिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समन्वय की कमी थी, जबकि अनुबंध में उल्लिखित स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, कि इसको ठेकेदार द्वारा किया जाना था।

इस प्रकार, ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने में देरी और नेट मीटर स्थापित करने में विफलता के कारण, सिस्टम निष्क्रिय रहे और उस निष्क्रिय अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप 11.30 एमयू विद्युत की उत्पादन हानि हुई (एक दिन के लिए, चार यूनिट प्रति किलोवाट की दर से परिकलित)।

### *सी. एमएनआरई पोर्टल में परियोजनाओं के चालू होने के विवरण की गलत रिपोर्टिंग*

ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप संयंत्रों को चालू करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी (एमपीयूवीएनएल) को एमएनआरई के ऑनलाइन पोर्टल में सौर फोटोवोल्टिक इन्स्टालेशन की परियोजनावार विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन पोर्टल से जानकारी के आधार पर केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल में प्रदान किए गए अभिलेख और जानकारी की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 65 परियोजनाओं में से, 51[82] परियोजनाओं के मामले में कमीशनिंग की तिथि गलत दर्ज की गई थी। ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज कमीशनिंग तिथि और परियोजनाओं की वास्तविक कमीशनिंग तिथि में एक माह से 46 माह तक का अंतर था। परियोजना की कमीशनिंग तिथि के स्थान पर, बिना मीटर और ग्रिड कनेक्टिविटी के सिस्टम इंस्टॉलेशन की तिथि दी की गई थी, जो एमएनआरई दिशानिर्देशों और पीपीए/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार नहीं थी। 51 परियोजनाओं की कमीशनिंग में देरी हुई, जो ऑनलाइन पोर्टल में परिलक्षित नहीं हुई।

### *डी. केंद्रीय वित्तीय सहायता का न मिलना/ देरी से प्राप्त होना*

एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के खंड 6.2 में कहा गया है कि एमएनआरई बेंचमार्क लागत के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह वित्तीय सहायता एमएनआरई द्वारा प्रत्येक वर्ष या अर्धवार्षिक आधार पर निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार थी। वर्तमान वित्तीय सहायता ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की बेंचमार्क लागत का 30 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, निधि जारी करने के संबंध में, खंड 12.0 में कहा गया है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के समय पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और सेवा शुल्क का 30 प्रतिशत तक जारी किया जाएगा। इस अग्रिम सीएफए को जारी कराने का विकल्प एमपीयूवीएनएल के पास था।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक स्वीकृत रूफटॉप योजनाओं की स्वीकृति के विरुद्ध सीएफए का विवरण नीचे **तालिका 2.3.5** में दर्शाया गया है:

[82] रेस्को मोड के तहत 18 परियोजनाएं और कैपेक्स मोड के तहत 33 परियोजनाएं।

**तालिका 2.3.5: वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक रूफटॉप योजनाओं की स्वीकृतियों के विरुद्ध सीएफए का विवरण**

| क्र. सं. | स्वीकृति तिथि | पूर्ण होने की तिथि | स्वीकृति क्षमता (मेगावाट में) | पात्र सीएफए (₹ करोड़ में) | पात्र अग्रिम सीएफए (पात्र सीएफए का 30% | अग्रिम की प्राप्ति की तिथि | पोर्टल पर पूर्णता अभिलेख प्रस्तुत करने का माह | पोर्टल पर प्रस्तुत करने में देरी | जारी किए गए सीएफए की राशि | सीएफए जारी करने की तिथि | सीएफए की प्राप्ति में विलंब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)*30% | (7) | (8) | (9) =(8)-(3) | (10) | (11) | (12) =(11)-(3) |
| **आवासीय क्षेत्र/निजी संस्थागत के लिए** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 07 सितंबर 18 | 30 नवम्बर 19 | 3 | 4.89 | 1.47 | प्राप्त नहीं हुआ | 06 अक्टूबर 20 | 11 माह | 4.57 | 27 मार्च 21 | 15 माह |
| 2 | 07 सितंबर 18[83] | 02 नवम्बर 19 | 1 | 1.17 | 0.35 | प्राप्त नहीं हुआ | 29 सितंबर 22 | 34 माह | 1.17 | 19 अक्टूबर 22 | 34 माह |
| **सरकारी क्षेत्र के लिए** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 20 अप्रैल 18 | 29 जून 19 | 20 | 21.83 | लागू नहीं | लागू नहीं | 10 नवम्बर 20 | 17 माह | 18.21 | 25 फ़रवरी 21 | 19 माह |
| 4 | 07 फरवरी 19 | 23 नवम्बर 20 | 25 | 16.64 | लागू नहीं | लागू नहीं | 30 मई 22 | 18 माह | -- | प्राप्त नहीं हुआ | 28 माह[84] |
| **योग** | | | **49** | **44.53** | **1.82** | **--** | **--** | **--** | **23.95** | **--** | **--** |

*(**स्रोत:** ऑनलाइन पोर्टल डेटा और एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त रूफटॉप योजनाओं के विरुद्ध सीएफए की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा:

### *i. अग्रिम सीएफए प्राप्त करने के अवसर का लाभ न उठाना*

एमपीयूवीएनएल ने योजना में उपलब्ध प्रावधानों के बावजूद दो रूफटॉप स्वीकृतियों (3 मेगावाट और 1 मेगावाट) को लागू करने के लिए सीएफए के अग्रिम जारी करने के लिए एमएनआरई को दावा प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ के अग्रिम सीएफए पाने के अवसर से वंचित रहा।

### *ii. सीएफए की कम प्राप्ति*

एमपीयूवीएनएल को रूफ-टॉप योजनाओं की चार स्वीकृतियों में ₹ 44.53 करोड़ के पात्र सीएफए के विरुद्ध ₹ 23.95 करोड़ प्राप्त हुए, और 28 माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद एमएनआरई, भारत सरकार से ₹ 20.58 करोड़ का सीएफए प्राप्त नहीं किया जा सका। उपलब्ध अभिलेखों में एमपीयूएनएल द्वारा एमएनआरई से लंबित सीएफए को आश्वस्त करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास का उल्लेख नहीं है।

[83] सितंबर 2018 में जारी 3 मेगावाट की मूल मंजूरी के मुकाबले मार्च 2021 में अतिरिक्त 1 मेगावाट क्षमता की पूर्वव्यापी मंजूरी प्राप्त की गई।

[84] मार्च 2023 तक।

### iii. सीएफए की प्राप्ति में विलंब

यह भी देखा जा सकता है कि 3 मेगावाट, 1 मेगावाट और 20 मेगावाट की स्वीकृति के संबंध में ₹ 23.95 करोड़ का सीएफए प्राप्त करने में देरी हुई थी। सीएफए की प्राप्ति में कार्यपूर्णता तिथि से क्रमशः15, 28 और 19 माह का विलंब हुआ। चूंकि सीएफए की प्राप्ति एमएनआरई द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने और एमएनआरई की शंकाओं, यदि कोई हो तो और उसके समाधान/अनुपालन पर निर्भर करती है तो एमपीयूवीएनएल को इसका पालन करना आवश्यक था। हालांकि, सभी स्वीकृतियों के मामले में 11 से 34 माह में ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने/अपलोड करने में एमपीयूवीएनएल की विफलता के कारण, सीएफए की प्राप्ति में देरी हुई। इस संबंध में पत्राचार और देरी के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।

## ई. उपयोगकर्ता के हिस्सेदारी की वसूली न होना

एमएनआरई, भारत सरकार और राज्य सरकार, सरकारी संस्थानों/विभागों की सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए सीएफए क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी की सुविधा प्रदान करते हैं। शेष 50 प्रतिशत, परियोजना लागत के पांच प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के साथ, उपयोगकर्ता के हिस्से के रूप में कार्य आवंटन देने से पूर्व लाभार्थी द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ[85] सरकारी संस्थानों के मामले में, एमपीयूवीएनएल सौर रूफटॉप प्रणाली के चालू होने से चार वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद भी ₹ 3.32 करोड़ (31 मार्च 2023) के शेष उपयोगकर्ता हिस्से की वसूली नहीं कर सका। एमपीयूवीएनएल संबंधित विभाग से राशि वसूल करने में भी विफल रहा।

इसके अलावा, एमपीयूवीएनएल, जो कि सरकारी संस्थानों के रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक राज्य प्रमुख संस्था है, ने उपयोगकर्ता के हिस्से को अग्रिम रूप से प्राप्त करने की शर्त को शिथिल कर दिया (18 सितंबर 2015) और इसके स्थान पर लाभार्थी विभाग से सहमति लेना आवश्यक किया इस प्रत्याशा से कि उपयोगकर्ता के हिस्से की आवश्यक राशि नियत समय में प्राप्त हो जाएगी।

## एफ़. सौर रूफटॉप सिस्टम के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान देखे गए मुद्दे

एमपीयूवीएनएल ने 2015-16 से 2022-23 के दौरान 3,592 सोलर रूफटॉप सिस्टम (1,467 ऑफ-ग्रिड और 2,125 ग्रिड-कनेक्टेड) स्थापित किए। लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए 2015-16 से 2022-23 की अवधि को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इन कार्यों की स्वीकृति में पांच वर्षीय संचालन एवं संधारण की अवधि भी सम्मिलित थी।

लाभार्थियों के सर्वेक्षण[86] के लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) डेटा एक्सेस किया गया और समीक्षा की गई। इसके अलावा, 4.99 किलोवाट क्षमता तक की चयनित 15 परियोजनाओं में, जहां आरएमएस सक्रिय नहीं

---

85 सीईओ जिला पंचायत-बालाघाट, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन-आईएसबीटी और वीआईपी रोड प्रोजेक्ट, रामकृष्ण विद्या मंदिर-ग्वालियर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड- विजयपुर, उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र-ग्वालियर, कृषि उपज मंडी समिति-सीहोर, कृषि उपज मंडी समिति-बरेली।

86 लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण के लिए 50 लाभार्थियों (13 ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं और 37 ग्रिड परियोजनाएं) का चयन स्ट्रेटीफाईड रैनडम सेंपलिंग पद्धति के आधार पर किया गया था।

था उनको लाभार्थियों के साथ वैकल्पिक तरीकों[87] के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान, निम्नलिखित अवलोकन किए गए।

#### *i. ऑफ-ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) की स्थापना न होना*

प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) के अनुच्छेद 3.21 के अनुसार, "ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि 5 किलोवाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली सभी परियोजनाएं पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) सक्षम हों। ऐसे स्काडा-सक्षम परियोजनाओं से प्राप्त डेटा की निगरानी या विश्लेषण एमपीयूवीएनएल द्वारा दूर से किया जाएगा ताकि प्रदर्शन का वांछित स्तर सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, 5 किलोवाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली पांच चयनित ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं में से कोई भी स्काडा/आरएमएस सक्षम नहीं थीं।

#### *ii. ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम में नेट मीटर की स्थापना न होना*

5 किलोवाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली 30 ग्रिड से जुड़ी चयनित परियोजनाओं में यह देखा गया कि दो परियोजनाओं के मामले में सिस्टम चालू होने की तिथि (20 सितंबर 2018 और 23 जून 2019) से चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नेट मीटरिंग सक्रिय नहीं की गई थी।

#### *iii. ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम में स्थापित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) का कार्य न करना*

5 किलोवाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली 30 ग्रिड से जुड़ी चयनित परियोजनाओं में से, स्काडा /आरएमएस प्रणाली तीन परियोजनाओं में काम नहीं कर रही थी।

#### *iv. ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम में जहां आरएमएस काम कर रहा था वहाँ उत्पादन डेटा उपलब्ध न होना*

5 किलोवाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली 30 ग्रिड से जुड़ी चयनित परियोजनाओं में से, छह परियोजनाओं के मामले में, आरएमएस पोर्टल पर उत्पादन डेटा उपलब्ध नहीं था।

परिणामस्वरूप, एमपीयूवीएनएल द्वारा अपेक्षित स्तर के प्रदर्शन की निगरानी/सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### जी. सेवा शुल्क की प्राप्ति/दावा न करना

ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप सिस्टम के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.4 के अनुसार, योजना को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण केंद्रीय वित्तीय सहायता का 3 प्रतिशत तक सेवा शुल्क कार्यान्वयन संस्था को स्वीकार्य होगा। अक्टूबर 2017 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान निष्पादन के लिए स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध एमएनआरई, भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृतियों और इसके पात्र सेवा शुल्क का विवरण नीचे **तालिका 2.3.6** में दर्शाया गया है:

[87] एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थियों के संपर्क नंबरों के माध्यम से।

**तालिका 2.3.6: अक्टूबर 2017 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान एमएनआरई से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के विरुद्ध पात्र सेवा शुल्क का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | स्वीकृति तिथि | स्वीकृति क्षमता (मेगावाट में) | जारी किए गए सीएफए की राशि | सीएफए जारी करने की तिथि | पात्र सेवा शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 07 सितंबर 2018 | 3 | 4,56,65,454 | 27 मार्च 2021 | 13,69,963 |
| 2 | 11 मार्च 2021 | 1 | 1,16,64,071 | 19 अक्टूबर 2022 | 3,49,922 |
| 3 | 20 अप्रैल 2018 | 20 | 18,20,81,690 | 25 फरवरी 2021 | 54,62,450 |
| 4 | 07 फरवरी 2019 | 25 | -- | प्राप्त नहीं हुआ | 0 |
| **योग** | | **49** | -- | -- | **71,82,336** |

*(**स्रोत**: ऑनलाइन पोर्टल डेटा और एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

इस संबंध में, यह देखा गया कि दिशानिर्देशों के कथित प्रावधान के अनुसार, एमपीयूवीएनएल ने एमएनआरई से न तो ₹ 71.82 लाख का सेवा शुल्क प्राप्त किया और न ही दावा किया गया।

### 2.3.5 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कमियां

रूफ-टॉप सौर योजनाओं के अलावा, एमपीयूवीएनएल द्वारा अन्य योजनाएं और कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे थे, जैसे कि मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सोलर सिटी प्रोजेक्ट, सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम, उन्नत ज्योति योजना और विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम आदि। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर चर्चा नीचे की गई है:

#### *2.3.5.1 मुख्यमंत्री सौर पंप योजना का अपर्याप्त कार्यान्वयन*

एमएनआरई, भारत सरकार ने (30 जून 2017 और 10 नवंबर 2017 को) मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री सौर पंप योजना (योजना) के तहत क्रमश: 9,000 और 5,000 सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय वित्तीय सहायता 20-30 प्रतिशत की सीमा में थी और राज्य का हिस्सा सौर पंपों की क्षमता के आधार पर 60 से 65 प्रतिशत की सीमा में था।

लेखापरीक्षा ने योजना के निष्पादन का विश्लेषण योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया और इसमें देखी गई कमियों पर आगे की कंडिकाओ में चर्चा की गई है:

##### i. *लाभार्थियों से हिस्सेदारी का अधिक/ कम संग्रहण*

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (04 मार्च 2017) में यह निर्धारित किया गया था कि जिन पंपों की क्षमता 3 एचपी तक और 3 एचपी से 5 एचपी तक होगी उसमें लाभार्थियों की हिस्सेदारी उन पंपों की लागत का क्रमशः 10 और 15 प्रतिशत होगी। हालांकि, यह देखा गया कि मार्च 2019 तक, एमपीयूवीएनएल ने कुल 14,000 लाभार्थियों में से 13,988 लाभार्थियों से अधिक/ कम हिस्सा संग्रह किया था, जैसा कि **तालिका 2.3.7** में संक्षेप में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.3.7: योजना के कार्यान्वयन के दौरान लाभार्थियों से संग्रह की गई अधिक/कम हिस्सेदारी**

**(राशि ₹ में)**

| पंप का प्रकार | पंपों की संख्या | पंप की लागत | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी हिस्सेदारी (लागत के 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से) | लाभार्थियों से हिस्सेदारी का वास्तविक संग्रह | प्रत्येक पंप को साझा करने के लिए अतिरिक्त/(कम) संग्रह | हिस्सेदारी का अधिक संग्रह | हिस्सेदारी का कम संग्रहण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)= (5-4) | (7)=(2*6) | (8) =(2*6) |
| 1 एचपी डीसी | 198 | 1,64,000 | 16,400 | 18,600 | 2,200 | 4,35,600 | -- |
| 2 एचपी सतह | 318 | 1,98,500 | 19,850 | 22,500 | 2,650 | 8,42,700 | - |
| 2 एचपी डीसी | 1,089 | 2,18,990 | 21,899 | 25,000 | 3,101 | 33,76,989 | - |
| 3 एचपी डीसी | 4,747 | 3,19,000 | 47,850 | 36,150 | (11,700) | -- | (5,55,39,900) |
| 5 एचपी एसी | 4,826 | 3,85,000 | 57,750 | 72,100 | 14,350 | 6,92,53,100 | - |
| 5 एचपी डीसी | 2,810 | 4,24,000 | 63,600 | 72,100 | 8,500 | 2,38,85,000 | - |
| **योग** | **13,988** | -- | -- | -- | -- | **9,77,93,389** | **(5,55,39,900)** |

*(**स्रोत**: एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)*

परिणामस्वरूप, एक तरफ, एमपीयूवीएनएल ने 1 एचपी, 2 एचपी और 5 एचपी सौर कृषि पंपों के लाभार्थियों से ₹ 9.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि एकत्र की थी और दूसरी तरफ 3 एचपी सौर कृषि पंपों के लाभार्थियों से ₹ 5.55 करोड़ की कम राशि संग्रह की थी। सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थी से संग्रह किए गए हिस्से की गणना/ औचित्य को अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

### *ii. सौर ऊर्जा का पूर्ण उपयोग न किया जाना*

योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया कि सौर पंपों में स्थापित सौर पैनल एक वर्ष में औसतन 330 दिनों के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी, कृषि उद्देश्यों के लिए केवल 100-120 दिनों[88] के लिए पंपिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सौर पंप संचालन समिति (एसपीएससी) को सौर पैनल द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक साइट अनूरूप प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने की आवश्यकता थी। इसे "यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर" (यूएसपीसी) का उपयोग करके हल किया जा सकता था, जिसके माध्यम से किसान अन्य गतिविधियों जैसे कि चाफ कटर, आटा मिल, कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर, बैटरी चार्ज करने आदि के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

जबकि, उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा का दोहन करने के लिए साइट अनूरूप प्रस्तावों को न तो तैयार किया गया था और न ही एमपीयूवीएनएल द्वारा विचार के लिए एसपीएससी को प्रस्तुत किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 490.15 करोड़ की लागत से स्थापित 14,000 सौर पंपों का उपयोग, किसानों द्वारा अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका और योजना दिशानिर्देशों का पालन न होने के साथ उन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने से वंचित होना पड़ा।

[88] मध्य प्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 4 मार्च 2017 के अनुसार, कृषि उद्देश्यों के लिए 100-120 दिनों के लिए सौर पंप के उपयोग के बाद, वर्ष के शेष दिनों के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

### 2.3.5.2 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएमकुसुम) का निष्पादन

एमएनआरई, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई को एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को समाप्त करने के लिए, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) प्रारम्भ की (08 मार्च 2019)। इस संबंध में, निम्नलिखित तीन घटकों को लागू किया गया था जो कि 22 जुलाई 2019 से प्रभावी थे :

- ❖ घटक-ए: भूमि पर स्थापित ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना;
- ❖ घटक-बी: स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना; तथा
- ❖ घटक-सी: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण।

लेखापरीक्षा ने 22 जुलाई 2019 के दिशानिर्देशों के अनुरूप पीएम-कुसुम योजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया और घटकों ए, बी और सी के कार्यान्वयन में कमियों को पाया, जिन पर आगामी कंडिका में चर्चा की गई है।

#### ए. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के घटक ए के क्रियान्वयन में कमियाँ

योजना के घटक ए मे यह प्रावधान किया गया है कि राज्य कार्यान्वयन संस्था, अर्थात् एमपीयूवीएनएल, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक (आरपीजी) से उप-स्टेशन-वार एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित करेगा। परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) को आवंटन पत्र (एलओए) की तिथि से दो माह के भीतर हस्ताक्षर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, एमपीयूवीएनएल योजना को लागू करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, डिस्कॉम और किसानों के साथ समन्वय करेगा। वह किसानों की परियोजना विकास गतिविधियों में भी सहायता करेगा, जिसमें डीपीआर और पीपीए /ईपीसी अनुबंध तैयार करना, वित्तीय संस्थानों से निधि प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमएनआरई, भारत सरकार ने 500 मेगावाट के लक्ष्य को स्वीकृति दी है। हालांकि, स्वीकृति के परिपेक्ष मे, एमपीयूवीएनएल ने केवल चार आरएफपी (05 दिसम्बर 2020, 18 मई 2021, 30 जुलाई 2021 और 28 फरवरी 2022 पर) जारी किए जिनकी संयुक्त क्षमता 500 मेगावाट थी। इन आरएफपी के प्रतिक्रिया स्वरूप, एमपीयूवीएनएल ने मात्र 345.08[89] मेगावाट के चार एलओए जारी किए। हालांकि, इन 345.08 मेगावाट एलओए में से मार्च 2023 तक 98.78 मेगावाट पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, एमपीयूवीएनएल ने चयन प्रक्रिया को आरएफपी से ऑनलाइन वॉक-इन पंजीकरण (समाचार पत्रों में ईओआई आमंत्रित करके) में बदल दिया और 31 मार्च 2023 को 31.67 मेगावाट क्षमता के लिए एलओए जारी किये।

इस संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

##### i. कुसुम योजना के घटक ए के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

कुसुम-ए घटक के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास 500 मेगावाट के लक्ष्य से बहुत पीछे था। 31 मार्च 2023 तक, केवल 98.78 मेगावाट पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके विरुद्ध, 3 मेगावाट क्षमता

[89] 31.63 मेगावाट (24.08.21), 43.5 मेगावाट (24.08.21), 220.45 मेगावाट (09.11.21) और 49.5 मेगावाट (19.05.22)

(हस्ताक्षरित पीपीए का 3 प्रतिशत) की केवल दो परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जो कि एमएनआरई, भारत सरकार के द्वारा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का 1 प्रतिशत से कम थी।

परियोजना की कमीशनिंग में देरी/कमीशनिंग न होने के पीछे मुख्य कारण, भुगतान की सुरक्षा के लिए, आरपीजी और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.मै.कं.लि.) के बीच एस्क्रो खाता खोलने के निर्णय में देरी थी। एस्क्रो खाते को खोलने में इस देरी के परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाई हुई। 31 मार्च 2023 तक निष्पादित ऋण का वितरण और एस्क्रो खाता खोलना, केवल 13.13 मेगावाट परियोजनाओं के लिए किया गया था, जो की उस तिथि तक कुल हस्ताक्षरित पीपीए 98.78 मेगावाट, अर्थात अब तक के लगभग 13 प्रतिशत वित्त की व्यवस्था के बराबर था। एस्क्रो खाता नहीं खोलने के परिणामस्वरूप, आरपीजी और एमपीपीएमसीएल के बीच हस्ताक्षरित दिशानिर्देशों और पीपीए द्वारा अनिवार्य 43.53 मेगावाट की 27 परियोजनाओं के कमीशनिंग के लिए नौ माह की समय सीमा समाप्त हो गई।

#### *ii. प्रशासनिक प्रभार का गलत आरोपण*

कुसुम-ए के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्यान्वयन संस्था अर्थात एमपीयूवीएनएल द्वारा आरपीजी पर लगाए जाने वाले प्रशासनिक प्रभार का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, एमपीयूवीएनएल ने एमएनआरई, भारत सरकार के योजना दिशानिर्देशों के विपरीत ₹ 2.08 करोड़ के प्रशासनिक प्रभार (एक प्रतिशत की दर से) लगाए, जिसके परिणामस्वरूप आरएफपी 1 और 2 से चयनित संभावित आरपीजी पर परिहार्य अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। हालांकि, एमएनआरई के निर्देश के बाद, एमपीयूवीएनएल ने तीसरे आरएफपी से हटा दिया।

#### *iii. पीपीए के लिए असमन्वय*

चूंकि, पीपीए को आरपीजी और एमपीपीएमसीएल के बीच हस्ताक्षर किए जाना था, इसलिए एमपीपीएमसीएल द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत की प्रशासनिक स्वीकृति 05 सितम्बर 2022 तक 100 मेगावाट के लिए थी। हालांकि, राज्य में एमएनआरई, भारत सरकार का लक्ष्य 500 मेगावाट था, जो इंगित करता है कि कुसुम योजना घटक ए के लिए एमएनआरई के लक्ष्य की उपलब्धि के संबंध में राज्य एजेंसियों के बीच कोई उचित समन्वय नहीं था।

### *बी. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के घटक बी के निष्पादन में कमियाँ*

कुसुम योजना के घटक बी के तहत, उन क्षेत्रों में जहाँ बिजली ग्रिड की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, व्यक्तिगत किसानों को मौजूदा डीज़ल कृषि पंपों के स्थान पर स्वतंत्र सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्र सोलर पंप की लागत का 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगी। राज्य सरकार 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी और शेष 40 प्रतिशत किसान प्रदान करेगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार मार्च 2024 तक 2,00,000 सौर पंप अर्थात 50,000 सौर पंप प्रति वर्ष स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस योजना के क्रियान्वयन मे निष्पादन में कमियों पर अगली कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

#### *i. स्थापना लक्ष्यों की प्राप्ति न होना*

वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा प्राप्त चरण वार स्वीकृतियों का विवरण, कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना के लिए एमपीयूवीएनएल के साथ पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों और सौर पंपों की वास्तविक स्थापना का सारांश नीचे **तालिका 2.3.8** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.3.8: 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए एमएनआरई द्वारा प्राप्त चरण-वार स्वीकृतियों का विवरण**

| स्वीकृति की तिथि | एमएनआरई द्वारा स्वीकृत (संख्या में) | एमपीयूवीएनएल के साथ पंजीकृत लाभार्थी (संख्या में) | वास्तविक स्थापना (संख्या में) | स्वीकृति से संबंधित कम स्थापना (संख्या में) | पंजीकृत लाभार्थियों से संबंधित कम स्थापना (संख्या में) | स्वीकृति से संबंधित उपलब्धि (प्रतिशत में) | पंजीकृत लाभार्थियों से संबंधित उपलब्धि (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)-(4) | (6)= (3)-(4) | (7)= (4)/(2)*100 | (8)= (4)/(3)*100 |
| 03 अक्टूबर 2019 | 25,000 | 21,000 | 6,787 | 18,213 | 14,213 | 27.14 | 32.31 |
| 25 अगस्त 2020 | 50,000 | 43,500 | 334 | 49,666 | 43,166 | 0.66 | 0.76 |
| **योग** | **75,000** | **64,500** | **7,121** | **67,879** | **57,379** | **9.49** | **11.04** |

*(**स्रोत**: एमपीयूवीएनएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी/अभिलेख)*

यह देखा जा सकता है कि एमएनआरई द्वारा प्राप्त स्वीकृति और एमपीयूवीएनएल के साथ पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों की तुलना में केवल 9.49 और 11.04 प्रतिशत सौर पंप स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 7.21 प्रतिशत[90] सौर पंप स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने लक्ष्य की मामूली उपलब्धि के कारणों का विश्लेषण किया और उनमें निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

### *ii. सीएफए और लाभार्थी हिस्सेदारी का उपयोग न किया जाना*

पहले चरण (03 अक्टूबर 2019) के तहत, जबकि एमपीयूवीएनएल के पास किसानों का ₹ 133.48 करोड़ का हिस्सा उपलब्ध था, राज्य सरकार की आवश्यक हिस्सेदारी को जारी न करने से कुसुम योजना के तहत 25,000 सौर पंपों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 6,787 सौर पंप स्थापित किए जा सके। कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुमानित निधियों का विवरण निम्नलिखित **तालिका 2.3.9** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.3.9: पहले चरण के तहत आवश्यक निधि और सीएफए की बकाया राशि का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | आवश्यक निधि | प्राप्त राशि | बकाया |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)=(3)-(4)** |
| 1. | भारत सरकार | 152.12 | 71.07 | 81.05 |
| 2. | राज्य सरकार | 263.36 | 63.19 | 200.17 |
| 3. | लाभार्थियों का हिस्सा | 133.48 | 133.48 | 0 |
| **कुल** | | **548.96** | **267.74** | **281.22** |

*(**स्रोत**: सूचना/अभिलेख से संकलित डेटा)*

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए कृषि पंपों के सौरकरण के लिए ₹ 263.36 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 250.00 करोड़ जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, वास्तव में केवल ₹ 63.19 करोड़[91] ही राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने शेष ₹ 200.17 करोड़ जारी नहीं किए थे, इसलिए एमपीयूवीएनएल, एमएनआरई द्वारा जारी किए गए ₹ 71.07 करोड़ के पूरे सीएफए का उपयोग

[90] 7,121 *100/1,00,000

[91] चरण-II-₹ 60.03 करोड़ + चरण-II-₹-3.16 करोड़।

नहीं कर सका और इसे ₹ 29.19 करोड़ के सीएफए को वापस करना पड़ा। लाभार्थी के ₹ 95.74 करोड़ हिस्से का भी उपयोग नहीं किया जा सका।

**iii.** कुसुम के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि किसानों को यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर (यूएसपीसी) चुनने का विकल्प होगा, क्योंकि सोलर पंपों का उपयोग वर्ष में केवल 150 दिनों के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यूएसपीसी का उपयोग करके सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसान अन्य गतिविधियों जैसे कि चारा काटने की मशीन, आटा चक्की, कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर, बैटरी चार्ज करना आदि जैसे के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

हालांकि, एमपीयूवीएनएल द्वारा किसानों को यूएसपीसी की स्थापना का विकल्प प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 7,121 सौर पंप जो कि ₹ 144.21 करोड़[92] की लागत से स्थापित किए गए थे का उपयोग किसानों द्वारा अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका और उन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के अवसर से वंचित होना पड़ा। यूएसपीसी की स्थापना पर लागत के प्रभाव का विश्लेषण और विकल्प प्रदान नहीं करने के कारण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं पाए गए।

**iv.** एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुछेद 12 में यह निर्धारित किया गया था कि एमपीयूवीएनएल को योजना के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय पर वर्षवार उपयोगिता प्रमाणपत्र और एक लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। हालांकि, एमपीयूवीएनएल ने योजना के चरण 1 और 2 के कार्यान्वयन के दौरान इस प्रावधान का पालन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि चरण 1 और 2 मे एमएनआरई को वार्षिक रूप से उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित विवरण नहीं भेजे गए। हालांकि, एमपीयूवीएनएल ने चरण 1 पूरा होने के बाद (मार्च 2022) में उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन चरण 2 के लिए अभी तक (मार्च 2023) कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार, जबकि केंद्रीय वित्तीय सहायता और किसानो की अंशदान उपलब्ध था, राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 2,00,000 पंपों के लक्ष्य की तुलना में केवल 7,121 पंप ही स्थापित किए जा सके।

### *सी. सौर पंपों पर आरएमएस न लगाया जाना*

एमपीयूवीएनएल ने जून 2023 तक कुल 20,886[93] सौर कृषि पंप स्थापित किए थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण के लिए 102 लाभार्थियों का चयन किया था। इसमें से, दो लाभार्थी की पंप की क्षमता 10 हॉर्सपावर थी और 100 लाभार्थियों की पंप की क्षमता 1 से 7.5 हॉर्सपावर के बीच थी।

लाभार्थियों का सर्वे एमपीयूवीएनएल द्वारा लाभार्थियों के परिसर में स्थापित सौर प्रणालियों से जुड़े रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) की सहायता से किया गया था। लेखापरीक्षा मे यह पाया गया कि 45 सौर पम्पों पर आरएमएस नहीं लगाया गया था। यह योजना के तहत जारी कार्य आदेश के पैरा 1(9) और कुसुम योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि एमपीयूवीएनएल को स्थापना के बाद प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी हेतु आरएमएस अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

---

92 चरण-1 ₹ 137.77 करोड़ और चरण-2 ₹ 6.44 करोड़।

93 14,000-मुख्य मंत्री सौर पंप योजना, 6,787 (चरण-I) और 99 (चरण-II) कुसुम-बी के तहत।

### डी. सौर कृषि पंपों के संचालन में विफलता के संबंध में लाभार्थियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निवारण में देरी

सौर कृषि पंप स्थापित करने के बाद, यदि पंप ठीक से कार्य नहीं करता है, तो संबंधित लाभार्थी को सौर जल पंपिंग स्टेशन (एसडब्ल्यूपीएस) पर प्रदर्शित टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यदि शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो एक अंतिम उपाय राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि राज्य लोक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करती है और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करती है।

इस संबंध में, यह देखा गया कि सौर कृषि पंपों के संचालन में विफलता/क्षति आदि से संबन्धित शिकायतों पर एमपीयूवीएनएल के जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारियों (डीआरईओ) द्वारा समय पर नहीं निपटाया गया। सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज शिकायतों में से चयनित 11 डीआरईओ में (**परिशिष्ट 2.3.1**) की जांच से पता चला कि शिकायतों के निवारण में 32 से 1,319 दिनों का समय लगा। इस शिकायत निराकरण में देरी परिणामस्वरूप, लाभार्थी निर्धारित समय पर सौर कृषि पंप सुविधा के उपयोग से वंचित रहे।

### 2.3.5.3 कुसुम योजना के घटक सी के क्रियान्वयन मे कामियां

कुसुम योजना के घटक सी के तहत, कृषि फीडर को पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मोड या नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मोड के माध्यम से सौरकरण किया गया। रेस्को मोड में, डेवलपर्स का चयन, 25 वर्षों के लिए आवश्यक सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पेश किए गए सबसे कम टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर किया जाना था। उन्हें सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की लागत के 30 प्रतिशत की दर से सीएफए मिलना था।

इस संबंध में, एमपीयूवीएनएल द्वारा रेस्को मोड के माध्यम से तीन आरएफपी जारी किए गए, जिनमे प्रत्येक में 1,250/1,110 मेगावाट क्षमता के फीडर सौरकरण को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 2,70,000[94] पंपों की स्थापना भी सम्मिलित थी। इन निविदाओं का सारांश नीचे **तालिका 2.3.10** में दर्शाया गया है :

**तालिका 2.3.10: पंपों के सोलराइजेशन के संबंध में बोलीदाताओं का विवरण**

| आरएफपी संख्या/दिनांक | आरएफपी की क्षमता (मेगा वॉट मे ) | बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दर | | एलओए का जारी किया जाना | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बोलीदाताओं की संख्या | लगाई गई बोली (मेगा वॉट मे ) | दिनांक | बोलीदाताओं की संख्या | लगाई गई बोली (मेगा वॉट मे ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 649/ 05 मई 2022 | 1,250 | 16 | 87.20 | 13 सितम्बर 2022 | 2 | 8 |
| 2151/ 20 जुलाई 2022 | 1,250 | 28 | 152.10 | 21मार्च 2023 | 22 | 126.40 |
| 4872/ 10 जनवरी 2023 | 1,110 | 9 | 90.20 | 26 सितम्बर 2023 | 6 | 75 |
| **कुल** | -- | **53** | **329.50** | -- | **30** | **209.40** |

(***स्रोत**: एमपीयूवीएनएल के अभिलेखों से संकलित डेटा)*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1250/1110 मेगावाट के आरएफपी लक्ष्य के लिए प्रत्येक मामले में प्राप्त बोलियाँ अपेक्षाकृत कम थीं, जिनमें कमी का प्रतिशत 88 प्रतिशत (आरएफपी दिनांक जुलाई 2022) और 93 प्रतिशत (आरएफपी दिनांक मई 2022) तक रहा। हालांकि, विभाग ने आरएफपी में संभावित कमियों की

[94] मौजूदा 2,57,545 पंपों से 2,70,000 पंपों तक स्वीकृत मात्रा में संशोधन अभिलेखों में नहीं पाया गया।

पहचान करने और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की, जिससे एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1,250 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

एमएनआरई ने 2020-21 हेतु कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी (13 जनवरी 2021)। हालांकि, इस योजना को लागू करने की नीति राज्य सरकार द्वारा 17 माह बीतने के बाद 04 मई 2022 को निर्धारित की गई और इसके परिणामस्वरूप आरएफपी 05 मई 2022 को जारी किया गया। इसके बाद, प्राप्त कुल 329.50 मेगावाट की बोलियों के मुकाबले केवल 209.40 मेगावाट के लिए कार्यादेश जारी किए गए। इस कारण से कार्य प्रगति पर है और एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य का केवल 17 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका है।

लेखापरीक्षण में यह भी पाया गया कि एक समन्वित मंच, जिसमें एमपीयूवीएनएल, एमपीएनआरईडी, एमपीपीएमसीएल[95] और बोलीदाताओ जैसे विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित किया जाता, स्थापित नहीं किया गया था ताकि एमपीयूवीएनएल द्वारा चयनित बोलीदाताओं के साथ एमपीपीएमसीएल द्वारा समय पर विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) किया जा सके, जो कि कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत उत्पादित विद्युत क्रय से संबंधित हो। परिणामस्वरूप, जारी किए गए कुल 214.40 मेगावाट के कार्यादेशों में से मार्च 2023 तक केवल 35.90 मेगावाट[96] के लिए ही पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। इससे कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

इस प्रकार, कार्यान्वयन विधि के लिए नीति तैयार करने में हुई देरी, बंजर भूमि और सरकारी भूमि की पहचान न होना तथा विद्युत क्रय समझौते से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु एक समन्वित मंच का न बनना, इन सभी कारणों से उपर्युक्त योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

#### *2.3.5.4 सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन*

सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (सूर्यमित्र) का शुभारंभ (28 मई 2015) एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा सौर फोटोवोल्टिक तकनीशियनों को सौर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलर और सेवा प्रदाताओं में कौशल विकास प्रदान करने के लिए किया गया था।

एमपीयूवीएनएल ने वर्ष 2018-19 से पहले 11 सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और कुल 312 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। उनमें से 90 प्रतिभागियों को नियुक्ति प्राप्त हुई। वर्ष 2018-19 से एमएनआरई के निर्देशानुसार, एमपीयूवीएनएल को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करने और एमएनआरई को मूल्यांकन प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीयूवीएनएल ने न तो 2018-19 से मध्य प्रदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोई अभिलेख बनाए रखा और न ही एमएनआरई को प्रशिक्षणों के संचालन का कोई मूल्यांकन प्रस्तुत किया।

इसके परिणामस्वरूप, एमपीयूवीएनएल इस योजना की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन की निगरानी नहीं कर सका।

---

95 कुसुम सी के तहत बिजली उत्पादन को एमपीपीएमसीएल (राज्य बिजली वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी) द्वारा द्वारा चयनित बोलीदाता के साथ पीपीए के निष्पादन के माध्यम से खरीदने की आवश्यकता थी।

96 एमपीपीएमसीएल ने बोलीदाता के साथ पीपीए का निष्पादन नहीं किया है, जिसके लिए अभिलेखों पर कोई कारण नहीं मिले।

### 2.3.5.5 "उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए सस्ती एलईडी" (उजाला) योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ

भारत सरकार ने "उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए सस्ती एलईडी (उजाला) योजना" प्रारम्भ की (5 जनवरी 2015) जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च 2019 तक एलईडी बल्ब प्रदान किए जा सकें। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी, को इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इसके अंतर्गत ईईएसएल और एमपीयूवीएनएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (13 अगस्त 2015)।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 1,75,70,671 एलईडी, 4,25,013 एलईडी ट्यूब लाइट्स और 1,08,103 ऊर्जा कुशल पंखो का विक्रय किया गया और 1,69,08,551 एलईडी बल्ब, 4,14,173 एलईडी ट्यूब लाइट्स और 98,610 ऊर्जा कुशल पंखों हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमपीयूवीएनएल और ईईएसएल के बीच स्टॉक मिलान न होने के मुद्दे के कारण, ईईएसएल ने एमपीयूवीएनएल को ₹ 0.97[97] करोड़ की राशि जारी नहीं की और एमपीयूवीएनएल द्वारा भी योजना के बंद होने के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राशि की वसूली के मामले को प्रभावी रूप से कोई प्रयास नहीं किया गया।

### 2.3.5.6 विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के मुद्दे

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश के पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गांवों के विद्युतीकरण के लिए जनवरी 2009 में विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) योजना शुरू की, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं थी या आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं थी।

डीडीजी योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण को निष्पादित करने में पाई गई कमियों पर चर्चा आगे की कंडिकाओ में की गई है।

#### i. डीडीजी के तहत स्थापित स्टैंडअलोन सिस्टम की निगरानी के लिए आरईसी निर्देशों का अनुपालन न किया जाना

आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करने और निगरानी करने की आवश्यता थी कि डीडीजी के तहत स्थापित प्रणाली चालू होने के बाद पांच वर्षो तक ठीक से काम कर रही हो। उपरोक्त के अनुरूप, आरईसी ने एमपीयूवीएनएल को हर माह डीडीजी के अंतर्गत स्थापित प्रणाली की मासिक उत्पादन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आरएफपी की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को स्वतंत्र प्रणाली का उचित रखरखाव पांच वर्ष के लिए सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी द्वारा बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद, एमपीयूवीएनएल ने डीडीजी के अंतर्गत 44 गांवों में स्थापित प्रणाली की उत्पादन रिपोर्ट आरईसी को नहीं भेजी। आरएफपी शर्तों के अनुसार प्रणाली के समुचित रखरखाव से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, आरईसी के निर्देशों का अनुपालन एमपीयूवीएनएल द्वारा नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा डीडीजी के अंतर्गत स्थापित प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन की पुष्टि नहीं कर सका।

[97] पीएमसी/पीएमए शुल्क (₹ 6,04,628)+ जागरूकता शुल्क (₹ 85,95,975)+ बिक्री पर कमीशन (₹ 5,40,847)।

#### *ii. आरईसी से अंतिम किस्त प्राप्त करने में विफलता*

वर्ष 2014 से 2016 तक, एमपीयूवीएनएल ने डीडीजी के तहत 23 गांवों का विद्युतीकरण पूरा किया। आरईसी से प्राप्त होने वाला पात्र अनुदान ₹ 16.19 करोड़ था। ₹ 16.19 करोड़ में से, आरईसी ने ₹ 10.57 करोड़ जारी किए थे। एमपीयूवीएनएल ने आरईसी से ₹ 5.62 करोड़ की अंतिम किस्त का अनुरोध किया (फरवरी 2017)। हालांकि, आरईसी ने इसे जारी नहीं किया, यह कहते हुए कि डीडीजी के तहत 23 गांवों में स्थापित प्रणाली में उनके निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पाए गए दोषों/कमियों का सुधारा नहीं गया था।

एमपीयूवीएनएल ने आरईसी को सूचित किया (18 अप्रैल 2017) कि उनके अधिकारियों द्वारा बताए गए सभी दोषों/कमियों को ठीक कर दिया गया है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से पता चला कि सुधार का समर्थन करने के लिए आरईसी को कोई संलग्नक/प्रासंगिक प्रमाण नहीं भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, सूचना देने के बाद एमपीयूवीएनएल ने अंतिम किश्त की प्राप्ति हेतु आरईसी के साथ कोई प्रयास नहीं किया।

### *2.3.6 विविध*

#### *2.3.6.1 बीईई अनुदानों का पूर्ण उपयोग न होने के कारण बीईई उद्देश्यों की पूर्ति में विफलता*

ऊर्जा दक्षता गतिविधियों में राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के निर्माण और उन्हें मजबूत करने के लिए बीईई जागरूकता कार्यक्रमों, अधिकारियों की क्षमता निर्माण, मानव संसाधन सहायता आदि के संचालन के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2007-08 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) से ₹ 16.28 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक ₹ 7.53 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एमपीयूवीनएनएल ने उपयोग नहीं हो सके अनुदान में से ₹ एक करोड़ की राशि बीईई को वापस कर दी, जो कि यह दर्शाता है कि भविष्य में निधियों के उपयोग हेतु कोई उपयुक्त योजना नहीं बनाई गई थी। साथ ही, उपयोग की गई राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए वार्षिक रूप से निधि जारी की गई, उसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### *2.3.6.2 जनजातीय विभाग की साइटों पर सौर गीजर प्रणाली स्थापित करने में विफलता*

जनजातीय कल्याण विभाग (टीडब्ल्यूडी), म.प्र. शासन ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 378 स्थलों अर्थात आश्रम, विद्यालय और छात्रावास भवनों में सौर गीजर प्रणाली की स्थापना के लिए एमपीयूवीएनएल को ₹ 9.81 करोड़ की राशि जारी की (02 नवंबर 2019)।

टीडब्ल्यूडी द्वारा निधि जारी करने की तिथि से चार माह के अंतराल के बाद, एमपीयूवीएनएल ने सौर गीजर प्रणाली स्थापित करने के लिए आरएफपी ( सं. 3124, दिनांक 09 मार्च 2020) जारी किया। कोविड लॉकडाउन के कारण इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, एक दूसरा आरएफपी (सं. 450, दिनांक 26 जून 2020) जारी किया गया था और एमपीयूवीएनएल को आरएफपी के तहत दरों को अंतिम रूप देने में छह माह (दिसंबर 2020) लगे। हालांकि, आरएफपी को आगे संसाधित नहीं किया गया और ठेकेदारों को कार्य आदेश नहीं दिया गया, इसका कारण अभिलेखो में नहीं पाया गया।

हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले को बार-बार एमपीयूवीएनएल के सामने रखा था, लेकिन एमपीयूवीएनएल ने कार्य आदेश जारी करने और कार्य पूरा करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि सौर गीजर प्रणाली स्थापित

नहीं की गई थी, इसलिए एमपीयूवीएनएल को ₹ 9.81 करोड़ की राशि वापस (01 फरवरी 2021) करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत 1.89 मेगावाट[98] की सौर गीजर प्रणाली को जोड़ा नहीं जा सका।

#### *2.3.6.3 प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार नहीं किया जाना*

मध्य प्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और संवर्धन के लिए एमपीयूवीएनएल नोडल एजेंसी है जो विभिन्न योजनाओं जैसे कुसुम-ए, बी, सी, सोलर रूफटॉप, ऊर्जा संरक्षण/साक्षरता, पवन निगरानी, अक्षय ऊर्जा दुकानें, सूर्यमित्र, उजाला को लागू करती है। एक सुव्यवस्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास और उपयोग करने से कुशल आंतरिक नियंत्रण, जिसके परिणामस्वरूप, बेहतर योजना निर्माण, सूचित निर्णय-निर्धारण और परिणामो मे सुधार प्राप्त होंगे।

एमपीयूवीएनएल ने जनवरी 2022 से एमआईएस तैयार नहीं किया जिसका कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, कंपनी/राज्य सरकार के शीर्ष प्रबंधन द्वारा विभिन्न शाखाओं के कार्यों / उपलब्धियों की समुचित समीक्षा/मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

### 2.3.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, म. प्र. शासन द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु की गई गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए किए गए परीक्षण में कई कमियाँ उजागर हुईं। मध्य प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 12,018.00 मेगावाट निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध मार्च 2023 तक केवल 5,732.13 मेगावाट की संचयी क्षमता ही विकसित की जा सकी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि क्षमता वृद्धि हेतु कोई व्यवस्थित योजना और रोडमैप नहीं बनाया गया, क्योंकि एमपीयूवीएनएल द्वारा क्षेत्र में हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित नहीं किया जा सका। नेट मीटरिंग प्रणाली की स्थापना में देरी के कारण, एमएनआरई भारत सरकार, द्वारा वित्तपोषित सोलर रूफटॉप प्रणाली की स्थापना प्रक्रिया भी विलंबित हुई। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वित्तीय सहायता की आंशिक प्राप्ति या प्राप्त न होने की द्रष्टांत भी सामने आए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) से प्राप्त अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका, जिससे राज्य नामित एजेंसी की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने के बीईई के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

---

[98] यह अनुमान लगाया गया था कि प्रति दिन 100 लीटर की क्षमता वाली 1,000 सौर जल तापन प्रणाली एक मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और सालाना 1,500 किलोवाट (378*500*1,500)/1,00,000=2,835 बचा सकती है। इस मामले में, मध्य प्रदेश के आश्रम, स्कूलों और छात्रावास में प्रति दिन 500 लीटर की क्षमता वाली 378 सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव था। = (378*500)/1,00,000=1.89

### 2.3.8 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

i. *एमपीयूवीएनएल को मध्य प्रदेश राज्य के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों को शीघ्रतम समय में प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।*

ii. *एमपीयूवीएनएल को एमएनआरई, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कम प्राप्ति / प्राप्ति न होने की स्थिति में उसे पुनः प्राप्त करने हेतु सभी संभावित प्रयास करने चाहिए।*

iii. *ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) से प्राप्त अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि राज्य नामित एजेंसी की ऊर्जा दक्षता गतिविधियो में संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं एवं योग्यता का निर्माण और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके, जो बीईई के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।*

## 2.4 मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.4.1 परिचय

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), जिसे विद्युत क्षेत्र में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि को कम करने और विद्युत संसाधनों की गुणवत्ता और निर्भरता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, को भारत सरकार(जीओआई) के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बारहवीं और तेरहवीं योजनाओं के दौरान "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस) के रूप में संशोधित (दिसंबर 2014) किया गया था। आईपीडीएस के मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आईटी-सक्षम सेवाओं को मजबूत करना था ताकि डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार हो सके। पावर फ़ाइनेंस निगम लिमिटेड (पीएफसी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस के संचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी।

मध्य प्रदेश में, इस योजना को तीन विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)[99] और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि. अर्थात् डिस्कॉम की नियंत्रक कंपनी) द्वारा 311[100] शहरों में ₹ 1,793.53 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ लागू किया गया था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम को परियोजना तैयार करनी थी और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना को क्रियान्वित करना था। इस योजना को परियोजना की स्वीकृति (मार्च 2016) से तीस माह के अंदर पूरा किया जाना था, लेकिन इसे समय-समय पर बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दिया गया।

आईपीडीएस (योजना) के तहत परियोजनाओं को छह भागों में किया जाना था, अर्थात् नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य, स्मार्ट मीटरिंग, गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस), रियल-टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटी-डीएएस), सूचना तकनीकी (आईटी) और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)। इस अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा नमूना वृत्त (21) के साथ 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान तीन डिस्कॉम के 43 वृत्त में निष्पादित कार्यों की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट 2.4.1** में दी गई है।

### 2.4.2 योजना का वित्तपोषण पैटर्न

योजना के वित्तपोषण तंत्र (विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर) को नीचे **तालिका 2.4.1** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.4.1: योजना का वित्तपोषण तंत्र**

| क्र. सं. | एजेंसी | सहायता का प्रकार | सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1. | भारत सरकार | अनुदान | 60 |
| 2. | राज्य/ डिस्कॉम | स्वयं निधि | 10 |
| 3. | ऋणदाता (एफ़आई/बैंक) | ऋण | 30 |
| 4. | निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान | अनुदान | कुल ऋण घटक(30 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत अर्थात 15 प्रतिशत |

*(**स्रोत:** आईपीडीएस योजना के दिशा-निर्देश)*

[99] मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.), भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.), जबलपुर एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.), म.प्र.पा.मै.क.लि. की सहायक कम्पनियां।

[100] म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के 145 शहर, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के 111 शहर एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के 55 शहर।

### 2.4.3 विद्युत वितरण कम्पनियों का संगठनात्मक ढांचा

प्रत्येक डिस्कॉम का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक डिस्कॉम का प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) दिन-प्रतिदिन के संव्यवहार के लिए सशक्त है। सीईओ को कार्य एवं योजना, खरीद, शहरी एवं ग्रामीण परियोजनाओं और वित्त विभागों के प्रभारी अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए, प्रत्येक डिस्कॉम के सीईओ को योजना कार्यों की विशेष रूप से निगरानी करने के लिए मुख्य महाप्रबंधकों (शहरी परियोजनाएं) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

### 2.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और दायरा/कार्यपद्धति

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि, क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का बनाया जाना योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और योजना के तहत निधि का उपयोग परियोजनाओ का क्रियान्वयन मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ-साथ आईपीडीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और म.प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005, दर अनुसूची (टैरिफ आदेश) एवं दरों की अनुसूची से लिए गए है। इसके अलावा लेखापरीक्षा करते समय निदेशक मंडल, संचालन समिति और वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की बैठकों का कार्यसूची और कार्यवृत्त, भारत सरकार, पीएफ़सी, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच चारपक्षीय समझौता डीपीआर और आरएफ़पी, निविदा अभिलेख, सीवीसी दिशानिर्देशों आदि को शामिल करते हुए निविदा दस्तावेजों को भी संदर्भित किया गया है।

योजना के इच्छित उद्देश्यों और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप इसके कार्यान्वयन का विश्लेषण करने के लिए तीनों डिस्कॉम की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक की गई और इसमें परियोजना समापन सहित योजना की संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि (यानी, 2014-15 से 2021-22) को सम्मिलित किया गया। योजना के क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिए, उच्च व्यय को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश शासन के विभाग, म.प्र.पा.मै.कं.लि. डिस्कॉम के मुख्यालय कार्यालयों के अभिलेख और चयनित 21 (43 वृत्त में से) नमूना परियोजनाओं/वृत्त के रिकॉर्ड (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.2** में विस्तृत है) की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले विभाग, मध्य प्रदेश शासन और डिस्कॉम के प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्य, दायरा, पद्धति इत्यादि के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रवेश सम्मेलन (मार्च 2023) आयोजित किया गया था।

अप्रैल 2024 में शासन को निष्कर्षों से अवगत कराया गया। तीनों डिस्कॉम में से केवल म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर प्रस्तुत किए। अन्य दो डिस्कॉम (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2025)।

**लेखापरीक्षा प्रेक्षण**

योजना के छह भागों के लिए नियोजन, निविदा और कार्य आवंटन, परियोजना के क्रियान्वयन और निगरानी के विभिन्न पहलुओं में कमियों पर अलग अलग चर्चा की गई है। नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर कंडिका 2.4.5 से 2.4.12 में विस्तार से चर्चा की गई है।

### 2.4.5 नियोजन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए, डिस्कॉम को एक आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करना था जिसमें प्रस्तावित कार्य के दायरे और लागत अनुमानों को प्रमाणित करने के लिए औचित्य के साथ-साथ सभी प्रासंगिक जानकारी सम्मिलित करना था, ताकि विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा सके और योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुमानित लागत के अंदर परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके। डिस्कॉम के सभी 43 वृत्त में पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

#### *2.4.5.1 आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज बनाने में कमियां*

योजना दिसम्बर 2014 में प्रारंभ की गई थी और डिस्कॉम के वृत्त को एनएडी तैयार करने के लिए निर्देशित (दिसम्बर 2014) किया गया था एवं इसे 43 वृत्त के लिए ₹ 3,749.62[101] करोड़ की लागत के साथ पीएफसी को प्रस्तुत (जनवरी 2015) किया गया था। योजना के दिशानिर्देशों के खंड 1 (क) (अध्याय-II) के अनुसार, डिस्कॉम, एनएडी के लिए, उपभोक्ता मिश्रण, उपभोग पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर, एचटी और एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर और फीडर/लाइनों की इष्टतम लोडिंग, प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रबंधन, पावर फैक्टर सुधार, प्रदर्शन के मानक आदि जैसे सभी प्रासंगिक मापदंडों और वितरण प्रणाली के कुशल प्रबंधन के लिए अन्य योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करेंगे। डिस्कॉम प्रस्तावित कार्य के दायरे और लागत अनुमानों को पुष्ट करने के लिए, निर्धारित प्रारूप (नोडल एजेंसी द्वारा अलग से प्रसारित) में एनएडी तैयार करेंगे जिसमें औचित्य के साथ सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

43 वृत्त के लिए एनएडी बनाने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में देखी गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. एनएडी में स्वचालित मीटरिंग उपकरण (एएमआई) और स्मार्ट मीटर की संभावनाएं केवल सात[102] वृत्त मे उपलब्ध कराई गई;

ii. नए संवर्धन/सब-स्टेशन/लाइनों, आदि के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारणो सहित विशिष्ट स्थान (भोपाल शहर वृत्त को छोड़कर) उपलब्ध नहीं कराये गए;

iii. 33 केवी या 11 केवी की भूमिगत केबलिंग (यूजी) की आवश्यकता मात्र 24[103] वृत्त में ही प्रस्तावित की गई;

iv. उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) मात्र 15[104] वृत्त में ही प्रस्तावित की गई;

v. कुल उपभोक्ताओं के सापेक्ष मीटरिंग के कार्य का उचित विश्लेषण और प्रस्ताव नहीं किया गया था, क्योंकि दोषपूर्ण और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों के प्रतिस्थापन का कोई विवरण नहीं दिया गया था;

---

101 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिये ₹ 1,113.91 करोड़, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिये ₹ 1,221.54 करोड़ एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिये ₹ 1,414.17 करोड़।

102 इंदौर शहर, जबलपुर शहर, छिंदवाडा, सतना, भोपाल शहर, ग्वालियर शहर एवं राजगढ वृत्त।

103 धार, रतलाम, खरगौन, देवास, इंदौर शहर, उज्जैन, जबलपुर शहर, जबलपुर (ओ एंड एम), मण्डला, छिंदवाडा, नरसिंहपुर, सिवनी, छतरपुर, भोपाल (ओ एंड एम), रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, कटनी, भोपाल शहर, होशंगाबाद, ग्वालियर शहर, शिवपुर एवं मुरैना।

104 इंदौर शहर, देवास, खरगौन, इंदौर (ओ एंड एम), सतना, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाडा, जबलपुर (ओ एंड एम), जबलपुर शहर, भोपाल शहर, भोपाल (ओ एंड एम) , विदिशा, राजगढ, श्योपुर।

vi. वृत्त में चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों के सम्बंधित विवरण के साथ एरियल बंच्ड केबल का प्रस्ताव नहीं दिया गया; तथा

vii. सबस्टेशन के विस्तार और लाइनों के पुनर्निर्माण के मामले में वापस आई सामग्री के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया।

इस प्रकार, एनएडी को तैयार करने व उसे अंतिम रूप देने से पहले वितरण नेटवर्क में उप-संचरण में कमी की पहचान करने के लिए प्रस्तावित कार्य के दायरे को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी और औचित्य सिद्ध नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में कमियाँ थी। जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा यह कहा गया कि कार्य को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर एनएडी में प्रस्तावित किया गया था और एनएडी टेम्पलेट में विशिष्ट स्थानों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र से प्राप्त आवश्यकताओं और औचित्य, जो कि कार्यों को वास्तविक आधार पर निष्पादित करने के लिए आवश्यक था, का अभिलेखों में उल्लेख नहीं मिला और कार्यवार, विशिष्ट स्थानो का उल्लेख केवल एक वृत के एनएडी मे किया गया था।

### *2.4.5.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में कमियां*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड 1(ब) (अध्याय-II) के अनुसार, प्रथम चरण में नोडल एजेंसी द्वारा मान्य कार्य के व्यापक दायरे के आधार पर, डिस्कॉम को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों और कार्य की विभिन्न मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार पर, सभी प्रासंगिक मापदंडों जैसे उपभोक्ता प्रकार, उपभोग पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर इत्यादि पर विचार करते हुए उप- संचरण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण कमी पर विचार करने के उपरांत विश्वसनीय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना था।

लेखापरीक्षा में डिस्कॉम द्वारा योजना के तहत कार्यान्वित विविध परियोजनाओ हेतु तैयार किए गए ₹ 1,501.27[105] करोड़ के 43 डीपीआर की जांच की। लेखापरीक्षा ने डीपीआर तैयार करने मे विभिन्न कमियाँ पाई, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप मे दिया गया है:

i. इस योजना के तहत मीटरिंग घटक के तहत उन शहरों में एएमआई और स्मार्ट मीटर को कवर करना था जहां आर-एपीडीआरपी के तहत स्काडा[106] स्थापित किया जा रहा था। हालांकि, यह केवल इंदौर शहर वृत्त और भोपाल शहर वृत्त में ही उपलब्ध कराया गया था;

ii. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा सब-स्टेशन लाइनों के नए संवर्धक/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट स्थान कारणो सहित नहीं बताए थे;

iii. कुल उपभोक्ताओं के सापेक्ष मीटरिंग के कार्य का उचित विश्लेषण/प्रस्ताव नहीं किया गया था;

iv. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा एरियल बंच्ड केबल का प्रस्ताव नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों से संबंधित विवरण नहीं दिए गए थे;

---

105 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए ₹ 523.66 करोड़ (14 वृत्त), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए ₹ 495.31 करोड़ (15 वृत्त) एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए ₹ 482.30 करोड़ (14 वृत्त)।

106 इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर।

v. प्रत्येक शहर में सरकारी स्थापनाओ में प्री-पेड/स्मार्ट मीटर के लिए पूर्ण एवं विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया गया था;

vi. गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशनों (इनडोर प्रकार के, जिसके लिए पारंपरिक सबस्टेशनों की तुलना में काफी कम स्थान की आवश्यकता होती है) की आवश्यकता के प्रस्ताव के लिए विश्लेषण के साथ औचित्य/कारण प्रदान नहीं किए गए;

vii. डिस्कॉम ने पाँच[107] डीपीआर के संदर्भ मे सौर पेनलों का प्रावधान नहीं किया, जबकि 38 डीपीआर के संदर्भ मे योजना दिशानिर्देशों के खंड 2.1 (अध्याय-I) के अनुसार प्रावधान 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के विरुद्ध कुल डीपीआर लागत के 0.00 प्रतिशत से 1.29 प्रतिशत के दायरे में सौर पैनल के लिए प्रावधान किया गया; और

viii. सिंहस्थ मेले के लिए उज्जैन वृत्त में सिंहस्थ कार्यों के लिए स्वीकृत ₹ 28.68 करोड़ की डीपीआर में कार्यों के स्थायी और अस्थायी प्रकृति के विभाजन के बारे में विशिष्ट विवरण और स्पष्टता का अभाव था। इसके अलावा, देखी गई कमियों का विस्तृत विवरण कंडिका 2.4.7.3 में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा[108]) विद्युत क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी। इसका उद्देश्य परियोजना के पूरे जीवन चक्र में, निर्माण से लेकर निष्पादन और निगरानी तक जन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल करना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को छोड़कर) ने डीपीआर के निर्माण के समय **दिशा** को सम्मिलित/परामर्श नहीं किया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर में कहा कि सर्वेक्षण और बजट सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों का प्रस्ताव किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत सर्वेक्षण और कार्यों को प्रस्तावित/प्राथमिकता देने के कोई औचित्य अभिलेखों मे नहीं पाये गए।

### *2.4.5.3 आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज और डीपीआर के बीच अंतसंबद्धता की कमी*

डिस्कॉम ने 2014-15 के एसओआर के आधार पर 43 वृत्त के लिए एनएडी एवं डीपीआर कुल लागत क्रमश: ₹ 3,749.62 करोड़ एवं ₹ 1,501.27 करोड़ पर तैयार किये। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के डीपीआर उनके सम्बंधित एनएडी की तुलना में क्रमश: 52.99 प्रतिशत, 65.89 प्रतिशत एवं 59.45 प्रतिशत कम किए गए थे। (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.3** में वर्णित है)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएडी और डीपीआर दोनों ही विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और एटीएंडसी हानि में कमी के योजना उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। चूंकि एनएडी को सभी प्रासंगिक मापदंडों पर विचार कर उप-संचरण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण अंतर पर विचार किए बिना, और विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना

[107] मंडला, सीहोर, बेतुल, ग्वालियर (शहर) और शिवपुरी।

[108] जिला विद्युत समिति का नाम परिवर्तित (26 जुलाई 2016) कर **दिशा** रखा गया।

विश्वसनीय डीपीआर की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसके कारण विभिन्न विसंगतियां हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, हालांकि डीपीआर एवं एनएडी दोनों ही एसओआर (2014-25) के आधार पर तैयार किए गए थे, फिर भी मदों जैसे मीटरिंग, सौर पैनल का प्रावधान, सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि, नए सबस्टेशन और मरम्मत व रखरखाव आदि के लिए इकाई लागत अलग-अलग थी।

ii. कुछ महत्वपूर्ण मदों जैसे नए/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि/उप-स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकरण, नए 33 केवी फीडर और कैपेसिटर बैंक इनके संवर्द्धन मे भारी कमी आई, जिनका कोई उचित औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। योजना के अंतर्गत प्रमुख बुनियादी ढाँचे के घटकों में कटौती से, वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने, विद्युत की विश्वसनीयता में सुधार लाने और तकनीकी नुकसानों को कम करने के योजना के उद्देश्यों पर असर पड़ेगा। यह परियोजना कार्यान्वयन में खराब योजना और पारदर्शिता को भी दर्शाता है।

iii. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, प्रारंभ में एनएडी के अंतर्गत प्रणाली सुदृढीकरण कार्य के लिए 95 शहरों का चयन किया गया था, लेकिन निधि सीमा (जैसा कि पीएफसी द्वारा बताया गया) के कारण, उच्च एटीएंडसी हानि (15 प्रतिशत से अधिक) के आधार पर डीपीआर में मात्र 55 शहरों पर विचार किया गया। हालांकि, यह देखा गया कि दो[109] शहर, जिनमें 15 प्रतिशत से कम एटीएंडसी हानि[110] थी (₹ 15.31 करोड़ का अनुमानित व्यय), को योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार, एक ओर, कंपनी को निधि की कमी के कारण सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनर्गठन करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर, गैर-प्राथमिकता वाले शहरों का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का आवंटन असमान हो गया।

iv. इसके अतिरिक्त, सीहोर वृत्त (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) की ₹ 1.58 करोड़ की डीपीआर, बिना एनएडी के तैयार की गई थी।

डीपीआर की मदों में बिना किसी औचित्य के ₹ 2,248.35 करोड़ (एनएडी: ₹ 3,749.62 करोड़ बनाम डीपीआर: ₹ 1,501.27 करोड़) की लागत में कमी यह दर्शाती है कि डीपीआर वास्तव में विश्वसनीय नहीं थे या योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थे। दोनों ही दरें एक ही अनुसूची (एसओआर) का उपयोग करके तैयार किए जाने के बावजूद, डिस्कॉम ने इकाई लागतों में विसंगतियों को उचित नहीं ठहराया, जिससे योजना प्रक्रिया की सटीकता और पारदर्शिता पर सवाल उठता है। इसके अलावा, डीपीआर में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए शहरों और सर्किलों के चयन और प्राथमिकता निर्धारण में एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव था, जिससे अंततः एटीएंडसी हानि को प्रभावी ढंग से कम करने का योजना का लक्ष्य कमजोर हो गया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर में कहा कि आईपीडीएस नगरों का चयन मासिक हानि इकाइयों के आधार पर किया गया था और उच्च हानि वाले नगरों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, सीहोर वृत के लिए एनएडी को पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन क्षेत्र आवश्यकता के अनुसार बाद में इसे सम्मिलित किया गया।

[109] मण्डीदीप एवं ब्यावरा।

[110] 0.42 और 2.60 प्रतिशत के मध्य।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो शहरों का चयन अत्यंत कम एटीएंडसी हानि के बावजूद निष्पादन के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, बिना एनएडी के वृत के डीपीआर की तैयारी ये दर्शाती है कि इसकी तैयारी में कमी थी, और एनएडी और डीपीआर के बीच कोई परस्पर अंतसंबंध नहीं था।

#### *2.4.5.4 राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन ने होना*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड (5) (अध्याय-II) के अनुसार, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर मिसिंग लिंक्स का कार्य पूर्ण किया जाना था। इसलिए, आईपीडीएस में एननोएफएन के अंतर्गत भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान से स्थापित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके डिस्कॉम के सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों/बिलिंग कार्यालयों/वृत्त/क्षेत्रीय/ज़ोनल कार्यालयों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। डीपीआर में लागत के साथ-साथ कार्यान्वयन कार्यप्रणाली और लक्ष्य भी सम्मिलित होने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम ने अपने सब-स्टेशनों/कार्यालयों को एनओएफएन के साथ जोडने के लिए मिसिंग लिंक्स की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया था। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में क्रमश: ₹ 69.38 करोड़ एवं ₹ 26.53 करोड़ की लागत से आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज तैयार किया गया था लेकिन म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत इस घटक को लागू करने के लिए किसी भी डिस्कॉम के द्वारा न तो एनओएफएन का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार की गई और न ही नोडल एजेंसी (पीएफ़सी) को प्रस्तुत किया गया। डीपीआर तैयार न करने के कारण, डिस्कॉम इस योजना के तहत 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान के साथ कार्य के इस महत्वपूर्ण घटक को निष्पादित करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सके और डिस्कॉम पर भविष्य में अपने संसाधनों के माध्यम से इस घटक को पूरा करने का दायित्व आ गया, यदि वे इस निष्पादित करते है।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि डीपीआर मूल्यांकन समिति ने ₹ 169.89 करोड़ की डीपीआर के मुकाबले केवल ₹ 21.49 करोड़ पर विचार किया था। इसके अलावा, सीईए से कोई डीपीआर अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था और अनुग्रह करने के बाद यह जानकारी मिली कि इसे विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। एनओएफएन का कार्य आपदा संभावित क्षेत्रों में वीसैट कनेक्टिविटी में स्थानांतरित कर दिया गया।

उत्तर की पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि नोडल एजेंसी (पीएफसी) को प्रस्तुत की गई डीपीआर की प्रति, जिसे कार्य के परिवर्तित दायरे के साथ अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

### 2.4.6 निविदा एवं कार्यादेश जारी करना

योजना के दिशानिर्देशों के खंड-9 (अध्याय-II) के अनुसार, परियोजना के अधीन कार्य, निगरानी समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के नौ माह के अंदर आवंटित किए जाने थे। आगामी कंडिकाओं में मार्च 2016 से दिसम्बर 2017 तक सभी 43 वृत्त में निविदा जारी करने एवं कार्यादेश में देखी गई कमियों पर चर्चा की गई है।

#### *2.4.6.1 लेखापरीक्षा ट्रेल प्रतिवेदन का अभाव*

योजना के तहत, डिस्कॉम को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर निविदा प्रक्रिया को क्रियान्वित करना था। क्रय मैनुअल में निविदा के मूल्यांकन के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति[111](टीईसी) के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बाद, वित्त एवं लेखा विभाग को केवल वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय ही सम्मिलित

[111] निविदा के मूल्य के अनुरूप उचित स्तर पर निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, जहां लागू हो, उपयोगकर्ता विभागों और क्रय विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति।

किया जाएगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश ई-निविदा पोर्टल मानक प्रारूपों और निर्धारित टेम्पलेट्स के साथ-साथ डिस्कॉम की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन योग्य प्रारूपों में सिस्टम निर्मित बोली तुलनात्मक विवरण की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, डिस्कॉम के क्रय मैनुअल के तहत आवश्यक टीईसी का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सभी डिस्कॉम में, टीईसी द्वारा तैयार किए गए तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के सिस्टम जनित प्रिंट-आउट एवं मध्य प्रदेश शासन के ई-निविदा पोर्टल से प्राप्त तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दस्तावेज लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराये गए। यह भी देखा गया कि इस योजना के तहत किसी भी ई-निविदा प्रक्रिया में डिस्कॉम द्वारा सभी महत्वपूण घटनाओं को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल प्रतिवेदन[112] तैयार नहीं किया गया।

इस प्रकार, समिति के निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं ई-निविदा पोर्टल से प्रणाली जनित विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता, वित्तीय औचित्य और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के संबंध में विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि आईपीडीएस कार्य 2016 में शुरू हुए और 2019 में पूरे हुए और दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने 2020 में वेबसाइट बंद कर दी थी। इसलिए, 2020 के बाद लेखापरीक्षा ट्रेल प्रतिवेदन तैयार नहीं की जा सकी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ट्रेल प्रतिवेदन कार्य पूर्ण होने के बाद तैयार की जानी चाहिए थी और इसे अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

#### *2.4.6.2 तकनीकी रूप से कमजोर फर्मों का चयन*

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम द्वारा जारी (अगस्त 2016) पूर्ण टर्नकी अनुबंधों के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में निर्देश दिया गया कि राज्य सीवीसी के निर्देशों को सुनिश्चित करें और सलाह दी गई कि पारदर्शिता, वित्तीय औचित्य, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आदि के सिद्धांतों के दृस्टिगत एसबीडी को राज्य स्तरीय स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से अनुकूलित किया जा सकता है।

### *ए. एनआईटी में एसबीडी के सापेक्ष पात्रता मानदंडों में परिवर्तन*

लेखापरीक्षा ने मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) में दिए गए तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय मानदंडों की तुलना, प्रत्येक लॉट[113] के लिए बोली दस्तावेज़ों (एनआईटी) से की और पाया कि डिस्कॉम द्वारा बोली दस्तावेज़ों के तकनीकी मानदंडों में एसबीडी की तुलना में काफी विचलन किया गया था। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

112 सुरक्षा से संबंधित कालानुक्रमिक लेखापरीक्षा टूल, अभिलेखों का लक्ष्य और स्रोत जो ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान हुई गतिविधियों के अनुक्रम का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करता है।

113 निविदा के उद्देश से वृतों को लॉट मे समूहित किया गया।

| मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार मानदंड (आरईसी द्वारा जारी) | एनआईटी में शामिल मानदंड |
|---|---|
| बोलीदाता ने पिछले 7 वर्षों में एकल टर्नकी अनुबंध में सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिसमें स्थापना हो<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचारित परिवर्तन क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत हो<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 50 प्रतिशत और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}] | बोलीदाता ने पिछले 7 वर्षों में एकल टर्नकी अनुबंध में सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिसमें स्थापना हो<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचारित परिवर्तन क्षमता का कम से कम 20 प्रतिशत हो<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 20 प्रतिशत और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}] |
| बोलीदाता ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले **7** वर्षों में दो टर्नकी अनुबंधों में [33 केवी या 66 केवी वर्ग] और [11 केवी या 22 केवी वर्ग] के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिनमें से प्रत्येक में स्थापना हो:<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचारित परिवर्तन क्षमता का कम से कम 40 प्रतिशत (अर्थात 33 केवी/66 केवी वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है)<br>एवं<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 40 प्रतिशत और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}], और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए | बोलीदाता ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले **7** वर्षों में दो टर्नकी अनुबंधों में [33 केवी या 66 केवी वर्ग] और [11 केवी या 22 केवी वर्ग] के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिनमें से प्रत्येक में स्थापना हो:<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचारित परिवर्तन क्षमता का कम से कम 20 प्रतिशत (अर्थात 33 केवी/66 केवी वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है)<br>एवं<br>➢ प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 20 प्रतिशत और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}], और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए |

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एनआईटी और एसबीडी के बीच पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तनो ने पात्रता मानदंडों को कम कर दिया और तकनीकी रूप से कमज़ोर फर्मों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी। एनआईटी में विस्तृत विचलन **परिशिष्ट 2.4.4** में दर्शाए गए हैं।

### *बी. शिथिल एनआईटी मानदंडों के अंतर्गत भी अयोग्य फर्मों का चयन*

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, यह देखा गया कि कमज़ोर तकनीकी-वाणिज्यिक मानदंडों के माध्यम से चयनित फर्में उन मानदंडों को भी पूरा नहीं करतीं। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, छह वृत्त में चार ठेकेदारो को, दोषपूर्ण बोली दस्तावेज में कमी, जैसे कार्य अनुभव और पूर्व के प्रदर्शन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना, वित्तीय मापदण्ड से संबंधित अप्रमाणित दस्तावेज और ऋण सुविधा से संबंधित अपर्याप्त दस्तावेज, के होने के बावज़ूद भी कार्य सौंप दिए गए। इसके अतिरिक्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में यह देखा गया कि चार वृत्त में प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य मैसर्स अदरक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया (प्रा.) लि. को सौंपा गया जबकि यह एक महज़ आठ माह पुरानी कम्पनी थी जिसका बोली के अनुसार अपेक्षित टर्न-ओवर एवं अनुभव भी नहीं था और एनआईटी की शर्तो के अनुसार स्पष्ट रूप से उसके पास पिछले सात वर्षो का अनुभव भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, इस फर्म को बोली के लिए पात्र बनाने के लिए, वित्तीय पात्रता के लिए इसकी नियंत्रक कम्पनी[114] (जोकि एक विदेशी

[114] मैसर्स एआई एड्रक ट्रेडिंग & कांट्रैक्टिंग कंपनी, एलएलसी, ओमान।

कम्पनी थी और बोली के लिए पात्र नहीं थी) का टर्न-ओवर माना गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 292.80 करोड़ की लागत का कार्य अपात्र फर्मों को सौंप दिया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.5** में विवरणित है)।

कमजोर फर्मों को कार्य देने के परिणामस्वरूप खराब प्रगति, पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती न होना, सामग्री/उपकरण की खरीद न होना, परियोजना का अनुचित प्रबंधन आदि के कारण विलम्ब हुआ और ठेकेदारों द्वारा कार्य न किए जाने के कारण 23[115] परियोजनाओं में ₹ 130.83[116] करोड़ रुपये के शेष कार्य को पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर डीस्कोपिंग (विभागीय स्तर पर किया जाना) की गई, जिसके कारण कार्य पूरा होने में और देरी हुई, जैसा कि आगामी कंडिकाओं मे विस्तृत किया गया है।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि फर्मों का चयन संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार किया गया था और अनुबंधों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद प्रदान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डिस्कॉम के प्रस्ताव पर अर्हता मानदंडों में ढील दी गई थी, लेकिन राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) को प्रस्ताव भेजते समय अर्हता मानदंडों में ढील देकर वित्तीय औचित्य और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर अनुकूलन का औचित्य रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

### *2.4.6.3 निविदा पुनः आमंत्रित करने से प्राप्त उच्च दरें*

पीएफसी ने निगरानी एजेंसी होने के नाते सलाह दी (अक्टूबर 2015) कि चूंकि परियोजनाएं सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित हो चुकी हैं, इसलिए डिस्कॉम समय बचाने के लिए बोली दस्तावेजों की तैयारी, एनआईटी जारी करने और बोली मूल्यांकन जैसी अग्रिम गतिविधियां आरंभ कर सकती हैं और वित्तीय स्वीकृती प्राप्त होने पर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वीकृती की प्रभावी तिथि को मार्च 2016 से संशोधित कर सितम्बर 2016 कर दिया गया। हालांकि, पूर्ण होने की तिथि मार्च 2019 ही बनी रही।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के संबंध में, निगरानी समिति ने 12 वृत्त की परियोजनाएं (टर्नकी आधार पर) स्वीकृत की (मार्च 2016)। तदनुसार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने प्रारंभ में 12 वृत्त के लिए पांच लॉट में अर्द्ध-टर्नकी आधार पर निविदाएं आमंत्रित की (जून 2016), लेकिन यह बाद में रद्द कर दी गई, और कार्य को पूर्ण-टर्नकी आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, अगस्त 2016 और दिसंबर 2016 में पूर्ण टर्नकी आधार पर कार्य पूरा करने के लिए आमंत्रित की गई नई निविदाएं भी रद्द कर दी गईं, क्योंकि वे गलत आंकलनों (अर्थात एसओआर 2014-15) पर आधारित थीं। अंततः, लॉट्स की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ करके एक एनआईटी-165 जारी की गई (फरवरी 2017), साथ ही विभिन्न कारणों जैसे कार्यों का मिलान न होना, गलत आंकलन आदि, के कारण निविदा प्रक्रिया में कई संशोधन और तिथि विस्तार भी किया गया। अंततः फर्मों को लॉट के अनुसार ठेके देने का आदेश सात लॉट में जारी किया गया (अप्रैल 2017), लेकिन लॉट-08 (इंदौर शहर वृत्त) को रद्द कर दिया गया।

---

115 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में लॉट-01, 04, 05, 07, 08, 10 एवं 11, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के जबलपुर शहर, जबलपुर ओएंडएम, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और शहडोल तथा म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के भिंड, मुरैना, ग्वालियर (ओएंडएम) और शिवपुरी।

116 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में क्रमशः ₹ 62.51 करोड़, ₹ 39.16 करोड़ तथा ₹ 29.16 करोड़।

i. लेखापरीक्षा ने पाया कि टर्नकी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य पैकेज तय करने के लिए कोई अंतर-विभागीय समिति[117] विश्लेषण किए बिना निविदा आमंत्रण, संशोधन संख्याओं में लगातार परिवर्तन, लॉट के आकार, कार्यों के निष्पादन के तरीके में अनिर्णायकता और गलत अनुमान के कारण एनआईटी को कई बार रद्द किया गया। आवंटित कार्यों ₹ 216.02 करोड़ (लॉट-I से 7 के मामले में) के मदवार दरों की तुलना पहले रद्द की गई निविदा ₹ 167.02 करोड़ से करने पर, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को उच्च दरों पर कार्य आवंटित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.00 करोड़ मूल्य के प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में पुनः निविदा लागत अधिक हो गई।

ii. ₹ 226.78 करोड़ में स्वीकृत लॉट-08 (इंदौर शहर वृत्त) के मामले में, एक बोलीदाता (मैसर्स एल एंड टी) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और मूल्य बोली (अप्रैल 2017) खोली गई और नई दरें ₹ 251.61 करोड़ (एसओआर 2014-15 के आधार पर अनुमानित लागत से 13.32 प्रतिशत अधिक) थीं। क्रय विंग ने व्यवसाय समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि दरें तर्कसंगत थीं तथा उच्च आरओडब्ल्यू मामलों को देखते हुए, अन्य शहरों की तुलना में इंदौर शहर में शट्डाउन लेने में कठिनाई और एल एंड टी के एक प्रसिद्ध कम्पनी होने के कारण उसे कार्य सौंपना उचित होगा। हालांकि, व्यवसाय समिति ने परियोजना को पांच लॉट (संभाग -वार) विभाजित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2017)। अत: लॉट-08 रद्द हो गया। संभाग-वार लॉट (लॉट-08 से लॉट-12) का उल्लेख करते हुए, ₹ 160.81 करोड़ की संशोधित अनुमानित लागत के साथ, स्मार्ट व अन्य स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) मीटर की सुविधा को हटाकर, एक नई एनआईटी आमंत्रित की गई। अंतत: अनुमत्य ऊपरी सीमा से तीन माह के विलम्ब से कार्य आवंटित किए गए (सितम्बर 2017)। एनआईटी को रद्द करना यह दर्शाता है कि अंतर्विभागीय समिति ने उचित पैकेज़ों पर चर्चा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 139.46 करोड़ मूल्य के कार्य प्रदान किए गए, जबकि पहले रद्द किए गए टेंडर की राशि ₹ 131.21 करोड़ थी और परिणामस्वरूप पुनः निविदा के कारण लागत ₹ 8.25 करोड़ अधिक हो गई।

iii. इसके अतिरिक्त, एनआईटी-165 (इंदौर शहर के लिए रद्द हुई निविदा) में पहले पिलर बॉक्स मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स एवं प्री-पेड मीटर्स की सुविधा सम्मिलित थी लेकिन संभाग -वार निविदा (एनआईटी-173 एवं 181, इंदौर शहर के लिए) से यह हटा दी गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हालांकि एल एंड टी ने, शुरुआती निविदा में (फरवरी 2017), यह कहा था कि उच्च लागतें इन मीटर्स के कारण और उच्च हो रहीं थीं, फिर भी फर्म कार्य निष्पादित करने को तैयार थी। पुन: निविदा में, प्रणाली सुदृढीकरण के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य अप्रैल 2018 में एल एंड टी को सौंपा गया (एनआईटी-192)। इसके परिणामस्वरूप उसी कंपनी से पूर्व में उचित दरों पर रद्द की गई निविदा ₹ 65.97 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹ 77.47 करोड़ की उच्च दरों पर पुनः निविदा कार्य दिए जाने के कारण ₹ 11.50 करोड़ की लागत बढ़ गई।

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2025)।

[117] उपयोगकर्ता विभाग, वित्त एवं लेखा विभाग और खरीद विभाग के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति।

### 2.4.6.4 डीपीआर स्वीकृती में अनुचित अनुमान

योजना के दिशानिर्देशों के खंड-1 (बी) (अध्याय-II) के अनुसार, डिस्कॉम को पर्याप्त औचित्य के साथ परियोजनाएं तैयार करनी थीं और विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण एवं दरों की अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए विश्वसनीय डीपीआर के साथ-साथ प्रस्तावित कार्यों की लागत के अनुमान तैयार करने थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के डीपीआर वर्ष 2014-15 के एसओआर के आधार पर, निष्पादन अवधि के दौरान बढी हुई लागत पर विचार किए बिना तैयार किए गए थे। हालांकि, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने 2014-15 के एसओआर से 5 प्रतिशत अधिक पर विचार किया था। निविदा प्रकिया (2016-17) के दौरान, प्रत्येक लॉट के संबंधित बोलीदाताओं द्वारा मूल्य-बोली प्रस्तुत कर देने के उपरांत, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. दोनों ने विश्लेषण किया कि उच्च बोली लागत के प्राप्त होने का कारण डीपीआर में लागत 2014-15 के एसओआर पर आधारित होना था। परिणामस्वरूप, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. को स्वीकृत डीपीआर की मात्रा में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा, ताकि आंकलित लागत स्वीकृत लागत के अंदर ही रहे। इस प्रकार, गलत अनुमान के कारण, दोनों डिस्कॉम मूल्य ₹ 53.35 करोड़[118] मूल्य के कार्य को निष्पादित नहीं कर सके एवं योजना के तहत मूल्य ₹ 32.01 करोड़ मूल्य के अनुदान की हानि (60 प्रतिशत) वहन करनी पडी।

### 2.4.6.5 मुक़दमेबाज़ी के लगातार इतिहास वाले अयोग्य बोलीदाता को कार्यादेश देना

एनआईटी की शर्तों और नियमों के अनुसार, तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोली का मूल्यांकन करते समय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को अनुबंध निष्पादन के दौरान बोलीदाताओं की तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं को ध्यान में रखना था, जिसमें उत्पादन क्षमताएं, विशेष रूप से बोलीदाताओं के मौजूदा अनुबंध कार्य, भविष्य की प्रतिबद्धताएं, वर्तमान मुक़दमेबाज़ी और पिछले प्रदर्शन शामिल थे। बोलीदाता के विरुद्ध मुकदमेबाजी से संबंधित लगातार इतिहास होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में देखा कि एनआईटी (लॉट-02) के लिए एक ठेकेदार[119] ने मार्च 2017 में बोली प्रस्तुत की और अंततः एल-1 बोलीदाता के रूप में चयनित हुआ तथा अप्रैल 2017 में उसे कार्यादेश दिया गया।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने (मार्च 2017) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन करते समय पाया कि ठेकेदार ने बोली आवेदन में 'शून्य' पूर्व मुकदमों का इतिहास प्रस्तुत किया था, जो तथ्यों का दमन था, क्योंकि ठेकेदार ने अगस्त 2016 में डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत (लॉट-01) अनुबंध के लिए बोली लगाते समय तीन पूर्व मुकदमों की जानकारी दी थी, जैसा कि **तालिका 2.4.2** में विवरण दर्शाया गया है।

---

118 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए क्रमशः ₹ 26.18 करोड़ (₹ 523.60 करोड़ का 5 प्रतिशत) और ₹ 27.17 करोड़ (₹ 543.60 करोड़ का 5 प्रतिशत) करोड़।

119 मेसर्स मोहम्मद आरिफ शेख, मेसर्स एस. हिफाजत अली के साथ संयुक्त उद्यम में।

**तालिका 2.4.2 : पूर्व मुकदमे मे तीन मामलों के विवरण**

| क्र. सं. | मुकदमा क्रमांक | के विरुद्ध मुकदमा | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | डबल्यूपी क्रमांक 3518/2016 (2016) | म.प्र. हाउसिंग एवं इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट बोर्ड | मामला आवेदक के पक्ष में दिया गया |
| 2. | डबल्यूपी क्रमांक 7671/2016 (2016) | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर | डबल्यूपी निरस्त |
| 3. | 2014 का मामला (क्रमांक उपलब्ध नहीं) | टीडबल्यूडी बड़वानी, म.प्र. | मामला आवेदक के पक्ष में दिया गया |

डिस्कॉम ने तदनुसार (मार्च 2017) इस मामले को अपनी विधि विभाग को उनकी राय के लिए भेजा। विधि विभाग को मामला भेजते समय, ईई (क्रय), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने गलत रूप से उल्लेख किया कि केवल एक मामला था जिसमें बोलीदाता वादकारी था (उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1)। डिस्कॉम के विधि विभाग ने राय दी कि बोलीदाता का 'निरंतर मुकदमों का इतिहास' नहीं था, क्योंकि केवल एक मामले में उसने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

इस प्रकार, एनआईटी की शर्तों का पालन करने में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की विफलता, के साथ विभिन्न स्तरों पर तथ्य दबाने से बढ़ाया गया, के परिणामस्वरूप ₹ 21.23 करोड़ मूल्य के कार्य का अनियमित कार्यादेश एक ऐसे बोलीदाता को किया गया, जिसका पूर्व मुकदमों का लगातार इतिहास था।

इसके अतिरिक्त, परियोजना लागत में वृद्धि और निष्पादन में देरी से प्रभावित रही, जैसा कि अगले पैरा में चर्चा की गई है।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को चूक और/या निगरानी की कमी की जांच करनी चाहिए, जिसके कारण जानबूझकर तथ्यों को दबाया गया और एक काफी अधिक लागत वाली परियोजना एक अयोग्य बोलीदाता को प्रदान की गई। तदनुसार जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

उत्तर (फरवरी 2025 तक) प्राप्त नहीं हुआ था।

### 2.4.7 परियोजना का निष्पादन

वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण से संबंधित कार्य (परियोजनाएं) संबंधित डिस्कॉम मुख्यालयों और विभागीय रूप से (सामग्री खरीदकर और श्रमिक लगाकर) वृत्त-व्यापी खुली निविदाओं के माध्यम से चयनित विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) के माध्यक से किए गए। संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यपालन अभियंता (ईई), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होने के नाते, निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान करने और डिस्कॉम द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की सहायता से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत कार्यों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार थे। नमूना-जांच किए गए 21 वृत्त में परियोजनाओं के निष्पादन में देखी गई कमियां की चर्चा नीचे की गई हैं:

#### *2.4.7.1 एनआईटी में अंतिम रूप से निर्धारित मात्राओं और डिस्कॉम द्वारा तैयार क्लोज़र रिपोर्ट में प्रस्तुत मात्राओं में महत्वपूर्ण भिन्नता*

म.प्र.पा.मे.कं.लि. ने डिस्कॉम को योजना कार्यान्वयन के संबंध में शहर-वार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया (मई 2017) और तदनुसार डिस्कॉम ने भी सभी वृत्त को निर्देश दिया (मई 2017)। चूंकि आरएपीडीआरपी योजना के कार्य भी प्रगति पर थे, अत: किसी भी प्रकार की बहुतायत और अनावश्यक कार्य से बचने के निर्देश दिए गए और यह भी कि ऐसे मापन योग्य कार्यों की योजना बनाई जाए, जिससे एटीएंडसी हानि को कम किया जा सके और राजस्व में वृद्धि हो सके, साथ ही इसके प्रभाव को मापा जा सके और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी

तय की जा सके। इसके अतिरिक्त, निगरानी समिति ने अपनी सातवीं बैठक (मई 2016) में डिस्कॉम को एनआईटी जारी करने से पहले स्वीकृत परियोजना अथवा भविष्य में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में बीओक्यू में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी। डिस्कॉम के प्रमुख को इन परिवर्तनों को अनिवार्य प्रमाणित करना था तथा डिस्कॉम को इन बीओक्यू परिवर्तनों के पूर्ण औचित्य के साथ डीआरसी को सिफारिशें भी प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि स्पष्ट निर्देश होने के बावज़ूद सभी नमूना-जांच किए गए सभी 21 वृतों ने कार्य-योजना बनाते हुए उक्त निर्देशों को सम्मिलित नहीं किया। परिणामस्वरूप, आरएपीडीआरपी के तहत पहले से निष्पादित कार्यों के लिए कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया था और शहर-वार एटी एंड सी हानि में कमी और राजस्व में अनुमानित वृद्धि के संबंध में कोई आंकलन नहीं किया गया था। संबंधित एसई और ईई ने उच्च प्रबंधन द्वारा समय-समय पर संकेत दिए जाने के बाद भी प्रस्तावित कार्यों पर निर्णय नहीं लिया और प्राथमिकता नहीं दी।

इसके अतिरिक्त, सभी (43) वृत्त की क्लोज़र रिपोर्ट[120] के साथ एनआईटी की तुलना करते समय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी प्रमुख कार्यों में एनआईटी के बीओक्यू और क्लोज़र रिपोर्ट के बीच विचलन (मात्रा में वृद्धि या कमी) थे। महत्वपूर्ण 10 मदों में भिन्नता 13.11 से 900 प्रतिशत के बीच थी (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.6** में विस्तृत है), जो बीओक्यू मे कमी दिखाता है। इसमें एक मद (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. मे एलटी लाइन मे वृद्धि/पुनसंचालन) को पूर्ण रूप से हटा दिया गया था, और जबकि कुछ अन्य को बड़ी मात्रा में निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, निष्पादन में बड़े परिवर्तन का औचित्य भी डीआरसी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्य योजना तैयार न करने से योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एनआईटी के साथ निष्पादित कार्यों में भारी विचलन था।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि आईपीडीएस में मात्रा को क्षेत्रीय आवश्यकताओं, आरओडब्ल्यू मुद्दे, रेलवे और वन मंजूरी के कारण बदला गया था। इसके अलावा, निगरानी समिति ने प्रत्येक परियोजना में बीओक्यू में बदलाव को मंजूरी दी है, बशर्ते कि कुल स्वीकृत परियोजना लागत के भीतर यह बदलाव किया जाए और राज्य डीआरसी की अनुमोदन प्राप्त हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य योजना तैयार न करने के कारण भारी अंतर था और एनआईटी तैयार करते समय उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, डीआरसी को इतनी बड़ी मात्रा मे विचलन का प्रस्ताव देते समय अभिलेखों मे कोई उचित औचित्य उपलब्ध नहीं था।

### *2.4.7.2 प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के निष्पादन में डीस्कोपिंग/रीस्कोपिंग*

निविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधान अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित समय के अंदर कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता (कंपनी) अनुबंध मूल्य के 30 प्रतिशत तक के कार्य को रद्द करने का अधिकार (डिस्कोपिंग) सुरक्षित रखता है।

120 क्लोज़र रिपोर्ट, किसी परियोजना के अंत में डिस्कॉम द्वारा परियोजना लागत के अनुमोदनार्थ डीआरसी को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम प्रदेय है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खराब प्रगति, पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती न होना, सामग्री/उपकरण की खरीद न होना, परियोजना का अनुचित प्रबंधन आदि के कारण तीनों डिस्कॉम में ₹ 130.83 करोड़ की 21[121] परियोजनाओं में डीस्कोपिंग की गई।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में टर्नकी अनुबंध कार्यों की खराब प्रगति, अनुचित परियोजना प्रबंधन और निर्धारित समय में परिवर्तन के कारण, ₹ 62.51 करोड़ मूल्य के सात[122] लॉट के संबंध में उनके मूल्य की 30 प्रतिशत तक डी-स्कोपिंग की गई (मई 2018)। इसके अतिरिक्त, एक[123] लॉट को डी-स्कोप किया गया और बाद में असंतोषजनक प्रगति होने के बावजूद ठेकेदार के अनुरोध पर री-स्कोप किया गया। साथ ही, दो[124] लॉट में, कार्यों की खराब प्रगति के लिए फर्मों को नोटिस जारी करने के बावजूद डी-स्कोपिंग नहीं किया गया। इसके अलावा, दो[125] लॉट के मामले में, हालांकि नौ माह के बाद भी प्रगति संतोषजनक नहीं थी, फिर भी फर्म को डी-स्कोपिंग नोटिस नहीं भेजा गया जिसके कारण टीकेसी को अनुचित लाभ मिला और कार्य पूरा होने में 122 से 641 दिनों तक की देरी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.12 करोड़ मूल्य का परिसमापन हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेज) नहीं लगाया गया।

### *2.4.7.3 अनुमोदित डीपीआर के बिना कार्यों का निष्पादन*

निगरानी समिति ने अपनी सातवीं बैठक में डिस्कॉम को एनआईटी जारी करने से पहले स्वीकृत परियोजनाओं/भविष्य में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में बीओक्यू में परिवर्तन करने की अनुमति दी। डिस्कॉम के प्रमुख को इन परिवर्तनों को अनिवार्य रूप से प्रमाणित करना था और डिस्कॉम इन बीओक्यू परिवर्तनों के पूर्ण औचित्य के साथ डीआरसी को अनुशंसाएं भी प्रस्तुत करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, ओ एंड एम वृत्त, उज्जैन में ₹ 28.68 करोड़ की डीपीआर को उज्जैन शहर में सिंहस्थ के कार्य (2016) की परिकल्पना करते हुए अत्यावश्यकता आधारों पर विभागीय आधार पर मंजूरी प्रदान की गई थी। यह राशि सिंहस्थ के तहत वर्ष 2016 में खर्च के रूप में दिखाई गई थी। हालांकि, 2018 में, ₹ 11.02 करोड़ की संशोधित डीपीआर प्रस्तावित की गई थी, क्योंकि सिंहस्थ के लिए पूर्ण किए गए विभागीय कार्यों से बचत की पहचान की गई और 2016 के डीपीआर में सम्मिलित नहीं किए गए नए क्षेत्रों में विकास किया जाना था। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, संशोधित डीपीआर डीआरसी को प्रेषित की जानी थी, हालांकि इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। कारण यह दिया गया कि सभी परिवर्तन परियोजना लागत पर आक्समिक रूप से अनुमत्य थे एवं यह अनुमोदन डिस्कॉम स्तर पर तकनीकी समिति से अपेक्षित था। यह निर्णय बैठक के कार्यवृत्त के विपरीत था, क्योंकि निधि आबंटन 2016 की डीपीआर के पहले से स्वीकृत कार्यों के तहत था, और डीआरसी के माध्यम से उचित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, तकनीकी समिति से अनुमोदन कभी प्राप्त नहीं किया गया।

---

121 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में बुरहानपुर, खरगौन, शाजापुर, धार, रतलाम और इंदौर शहर, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के जबलपुर शहर, जबलपुर ओएंडएम, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाडा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ और शहडोल तथा म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के भिंड, मुरैना, ग्वालियर (ओएंडएम) व शिवपुरी।

122 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में लॉट-01, 04, 05, 07, 08, 10 और 11

123 धार एवं झाबुआ से संबंधित लॉट-05

124 इंदौर शहर वृत्त से संबंधित लॉट-09 और लॉट-12

125 लॉट-03 और लॉट-06

इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के खंड 2(ए)(अध्याय-II) का उल्लंघन करते हुए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि योजना के अंतर्गत पात्र कार्यों में केवल उप-संचरण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के कार्य शामिल होंगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली सुदृढीकरण कार्यों के लिए योजना के तहत स्वीकृत 315 केवीए के 30 ट्रांसफार्मर्स का उपयोग सिहस्थ मेले मे अस्थाई कार्यो के लिए किया गया। इसके परिणामस्वरूप संशोधित डीपीआर के अनुमोदन के बिना योजना निधि के अंतर्गत ₹ 11.02 करोड़ का अतिरिक्त दावा किया गया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, नियोजन में चूक के कारण, एक सबस्टेशन का स्थान मालनपुर शहर के स्थान पर डबरा शहर में बिना अनुमोदन के परिवर्तित कर दिया गया और डीआरसी को क्लोज़र रिपोर्ट भेजते समय कोई औचित्य नहीं दिया गया।

इसके अलावा, इंद्रगढ़ और सेउंधा कस्बे में प्रस्तावित ₹ 3.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो अन्य सब-स्टेशनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया, जो योजना दिशानिर्देशों के खंड 2 (अध्याय-II) का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई जाएगी।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं और परियोजना लागत के कारण स्थानों में परिवर्तन किया गया था, और क्षेत्र के निष्पादन कार्य में परिवर्तन को डीआरसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीआर को सबस्टेशन के स्थान के अनुसार अनुमोदित किया गया था, लेकिन डीआरसी को स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव देते समय अभिलेखो पर इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई उद्देश्यों के लिए सबस्टेशन के दुरुपयोग के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि सबस्टेशन शहरी क्षेत्रों के लिए बनाया गया था।

### *2.4.7.4 समय-वृद्धि के कारण लागत-वृद्धि होना*

कार्यों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों के खंड 2.3.4 (अध्याय-IV) के अनुसार, निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या सौपे गए कार्य की लागत जो भी कम हो, अनुदान निर्धारित करने के लिए पात्र लागत होगी। हालांकि, परियोजना के अनुमोदन के उपरांत किसी भी कारणवश हुई कोई भी लागत-वृद्धि अनुदान के लिए पात्र नहीं होगी एवं डिस्कॉम/राज्य द्वारा ही वहन की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा-प्रक्रिया के विलम्बित आरंभ, अनुचित लागत आंकलन से हुए निविदा रद्दीकरण, बार-बार समय-वृद्धियों एवं टर्नकी ठेकेदारों की खराब प्रगति के कारण आठ[126] वृत्त में (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.7** में विस्तृत है) लागत में वृद्धि हुई। इस प्रकार, डिस्कॉम द्वारा अनुचित परियोजना प्रबंधन एवं तकनीकी मानदंडों को कमजोर कर चयनित तकनीकी रूप से कमजोर ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन के कारण ₹ 48.99 करोड़ की लागत-वृद्धि हुई।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि निगरानी समिति ने प्रत्येक परियोजना में बीओक्यू में बदलाव को स्वीकृत परियोजना लागत के भीतर मंजूरी दी थी, जो राज्य डीआरसी की उचित स्वीकृति के साथ थी। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, ग्वालियर शहर में लागत स्वीकृत डीपीआर से बढ़ा दी गई थी।

[126] बडवानी, देवास, नीमच, इंदौर शहर, जबलपुर शहर, सतना, सीधी और ग्वालियर शहर।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि निगरानी समिति ने मात्रा में परिवर्तन की अनुमति दी थी, फिर भी परियोजना लागत से अधिक व्यय का वहन डिस्कॉम द्वारा किया जाना था।

### *2.4.7.5 फीडर मीटरों का अद्यतन न होना*

मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) के अंतर्गत डिस्कॉम, मानवीय हस्तक्षेप के बिना दूरस्थ स्थानों से फीडर मीटरों से जुड़े सभी मॉडेमों से डाटा की पहुंच की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। योजना के अंतर्गत मीटरिंग घटक में फीडरों के लिए एएमआर और रिंग-फेंसिंग[127] के लिए बाउंड्री मीटर सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2023 तक एमडीएएस में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा चयनित शहरों की सात परियोजनाओं में कुल 1,170 फीडरों में से मात्र 443 (37.86 प्रतिशत) (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.8** में विस्तृत है) ही अद्यतन किए गए थे। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, कुल 670 फीडरों में से कोई भी एमडीएएस में अद्यतन नहीं पाया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी डिस्कॉम के नमूना जांच किए गए 21 वृत्त में शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से अलग करने के लिए डीपीआर में प्रस्तावित किए गए 163 बाउंड्री मीटरों में से केवल 40[128] बाउंड्री मीटर ही स्थापित पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, शहरों की रिंग-फेंसिंग नहीं हो पाई। इस प्रकार, बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से मीटर डाटा प्राप्त करने का एमडीएएस का उद्देश्य विफल हो गया।

### *2.4.7.6 टर्नकी ठेकेदारों को अनुचित लाभ*

कार्यों के निष्पादन के लिए एसबीडी/आंकलन/अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

i. योजना के एसबीडी के जीसीसी के खंड 21.3 के अनुसार योजना निधि से शीघ्र निष्पादन के लिए बोनस/प्रोत्साहन का भुगतान अनुमत्य नहीं था। एसबीडी के उल्लंघन में, पांच[129] परियोजनाओं में, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने योजना निधि से ठेकेदार को प्रोत्साहन के रूप में ₹ 2.03 करोड़ का भुगतान किया था।

ii. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने निविदाएं वर्ष 2016-17 के एसओआर के आधार पर जारी की थीं एवं बोलियों को एसओआर दरों के अतिरिक्त उच्च अथवा निम्न दरों (+/-) पर अंतिम रूप दिया गया। एसओआर दरें एनआईटी तैयार करने का आधार थीं जिसके आधार पर बोलीदाताओं ने अपनी दरें उद्धृत कीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 10 परियोजनाओं में, एनआईटी में ही कुछ मदों की दरें प्रासंगिक एसओआर 2016-17 की दरों से अधिक थीं। एल-1 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत प्रतिशत उच्च दरों पर विचार करने के बाद, 2016-17 के प्रासंगिक एसओआर दर ₹ 271.51 करोड़ की तुलना में ₹ 305.89 करोड़ रुपये की उच्च दरें प्रदान की गईं। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ एवं उच्च दरों पर ₹ 34.38 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

---

127 अलग-अलग एटी&सी हानि मापन के लिये सीमा मीटरों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी फीडरों का विभाजन।

128 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में क्रमश: 40, 0 तथा 0।

129 भोपाल शहर के लॉट-1बी प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं लॉट-1बी मीटरिंग, ग्वालियर शहर में लॉट-VII एचटी एवं लॉट-VIIए (मोनोपोल) तथा इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर।

iii. एसओआर 2016-17 की अनुसूची बी-1.2 और बी-2.2 के अनुसार, यार्ड लेवेलिंग और मेटलिंग कार्य के लिए ठेकेदार को प्रति सबस्टेशन केवल 100 क्यूबिक मीट्रिक टन (सीएमटी) के लिए भुगतान किया जाना था। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि योजना के अंतर्गत छिंदवाडा, सागर, नरसिंहपुर और टीकमगढ वृत्त के लिए सौंपे गए कार्यों में, 13[130] सबस्टेशन निर्मित किए गए थे और डिस्कॉम ने 100 सीएमटी से अधिक के कार्य के लिए भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को ₹ 70.32 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

iv. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, बिलों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ परियोजनाओं में डिस्कॉम ने 18 प्रतिशत जीएसटी पर एलओए सौंपे; जबकि, सरकार के आदेशानुसार, सौर पैनलों पर 5 प्रतिशत की दर पर जीएसटी का भुगतान किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ और आठ[131] वृत्त में ₹ 60.61 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

v. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, सीजीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण कर संशोधन का निहितार्थ, एसओआर दरों में मई 2018 और जून 2018 में सौपे गए एक्सवर्क मूल्य[132] की अनुसूची-सी (प्रमुख वस्तुओं के लिए) में समाहित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि संशोधित दरों के बावज़ूद सीजीएसटी अधिनियम के प्रभावों का हवाला देते हुए ठेकेदारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन (मार्च 2019) पर, अंतिम निविदा में, चार वृत्त में दरें पुन: संशोधित की गईं। चूकी संशोधित दर पहले ही अंतिम निविदा मे समाहित कर ली गई थी, इसलिए यह बाद मे संशोधित करना अनुचित था, इसके परिणामस्वरूप कार्य को उच्च दरों पर सौंपा गया एवं ठेकेदार को ₹ 2.33 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

vi. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, नमूना लॉट के पुनः परीक्षण में विफलता के बावजूद विभिन्न वृत्त (छिंदवाड़ा: 42 किमी, सिवनी: 67 किमी, नरसिंहपुर: 20 किमी और सागर: 5 किमी) में 134 किमी (मार्च 2018 को प्राप्त) की एबी केबल को फर्म द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यह देखा गया कि हालांकि केबल कार्य कर रहा था लेकिन, खराब गुणवत्ता के कारण, विफलता के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

vii. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, एलटी कार्य के लिए भोपाल शहर वृत्त लॉट-1सी एवं एचटी कार्य के लिए ग्वालियर शहर वृत्त लॉट-VII के मामले में, ठेकेदार को निष्पादित कार्य के अतिरिक्त भी भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को क्रमश: ₹ 0.46 करोड़ एवं ₹ 1.16 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि वृत  में निष्पादित कार्य के अनुसार, संबंधित टर्नकी ठेकेदारों को भुगतान निविदा शर्तों के अनुसार किया गया।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि टीकेसी को निष्पादित कार्य की लागत से अधिक भुगतान किया गया था।

### *2.4.7.7 अतिरिक्त क्रय एवं गारंटी अवधि के बाद भी अप्रयुक्त सामग्री*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड-11 (अध्याय-IV) के अनुसार, योजना के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम पूर्णत: जिम्मेदार एवं जवाबदेह होंगे। इसके अनुसार, डिस्कॉम योजना कार्यों के तहत एक गुणवत्तापूर्ण ढांचे

130 गोटेगांव, गाडरवाडा, करेली-2, पंचमदी ढाना, चांदमेटा परासिया, जुन्नारदेव, करी, पृथ्वीपुर, आरटीओ सागर, किशोर न्यायालय, मकरोनिया, बीना तहसील और गणेश वार्ड बीना।

131 छिंदवाडा, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, जबलपुर (ओएंडएम) और जबलपुर शहर।

132 सामग्री की दरें सभी करों को छोड़कर।

का निर्माण करने के लिए एक व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) और निरीक्षण योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा, डिस्कॉम की क्रय नियमावली के खंड 1.3(iv) के अनुसार, उसे विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सही समय, सही स्थान और सही मात्रा एवं गुणवत्ता पर सही सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में (दिसम्बर 2020), योजना के तहत खरीदी गई सामग्री गारंटी अवधि के बाद भी एक माह से लेकर 27 माह तक क्षेत्रीय भण्डारों में रखी रहीं। योजना के निर्धारित समय पर पूर्ण होने (मार्च 2019) के बाद भी सामग्री अप्रयुक्त रही। इसके परिणामस्वरूप तत्काल आवश्यकता के बिना क्रय के कारण धनराशि अवरुद्ध हो गई, जिससे ₹ 2.62 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.9** में विस्तृत है)।

### *2.4.7.8 परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति और निगरानी में कमियां*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड-11 (अध्याय-II) के अनुसार, पीएमए को निविदा तैयार करने में, बोली प्रक्रिया में (बोली पूर्व होने वाली बैठकों आदि सहित), तकनीकी मूल्यांकन में, एलओए जारी करने एवं संबंधित गतिविधियों में सहायता करनी थी। इसके अतिरिक्त, पीएमए को विस्तृत कार्य कार्यान्वयन अनुसूची, निष्पादन का समन्वय और निगरानी, डीपीआर-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करना, बाधाओं की पहचान, परिसंपत्तियों का सत्यापन, गुणवत्ता निगरानी और कार्यों का क्षेत्रीय निरीक्षण तथा निष्पादन के दौरान सामग्रियों का संयुक्त सत्यापन करने में सहायता करनी थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

i. दो डिस्कॉम (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के अतिरिक्त) में, पीएमए डीपीआर तैयार करने व बोली प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप विशिष्ट स्थानों के संबंध में डीपीआर में अपूर्ण प्रस्ताव आए, जिनमें सब-स्टेशन, लाइनों के नए/संवर्द्धन/नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा एबीसी की स्थापना के कारण शामिल थे। एसओआर में बाद में होने वाली वृद्धि पर विचार किए बिना डीपीआर तैयार किए गए, जैसा कि कंडिका 2.4.5.2 और 2.4.6.4 में चर्चा की गई है। इसके अलावा, बोली-संबंधी कमियों, जैसे गलत अनुमान, कई बार रद्दीकरण आदि के कारण पुनः निविदाएं जारी करनी पड़ीं और कार्यादेश जारी करने में भी देरी हुई, जैसा कि कंडिका 2.4.6.2, 2.4.6.3 और 2.4.6.4 में चर्चा की गई है।

ii. डिस्कॉम को निष्पादन और रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए पीएमए द्वारा तैयार की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सभी नमूना चयन 21 परियोजनाओं में देरी के बावजूद, कारणों के साथ देरी की सूचना न देने के कारण उपचारात्मक उपाय करने में विफलता हुई। इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, खराब पर्यवेक्षण और निगरानी के परिणामस्वरूप निष्पादन अवधि के दौरान देखी गई कमियों को दूर नहीं किया जा सका (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.10** में विस्तृत है)।

इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (नवम्बर 2002) में यह प्रावधान है कि कंसल्टेंट्स का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए तथा उनका भुगतान कार्य की प्रगति से सहसंबद्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने डिस्कॉम में विभिन्न कमियाँ देखीं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

i. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्रमशः ₹ 50.09 लाख, ₹ 75.11 लाख और ₹ 298.70 लाख का निश्चित भुगतान

किया। इसके अलावा, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने क्रमशः ₹ 15 लाख (₹ 3 करोड़ – ₹ 2.85 करोड़, सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार किए गए भुगतान) और ₹ 2.42 करोड़ के मूल अनुबंध मूल्य पर सहमत दरों से अधिक का भुगतान किया।

ii. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पीएमए (मेसर्स आरईसी और पीएफसी) को नामांकन के आधार पर काम सौंपे थे। इसके अलावा, दिए गए कार्य की दर अन्य दो डिस्कॉम द्वारा दिए गए दरों (डीपीआर और निविदा कार्यों को छोड़कर) से एक प्रतिशत अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम को अपने स्वयं के संसाधनों से ₹ 4.25 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि पीएमए की नियुक्ति आईपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी, जो सीपीएसयू से या उनकी नीति/दिशानिर्देश के अनुसार खुली बोली के माध्यम से चयन का प्रावधान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के पास पीएमए की नियुक्ति के लिए कोई अलग नीति/दिशानिर्देश नहीं थे। डिस्कॉम की क्रय नियमावली में विशेष रूप से सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रावधान है।
- अन्य दो डिस्कॉम ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पीएमए नियुक्त किए।

इस प्रकार, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के लाभों से वंचित होना पड़ा, जैसा कि शेष दो डिस्कॉम को प्राप्त हुआ था।

### *2.4.7.9 टीकेसी को कार्य निष्पादित किए बिना अधिक भुगतान और जांच के संचालन मे कमियों के कारण हानि*

डिस्कॉम ने योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय और गैर-वित्तीय हितों की रक्षा के लिए पीएमए, वृत्त-वार नोडल अधिकारी (अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन अभियंता) और कंपनी मुख्यालय स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ की नियुक्ति की थी। इस तंत्र का उद्देश्य योजना परियोजनाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक क्रियान्वयन की निरंतर और उचित निगरानी सुनिश्चित करना था।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में देवास, उत्तर संभाग-इंदौर वृत्त और दक्षिण संभाग-इंदौर वृत्त की प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं मेसर्स क्षमा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (टीकेसी) को दी गई थीं (अप्रैल 2017/सितंबर 2017)। क्षेत्रीय निरीक्षण (मई/जून 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के पूरा होने के बाद, कार्य निष्पादन के बिना टीकेसी को भुगतान किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई (जनवरी/फरवरी 2021)। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के परियोजना प्रकोष्ठ ने टीकेसी द्वारा सामग्री का भंडारण, पीएमए द्वारा क्षेत्र भ्रमण का अभाव, कार्यस्थल पर मौजूद वास्तविक सामग्री और स्टॉक रजिस्टर के बीच सामग्री का मिलान न होना आदि जैसी ठोस जानकारी होने के बावजूद, टीकेसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। क्षेत्र स्तर, मुख्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र और एक परियोजना सलाहकार होने के बावजूद, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में कमियों पर ध्यान नहीं दे सका। डिस्कॉम ने संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एसीई), एसई, ईई और एई के खिलाफ एसई (मुख्यालय) के अधीन एक समिति गठित की गई और एसई स्तर पर जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। समिति ने पाया कि ठेकेदार को बिना वास्तविक कार्य निष्पादन के ₹ 17.01 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था।

हालाँकि, बिना काम के टीकेसी को गलत भुगतान की जाँच वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के बिना की गई। चूँकि इस चूक के संबंधित पक्ष स्वयं जाँच प्रक्रिया में शामिल थे, इससे संभावित पक्षपात और असंगत कानूनी कार्रवाइयाँ हुईं, जिससे ₹ 9.29 करोड़ की वसूली प्रभावित हुई। परियोजना सलाहकार (मेसर्स फीडबैक इंफ्रा लिमिटेड) को दंडित नहीं किया गया और वह अन्य योजनाओं पर काम करता रहा। कुल मिलाकर, डिस्कॉम अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहा।

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2024)।

### *2.4.7.10 उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने में विफलता*

योजना दिशानिर्देशों के खंड 2 (बी) (अध्याय-II) के अनुसार, योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए अनुमोदित डीपीआर के अनुसार उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों का प्रतिस्थापन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के तहत 12[133] वृत्त में 4,32,114 उपभोक्ता मीटर लगाने के प्रस्ताव के विरुद्ध 31 मार्च 2023 तक केवल 2,43,998 मीटर (56.47 प्रतिशत) ही लगाए जा सके (जैसा कि नीचे **तालिका 2.4.3** में विस्तृत है)। लेखापरीक्षा द्वारा मीटरिंग की खराब प्रगति के कारणों का विश्लेषण किया गया, जैसे मुख्यालय में कार्य की प्रगति की निगरानी/समीक्षा न करना, वृत्त स्तर पर बैठक के कार्यवृत्त का रखरखाव न करना, मीटरीकरण के लिए ठेकेदार को विशिष्ट निर्देशों का अभाव आदि। इस प्रकार, पूर्ण मीटरिंग के अभाव के कारण, स्थायी आधार पर सटीक और विश्वसनीय ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करने का योजना का प्राथमिक उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। जैसा कि **तालिका 2.4.3** में दर्शाया गया है :

**तालिका 2.4.3 : उपभोक्ता मीटरों का विवरण**

| क्रम सं. | कंपनी का नाम | वृत्त की संख्या | प्रस्तावित उपभोक्ता मीटरों की संख्या | स्थापित उपभोक्ता मीटरों की संख्या | वास्तविक स्थापना प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 3 | 72,071 | 46,301 | 64.24 |
| 2 | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 3 | 2,06,131 | 1,37,033 | 66.47 |
| 3 | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 6 | 1,53,912 | 60,664 | 39.41 |
| **कुल** | | **12** | **4,32,114** | **2,43,998** | **56.47** |

*(**स्रोत:** डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)*

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., शाजापुर (आगर सहित) वृत्त में, मार्च 2022 तक योजना के तहत बदले गए 5,050 मीटरों में से 2,130 खराब हो गए, जिनमें से केवल 180 को ही वर्ष पूरा होने के भीतर बदला गया। इस प्रकार, स्थापित मीटरों में से 1,950 मीटरो को न बदलने के परिणामस्वरूप ₹ 70.60 लाख का निष्फल व्यय हुआ। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के इंदौर वृत्त और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के छह वृत्त[134] में, यह पाया गया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए कम वोल्टेज-5 श्रेणी के क्रमशः 220 उपभोक्ता और 5,057 उपभोक्ता, जिनका कुल संयोजित भार 40,673.17 एचपी था, अभी भी बिना मीटर के थे और आंकलन अनंतिम आधार पर किया गया था, जिससे राजस्व प्राप्तियों में कमी आई।

133 इंदौर शहर, देवास, शाजापुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर शहर, सतना, सीधी, टीकमगढ़, भोपाल शहर, मुरैना और ग्वालियर शहर।

134 भोपाल शहर, सीहोर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर (ओ एंड एम) और शिवपुरी।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि सभी बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को मीटरीकरण के लिए विचार किया गया है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

उत्तर में धीमी मीटरीकरण के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है।

### *2.4.7.11 परिचालन दक्षता में सुधार हेतु प्रस्तावों का कार्यान्वयन न होना*

मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने म.प्र.पा.मै.कं.लि. में एक अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (आर एंड डी सेल) बनाया, जिसे विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों के निष्पादन का विश्लेषण/निगरानी, शहरों के वाणिज्यिक निष्पादन में सुधार की जांच और एटीएंडसी हानि में सुधार के लिए सुझाव/ प्रस्ताव देना शामिल है।

लेखापरीक्षा मे निम्नलिखित पाया गया :

- आर एंड डी सेल ने शहरों की परिचालन प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव सुझाए थे, जैसे 11 केवी फीडरों के बीच एचटी टेप का उपयोग करके अनधिकृत जंपिंग[135] का समाधान, कृषि फीडर के लिए टाइमर आधारित वीसीबी ट्रिप रिले से निर्धारित सीमा से अधिक के लिए बिजली की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना, समय आधारित नियंत्रक स्विच का प्रस्ताव, अधिभार संरक्षण इकाई के साथ पूरी तरह से कृषि डीटीआर को अलग करना आदि। हालांकि, डिस्कॉम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

- इसके अलावा, 2020-21 से 2021-22 में क्षेत्र के दौरे के दौरान, आर एंड डी सेल में शहर के वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए आंकड़ों और वास्तविक के साथ टी एंड डी हानि की रिपोर्टिंग में विचलन को इंगित किया, जो असामान्य रूप से अधिक था। इसके लिए भी डिस्कॉम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- तीन डिस्कॉम में, 978[136] ऐसे मिश्रित फीडर थे जिनके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं (जिनकी बिजली आपूर्ति 10 घंटे तक सीमित थी) को घरेलू फीडरों (24 घंटे बिजली आपूर्ति) से जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिलती रही, जिससे राजस्व की हानि[137] हुई।

- इसके अलावा यह भी पाया गया कि अवैध कॉलोनियों में योजना निधि का उपयोग न करने के लिए म.प्र.पा.मै.कं.लि. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के बुरहानपुर वृत की अवैध कॉलोनियों में ₹ 27.59 लाख रुपये की राशि का कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना से अधिक दावे हुए।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि कंपनी के एमडी कार्यालय में आरएंडडी सेल बनाया गया था और सेल द्वारा किए गए कार्यों की रूपरेखा बताई गई थी।

---

135 तार का छोटा टुकड़ा सर्किट में दो बिंदुओं को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

136 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के क्रमशः 325, 133 और 520

137 हालाँकि, नुकसान की मात्रा पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि कृषि उपभोक्ताओं के मीटरीकरण न होने के कारण डिस्कॉम के पास उपभोक्तावार आपूर्ति घंटों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

म.प्र.पा.मै.कं.लि. के आर एंड डी सेल द्वारा सुझाए गए कार्यों के आधार पर डिस्कॉम द्वारा वास्तव में किए गए कार्यों के बारे में प्रतिउत्तर मौन है।

### *2.4.7.12 योजना के विभिन्न चरणों में देरी और पूर्ण होने की गलत रिपोर्टिंग*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड 9 के अनुसार, टर्नकी/विभागीय आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं को डिस्कॉम द्वारा 30 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तिथि से कार्यान्वयन के लिए 24 माह और आवंटन देने के लिए नौ माह)। चयनित नमूनों के लिए टर्नकी कार्यादेश जारी करने और निष्पादन में देरी का डिस्कॉमवार विवरण **तालिका 2.4.4** में दिया गया है:

**तालिका 2.4.4 : टर्नकी कार्यादेश जारी करने और निष्पादन में देरी का डिस्कॉमवार विवरण**

| क्रम सं. | डिस्कॉम का नाम | वृत्तों की संख्या | टर्नकी कार्यादेश जारी करने में देरी (दिनों में सीमा) | टर्नकी कार्य के निष्पादन में देरी (दिनों में सीमा) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 6 | 76-90 | 122-641 |
| 2 | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 7 | 98-462 | 244-606 |
| 3 | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 7 | 0 | 214-259 |

*(**स्रोत**: डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद, चयनित टर्नकी परियोजनाओं में अवार्ड पत्र जारी करने में (फरवरी 2017 से अक्टूबर 2018 तक) 76 दिनों से लेकर 462 दिनों तक (सूचना प्राप्त होने की संशोधित तिथि से नौ माह बाद) देरी हुई। इसका कारण समय पर निविदा प्रक्रिया शुरू न करना, गलत अनुमानों के कारण कई बार निरस्तीकरण आदि था। यह भी पता चला कि निविदा देने के बाद, तकनीकी रूप से कमजोर फर्मों के चयन, पीएमए और कंपनी द्वारा अपर्याप्त निगरानी आदि के कारण कार्य पूरा होने में 122 से 641 दिनों तक की देरी हुई (मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक) (कार्य पूरा होने की तिथि से 24 माह बाद), जैसा कि कंडिका 2.4.6.2 और 2.4.10 में चर्चा की गई है।

इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के उज्जैन वृत्त (सिंहस्थ को छोड़कर) में निष्पादित विभागीय कार्य के मामले में, यह देखा गया कि आंकलन की तैयारी में देरी (दिसंबर 2016) के कारण कार्यादेश 12 माह की देरी से सौंपा गया था। इसके अलावा, कार्य मार्च 2019 में पूरा होने की निर्धारित तिथि से 457 दिनों (अनुमोदन तिथि से 30 माह बाद) की देरी से जून 2020 में पूरा हुआ। आंशिक रूप से पूरा होने और परियोजना क्षेत्र में चल रहे कार्य के बावजूद कार्य को भौतिक रूप से पूर्ण घोषित कर दिया गया।

इस प्रकार, कार्य पूरा करने में अनुचित विलंब के परिणामस्वरूप योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके, साथ ही योजना के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन नहीं हो सका।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि विभिन्न चरणों में दर्ज देरी डिस्कॉम के कारण नहीं थी और अन्य कारकों को निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया, जिसके आधार पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग विस्तार दिया गया।

तथ्य यह शेष है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा कार्यादेश जारी करने और कार्यों को पूरा करने में भी देरी की गई, जिसके कारण उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा, निगरानी समिति ने कुल निर्धारित समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया, जो उत्तर की वैधता की कमी को और भी स्पष्ट करता है।

### 2.4.7.13 समय विस्तार देने में कमियाँ

योजना दिशानिर्देशों के खंड 9 (अध्याय II) के अनुसार, टीकेसी को दिए गए प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य को कार्य सौंपने की तिथि से 24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। एनआईटी की शर्तों और नियमों के अनुसार, आवंटन के बाद, खराब प्रगति के मामले में, कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए डिस्कोपिंग के लिए समीक्षा की जानी थी। इसके अलावा, ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार के लिए एक नोटिस प्रस्तुत करना होगा, साथ ही इस तरह के विस्तार को उचित ठहराने वाली घटना या परिस्थिति का विवरण भी देना होगा। इसके अलावा, ऐसी सूचना ऐसी घटना या परिस्थिति के शुरू होने के बाद यथाशीघ्र तथा अनुबंध के अनुसार सहमत समय-सारिणी की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, सभी 25 वृत्त (बड़वानी वृत्त और खंडवा वृत्त को छोड़कर) में कार्यरत टीकेसी ने अनुबंध की समय-सारिणी की समाप्ति के बाद समय विस्तार का अनुरोध किया था। लेखापरीक्षा ने टीकेसी को समय विस्तार प्रदान करने के लिए औचित्य, तर्कसंगतता, एनआईटी के मानदंड आदि के मानक के आधार पर प्रत्येक प्रस्ताव की जांच की (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.11** में विस्तृत है) और पाया कि प्रस्तुत किए गए आधार[138] ठेकेदार की ओर से नियंत्रण योग्य थे। यह पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी ने टीकेसी के समय विस्तार प्रस्ताव का उचित विश्लेषण नहीं किया था और उनके इनपुट विश्लेषण के बिना ही उनके प्रस्तावों को दावे के अनुसार अग्रेषित कर दिया था। इसके अलावा, डिस्कॉम मुख्यालय में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई और न ही इस पर विचार किया गया। यह डिस्कॉम के प्रबंधन की ओर से कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के प्रति ढिलाई को दर्शाता है क्योंकि इससे टीकेसी को अनुचित वित्तीय लाभ मिलता है। डिस्कॉम की वित्त शाखा ने शुरू में लिक्विडेटेड डैमेज काट लिया, लेकिन परियोजना शाखा की सिफारिश पर इसे जारी कर दिया, जिससे टीकेसी की ओर से देरी के बावजूद डिस्कॉम म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में क्रमशः ₹ 17.18 करोड़ और ₹ 21.84 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मार्च 2025)।

### 2.4.7.14 अप्रभावी परियोजना कार्यान्वयन के कारण कम समय में परियोजनाओं का बंद होना (शॉर्ट क्लोज़)

योजना के दिशानिर्देश खंड 10 (अध्याय-II) के अनुसार, डिस्कॉम को क्षेत्र और मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना करनी होगी और निर्धारित पूर्णता अवधि के भीतर योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होना होगा, साथ ही सुचारू कार्यान्वयन और शिकायत निवारण के लिए परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए 10[139] वृत में, ₹ 633.17 करोड़ की निर्धारित लागत के विरुद्ध, डिस्कॉम केवल ₹ 586.53 करोड़ ही व्यय कर सके, परिणामस्वरूप ₹ 46.64 करोड़ की राशि के कार्य निष्पादित नहीं हो पाए और परियोजनाएं शॉर्ट क्लोज़ हो गई (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.7** में वर्णित है)। इसके कारणो में निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी, अनुचित लागत अनुमान के कारण निविदा रद्द होना, समय विस्तार,

---

138 सर्वेक्षण और बीओक्यू को अंतिम रूप देने में देरी, जीएसटी संशोधन के मुद्दे, संशोधित कार्य की मंजूरी, आरओडब्ल्यू और सार्वजनिक बाधा, सामग्री की चोरी, अनियोजित शटडाउन, हार्ड रॉक के कारण देरी, सामग्री के निरीक्षण में देरी आदि।

139 बुरहानपुर, शाजापुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल शहर, सीहोर, ग्वालियर ओएंडएम, भिंड, मुरैना और शिवपुरी।

तकनीकी मानदंडों में ढील के कारण तकनीकी रूप से कमज़ोर बोलीदाताओं को काम मिलना, और टर्नकी ठेकेदारों की खराब प्रगति सम्मिलित थी। परियोजनाओं के शॉर्ट क्लोजर के परिणामस्वरूप न केवल वांछित उद्देश्यों वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, बल्कि भविष्य में इन परियोजनाओं को यदि पुनः शुरू किया गया तो डिस्कॉम को इसकी लागत भी वहन करनी पड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि कार्यों को अनुबंध समाप्त, संशोधित बीओक्यू और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के कारण विभागीय रूप से किया गया था। इसके अतिरिक्त, निगरानी समिति ने प्रत्येक परियोजना में बीओक्यू में परिवर्तन को स्वीकृत किया है, जो राज्य डीआरसी की विधिवत स्वीकृति के साथ स्वीकृत कुल परियोजना लागत के भीतर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह तथ्य कि डिस्कॉम को विभागीय स्तर पर कार्य करना पड़ा, परियोजना के खराब कार्यान्वयन के बारे में लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इसके अलावा, उत्तर इस तथ्य पर मौन है कि शेष रुके हुए कार्यों को विभागीय स्तर पर पूरा करने का प्रयास करने के बावजूद, परियोजना के अंतर्गत पूरा कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का शॉर्ट क्लोजर करना पड़ा।

### *2.4.7.15 ऊर्जा लेखापरीक्षा का संचालन न किया जाना*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड 2 (बी) (अध्याय-II) के अनुसार, विभिन्न स्तरों जैसे कि सब-स्टेशन, वितरण फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर, साथ ही उपभोक्ता स्तर पर उचित ऊर्जा लेखांकन[140] और ऊर्जा लेखापरीक्षा, वास्तविक वितरण स्तर, तकनीकी और अन्य नुकसानों के बारे में विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए डिस्कॉम में महत्वपूर्ण थी। फीडर और डीटीआर स्तर पर अपर्याप्त ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली उच्च नुकसान और अन्य मापदंडों के लिए जवाबदेही तय करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, डिस्कॉम को ऊर्जा लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2023 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी डिस्कॉम में ऐसी कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। वृत्त में केवल फीडर-वार ऊर्जा लेखांकन की गई। ऊर्जा लेखापरीक्षा के अभाव तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अपर्याप्त तंत्र भी उच्च-हानि वाले फीडरो के होने के संभावित कारण थे। मार्च 2023 तक, 7,838 फीडरों में से 3,857 में, वृत्त में आईपीडीएस और आरएपीडीआरपी योजनाओं के पूरा होने के बावजूद पारेषण और वितरण हानि 25.01[141] से 100[142] प्रतिशत तक थी। इसके अलावा, ऊर्जा लेखापरीक्षा के अभाव में, डिस्कॉम द्वारा दिखाई गई फीडर-वार हानि भी अविश्वसनीय हैं।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि डिस्कॉम ने सभी प्रकार के मीटरिंग पाईंटों की निगरानी के लिए एकीकृत मीटर डेटा प्रबंधन (एमडीएम) सॉफ़्टवेयर प्रणाली विकसित की है।

उत्तर अस्वीकार्य है, क्योंकि एमडीएम प्रणाली एक डेटा संग्रह उपकरण है, जबकि ऊर्जा लेखापरीक्षा विश्लेषण, सत्यापन और सुधारात्मक कार्रवाई की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। किसी भी उपकरण की प्रभावशीलता उसके परिणामों से मापी जाती है। यह तथ्य कि डिस्कॉम एमडीएम से फीडर-वार हानि के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका, और यह तथ्य कि लगभग 50 प्रतिशत फीडर (7,838 में से 3,857) में लगातार हानि (25-100

140 एटीएंडसी हानियों का फीडरवार रिकार्ड रखना।

141 राजनगर फीडर (छतरपुर वृत्त)।

142 झांझरवाड़ा फीडर (नीमच वृत्त)।

प्रतिशत के बीच) जारी है, इस बात की पुष्टि करता है कि मौजूदा प्रणाली हानि कम करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिए अप्रभावी है। चूँकि एमडीएम द्वारा उत्पन्न फीडर-वार हानि डेटा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका और पूरी तरह से संचालित ऊर्जा ऑडिट तंत्र का कोई सबूत नहीं था, इसलिए म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. विश्वसनीय रूप से उत्तरदायित्व स्थापित नहीं कर सकता या टीएंडडी हानि प्रबंधन के लिए डेटा की समग्रता सुनिश्चित नहीं कर सकता।

### *2.4.7.16 निधि प्रबंधन मे अनियमितताएँ*

योजना दिशानिर्देशों के खंड 6.5 (अध्याय-IV) के अनुसार, डिस्कॉम यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के तहत जारी की गई धनराशि का उपयोग उनके जारी किए जाने के इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और उसे योजना के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 6.3 में योजना निधि पर किसी भी ब्याज को विद्युत मंत्रालय को भेजने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने योजना निधि के प्रबंधन में विभिन्न कमियां देखीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, योजना दिशानिर्देशों के खंड 6.5 का उल्लंघन करते हुए, ₹ 31.96 करोड़ की राशि का उपयोग आरएपीडीआरपी बिलों के भुगतान के लिए किया गया।

ii. योजना दिशानिर्देशों के खंड 6.3 का उल्लंघन करते हुए, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, योजना निधि पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 5.53 करोड़ न तो प्रेषित की गई और न ही समायोजित की गई।

iii. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (दिसंबर 2019) पर, डिस्कॉम ने पंजाब नेशनल बैंक से 6.70 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण पुनर्वित्त किया, लेकिन म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा आज तक ऐसा कोई पुनर्वित्त नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप उच्च दरों पर ₹ 21.92 करोड़[143] के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, प्रबंधन द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

iv. इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. की क्रमशः ₹ 50.83 लाख और ₹ 42.44 लाख की मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज को योजना दिशानिर्देशों के खंड 6.3 का उल्लंघन करते हुए योजना निधि के साथ समायोजित नहीं किया गया था।

v. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के ग्वालियर (ओएंडएम) और शिवपुरी (ओएंडएम) वृत्त के मामले में, आरआरटीडी योजना के तहत निष्पादित ₹ 2.39 करोड़ की विभागीय मीटरिंग कार्य राशि को योजना दिशानिर्देशों के खंड 2 (एच) का उल्लंघन करते हुए आईपीडीएस के तहत दावा किया गया था।

vi. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, पांच[144] वृत्त कार्यालयों में ₹ 38.33 करोड़ के कुल कार्य निष्पादन विभागीय रूप से किए गए। इनमें से, ₹ 9.10 करोड़ की सामग्री उपयोग का दावा योजना के तहत किया गया था। चूंकि इसके कार्य अनुमान, कार्यादेश, निष्पादन एजेंसी या व्यय का कोई विवरण नहीं था, इन दस्तावेजो के अभाव मे लेखापरीक्षा योजना कार्यान्वयन के लिए सामग्री के वास्तविक उपयोग की पुष्टि नहीं

[143] 01 नवंबर 2020 से 30 सितंबर 2023 तक ऋण ₹ 198.10 करोड़ की 3.8 प्रतिशत की अंतर ब्याज दर पर।

[144] भिंड, भोपाल शहर, ग्वालियर ओ एंड एम, मुरैना (ओ एंड एम), और शिवपुरी।

कर सकी। इसके परिणामस्वरूप योजना निधि से ₹ 5.46 करोड़ (व्यय का 60 प्रतिशत) के अनुदान का अतिरिक्त दावा किया गया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि भोपाल शहर, ग्वालियर (ओएंडएम), मुरैना, भिंड और शिवपुरी में कार्य विभागीय रूप से निष्पादित किए गए थे और पीएफसी को प्रस्तुत किए गए सभी अनुमानों के विवरण लेखा परीक्षकों को प्रदान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दावा किए गए आंकलनों की प्रति लेखापरीक्षा के लिए प्रदान नहीं की गई।

### *2.4.7.17 भूमिगत केबल के लिए समेकित प्रस्ताव तैयार न किया जाना*

भूमिगत केबलिंग (यूजी) हेतु योजना दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के अंतर्गत, नोडल एजेंसी और विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉम को घनी आबादी वाले क्षेत्रों और पर्यटन एवं धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में यूजी केबलिंग नेटवर्क परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितंबर 2017)। इस प्रयोजन के लिए, एक अलग परिव्यय प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सघन तथा पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्रों के बावजूद यूजी केबलिंग के लिए कोई समेकित प्रस्ताव तैयार नहीं किया था, जिसे मूल्यांकन और मंजूरी के लिए नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाना था। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने केवल दो डीपीआर अर्थात ओरछा और मैहर (अन्य सघन तथा धार्मिक महत्व के स्थानों को छोड़कर[145]) में ₹ 2.82 करोड़ मूल्य की 12[146] किलोमीटर यूजी केबलिंग का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनुदान प्राप्त करने के अवसर का नुकसान हुआ और आवश्यक यूजी केबलिंग कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि बजटीय सीमाओं और स्वीकृत डीपीआर के कारण, भोपाल शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर भूमिगत केबलिंग पड़ी हुई थी।

यह प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों (सितंबर 2017) के अनुसार, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा यूजी केबलिंग के लिए कोई विशिष्ट डीपीआर तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, यूजी केबलिंग के लिए एक अलग फंडिंग व्यवस्था होने के बावजूद, यूजी केबलिंग के लिए डीपीआर प्रस्तुत न किए जाने के कारण म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. उस फंड का उपयोग नहीं कर पाया।

### *2.4.7.18 योजना के उद्देश्य को समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण अतिरिक्त अनुदान से वंचित रहना*

योजना के दिशानिर्देशों के खंड 14 (अध्याय-IV) के अनुसार, योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान (ऋण/स्वयं निधि का 50 प्रतिशत अर्थात् 15 प्रतिशत) तीन शर्तों की पूर्ति के अधीन जारी किया जाना था, अर्थात निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार योजना का समय पर पूरा होना, राज्य सरकारों के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप पथ के अनुसार (डिस्कॉम-वार) एटीएंडसी हानि में कमी तथा मीटर्ड खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी का अग्रिम आवंटन होना था।

145 भेड़ाघाट, अमरकंटक, चित्रकूट और खजुराहो।

146 ओरछा, 9.00 कि.मी. मूल्य ₹ 1.77 करोड़ (टीकमगढ़ वृत्त के अंतर्गत) और मैहर 3.00 किमी, मूल्य ₹ 1.05 करोड़ (सतना वृत्त के अंतर्गत)।

यह देखा गया कि योजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई और डिस्कॉम की ओर से विभिन्न कारणों से प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में 122 से 641 दिनों (विभागीय कार्यों सहित) तक की देरी देखी गई। संशोधित प्रक्षेप पथ के अनुसार, 2019-20 में एटीएंडसी हानि को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाना था। हालांकि, 31 मार्च 2020 तक, वे क्रमशः म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के लिए 21.53 प्रतिशत, 34.17 प्रतिशत और 39.11 प्रतिशत थे। इसके अलावा, राज्य सरकार से राजस्व सब्सिडी भी समय पर प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, अतिरिक्त अनुदान का दावा करने की सभी तीन शर्तें पूरी नहीं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 232.40 करोड़[147] अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने का अवसर खोना पड़ा जिसका वहन डिस्कॉम को अपने संसाधनों से करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के बावजूद, इसे 15 प्रतिशत के बजाय 34.19 प्रतिशत तक लाया जा सका।

### 2.4.8 गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशन बनाने मे कमियाँ

गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) इनडोर प्रकार के होते हैं और पारंपरिक एयर- इन्सुलेटेड सबस्टेशन की तुलना में इन्हें काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। डिस्कॉम द्वारा किए गए जीआईएस कार्य का विवरण नीचे दी गई **तालिका 2.4.5** में दिया गया है:

**तालिका 2.4.5 : प्रस्तावित जीआईएस सबस्टेशनों का विवरण**

| क्रम सं. | कंपनी का नाम | वृत्त की संख्या | प्रस्तावित सबस्टेशनों की संख्या | स्वीकृत लागत (₹ करोड़ मे ) | ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में) | निर्मित सबस्टेशनों की संख्या | निष्पादित लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 3 | 6 | 29.57 | 5/8 | - | - |
| 2 | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. | 3 | 5 | 24.02 | 8 | - | - |
| 3 | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. | - | - | | - | - | - |
| **कुल** | | **6** | **11** | **53.59** | | | |

*(**स्रोत:** डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)*

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने पीएफसी के पत्र (जून 2018) के अनुपालन में तीन शहरी क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में ₹ 29.57 करोड़ (60 प्रतिशत अनुदान) की लागत के छह जीआईएस सबस्टेशन प्रस्तावित किए, जिसे पीएफसी ने (दिसंबर 2018) मंजूरी दे दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने एक वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ एक ही निविदाकर्ता को छह जीआईएस सबस्टेशनों का काम सौंपा (सितंबर 2019)। फिर भी, कोई भी सबस्टेशन पूरा नहीं हुआ (अक्टूबर 2023)। जीआईएस सबस्टेशन के काम की अवधारणा, कार्यादेश जारी करने और निष्पादन की प्रक्रिया में देखी गई कमियाँ नीचे दी गई हैं:

[147] म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की स्वीकृत लागत: ₹ 1,549.36 करोड़ (₹ 523.67 करोड़ + ₹ 543.41 करोड़ + ₹ 482.28 करोड़ ) X 15 प्रतिशत = ₹ 232.40 करोड़।

i. जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजते समय, आवश्यक मानदंड, अर्थात चिन्हित भूमि की उपलब्धता, पर विचार नहीं किया गया था, तथा सबस्टेशन के प्रकार, अर्थात पारंपरिक/जीआईएस सबस्टेशन, के लिए लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था।

ii. डिस्कॉम द्वारा निविदा में जीआईएस की पूर्व शर्त के साथ प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के तहत दो जीआईएस सबस्टेशनों के लिए पहले दिया गया कार्यादेश (मई 2016) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा हो गया था। जीआईएस सबस्टेशन के लिए वर्तमान निविदा में, तकनीकी रूप से जटिल होने के बावजूद, निविदा में तकनीकी मानदंडों में जीआईएस के निर्माण में बोली लगाने वाले के पिछले अनुभव को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

iii. योजना के प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में खराब प्रगति और समाप्ति नोटिस के बावजूद, वही ठेकेदार (मेसर्स श्रीराम स्विचगियर्स लिमिटेड) जीआईएस के लिए भी चुना गया था।

iv. विक्रेता की स्वीकृति में काफी समय लगा, ट्रांसफार्मर प्लिंथ के निर्माण के लिए ड्राइंग उपलब्ध कराने में देरी हुई, प्रमुख सामग्रियों की खरीद और कार्य की प्रगति की निगरानी भी नहीं की गई। इसके अलावा, डिस्कॉम ने अनुबंध समाप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, जबकि फर्म दिसंबर 2021 तक विस्तारित अवधि में भी कोई सबस्टेशन पूरा नहीं कर सकी।

इस प्रकार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने न केवल ₹ 17.74 करोड़ के अनुदान का दावा करने का अवसर खो दिया, बल्कि एटीएंडसी हानि में कमी के साथ विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, डिस्कॉम ने संबंधित लाइनों के साथ पांच[148] नए गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की और पीएफसी ने कंपनी को अनुदान के रूप में ₹ 14.41 करोड़ (परियोजना लागत का 60 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता के साथ ₹ 24.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की (11 दिसंबर 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 (निविदा आमंत्रित करने की तिथि) से जनवरी 2020 (बोली खोलने की तिथि) तक निविदा खोलने में 10 माह की देरी हुई। इसके बाद, निविदा की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं में संशोधन, भूमि की अनुपलब्धता, धन की व्यवस्था आदि के कारण डिस्कॉम निर्धारित समय सीमा के भीतर सफल बोलीदाता को कार्यादेश प्रदान करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत ₹ 14.41 करोड़ की वित्तीय सहायता से वंचित होना पड़ा और एटीएंडसी हानि को भी परिकल्पना के अनुसार कम नहीं किया जा सका।

### *2.4.9 रियल-टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटी-डीएएस) एसएआईएफआई/ एसएआईडीआई मापन प्रणाली मे कमियाँ*

डिस्कॉम को सभी गैर-एससीएडीए आरएपीडीआरपी शहरों और आईपीडीएस शहरों के 11 केवी फीडरों के लिए आरटी-डीएएस एसएआईएफआई/ एसएआईडीआई माप प्रणाली के लिए डीपीआर प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उच्च एटीएंडसी हानि और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता से संबंधित सटीक माप, निदान और उपचारात्मक कार्रवाई को संबोधित करना था। आरटी-डीएएस प्रणाली की परिकल्पना आपूर्ति आउटेज के कारण को अलग करने में सहायता करने के लिए की गई थी।

[148] जबलपुर में तीन सब स्टेशन, रीवा में एक और सागर में एक।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में डिस्कॉम ने क्रमशः ₹ 7.89 करोड़ और ₹ 7.85 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ डीपीआर (मई 2018) प्रस्तुत की। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में निविदा शुरू की गई, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, आरटी-डीएएस कार्य के निष्पादन के लिए कोई निविदा बुलाई नहीं गई। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने आरटी-डीएएस के कार्य के गैर-निष्पादन के लिए डिस्कॉम (सितंबर 2019) को सूचित किया, लेकिन डिस्कॉम ने अपनी स्थिति को और स्पष्ट नहीं किया, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी चिंताओं को रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। इस प्रकार, आरटी-डीएएस की स्थापना न होने के कारण, डिस्कॉम को भारत सरकार का ₹ 9.44 करोड़ (डीपीआर लागत ₹ 15.74 करोड़ का 60 प्रतिशत) का अनुदान नहीं मिला और वे एटीएंडसी हानि को कम करने तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सके।

### 2.4.10 स्मार्ट मीटरिंग स्थापना में अनियमितताएं

विद्युत मंत्रालय ने स्मार्ट मीटर परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए (अक्टूबर 2017)। तदनुसार, पीएफसी ने डिस्कॉम को डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (नवंबर 2017 तक)। पीएफसी को 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान करना था, जो अधिकतम ₹ 2,000 प्रति नोड की लागत तक सीमित थी।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में इंदौर शहर के 3,45,463 उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को पीएफसी द्वारा ₹ 220.80 करोड़ की मंजूरी दी गई थी (अप्रैल 2018), जिसमें योजना घटक केवल ₹ 69.09 करोड़ था। इसे छह माह (अक्टूबर 2018) के भीतर प्रदान किया जाना था और परियोजना को अक्टूबर 2020 तक पूरा किया जाना था।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने तीन वर्ष से कम की अपेक्षित पेबैक अवधि के साथ स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया (सितंबर 2019)। प्रस्ताव को छोड़ दिया गया और इंदौर शहर के कवर न किए गए उपभोक्ताओं वाले 11 शहरों को कवर करने के लिए फिर से शुरू किया गया (सितंबर 2019), लेकिन आंकलन की कमी के कारण इसे भी छोड़ दिया गया। अंत में, चयनित आरएपीडीआरपी शहरों (उज्जैन, देवास, रतलाम, महू और खरगोन) में 3,50,000 उपभोक्ताओं के लिए एक स्मार्ट मीटरिंग परियोजना प्रस्तावित की गई (दिसंबर 2019) जिसकी स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 69.09 करोड़ मार्च 2020 में प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:-

i. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. परियोजनाओं के समय पर और बेहतर निष्पादन के लिए इंदौर शहर और अन्य शहरों की स्मार्ट मीटरिंग का एक समेकित प्रस्ताव तैयार नहीं किया। बड़े पैमाने की खरीद यदि कोई हो, के लाभ के साथ समय बचाने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से स्मार्ट मीटर की थोक खरीद का पता लगाने का भी प्रयास नहीं किया गया था।

ii. परियोजना का दायरा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण से लेकर अवार्ड चरण तक पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में, इसे इंदौर सिटी सर्कल के शेष उपभोक्ताओं (अर्थात, जो सिस्टम सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत नहीं आते) और 11 उच्च टीएंडडी हानि वाले कस्बों के लिए परिकल्पित किया गया था। हालाँकि, कार्यादेश वाले अवार्ड चरण में, कवरेज को केवल पाँच शहरों तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा, डिस्कॉम अपनी योजना में बार-बार बदलाव और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रस्तुत न करने के कारण इंदौर शहर वृत और छह उच्च टीएंडडी हानि वाले कस्बों के छूटे हुए उपभोक्ताओं को कवर नहीं कर सका। इसके कारण अभिलेखों मे नहीं पाये गए।

iii. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने इस परियोजना को शुरू करने में 18 माह (अप्रैल 2018 से सितंबर 2019) की असामान्य देरी की। अनुचित योजना और परियोजना निर्माण में स्पष्टता की कमी के कारण, कुल परियोजना को स्वीकृति के दो साल बाद अवार्ड किया गया था।

iv. स्मार्ट मीटरिंग योजना अक्टूबर 2020 तक पूरी होनी थी। हालाँकि, योजना बनाने में देरी, जिसकी चर्चा बिंदु (i) और (ii) में की गई है और (iii) में उल्लिखित 18 माह के लंबे आरंभिक चरण ने प्रगति में बड़ी बाधा डाली। परिणामस्वरूप, परियोजना न केवल विलंबित हुई, बल्कि उसका शॉर्ट क्लोसर करना पड़ा, जिससे 1,24,477 उपभोक्ता स्मार्ट मीटरिंग के लाभ से वंचित रह गए। परियोजना के समय से पहले बंद होने के परिणामस्वरूप ₹ 26.52 करोड़ रुपये के अनुदान का भी नुकसान हुआ।

v. यदि परियोजना निर्धारित समय (अक्टूबर 2020) में पूरी हो जाती तो अभी सितम्बर 2023 तक, ₹ 470.85 करोड़ की राजस्व वृद्धि होती (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा किए गए लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार प्रति उपभोक्ता ₹ 650 प्रति माह की दर से गणना) तथा सम्पूर्ण लागत एक वर्ष में वापस मिल जाती।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, डिस्कॉम ने ₹ 215.57 करोड़ की स्मार्ट मीटरिंग की डीपीआर प्रस्तुत की (अक्टूबर 2016), लेकिन इसे आगे की मंजूरी के लिए डीआरसी को नहीं भेजा गया। इस प्रकार, परियोजना के निष्पादन न होने के परिणामस्वरूप डिस्कॉम को ₹ 24.03 करोड़ के अनुदान का नुकसान हुआ जिसका वहन स्वयं अपने संसाधनों से करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संदर्भ में 14 वृत्त में से किसी के लिए भी स्मार्ट मीटरिंग के अंतर्गत कोई डीपीआर प्रस्तावित नहीं की गई थी।

### 2.4.11 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) में कमियाँ

आईपीडीएस में आईटी कार्यान्वयन के लिए सलाहकार-सह-मार्गदर्शक सिद्धांतों (फरवरी 2017) के अनुसार, एनआईटी, बोली मूल्यांकन और अवार्ड स्वीकृति दिनांक से 12 सप्ताह के भीतर किए जाने थे और ऊर्जा प्रवाह सूचना के बारे में प्राथमिकता वाली गतिविधियों को स्वीकृति से नौ माह के भीतर पूरा किया जाना था। बाकी गतिविधियों को 30 माह की कुल अवधि के भीतर पूरा किया जाना था।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने 113 शहरों के लिए ₹ 12.24 करोड़ की डीपीआर (नवंबर 2016) प्रस्तावित की थी। हालांकि, प्रस्ताव को संशोधित कर ₹ 15.06 करोड़ कर दिया गया और कटौती का उचित औचित्य बताए बिना ही शहर का कवरेज घटाकर 87 शहरों तक कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i. परियोजना को स्वीकृति देने (जुलाई 2017) के बाद, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने निविदा प्रक्रिया शुरू करने में असामान्य रूप से दो साल से अधिक की अत्यधिक देरी की और कार्य अवार्ड करने में (जुलाई 2020) में 33 माह की देरी की।

ii. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सभी वृत्त के सभी शहरों की कवरेज की वास्तविक आवश्यकता का उचित औचित्य के साथ विश्लेषण नहीं किया।

iii. योजना शहरी क्षेत्रों के लिए होने के बावजूद इंदौर शहर वृत्त के 29 गांवों में आईटी से संबंधित कार्यों की आवश्यकताओं को भी डीपीआर में शामिल किया गया।

iv. योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान के साथ परियोजना निर्माण में सहायता के लिए पीएमए की नियुक्ति के प्रावधान के बावजूद म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने पीएमएस की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया। पीएमए की सहायता से योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता था। इसके परिणामस्वरूप कार्य अवार्ड करने में देरी हुई और परियोजना का क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा।

v. डिस्कॉम द्वारा कार्यालयों/परिसरों में विद्यमान उपलब्धता के साथ सह-संबंध स्थापित किए बिना, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मात्रा का विश्लेषण दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया।

vi. सबस्टेशनों, एचटी लाइनों और एलटी लाइनों की एसेट मैपिंग की जानी थी; हालाँकि, क्रमशः 92.55 प्रतिशत, 89.11 प्रतिशत और 69.69 प्रतिशत की ही मैपिंग निष्पादित की जा सकी।

इस प्रकार, कार्य अवार्ड करने में देरी, डीपीआर में अपर्याप्त आंकलन और दिशानिर्देशों के निर्धारित निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 3.41 करोड़ (₹ 18.47 करोड़ रुपये- ₹ 15.06 करोड़ ) की वृद्धि हुई।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, इसने 115 शहरों के लिए क्रमशः ₹ 58.11 करोड़ और ₹ 20.05 करोड़ की अनुमानित लागत पर डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर तथा चयनित शहरों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धिशील आवश्यकताओं के लिए डीपीआर तैयार किया। यह डीपीआर पीएफसी को भेजी गयी, जिसे (जुलाई 2017) स्वीकृति दी गई और ₹ 41.15 करोड़ की परियोजना लागत पर मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा ने निविदा आमंत्रण में जुलाई 2017 से जनवरी 2020 (निविदा आमंत्रण की तिथि) तक 30 माह की देरी देखी। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने धन की व्यवस्था न होने के कारण सफल बोलीदाता को निविदा प्रदान नहीं कर सका। इसके कारण परियोजना को रद्द कर दिया गया क्योंकि निर्धारित समयसीमा (मार्च 2020) के भीतर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ₹ 24.69 करोड़ के अनुदान से वंचित हुआ जिसका वहन स्वयं अपने संसाधनों से करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, आईपीडीएस निगरानी समिति ने 77 शहरों के लिए परियोजना लागत के रूप में ₹ 29.65 करोड़ की मंजूरी दी थी (जुलाई 2017)। इसके विरुद्ध, जैसा कि आईपीडीएस वेबसाइट से प्राप्त आईटी चरण II निगरानी रिपोर्ट से स्पष्ट है, कंपनी ने दिसंबर 2019 से मई 2020 तक कुल ₹ 22.68 करोड़ के छह एलओए जारी किए, जिसमें कार्य अवार्ड की निर्धारित तिथि से 32 माह की देरी थी। इस प्रकार, परियोजना के निष्पादन न होने के परिणामस्वरूप ₹ 4.18 करोड़ के अनुदान की हानि हुई, जिसे अंततः म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को ही वहन करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में प्रक्रिया के कारण देरी हुई।

### *2.4.11.1 एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के कार्यान्वयन में कमियाँ*

योजना के प्रावधान 2.3.4 के तहत, डिस्कॉम के लिए अनुदान निर्धारित करने हेतु पात्र लागत अनुमोदित परियोजना लागत या अवार्ड लागत में से, जो भी कम हो, थी।

ईआरपी परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, ईआरपी परियोजनाएं क्रमशः ₹ 7.97 करोड़, ₹ 7.53 करोड़ और ₹ 7.39 करोड़ रुपये की डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर स्वीकृत की गईं और नोडल एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित की गईं। लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा क्रमश: ₹ 9.26 करोड़, ₹ 13.63 करोड़ और ₹ 12.06 करोड़ की अवार्ड की गई लागत के विरुद्ध वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 8.71 करोड़, ₹ 11.12 करोड़ और ₹ 9.49 करोड़ था। यद्यपि सभी डिस्कॉम द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अवार्ड की लागत से कम है, परंतु यह डीपीआर के अनुसार स्वीकृत लागत से अधिक है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लागत का आंकलन उचित तरीके से नहीं किया गया है। इस प्रकार, डीपीआर में गलत आंकलन के कारण लागत में ₹ 6.43 करोड़[149] रुपये की वृद्धि हुई, जिसका वहन डिस्कॉम को अपने संसाधनों से करना पड़ा।

इसके अलावा, सभी डिस्कॉम में, आरएपीडीआरपी/आईपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार मॉड्यूल-वार कार्यों (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, परियोजना मॉड्यूल, क्रय और स्टोर मॉड्यूल, वित्त और लेखा मॉड्यूल) को ईआरपी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में पाया कि मॉड्यूल फ़ंक्शन स्थापित किए गए थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.12** में विस्तृत है), जिसके परिणामस्वरूप मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया और मानवीय हस्तक्षेप के साथ काम करना पड़ा। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में, प्रबंधन ने जानकारी प्रदान नहीं की।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि ईआरपी प्रणाली में सभी प्रकार के क्रय आदेश, भुगतान और लेनदेन से लेकर सामग्री जारी करने और प्राप्त करने तक की सभी कार्यक्षमताएं उपलब्ध हैं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल फ़ंक्शन अप्रयुक्त रहे।

### 2.4.12 निगरानी मे कमियाँ

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी वितरण सुधार समिति (डीआरसी) द्वारा की जानी थी, जिसका गठन योजना से संबंधित प्रस्तावों को संचालन समिति को भेजने तथा निर्धारित कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी के लिए किया गया था। डिस्कॉम के वृत्त स्तर पर, अधीक्षण यंत्री योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे।

योजना की निगरानी में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

#### *2.4.12.1 योजना कार्यों की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा में कमी*

प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मार्च 2015 में सीईए/म.प्र.पा.मै.कं.लि./डिस्कॉम के छह सदस्यों वाली डीआरसी का गठन किया गया था। डीआरसी के गठन से पता चलता है कि यह इस तरह से किया गया था कि योजना के कार्यान्वयन की म.प्र.पा.मै.कं.लि. स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जा सके और किसी भी कमी के लिए उपचारात्मक कार्रवाई तुरंत की जा सके।

---

[149] लागत में वृद्धि: म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 0.74 करोड़), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 3.59 करोड़) और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 2.10 करोड़) = ₹ 6.43 करोड़।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीआरसी ने मार्च 2015 से मार्च 2022 तक कुल 15 बैठकें कीं और ये बैठकें केवल संचालन समिति को प्रस्ताव अग्रेषित करने पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया जिसमें डीआरसी ने योजना के तहत निर्धारित कार्य और लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी की हो। उचित निगरानी के अभाव में, राज्य में इसकी शुरुआत के बाद से सात वर्ष (2015-2022) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी योजना का काम पूरा नहीं हो सका।

इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम को योजना कार्यों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। इसलिए, नोडल एजेंसी (पीएफसी) ने निर्देश दिया (अप्रैल 2017) कि योजना कार्यों की प्रगति पर मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

डिस्कॉम में, कार्य (प्रणाली सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट मीटरिंग, आईटी-ईआरपी, जीआईएस सबस्टेशन इत्यादि) फरवरी 2015 में स्वीकृत किए गए थे। उसके बाद, कार्य आवंटन से लेकर निष्पादन तक की सभी गतिविधियों की निगरानी प्रबंधन द्वारा फरवरी 2015 से शुरू होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जानी थी, यानी जिस माह में कार्य स्वीकृत हुए थे। यह योजना मार्च 2022 तक पूरी हो गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 72 मासिक समीक्षा बैठकों/रिपोर्टों (अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के बीच छह वर्षों के दौरान 12 मासिक बैठकों में) के विरुद्ध म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. तथा म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में क्रमशः केवल 11, 17 तथा 23 समीक्षा बैठकें की गईं। नियमित बैठकें न होने के कारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा नहीं हो सकी तथा समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों की निगरानी नहीं हो सकी। इसके अलावा, प्रत्येक माह टीकेसी और कन्सल्टन्ट के प्रतिनिधियों के साथ वृत्त स्तर (डिस्कॉम में) पर एसई/सीईओ द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त को बनाए नहीं रखा गया था, जिसके कारण समीक्षा बैठकों में सीईओ द्वारा सुझाई गई सुधारात्मक कार्रवाई और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि कंपनी ने नियमित बैठकें की हैं और क्षेत्र में प्रगति में तेजी लाने के लिए समय-समय पर टीकेसी को निर्देश जारी किए हैं।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि सभी उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने 72 बैठकों की आवश्यकता के विपरीत केवल 23 मासिक समीक्षा बैठकें (32 प्रतिशत) आयोजित कीं।

### 2.4.13 निष्कर्ष

डिस्कॉम द्वारा योजना के नियोजन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ रहीं। एनएडी और डीपीआर महत्वपूर्ण नेटवर्क कमियों को दूर किए बिना या क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए बिना तैयार किए गए। इसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय डीपीआर नहीं बने, जिससे कि योजना के उद्देश्यों को पाने में बाधा उत्पन्न हुई। मूल्यांकन रिपोर्टों, सिस्टम-जनरेटेड स्टेटमेंट्स के अभाव और कमजोर तकनीकी मानदंडों के कारण निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अभाव था, जिसके कारण तकनीकी रूप से कमज़ोर फर्मों का चयन हुआ। इसके अतिरिक्त, उचित नियोजन के अभाव में अव्यवस्थित कार्यान्वयन, लागत और समय में वृद्धि, अधूरी परियोजनाएँ और लगातार एटीएंडसी हानि हुई, जिससे अनुदान पात्रता प्रभावित हुई। वितरण सुधार समिति/डिस्कॉम ने योजना के तहत लक्ष्यों और उपलब्धियों की प्राप्ति की निगरानी नहीं की।

### 2.4.14 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

i. *डिस्कॉम योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, और विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों के माध्यम से एनएडी और डीपीआर तैयार कर सकते हैं, जो की विश्वसनीय हो और तकनीकी रूप से मजबूत डीपीआर विकसित करने के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के अनुरूप हों।*

ii. *डिस्कॉम ठेकेदारों के चयन में पारदर्शिता, वित्तीय औचित्य और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्रय नियमावली और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का सख्ती से पालन कर सकते हैं।*

iii. *डिस्कॉम वितरण सुधार समिति द्वारा नियमित प्रगति समीक्षा के साथ एक संरचित निगरानी तंत्र स्थापित कर सकते हैं और प्रभावी प्रगति ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए सीईओ स्तर की बैठक का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।*

**भोपाल** **(राम हित)**

**दिनांक : 15 अक्टूबर 2025** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा द्वितीय)**

**मध्य प्रदेश**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(के. संजय मूर्ति)**

**दिनांक : 17 अक्टूबर 2025** **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ठ

## परिशिष्ट 1.1 (अ)

*(कंडिका 1.1 में संदर्भित)*

## मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

| स. क्र. | स. क्र. | सरकारी कंपनियाँ |
|---|---|---|
| **सरकारी कंपनियाँ** | | |
| 1 | 1 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 2 | 2 | मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड |
| 3 | 3 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 4 | 4 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 5 | 5 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| 6 | 6 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| 7 | 7 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 8 | 8 | बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड |
| 9 | 9 | श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड |
| 10 | 10 | शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड |
| 11 | 11 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड |
| 12 | 12 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 13 | 13 | मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 14 | 14 | मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 15 | 15 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित |
| 16 | 16 | पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड |
| 17 | 17 | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड |
| 18 | 18 | भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड |
| 19 | 19 | जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड |
| 20 | 20 | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड |
| 21 | 21 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड |
| 22 | 22 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 23 | 23 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड |
| 24 | 24 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड |
| 25 | 25 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड |
| 26 | 26 | मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 27 | 27 | सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| 28 | 28 | बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड |
| 29 | 29 | रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम |
| 30 | 30 | मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड |
| 31 | 31 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड |
| 32 | 32 | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड |
| 33 | 33 | मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड |
| 34 | 34 | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 35 | 35 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड |
| 36 | 36 | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड |
| 37 | 37 | मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड |
| 38 | 38 | सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड |
| 39 | 39 | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड |
| 40 | 40 | मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 41 | 41 | संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड |
| 42 | 42 | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड |

| स. क्र. | स. क्र. | सरकारी कंपनियाँ |
|---|---|---|
| 43 | 43 | द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 44 | 44 | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 45 | 45 | मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 46 | 46 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड |
| 47 | 47 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड |
| 48 | 48 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड |
| 49 | 49 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड |
| 50 | 50 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड |
| 51 | 51 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड |
| 52 | 52 | मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड |
| 53 | 53 | मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड |
| 54 | 54 | मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड |
| 55 | 55 | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड |
| 56 | 56 | मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 57 | 57 | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड |
| 58 | 58 | मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड |
| 59 | 59 | मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड |
| 60 | 60 | ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड |
| 61 | 61 | मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड |
| **सांविधिक निगम** | | |
| 62 | 1 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन |
| 63 | 2 | मध्य प्रदेश वित्त निगम |
| 64 | 3 | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम |
| **सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | |
| 65 | 1 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 66 | 2 | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 67 | 3 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 68 | 4 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 69 | 5 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 70 | 6 | सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 71 | 7 | सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 72 | 8 | बी-नेस्ट फाउंडेशन |
| 73 | 9 | इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन |

## परिशिष्ट 1.1 (ब)

*(कंडिका 1.1 में संदर्भित)*

### इस प्रतिवेदन मे शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय परिणाम

| स. क्र. | कम्पनी/ निगम का नाम | लेखे की अवधि | प्रदत्त पूंजी | दीर्घ कालिक ऋण | संचित लाभ/हानि | टर्नओवर | शुद्ध लाभ/ हानि | नियोजित पूंजी | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **सरकारी कंपनियाँ और निगम** | | | | | | | | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 6520.54 | 10665.40 | -2625.01 | 9120.23 | 58.21 | 14569.90 | 1794.34 | 12.32 |
| 2 | मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 2022-23 | 4672.34 | 3121.78 | -402.26 | 4672.01 | 141.66 | 7391.86 | 568.45 | 7.69 |
| 3 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 6133.01 | 11141.46 | -22621.39 | 11468.38 | -617.84 | -5236.88 | 447.05 | -8.54 |
| 4 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2022-23 | 5821.83 | 9469.48 | -13107.28 | 19253.89 | -903.88 | 2184.03 | 99.69 | 4.56 |
| 5 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 6072.7 | 11914.12 | -24854.81 | 14614.56 | -257.54 | -6798.84 | 962.37 | -14.15 |
| 6 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 17889.88 | 15.91 | 0 | 35358.02 | 0 | 17905.79 | -362.51 | -2.02 |
| 7 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 0.69 | 0 | 17.14 | 26.74 | 0 | 30.14 | 2.35 | 7.80 |
| 8 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | 2021-22 | 35 | 218.47 | -53.79 | 39.61 | -12.69 | 199.68 | -5.10 | -2.55 |
| 9 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2022-23 | 13.40 | 0.00 | -2.22 | 0.04 | -0.53 | 11.18 | -0.53 | -4.74 |
| 10 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड | 2021-22 | 17.86 | 20.35 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 69.18 | 0.06 | 0.09 |
| 11 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 1.60 | 4.00 | -4.19 | 4.04 | -3.74 | 1.41 | -3.77 | -267.38 |
| 12 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 2021-22 | 112.86 | 260.54 | -125.12 | 0.73 | -76.39 | 248.28 | -58.91 | -23.73 |
| 13 | मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 10 | 0 | 43.14 | 26.88 | 14.94 | 53.14 | 20.02 | 37.67 |
| 14 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 2021-22 | 100 | 0 | 5.98 | 0 | -0.28 | 105.98 | -0.28 | -0.26 |
| 15 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 | 0.80 | 2632.11 | 86.37 | 61.30 | -14.85 | 2778.83 | -14.03 | -0.50 |
| 16 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 | 39.32 | 0.00 | 480.69 | 79.65 | 59.49 | 582.85 | 61.37 | 10.53 |
| 17 | पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड | 2022-23 | 10.81 | 0 | -4.49 | 9.03 | 2.17 | 68.24 | 2.17 | 3.18 |
| 18 | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 41.91 | 17.12 | 91.8 | 30.65 | 13.26 | 161.97 | 17.85 | 11.02 |
| 19 | भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | 2021-22 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.83 | 0.06 | 0.14 |

| स. क्र. | कम्पनी/ निगम का नाम | लेखे की अवधि | प्रदत्त पूंजी | दीर्घ कालिक ऋण | संचित लाभ/हानि | टर्नओवर | शुद्ध लाभ/ हानि | नियोजित पूंजी | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | 2021-22 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2.20 | 0.00 | 27.68 | 78.48 | 51.96 | 652.25 | 69.79 | 10.70 |
| 22 | मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 10 | 1188.82 | -25.85 | 15.37 | -3.41 | 1712.97 | -0.341 | -0.02 |
| 23 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | 2021-22 | 8.06 | 374.65 | 474.62 | 601.24 | 208.53 | 1943.53 | 289.11 | 14.88 |
| 24 | मध्य प्रदेश वित्त निगम | 2021-22 | 406.10 | 357.40 | 12.09 | 61.61 | -49.30 | 782.18 | -6.92 | -0.88 |
| **सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | | | | | | | | | |
| 25 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | 0.00 | 102.27 | 0.00 | 200.57 | 0.73 | 0.36 |
| 27 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 372.04 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | -0.20 | 0.12 | 1.10 | 199.80 | 0.33 | 0.17 |
| 29 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | -3.78 | 10.06 | 0.85 | 196.22 | 0.89 | 0.45 |
| 30 | सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 200 | 0.00 | -0.12 | 10.11 | -0.05 | 199.88 | -0.05 | -0.03 |
| 32 | बी-नेस्ट फाउंडेशन | 2021-22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **महायोग** | | | **49,122.11** | **51,401.61** | **-62,584.21** | **95,645.11** | **-1,388.28** | **40,862.85** | **3,884.19** | **9.51** |

## परिशिष्ट 1.2

*( कंडिका 1.6 में संदर्भित)*

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण जिनके लेखे 30 सितम्बर 2023 तक बकाया थे

| स. क्र. | कंपनी का नाम | 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त लेखे | बकाया लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| **(अ) सरकारी कंपनियाँ** | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 2 | जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 3 | भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 4 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 5 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 6 | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 7 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 8 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 9 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 10 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 11 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 12 | मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 13 | मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 14 | मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 15 | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 16 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 17 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 18 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 19 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 20 | शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 21 | बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 22 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 23 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 24 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 2021-22 | 1 |
| 25 | मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | (प्रथम लेखे 2022-23 से बकाया) | 1 |
| 26 | मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड | (प्रथम लेखे 2022-23 से बकाया) | 1 |
| 27 | मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 28 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 | 2 |
| 29 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 2 |
| 30 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 | 2 |
| 31 | मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 2 |
| 32 | मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड | 2019-20 | 3 |
| 33 | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 34 | संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 35 | मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 36 | द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 37 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 38 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 39 | सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड | 2019-20 | 3 |

| स. क्र. | कंपनी का नाम | 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त लेखे | बकाया लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 40 | मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2019-20 | 3 |
| 41 | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 4 |
| 42 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2018-19 | 4 |
| 43 | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 4 |
| 44 | रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम | (प्रथम लेखे 2017-18 से बकाया) | 6 |
| 45 | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2015-16 | 7 |
| 46 | सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | (प्रथम लेखे 2014-15 से बकाया) | 9 |
| 47 | बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड | (प्रथम लेखे 2014-15 से बकाया) | 9 |
| 48 | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2012-13 | 10 |
| 49 | ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड | 2009-10 | 13 |
| 50 | मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड | 2009-10 | 13 |
| 51 | मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड | 2005-06 | 17 |
| 52 | मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2003-04 | 19 |
| 53 | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड | 2001-02 | 21 |
| 54 | मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड | 1989-90 | 33 |
| **(अ) कुल सरकारी कंपनियाँ** | | | **231** |
| **(ब) सांविधिक निगम** | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | 2021-22 | 1 |
| 2 | मध्य प्रदेश वित्त निगम | 2021-22 | 1 |
| 3 | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 2007-08 | 15 |
| **(ब) सांविधिक निगम का योग** | | | **17** |
| **(स) सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ** | | | |
| 1 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 2 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 3 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 4 | सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 5 | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 6 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1 |
| 7 | बी-नेस्ट फाउंडेशन | 2021-22 | 1 |
| 8 | इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन | (प्रथम लेखे 2022-23 से बकाया) | 1 |
| 9 | सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 2 |
| **(स) सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियो का योग** | | | **10** |
| **महायोग (अ+ब+स)** | | | **258** |

## परिशिष्ट 1.3

*(कंडिका 1.9.1 में संदर्भित)*

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनको टिप्पणियां जारी की गई

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | अवधि, जिसके लिए टिप्पणिया जारी की |
|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 2 | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 3 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 4 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 5 | द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | 2019-20 |
| 6 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 |
| 7 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 2020-21 |
| 8 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | 2021-22 |
| 9 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 |
| 10 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2021-22 |
| 11 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 |
| 12 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 |
| 13 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 |
| 14 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 2021-22 |
| 15 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 2021-22 |
| 16 | मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 |
| 17 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | 2021-22 |
| 18 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | 2021-22 |
| 19 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 |
| 20 | मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 2022-23 |
| 21 | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड | 2022-23 |
| 22 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | 2022-23 |
| 23 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 |

## परिशिष्ट 1.4

*(कंडिका 1.9.2 में संदर्भित)*

## सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के पूरक जारी की गई, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

### लाभ प्रदता पर टिप्पणी

| स. क्र. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 2018-19 | अन्य आय (₹ 2,530.66 लाख) में लीज रेंट से प्राप्त ₹ 1,123.01 लाख की राशि शामिल है, जिसमें 2018-19 के दौरान, पर्यटन नीति 2016 के अनुसार निजी पार्टी को पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्तियों पर लाइसेंस फीस (लीज प्रीमियम) और लीज रेंट (वार्षिक लाइसेंस फीस) के लिए क्रमशः ₹ 1,055.81 लाख और ₹ 33.01 लाख राशि भी शामिल है।<br>पर्यटन नीति 2016 (नीति) के खंड 9.1 और 9.2 के अनुसार, "पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, निजी निवेश के माध्यम से सरकारी भूमि/विरासत संपत्तियों को निःशुल्क पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जाना चाहिये और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (निगम) को पर्यटन विभाग की ओर से ऐसी भूमि/विरासत संपत्तियों के निपटान के लिए अधिकृत किया जाना चाहिये।"<br>इसके अलावा, नीति के खंड 9.8 के अनुसार, ''पट्टे पर दी गई भूमि और वार्षिक पट्टा किराए के विरुद्ध प्राप्त बोली राशि को एक अलग शीर्षक 'सरकारी भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास' के तहत सरकार से प्राप्त राशि के रूप में निगम के पास रखा जाना चाहिये। निगम इस पैसे को पर्यटन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि के सर्वेक्षण, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, बिजली-सड़क-पानी की आपूर्ति, क्षेत्र नियोजन, क्षेत्र विकास, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर सकता है। निगम ने 22/09/2018 तक कुल नौ इकाइयों को पट्टे पर दिये थे।<br>पर्यटन नीति 2016 के अनुसार, 2018-19 के दौरान, निगम को सरकारी संपत्तियों पर निजी पार्टी को प्रदान पट्टे मे से लाइसेंस शुल्क (लीज प्रीमियम) और लीज रेंट (वार्षिक लाइसेंस शुल्क) के रूप में क्रमशः ₹1,055.81 लाख और ₹ 33.01 लाख प्राप्त हुए और पर्यटन नीति के खंड 9.8 के उल्लंघन में नोट- 18 (ए) - अन्य आय के तहत, उक्त को लीज रेंट से अपनी आय के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप नोट-18 (ए)-अन्य आय को अधिक बताया गया, नोट-5-अन्य दीर्घकालिक देनदारियों को कम बताया गया और परिणामस्वरूप लाभ को ₹1,088.82 लाख से अधिक बताया गया।<br>2. कर्मचारी लाभ व्यय (₹6,438.58 लाख) में अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की अवधि से संबंधित निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया की भुगतान राशि ₹185.70 लाख शामिल नहीं है, जिसका भुगतान जून 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान किया गया था।<br>चूंकि, 2018-19 के लिए, बोर्ड द्वारा दिनांक 01/03/2023 को कंपनी के वित्तीय विवरण को अनुमोदित किया गया था, इसलिए निगम को इस संबंधित राशि के लिए देनदारियां प्रदान करके वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण में विषय प्रमुख के तहत व्यय के रूप में दर्ज करना चाहिए था।<br>'कर्मचारी लाभ व्यय' शीर्ष के तहत व्यय के रूप में इसकी पुस्तांकित न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय (नोट-21), वर्तमान देनदारियों को कम बताया गया है और ₹ 185.70 लाख तक लाभ को अधिक बताया गया है।<br>3. अन्य व्यय (₹ 1,144.00 लाख) उपरोक्त में वर्ष 2018-19 से अर्बन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देय बिलों और अभिषेक जुल्का के संबंधित परामर्श शुल्क के संबंध में (बिल दिनांक 22/03/2019 एवं 08/03/2019) ₹ 183.18 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिनका भुगतान 2019-20 के दौरान किया गया था। लेखा मानक 29 की कंडिका 10.2 के अनुसार, देनदारी पहले की घटनाओं से उत्पन्न इकाई का एक वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटान के परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों की इकाई से बहिर्वाह होने की उम्मीद है। वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण में उपरोक्त व्यय को 'अन्य व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दर्ज न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम बताया गया (नोट-22), व्यापार देय को कम बताया गया (नोट-7) और परिणामस्वरूप ₹ 183.18 लाख का लाभ अधिक बताया गया। |
| 2 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 2018-19 | 1. परिचालन से राजस्व (₹ 23,976.61 करोड़) में दो योजनाओं के तहत गेहूं पर जारी मूल्य अंतर/सब्सिडी के ₹ 9.82 करोड़ आवंटित मात्रा से अधिक शामिल हैं। डीसीपी स्टॉक से आवंटित मात्रा के बजाय वितरित मात्रा पर सब्सिडी बुक की गई थी। चूँकि भारत सरकार डीसीपी स्टॉक पर दावे को केवल खाद्यान्न की आवंटित मात्रा की सीमा तक सीमित करती है, आवंटित मात्रा से अधिक जारी मात्रा के लिए ₹ 9.82 करोड़ के मूल्य अंतर/सब्सिडी का पुस्तांकन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व और भारत सरकार से वसूली योग्य राशि को ₹ 9.82 करोड़ से अधिक बताया गया (नोट -15) और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को भी अधिक बताया गया है। |

| स. क्र. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| | | उपरोक्त में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (एमपी मार्कफेड) से बकाया राशि ₹ 195.06 करोड़ (गनी बैग के लिए ₹ 181.96 करोड़ और उस पर परिवहन व्यय के लिए ₹ 13.10 करोड़) पर ब्याज के ₹ 16.91 करोड़ शामिल हैं, जो मप्र मार्कफेड से रबी विपणन सीजन 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के संबंध में नेफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) के लिए पीएसएस योजना (जून 2018 से मार्च 2019) के तहत वसूली योग्य है। अनुबंध के अंतर्गत, कंपनी मार्कफेड के लिए भी बारदानों की व्यवस्था करेगी और इसके लिए कंपनी द्वारा नेफेड को दावा भी प्रस्तुत किया जाएगा और मध्य प्रदेश मार्कफेड और कंपनी द्वारा एक संयुक्त पत्र नेफेड को 04/05/2019 को जारी किया गया था। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश मार्कफेड ने नेफेड से अपना खर्च वसूल किया परंतु उसे कंपनी को नहीं प्रेषित किया। चूंकि बकाया राशि पर ब्याज लगाने के लिए कंपनी और एमपी मार्कफेड के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश मार्कफेड से ब्याज की वसूली हो पाना संदिग्ध है। मध्य प्रदेश मार्कफेड के ब्याज के संदिग्ध दावे के लेखांकन के परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' को अधिक बताया गया, 'व्यापार प्राप्य' को ₹ 16.91 करोड़ से अधिक बताया गया और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया है।<br><br>2. वित्त लागत (₹ 1,697.62 करोड़) में अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए कार्यशील पूंजी मांग ऋण पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय ब्याज के ₹ 5.00 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। तदानुसार, बीओआई ने 21/03/19 से 19/04/19 की अवधि के लिए कंपनी पर ₹ 13.64 करोड़ का ब्याज लगाया था। जिसमें से ₹ 5.00 करोड़ का ब्याज वित्तीय वर्ष 2018-19 (21/3/2019 से 31/3/2019 तक) से संबंधित था जिसे 'वित्त लागत' के तहत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था और खातों में उसके लिए देयता भी प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत (नोट-27) को कम बताया गया और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान (नोट संख्या 11) ₹ 5.00 करोड़ कम बताई गयी और तदानुसार, उसी सीमा तक लाभ भी अधिक बताया गया। |
| 3 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, अन्य व्यय (₹ 217.30 करोड़) में बिजली की आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान उठाए गए पूरक बिलों की राशि ₹ 3.90 करोड़ शामिल नहीं है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने से पहले बिल प्राप्त किए गए थे, इसलिए उन्हें वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के खातों में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इसका आंकलन न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारी के साथ-साथ ₹ 3.90 करोड़ की सीमा तक व्यय को कम बताया गया है। |
| 4 | प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 2019-20 | 1. मध्य प्रदेश शासन की ओर से कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। इसलिए, इन तीन संपत्तियों पर अर्जित आय को लाभ और हानि खाते के विवरण में आय के रूप में दिखाया जाना चाहिये। कंपनी की इन तीन संपत्तियों से संबंधित आय का लेखा न करने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष की आय को ₹ 4.65 लाख से कम बताया गया, पूर्व अवधि की आय को ₹ 412.03 लाख से कम बताया गया, और चालू वर्ष के घाटे को ₹ 416.68 लाख से अधिक बताया गया है।<br><br>2. मध्य प्रदेश शासन की ओर से, कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। इसलिए, उपरोक्त तीन संपत्तियों पर किए गए व्यय को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। कंपनी की इन तीन संपत्तियों से संबंधित खर्चों का चार्ज न लेने के परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि के खर्च और चालू वर्ष के घाटे दोनों को ₹ 4.41 करोड़ कम बताया गया।<br><br>3. मध्य प्रदेश शासन की ओर से, कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। कंपनी ने पिछले वर्षों में इन तीन संपत्तियों की आय को मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रण खाते में दर्ज किया था और इन संपत्तियों पर प्राप्त किराये पर कमीशन को कंपनी की आय के रूप में दर्ज किया गया था। पिछले वर्षों में बुक की गई कंपनी की संपत्तियों के कमीशन से होने वाली आय को पूर्व अवधि के समायोजन के माध्यम से वापस कर दिया जाना चाहिए था। इन तीन संपत्तियों पर कमीशन वापस न करने के परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के खर्चों को कम दिखाया गया और आरक्षित और अधिशेष (नोट-3) को ₹ 12.24 लाख की सीमा तक अधिक बताया गया है।<br><br>4. अन्य खर्च में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को कोलाबा और मांडलिक रोड मुंबई में पट्टे पर दी गई संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली ₹ 19.28 करोड़ की राशि है। 1990 के पूर्व पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने (सितंबर 2018) ₹ 85.57 करोड़ की मांग उठाई, जिसमें ₹ 19.28 करोड़ की किराये की राशि और ₹ 66.29 करोड़ की जुर्माना और ब्याज राशि शामिल है। कंपनी द्वारा ₹ 19.28 करोड़ की देनदारी स्वीकार की गई है। हालाँकि, इसकी प्रविष्टि लेखों में नहीं की गयी है। इस प्रकार, इसको लेखांकित न करने के परिणामस्वरूप खर्चों को कम दिखाया गया है, व्यय के प्रावधान को ₹ 19.28 करोड़ से कम बताया गया है और परिणामस्वरूप कंपनी के घाटे को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया। |

| स. क्र. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 5 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2020-21 | 1. कंपनी ने लेखांकन वर्ष 2020-21 से संबंधित विभिन्न व्यय के लिए ज्ञात देनदारी के ₹ 0.20 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम करके बताया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹ 0.20 करोड़ से कम दिखाया गया है और उसी सीमा तक नुकसान को भी कम दिखाया गया है।<br>2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर देनदारी का भुगतान जनवरी 2020 से सितंबर 2021 के दौरान किया है। हालांकि, इस संबंध में, जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने जीएसटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए ₹ 0.23 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दिखाया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹ 0.23 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी कम बताया गया है।<br>3. कर्मचारी लाभ व्यय (₹ 6.59 करोड़) में 7वें वेतन आयोग के वेतन बकाया की किस्त ₹ 0.06 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गयी है। यह खर्च, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र के अनुसार, वर्ष 2020-21 से संबंधित है। हालाँकि ₹ 0.06 करोड़ की राशि का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया है, इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दिखाया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹ 0.06 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी कम बताया गया है।<br>4. पूर्व अवधि समायोजन (₹ 0.53 करोड़) में 7वें वेतन आयोग के वेतन बकाया की किस्त ₹ 0.18 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है, लेकिन इसका भुगतान और लेखांकन वर्ष 2020-21 में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय को अधिक बताया गया है और पूर्व अवधि के खर्चों को ₹ 0.18 करोड़ कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ को उसी सीमा तक कम करके आंका गया है। |
| 6 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2021-22 | प्रगति में पूंजीगत कार्य (₹ 31.41 करोड़) में जीडब्ल्यूएसएस बनेथा योजना (ग्रामीण जल आपूर्ति योजना) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पर कंपनी द्वारा किया गया व्यय ₹ 21.26 लाख शामिल है। योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। चूंकि, योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित हो गयी है और कंपनी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कोई उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के बजाय लाभ और हानि खाते में करनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और ₹ 21.26 लाख की हानि को कम दिखाया गया। |
| 7 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल 2021-22 | 2021-22 के दौरान, वित्त लागत (₹ 1,219.91 करोड़) में एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों और प्रस्तुत किए गए बिलों के लिए ₹ 5.30 करोड़ शामिल नहीं हैं। उपरोक्त को वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगतिरत के तहत शामिल किया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत काम पूरा करके बंद कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹ 5.30 करोड़ से अधिक बताया गया, वित्त लागत को कम बताया गया और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को कम बताया गया। |
| 8 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर 2021-22 | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के माध्यम से बिजली खरीद लागत को (₹ 9,386.03 करोड़) कम कर दिया था। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 08 जुलाई 2021 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जुलाई 2021 से कम बिजली खरीद लागत की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप बिजली खरीद खर्चों में और वर्तमान देनदारियों में ₹ 17.18 करोड़ की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान भी हुआ। |
| 9 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड 2021-22 | विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के संबंध में मेसर्स स्विफ्ट इंटरमीडिया कन्वर्जेंस प्राइवेट लिमिटेड से व्यापार प्राप्य में ₹ 116.71 लाख का प्राप्य शामिल हैं। चूंकि, जून 2022 में अनुबंध समाप्त कर दिया गया था और जमा राशि जब्त कर ली गई थी, इसलिए बकाया राशि की वसूली की संभावना संदिग्ध लगती है। अतः इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य (नोट-10) को अधिक बताया गया है और अन्य व्यय (नोट-30) को ₹ 116.71 लाख से कम बताया गया है। |
| 10 | उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2021-22 | अन्य व्यय ₹ 745.28 लाख) में जनवरी से मार्च, 2022 की अवधि से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को देय बिलों की ₹ 5.35 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान नहीं किया गया है। इस व्यय के लिए देनदारी का सृजन न होने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय (नोट-17) और अल्पकालिक प्रावधान (नोट-13) को ₹ 5.35 लाख से कम बताया गया है। |

| स. क्र. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 11 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड 2021-22 | कंपनी ने देय गारंटी शुल्क (प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से) के लिए ₹ 822.87 लाख की गारंटी शुल्क (वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 576.21 लाख और वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 246.66 लाख) का व्यय दर्ज किया जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी द्वारा लिए गए क्रमशः ₹ 978.60 करोड़ और ₹ 287.77 करोड़ की ऋण राशि के लिए नाबार्ड को गारंटी प्रदान की।<br>भारतीय लेखा मानक-23 ''उधार लागत'' के पैरा 5 के अनुसार उधार लेने की लागत ब्याज और अन्य लागतें जो एक इकाई, धन उधार लेने के संबंध में उठाती है, उसे उधार लागत कहते हैं। इसके अलावा, इस मानक के पैरा -8 के अनुसार एक इकाई, उस उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करेगी जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में एक योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। चूंकि मध्य प्रदेश शासन को देय गारंटी शुल्क का व्यय, उधार लेने की लागत का एक हिस्सा था और उस संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में अर्हक संपत्ति के निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, इसके बजाय इसे कंपनी के लेखों में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था सिवाये इसे राजस्व व्यय के रूप में मानने के। इसके परिणामस्वरूप व्यय (नोट-2.20) को ₹ 822.87 लाख (गारंटी शुल्क ₹ 576.21 लाख और पूर्व अवधि के खर्चों को ₹ 246.66 लाख से) अधिक बताया गया है, ''गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों'' के तहत ''प्रगति में पूंजीगत कार्य'' को कम बताया गया है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ को उसी सीमा तक कम करके बताया गया है। |
| 12 | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 2021-22 | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क आदेश के माध्यम से बिजली खरीद लागत को संशोधित किया। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 8 जुलाई 2021 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जुलाई 2021 से अपनी सभी सहायक डिस्कोम के लिए संशोधित बिजली खरीद लागत का हिसाब लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बिक्री का हिसाब ₹63.12 करोड़ (मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ₹ 37.28 करोड़, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ₹ 43.02 करोड़ और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (-) ₹ 17.18 करोड़) से अधिक हो गया और संबंधित व्यापार प्राप्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, साथ ही परिणामी हानि को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है। |
| 13 | मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर 2021-22 | उत्पादन की अन्य लागत (₹ 202.11 करोड़) में राजस्थान राज्य के साथ 2005-06 के अंतर-राज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उचित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बकाया राशि ₹ 16.51 करोड़ शामिल नहीं है। चूंकि पुनर्गठन के बाद, जल विद्युत परियोजनाएं कंपनी की संपत्ति बन गईं, इसलिए, इस दावे के विरुद्ध ₹ 16.51 करोड़ की देनदारी प्रदान की जानी चाहिए थी। इस गलत गणना के परिणामस्वरूप उत्पादन की अन्य लागत को कम बताया गया और वर्ष के लाभ को ₹ 16.51 करोड़ से अधिक बताया गया। |
| 14 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन 2021-22 | 1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आरसीसी संरचना के अलावा अन्य भवनों का उपयोगी जीवन 30 वर्ष माना जाता है और 9.5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास भारित किया जाता है। हालाँकि, निगम ने आरसीसी फ्रेम संरचना के अलावा गोदाम के उपयोगी जीवन को 60 वर्ष माना और 4.87 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास को ₹15.60 करोड़ से कम और लाभ को अधिक बताया गया है।<br>2. भंडारण हेतु, निगम आवश्यकतानुसार पक्का सीएपी (कवर्ड एवं प्लिंथ एरिया) का निर्माण करता है। पक्का सीएपी संरचना का जीवन काल पांच वर्ष माना गया था और यही जीवन काल केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भी अपनाया गया है। हालाँकि, निगम ने पांच साल के जीवन पर विचार करते हुए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से ₹ 9.16 करोड़ का मूल्यह्रास वसूलने के बजाय अपनी चालू वर्ष की आय से 59 पक्का सीएपी के निर्माण पर किए गए ₹74.96 करोड़ के व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया था। इसके परिणामस्वरूप बट्टे खाते में डाले गए खर्चों को ₹ 65.80 करोड़ (₹ 74.96 करोड़ - ₹ 9.16 करोड़) से अधिक बताया गया है और लाभ को उसी सीमा तक कम बताया गया है।<br>उपरोक्त में 16 अधूरे सीएपी निर्माण कार्य शामिल हैं जिन पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 20.96 करोड़ खर्च किए गए थे। निगम ने इस व्यय को भी कार्य प्रगति पर मानने के बजाय अपनी वर्तमान आय से बट्टे खाते में डाल दिया है। अपूर्ण कार्यों पर होने वाले व्यय को लेखांकन हेतु आगामी वित्तीय वर्षों में ले जाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, खर्चों को अधिक बताया गया और लाभ को कम दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹ 20.96 करोड़ से कम दिखाया गया।<br>निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 16 मार्च 2018 को कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अपनाई। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 2019-20 से 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर उपरोक्त अवधि के लिए आवश्यक ₹ 9.99 करोड़ के बजाय ₹ 2.35 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, निगम ने न तो पर्याप्त व्यय किया और न ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान बनाये। इसके परिणामस्वरूप लाभ को ₹ 7.63 करोड़ से अधिक बताया गया है, जबकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान को ₹ 7.63 करोड़ से कम बताया गया है। |

| स. क्र. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 15 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर<br>2022-23 | 1. अन्य आय (₹ 601.53 करोड़) में सरकारी अनुदान और उपभोक्ता योगदान के विरुद्ध क्रमशः ₹ 61.57 करोड़ और ₹ 27.09 करोड़ की परिशोधन राशि शामिल है। अनुदान/उपभोक्ता योगदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की दर को 2022-23 में 5.28 प्रतिशत से संशोधित कर 4.30 प्रतिशत कर दिया गया था। हालाँकि, कंपनी ने लेखों पर टिप्पणी के पैरा 2.10 (सरकारी अनुदान) में बताई गई नीति के अनुरूप, मूल्यह्रास की वर्तमान दर के साथ परिशोधन की प्रतिशत दर का मिलान नहीं किया। इसके कारण, कंपनी ने सरकारी अनुदान और उपभोक्ता योगदान के विरुद्ध क्रमशः ₹ 12.87 करोड़ और ₹ 5.16 करोड़ का अतिरिक्त परिशोधन किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-परिचालन आय को अधिक बताया गया है और देनदारियों के तहत आस्थगित आय को ₹ 18.03 करोड़ से कम बताया गया है, जिससे वर्ष के लिए उसी सीमा तक हानि को अधिक बताया गया है।<br>2. कर्मचारियों को टर्मिनल लाभ के कारण देनदारियों को रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन करवाती है। भारतीय लेखा मानक-19 में प्रावधान है कि शुद्ध देनदारियों के पुनर्मापन को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता दी जानी है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-19 का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2022-23 के व्यय के विरुद्ध अवकाश नकदीकरण ₹ 36.85 करोड़ के संबंध में पुनर्मापन लाभ को समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप 'अर्जित अवकाश नकदीकरण' के खर्च के साथ-साथ अन्य व्यापक आय को ₹ 36.85 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को भी कम बताया गया है। |

## वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड 2018-19 | 1. 31 मार्च 2019 से पहले, व्यापार देय (₹5.80 करोड़) ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्यों और जारी किए गए बिलों में ₹50.62 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जबकि भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। हालांकि, कंपनी ने निष्पादित कार्य, जो वर्ष 2018-19 से संबंधित है, के लिए लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों नोट - व्यापार देय)13) को कम बताया गया है और अन्य वर्तमान देनदारियों को नोट 15 (मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त परियोजना निधि का शेष को) ₹50.62 करोड़ से अधिक बताया गया है।<br>2. व्यापार देय )₹5.80 करोड़ में निष्पादित कार्यों की (₹31.22 करोड़ की राशि जिस प)₹1.87 का पर्यवेक्षण शुल्क भी लगता है और (31 मार्च 2019 से पहले ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए बिल शामिल नहीं हैं, जबकि इसका भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। हालाँकि, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में निष्पादित कार्यों, जो कि वर्ष 2018-19 से संबंधित है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों नोट - व्यापार देय)13) को कम बताया गया है और अन्य वर्तमान देनदारियों को नोट 15 (मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त परियोजना निधि का शेष को (₹31.22 करोड़ से अधिक बताया गया है। इसके अलावा, निष्पादित कार्यों के पर्यवेक्षण शुल्क का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण, वर्ष के लिए संचालन और लाभ से राजस्व में ₹1.87 करोड़ की कमी आयी। |
| 2 | प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 2019-20 | 1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट 2 के अनुसार, प्रत्येक 1,000 के 4,966 इक्विटी शेयरों की जारी शेयर पूंजी में से, मध्य प्रदेश शासन की शेयर धारिता 3,645 शेयर थी और नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की 1,281 शेयर थी लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का हिस्सा हस्तांतरित नहीं किया गया है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश ₹247.40 लाख और शेयर पूंजी राशि ₹12.81 लाख जारी करने हेतु अपनी स्वीकृति मार्च)2008) जारी की थी। हालाँकि, कंपनी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन वर्ष 2000 में किया गया था, इसलिए 2000-01 से 2014-15 तक घोषित कुल लाभांश ₹11.28 करोड़ में से ₹2.93 करोड़ )26 प्रतिशत का लाभांश छत्तीसगढ़ शासन को भुगतान किया जाना चाहिए था। ( इसके अलावा, ₹12.81 लाख की शेयर वितरण राशि भी छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित की जानी चाहिए थी। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में करना था। हालाँकि, इसका खुलासा नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण उपरोक्त गैरप्रकटीकरण की सीमा तक अपर्याप्त है।-<br>2. अन्य वर्तमान देनदारियों )₹72.78 लाख में उन चार अधिकारियों के वेतन के लिए (₹43.98 लाख की देनदारी शामिल नहीं है, जो वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी में शामिल हुए थे। वर्तमान में इन अधिकारियों को वेतन का भुगतान कोष एवं लेखा विभाग द्वारा इस शर्त पर किया जा रहा है कि इसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जायेगी। मार्च 2020 तक इन अधिकारियों को कंपनी की ओर से कोष विभाग द्वारा ₹43.98 लाख रुपये का वेतन भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि, कंपनी ने अभी तक वेतन की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी |

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| | | द्वारा लेखों में ₹43.98 लाख की देनदारी अंकित करनी चाहिए थी। हालाँकि, कंपनी ने इसे न तो व्यय के अंतर्गत दर्ज किया है और न ही लेखों में इसके लिए कोई देनदारी बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय और वर्तमान देनदारियों को ₹43.98 लाख से कम बताया गया है और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया है।<br>3. आयकर रिटर्न आकलन वर्ष)2008-09 से आगे) के अनुसार कराधान का प्रावधान (₹26,01,191), राशि से मेल नहीं खाता है। आयकर रिटर्न के अनुसार कराधान के प्रावधान का आंकड़ा ₹7.70 लाख होना चाहिए था जिससे दोनों आंकड़ों के बीच अंतर पाया गया। इसलिए, कराधान का प्रावधान ₹26.01 लाख का मिलान कंपनी द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न से किया जाना चाहिए।<br>4. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन के अनुसार, 31.03.2019 (नोट 12-खाता 2018-19) को बैलेंस शीट में दिखाए गए नकद शेष के संबंध में ₹5.87 लाख की नकदी कम पाई गई। हालाँकि, चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कम पाई गई नकदी की आज तक वसूली नहीं की गई है। इसलिए, कंपनी द्वारा 31.03.2020 तक नकदी की कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालाँकि, कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नकदी को अधिक बताया गया और चालू वर्ष के प्रावधानों को ₹5.87 लाख तक कम बताया गया और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया है। |
| 3 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2020-21 | नोट्स टू अकाउंट्स के पैरा 22 अनुसार, वार्षिक परियोजना प्रबंधन शुल्क को संयुक्त उद्यम अर्थात् रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से लिया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड बोर्ड द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण आय का आंकलन नहीं किया गया। हालाँकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से प्राप्त होने वाले पीएमसी शुल्क का कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में लगातार आंकलन किया जा रहा था। इसलिए, कंपनी को लेखांकन के संचय आधार और सुसंगत लेखांकन नीति के आधार पर पीएमसी शुल्क के लिए प्रावधान करना चाहिए था, जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से ₹97.94 लाख की राशि प्राप्त होने वाली थी। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक अग्रिमों को 97.94 लाख और अन्य आय को उसी सीमा तक कम बताया गया है। |
| 4 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड 2020-21 | अन्य वित्तीय देनदारियों (₹32.67 लाख) में कंपनी के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए सातवें वेतन बकाया की तीसरी किस्त के रूप में देय ₹2.80 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित (जून 2018) किया गया था। इसलिए, खातों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके कारणवश, अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹2.80 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया है और उसी सीमा तक बकाया के लिए लाभ को अधिक बताया गया है। |
| 5 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2021-22 | 1. अन्य वर्तमान देनदारियों (₹897.80 करोड़) में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकों से जल जीवन मिशन निधि पर अर्जित ब्याज की ₹9.87 करोड़ की राशि शामिल है। इसे जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधान के अनुसार सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। हालाँकि, अर्जित ब्याज की राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था, बल्कि इसे जल जीवन योजना के तहत सरकार से प्राप्त धनराशि के रूप में माना गया था और अन्य वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की अन्य मौजूदा देनदारियों और नकदी और नकदी समकक्षों को ₹9.87 करोड़ से अधिक बताया गया है।<br>2. नकदी एवं नकदी समकक्ष (₹793.70 करोड़) की राशि में ''संचालन और रखरखाव'' शुल्क के लिए ₹96.86 लाख शामिल नहीं है, जो कि ''बहु ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव संग्रह'' के तहत ''अन्य वर्तमान देनदारियों'' के तहत शुल्क लिया जा रहा है। हालाँकि, कंपनी ने ''नकद और नकद समकक्ष'' से ₹96.86 लाख की राशि की कटौती समायोजन नहीं किया है और इसके बजाय राशि को ''विविध ऋणदाता'' के प्रमुख के तहत पुस्तांकित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ''विविध ऋणदाता'' को ''नकदी और नकदी समकक्ष'' को ₹96.86 लाख से अधिक बताया गया।<br>3. नोट-2: लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत नोट-18 (अन्य चालू देनदारियाँ) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 'कंपनी को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के लिए विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए, खनन विकास के अंतर्गत विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु, एनडीबी वित्त पोषित एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु, परियोजनाओं, योजनाओं के निर्माण हेतु कार्य भुगतान पर व्यय हेतु मध्य प्रदेश शासन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत धन प्राप्त हुआ है। |

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| | | मध्य प्रदेश शासन की उपरोक्त धनराशि कंपनी की ओर से देय/वापसी योग्य नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है और किए गए व्यय के कारण प्राप्तियों को प्राप्त कुल निधि से समायोजित किया गया है।<br>कंपनी ने अपनी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग को ₹15.83 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि जमा की है। हालाँकि, उपरोक्त राशि को संबंधित योजनाओं में समायोजित करने के बजाय, इसे ''वर्तमान संपत्ति'' के तहत ''अल्पकालिक ऋण और अग्रिम'' के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ''वर्तमान परिसंपत्तियों'' को अधिक बताया गया है और ''अन्य वर्तमान देनदारियों'' को ₹15.83 करोड़ से अधिक बताया गया है। |
| 6 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल<br>2021-22 | 1. 31 मार्च 2022 की स्थिति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण )₹8,187.33 करोड़में (, सौभाग्य और फीडर पृथक्करण योजना से संबंधित ₹310.32 करोड़ के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को शामिल नही किया गया है। चूंकि सौभाग्य और फीडर पृथक्करण योजना के अंतर्गत कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 तक पूर्ण एवं बंद हो चुके थे, सम्पूर्ण लागत को वित्तीय विवरण मे पूंजीगत हो जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹310.32 करोड़ से पूंजीगत कार्य प्रगति को अत्योक्त एवं संपति, संयंत्र और उपकरण को न्यूनोक्त बताया गया है और वर्ष के मूल्यह्रास को ₹16.38 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक 2021-22 के लिए हानि को न्यूनोक्त दिखाया गया है।<br>2. प्रावधानों )₹2,593.23 करोड़मे (, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में अवकाश नकदीकरण प्रावधान के ₹313.58 करोड़ के दायित्वों को शामिल नही किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस संदर्भ मे कोई प्रावधान नहीं किया जो कि भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए नुकसान तथा कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को ₹313.58 करोड़ से न्यूनोक्त दिखाया गया है। |
| 7 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर<br>2021-22 | 1. प्रावधानों (₹2,246.99 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन रिपार्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में अवकाश नकदीकरण के ₹380.17, करोड़ के दायित्वों को शामिल नही किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस संदर्भ मे कोई प्रावधान नहीं किया जो कि भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप, ₹313.58 करोड़ की सीमा तक नुकसान तथा कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को न्यूनोक्त दिखाया गया है।<br>2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण )₹7,881.24 करोड़में (, सौभाग्य, फीडर पृथक्करण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्प् योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजना 31 मार्च 2022 से संबन्धित ₹1,337.36 करोड़ के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को शामिल नही किया गया है। चूंकि सौभाग्य, फीडर प्रथक्करण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्प् योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कार्य वित्तीय विवरण 2020-21 की तिथि तक पूर्ण एवं बंद हो चुके थे, सम्पूर्ण लागत को वित्तीय विवरण मे पूंजीगत हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप ₹1,337.36 करोड़ से प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को अत्योक्त और संपति, संयंत्र और उपकरण को न्यूनोक्त बताया गया है और वर्ष 2021-22 के मूल्यह्रास को ₹70.60 करोड ◌ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है। |
| 8 | उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड<br>2021-22 | 1. अन्य गैर चालू देयताएं )₹258.26 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महाकाल-नगर निगम उज्जैन ( के लिए (मेरेविदृ) रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण₹2.89 करोड़ की कटौती दर्शाती है। चूंकि कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना घरों के निर्माण के बजाय मेरेविदृ परियोजना के लिए महाराजबाड़ा-III मे भूमि पार्सल को मंजूरी देने के लिए वर्ष 2019 मे ₹2.89 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो कि उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक अलग परियोजना है, व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत मेरेविदृ परियोजना मे दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रगतिरत पूंजीगत कार्य मे व्यय को पुस्तांकित न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को न्यूनोक्त बताया गया है और अन्य गैर वर्तमान देनदारियों के तहत परियोजना अनुदान को-₹2.89 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है।<br>2. व्यापार देय )₹360.61 लाख में मै॰ विमल चंद जैन लिमिटेड को भीड़ प्रबंधन सिविल कार्य के लिए देय व्यय ( का₹31.91 लाख बीजक तारीख)09.11.2021) शामिल नही किया गया है। उपरोक्त व्यय के दायित्व सृजन न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य -नोट)3) तथा व्यापार देय -नोट)11) को ₹31.91 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है। |
| 9 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेंवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2021-22 | प्रावधानों )₹364.44 लाख सुदर्शन इंजीन्यरिंग वर्क्स को सिविल कार्य के बिलों के लिए दिसंबर में मै (2021 से फरवरी 2022 की समयावधि के लिए देय राशि ₹51.16 लाख को शामिल नही किया गया है तथा वर्ष 2021-22 के दौरान मै . आईपीई ग्लोबल को मार्च2022 के लिए परामर्श शुल्क के लिए देय राशि ◌36.53 लाख जिसका कंपनी ने न तो भुगतान किया है न ही कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों -नोट)11) को ₹87.69 लाख से न्यूनोक्त, |

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| | | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य -नोट)2) को ₹51.16 लाख से न्यूनोक्त तथा अन्य व्यय -नोट)14) को ₹36.53 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है। |
| 10 | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड<br>2021-22 | 1. प्रावधानों )₹3.83 करोड़ महिंद्रा रिनूब्ल प्राइवेट लिमिटेड को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार .मे मै ( )24 जनवरी 2021) देय राशि ₹172.75 करोड़ शामिल नही की गयी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (ब्याज सहित) के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपन वित्तीय विवरण मे उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान साथ ही साथ व्ययों को ₹172.75 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।<br>2. प्रावधानों )₹3.83 करोड़मे (, मै महिंद्रा रिनूब्ल प्राइवेट लिमिटेड को, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के लागू होने से पूंजीगत लागत मे वृद्धि के परिणामी राहत प्रदान करने हेतु, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2021 तथा कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन अगस्त)2022) के अनुपालन के अनुसार देय राशि ₹45.57 करोड़ शामिल नही है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण मे उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान के साथ साथ व्ययों को-₹45.57 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।<br>3. प्रावधानों (₹ 3.83 करोड़) मे, दो स्वतंत्र विधयुत उत्पादको को माननीय उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश विद्धुत/ न्यायालय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपने/ वित्तीय विवरण मे उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रावधान के साथ ही साथ व्ययों को ₹ 115.80 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है। |
| 11 | मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ सेवा कार्पोरेशन लिमिटेड<br>2021-22 | 1. लागू की गई निष्पादन बैंक गारंटी के विविध देनदारों )₹2.60 करोड में रसीद क्रय आदेश संख्या (10281815883 दिनांक 31.03.2018 के तहत 60 MG की एनोक्सापारिन दवा की 81000 मात्रा की पूर्ति न होने से लगे दंड की राशि 16.03 लाख शामिल हैं। क्रय आदेश संख्या 10281815883 मे 9000 मात्रा के लिए आदेश था किन्तु त्रुटिवश मात्रा 90,000 प्रविष्ट हुई और 81000 मात्रा के लिए दण्ड लगाया गया। अधिक मात्रा के क्रय आदेश को रद्द करने की प्रार्थना 09.04.2018 को की गयी थी और उसे पूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था किन्तु दण्ड राशि को समायोजित नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार साथ ही साथ चालू दायित्व को ₹16.03 लाख से अत्योक्त दिखाया गया है।<br>2. कंपनी को ₹215.10 लाख की राशि प्राप्त हुई जो सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज से संबंधित है। कंपनी ने इसे परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया है। ब्याज आय से संबंधित इस राशि को निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, गलत लेखांकन उपचार के परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को अत्योक्त बताया गया, जबकि निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को ₹215.10 लाख से न्यूनोक्त बताया गया। |
| 12 | मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंव लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन<br>2021-22 | 1. लेखों पर टिप्पणी (नोट संख्या 16) के अनुसार, निगम ने भंडारण शुल्क से नियमित आय को संचय के आधार पर दर्ज किया है, जबकि दर संशोधन के कारण उत्पन्न बकाया का हिसाब नकद आधार पर किया गया था, जो असंगत और विरोधाभासी है। परिणामस्वरूप, 2008-09 से 2014-15 की अवधि के लिए दर संशोधन के कारण ₹216.51 करोड़ की आय को संबंधित वर्षों में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों का बकाया ₹216.51 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है और उसी अनुरूप रिजर्व और सरप्लस भी न्यूनोक्त बताया गया है।<br>2. अन्य देनदारों (₹142.07 करोड़) में कमी और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के कारण मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और नाफेड द्वारा कटौती के लिए ₹17.68 करोड़ की राशि शामिल है। उपरोक्त राशि वसूली योग्य नहीं होने के कारण संबंधित वित्तीय वर्षों में परिचालन हानि के रूप में दर्ज की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर, अन्य देनदारों और रिजर्व तथा अधिशेष को ₹17.68 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है।<br>3. निगम ने भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 के लिए पर्यवेक्षण शुल्क (PEG योजना में) पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹65.42 लाख का भुगतान किया। हालाँकि, इसे भारतीय खाद्य निगम से प्राप्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारों को ₹ 65.42 लाख और आरक्षित एवं अधिशेष को उसी सीमा तक न्यूनोक्त बताया गया है।<br>4. विविध देनदार नान (NAN) (10.48 करोड़) में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए क्षतिग्रस्त स्टॉक के संबंध में बीमा कंपनियों के साथ दर्ज किए गए दावों की ₹4.35 करोड़ की राशि शामिल है, जिन्हें बीमा कंपनियों द्वारा या तो |

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| | | अस्वीकार कर दिया गया था या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था। यदि स्टॉक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो MPSCSC (नागरिक आपूर्ति निगम-NAN) भंडारण शुल्क से नुकसान की कटौती करता है, लेकिन निगम कटौती की गई राशि को विविध देनदार नान (NAN) के रूप में दिखाना जारी रखता है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार नान और आरक्षित एवं अधिशेष को ₹4.35 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है। |
| 13 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2021-22 | सरकारी अनुदान )₹412.46 करोड़ राशि में केंद्र सरकार के अनुदान से प्राप्त अनुदान की जमा राशि पर ब्याज के रूप में ( ₹16.62 करोड़ शामिल हैं। भारत सरकार के आदेश दिनांक 02.02.2022 के अनुसार, अनुदान पर ब्याज भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया जाना था। तदनुसार, कंपनी को देय ब्याज के लिए दायित्व बनाना होगा। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप सरकारी अनुदान -नोट)11) को अत्योक्त बताया गया और अन्य गैर-नोट) चालू देनदारियों-12) को ₹16.62 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया। |
| 14 | मध्य प्रदेश पावर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड 2022-23 | 1. व्यापार प्राप्य ( 4,812.17 करोड़) में कंपनी द्वारा लगाए गए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम (संशोधन-I) 2021 के अनुसार 2022-23 से जनरेटर पर ट्रांसमिशन शुल्क के कारण ₹5.45 करोड़ की राशि शामिल है। इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, इंदौर द्वारा विषय ट्रांसमिशन शुल्क की प्रयोज्यता पर अगले आदेश तक रोक लगा (12.05.2023) दी गई। कंपनी अभी भी ट्रांसमिशन शुल्क वसूल रही थी और व्यापार प्राप्य के तहत वसूली योग्य 5.45 करोड़ की राशि दिखाई। चूँकि, माननीय उच्च न्यायालय ने BoD द्वारा कंपनी के खातों को मंजूरी देने (02.08.2023) से पहले उक्त ट्रांसमिशन शुल्क लगाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए, कंपनी को संबंधित दायित्व बनाना चाहिए था, क्योंकि मामला न्यायालय में था और उपभोक्ताओं पर बिलिंग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य (नोट-9) को अत्योक्त बताया गया है, अन्य वित्तीय देयता (नोट-26) को ₹ 5.45 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक कर से पहले लाभ को अत्योक्त बताया गया है।<br>2. ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टू-अप ऑर्डर (07 मार्च 2023) के अनुसार, अन्य वित्तीय देयता (₹4,589.90 करोड़) में 'समानांतर संचालन शुल्क' के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की ₹457.68 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सही आदेश में यह निर्धारित किया कि 'समानांतर संचालन शुल्क' और 'पॉइंट ऑफ कनेक्शन शुल्क' न्यायाधीन हैं और इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी को ''समानांतर संचालन शुल्क'' और ''प्वाइंट ऑफ कनेक्शन शुल्क'' की प्राप्त राशि को रोकने के लिए निर्देशित किया गया था। हालाँकि, कंपनी ने अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत मार्च 2023 तक केवल 'वितरण के लिए लंबित कनेक्शन शुल्क के बिंदु' का हिसाब लगाया। जबकि मार्च 2023 तक ₹457.68 करोड़ के 'समानांतर संचालन शुल्क' का हिसाब नहीं दिया गया था।<br>इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट-26) को न्यूनोक्त बताया गया है, परिचालन से राजस्व को ₹457.68 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है (नोट-31) और उसी सीमा तक कर से पहले लाभ को अत्योक्त बताया गया है। |
| 15 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर 2022-23 | 1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (₹4,473.65 करोड़) में 2022-23 के दौरान पूरे किए गए विभागीय कार्यों और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के ₹7.41 करोड़ शामिल नहीं हैं। उपरोक्त को वर्ष 2022-23 के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया था, हालांकि कार्य 2019-20 तक पूरे हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.61 करोड़ के मूल्यह्रास को न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को न्यूनोक्त बताया गया है और प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अत्योक्त बताया गया है और अचल संपत्तियों को ₹7.41 करोड़ तक न्यूनोक्त बताया गया है।<br>2. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में (₹3,415.31 करोड़) वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹4.19 करोड़ की राशि के स्मार्ट मीटर स्थापना (पहले मील के पत्थर की उपलब्धि पर सेवा शुल्क) के लंबित बिल शामिल नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी द्वारा इसका भुगतान और लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मई 2023) में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू दायित्वों तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹4.19 करोड़ से न्यूनोक्त दिखाया गया है।<br>3. अन्य चालू दायित्वों (₹245.43 करोड़) में 31.03.2023 तक की अवधि के लिए जनशक्ति आपूर्ति के लंबित बिल और आईटी प्रणाली के एएमसी बिल ₹21.29 करोड़ शामिल नहीं हैं। हालाँकि, इसका भुगतान और लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से जून 2023) में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को न्यूनोक्त बताया गया है और खर्चों को ₹21.29 करोड़ तक न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी न्यूनोक्त बताया गया है। |

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| | | 4. 01.03.2023 की तिथि से आदेश दिनांक 25.07.2023 द्वारा महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाने पर अन्य चालू देयताओं (₹245.43 करोड़) में ₹4.26 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। 01.01.2023 से 30.06.2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता बकाया का भुगतान सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के वेतन के साथ तीन समान किश्तों में किया जाना था। चूंकि महंगाई भत्ता बकाया भुगतान का आदेश कंपनी के बीओडी द्वारा खातों का अनुमोदन (11.08.2023) से काफी पहले 25.07.2023 को जारी किया गया था, इसलिए, 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के लिए बकाया महंगाई भत्ता की राशि ₹4.26 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2022-23 के खातों में किया जाना चाहिए था। हालाँकि, कंपनी ने खातों में इसकी जानकारी नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को न्यूनोक्त बताया गया है और खर्चों को ₹4.26 करोड़ तक न्यूनोक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी न्यूनोक्त बताया गया है।<br>5. आस्थगित आय (₹2,157.25 करोड़) में आर-एपीडीआरपी योजना के तहत पीएफसी द्वारा ऋण और अतिदेय ब्याज को अनुदान में बदलना शामिल है। रूपांतरण आदेश के अनुसार, ₹88.62 करोड़ की मूल राशि अनुदान में परिवर्तित कर दी गई। हालाँकि, कंपनी ने ₹110.29 करोड़, मूलधन और ब्याज सहित ₹21.67 करोड़ को अनुदान के रूप में माना हुआ है। चूँकि ₹88.62 करोड़ के ऋण की राशि को परिवर्तित कर अनुदान के रूप में माना गया था, कंपनी ने ₹21.67 करोड़ को अतिरिक्त अनुदान के रूप में माना और आस्थगित आय में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप देयताओं के तहत ₹21.67 करोड़ रुपये की आस्थगित आय को अत्योक्त बताया गया है और आय को न्यूनोक्त बताया गया है, जिससे उसी सीमा तक हानि को भी अत्योक्त बताया गया है। |

## परिशिष्ट 1.5

**( कंडिका *1.12.1, 1.12.2, 1.14, 1.15, 1.16.1, 1.16.2 & 1.16.3 में संदर्भित*)**

**स्वतंत्र निदेशक/ महिला निदेशक /लेखा परीक्षा समिति /एनआरसी /केएमपी की आवश्यकता और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण**

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | आवश्यकता है | | 31.03.2023 को स्वतंत्र निदेशक की संख्या | आवश्यकता है | | | मण्डल की बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठको की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 1 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 6 | 4 |
| 2 | मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 3 | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 4 |
| 3 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 2 |
| 4 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 3 | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 4 |
| 5 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 6 | 5 |
| 6 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 4 |
| 7 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 8 | मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 1 |
| 9 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | हाँ | हाँ | 1 | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | 2 |
| 10 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | नहीं | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 11 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | अप्राप्त | हाँ | हाँ | नहीं | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 12 | मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 13 | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | हाँ | हाँ | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 14 | मध्य प्रदेश वित्त निगम | हाँ | हाँ | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 1 |
| 15 | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | निरंक |
| 16 | मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 17 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | हाँ | हाँ | निरंक | हाँ | हाँ | नहीं | 3 | निरंक |
| 18 | पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड | हाँ | नहीं | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 4 |
| 19 | मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड | हाँ | नहीं | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | निरंक |

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | आवश्यकता है | | 31.03.2023 को स्वतंत्र निदेशक की संख्या | आवश्यकता है | | | मण्डल की बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठको की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 20 | मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड | हाँ | नहीं | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | निरंक |
| 21 | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड | हाँ | नहीं | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 22 | मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | 1 |
| 23 | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 24 | मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | नहीं | अप्राप्त | हाँ | हाँ | नहीं | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 25 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | 1 |
| 26 | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड | हाँ | हाँ | निरंक | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 1 |
| 27 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 28 | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | 3 | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 29 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 30 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 31 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 2 |
| 32 | सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | अप्राप्त | हाँ | हाँ | हाँ | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 33 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 34 | मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | निरंक | लागू नहीं |
| 35 | डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 36 | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 3 | लागू नहीं |
| 37 | मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 38 | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 39 | मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 1 | लागू नहीं |
| 40 | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | 3 |
| 41 | मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | 2 |
| 42 | ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 43 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | आवश्यकता है | | 31.03.2023 को स्वतंत्र निदेशक की संख्या | आवश्यकता है | | | मण्डल की बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठको की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 44 | शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 45 | बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 46 | श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस.एस.पी.पी.एल.) | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 5 | लागू नहीं |
| 47 | मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 48 | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 5 | लागू नहीं |
| 49 | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 50 | बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 51 | रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 52 | सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 53 | द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 54 | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 55 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 56 | मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 57 | मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 58 | मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 59 | भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 60 | जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 61 | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 62 | संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 63 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 64 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 65 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 66 | मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 67 | मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | आवश्यकता है | | 31.03.2023 को स्वतंत्र निदेशक की संख्या | आवश्यकता है | | | मण्डल की बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठको की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 68 | मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 69 | मध्यप्रदेश भवन विकास निगम | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 1 | लागू नहीं |
| 70 | सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 71 | सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | निरंक | लागू नहीं |
| 72 | बी-नेस्ट फाउंडेशन | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 2 | लागू नहीं |
| 73 | इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन | नहीं | नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |

## परिशिष्ट 1.6

*( कंडिका 1.19.1 में संदर्भित)*

## आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क

| स. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति | आंतरिक लेखापरीक्षा के अवलोकन / प्रगति की सूचना |
|---|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड | वार्षिक | निरंक |
| 2 | मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | वार्षिक | आंतरिक लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट लेखापरीक्षित कार्यालयों को प्रस्तुत करता है, साथ ही उसकी प्रतिलिपि संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय और कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को भी भेजता है। |
| 3 | मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | वार्षिक | निदेशक मण्डल और लेखापरीक्षा समिति |
| 4 | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | अर्द्ध वार्षिक | लेखापरीक्षा समिति |
| 5 | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | त्रेमासिक | निरंक |
| 6 | मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | त्रेमासिक | प्रबंध निदेशक |
| 7 | मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड | वार्षिक | प्रबंधन |
| 8 | जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | प्रतिदिन | प्रबंधन |
| 9 | नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड | त्रेमासिक | लेखापरीक्षा समिति |
| 10 | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | वार्षिक | निरंक |
| 11 | मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | त्रेमासिक | निरंक |
| 12 | मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन | वार्षिक | निरंक |
| 13 | भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | वार्षिक | निरंक |
| 14 | मध्य प्रदेश वित्त निगम | निरंक | निरंक |
| 15 | मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित | निरंक | निरंक |
| 16 | मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | निरंक | निरंक |
| 17 | इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | निरंक | निरंक |
| 18 | डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 19 | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 20 | मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 21 | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 22 | मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 23 | उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 24 | ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 25 | सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अप्राप्त | अप्राप्त |

## परिशिष्ट 2.1.1

*(कंडिका 2.1.5.4 में संदर्भित)*

### पट्टा अनुबंध के निष्पादन में देरी के कारण लीज़ किराए की कम वसूली

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | लीज़ किराया @ 1% | कार्य आदेश जारी करने से पट्टा अनुबंध निष्पादन मे देरी (वर्ष मे) | पट्टा अनुबंध से मार्च 2023 तक लीज किराया कम लेने की अवधि (वर्ष में) | लीज़ किराये की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | A30 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर प्राइवेट लिमिटेड | 10-11-2015 | 08-05-2018 | 40,486 | 2.5 | 58 | 1,95,682 |
| 2 | भोपाल | A31 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर प्राइवेट लिमिटेड | 10-11-2015 | 08-05-2018 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 3 | भोपाल | A32 | 1.05 | ईएसडीएम | हेवन टेक्नो सिस्टम्स | 17-09-2015 | 16-04-2019 | 21,255 | 3.6 | 47 | 83,249 |
| 4 | भोपाल | B16 | 0.47 | आईटी | नेट लीजेंड्स | 06-01-2016 | 31-08-2017 | 10,121 | 1.7 | 67 | 56,509 |
| 5 | भोपाल | B37 | 0.458 | आईटी | वीआरडी नेटवर्क कम्युनिकेशन (पी) लिमिटेड | 27-04-2015 | 10-04-2019 | 9,312 | 4.0 | 47 | 36,472 |
| 6 | भोपाल | B47 | 0.929 | आईटीईएस | जैनसन इन्फो टेक, भोपाल | 25-03-2015 | 25-05-2019 | 18,806 | 4.2 | 46 | 72,090 |
| 7 | भोपाल | B52 | 0.944 | आईटीईएस | सोलुजियोन आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, | 07-04-2015 | 21-02-2017 | 20,243 | 1.9 | 73 | 1,23,145 |
| 8 | भोपाल | C6 | 1.358 | आईटीईएस | वी विन लिमिटेड | 29-05-2015 | 17-01-2017 | 27,328 | 1.6 | 74 | 1,68,523 |
| 9 | भोपाल | C 10 | 3 | ईएसडीएम | एचएलबीएस टेक.प्राइवेट लिमिटेड | 31-03-2014 | 03-04-2019 | 72,874 | 5.0 | 47 | 2,85,423 |
| 10 | इंदौर | 18 | 1.09 | आईटी | न्यूटेक फ्यूजन साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड | 28-03-2014 | 14-05-2019 | 10,121 | 5.1 | 46 | 38,797 |
| 11 | जबलपुर | 2 | 0.86 | ईएसडीएम | प्रेमसंस एंटरप्राइजेज | 31-08-2015 | 23-06-2017 | 17,409 | 1.8 | 69 | 10,0,102 |
| 12 | जबलपुर | 3 | 1 | ईएसडीएम | सैफरन सोलर सिस्टम | 16-07-2014 | 24-11-2016 | 20,243 | 2.4 | 76 | 1,28,206 |
| 13 | जबलपुर | 7 | 0.23 | ईएसडीएम | सत्यजीत सनटेक | 11-03-2016 | 20-01-2020 | 4,700 | 3.9 | 38 | 14,883 |
| 14 | जबलपुर | 17A | 0.13 | ईएसडीएम | अक्षत आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स | 25-05-2015 | 23-08-2017 | 2,323 | 2.2 | 67 | 12,970 |
| 15 | जबलपुर | 17F | 0.11 | ईएसडीएम | स्नेह कृषि केंद्र | 13-01-2015 | 06-03-2017 | 2,324 | 2.1 | 72 | 13,944 |
| 16 | जबलपुर | 17L | 0.115 | ईएसडीएम | ओआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 23-07-2015 | 23-08-2017 | 2,323 | 2.1 | 67 | 12,970 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | लीज़ किराया @ 1% | कार्य आदेश जारी करने से पट्टा अनुबंध निष्पादन मे देरी (वर्ष मे) | पट्टा अनुबंध से मार्च 2023 तक लीज किराया कम लेने की अवधि (वर्ष में) | लीज़ किराये की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | जबलपुर | A | 0.49 | आईटीईएस | नेट सर्व सॉल्यूशंस | 11-05-2015 | 27-11-2017 | 10,121 | 2.6 | 64 | 53,979 |
| 18 | जबलपुर | 11 | 0.23 | ईएसडीएम | डायमंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स | 11-05-2015 | 06-03-2017 | 4,646 | 1.10 | 72 | 27,876 |
| 19 | जबलपुर | D | 0.87 | आईटीईएस | साई ग्राफिक्स | 15-06-2015 | 23-06-2017 | 17,611 | 2.0 | 69 | 1,01,263 |
| 20 | भोपाल | B22 | 0.45 | आईटीईएस | एस एस टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 24-02-2015 | 27-08-2020 | 9,109 | 5.5 | 31 | 23,532 |
| 21 | भोपाल | B30 | 0.456 | आईटीईएस | जेट वेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 06-01-2016 | 29-07-2020 | 9,182 | 4.6 | 32 | 24,485 |
| 22 | भोपाल | B45 | 0.922 | आईटीईएस | सागासिटी सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड | 29-03-2014 | 14-08-2020 | 16,798 | 6.5 | 31 | 43,395 |
| 23 | भोपाल | B50 | 0.926 | आईटीईएस | जंक्शन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड | 15-04-2015 | 17-06-2020 | 18,745 | 5.2 | 33 | 51,549 |
| **कुल** | | | **18.09** | | | | | **3,66,080** | | | **14,73,361** |

## परिशिष्ट 2.1.2

*(कंडिका 2.1.5.7 में संदर्भित)*

### फर्म से रखरखाव शुल्क की वसूली न होने का विवरण

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | A7A | 0.51 | ईएसडीएम | ठाकुर टेक्नोलॉजी | 27-01-2021 | 15-09-2021 | 18 | 1.5 | 2063.97 | 15,480 |
| 2 | भोपाल | A7B | 0.51 | ईएसडीएम | ठाकुर टेक्नोलॉजी | 27-01-2021 | 15-09-2021 | 18 | 1.5 | 2063.97 | 15,480 |
| 3 | भोपाल | A9 | 1 | ईएसडीएम | फ्यूचर ग्रीन इंडिया | 24-07-2019 | 03-01-2020 | 38 | 3.2 | 4047 | 64,078 |
| 4 | भोपाल | A11 | 0.5 | ईएसडीएम | डीमास फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड | 27-01-2021 | 08-10-2021 | 17 | 1.4 | 2023.5 | 14,333 |
| 5 | भोपाल | A10 | 1 | ईएसडीएम | लिटेज इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 11-02-2021 | 25 | 2.1 | 4047 | 42,156 |
| 6 | भोपाल | A12 | 1.66 | ईएसडीएम | गोल्डस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 03-11-2021 | 08-12-2021 | 15 | 1.3 | 6718.02 | 41,988 |
| 7 | भोपाल | A13 | 1.72 | ईएसडीएम | गोल्डस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 03-11-2021 | 08-12-2021 | 15 | 1.3 | 6960.84 | 43,505 |
| 8 | भोपाल | A14A | 0.54 | ईएसडीएम | तेजस एंटरप्राइजेज | 28-01-2021 | 04-03-2021 | 24 | 2.0 | 2185.38 | 21,854 |
| 9 | भोपाल | A15A | 0.62 | ईएसडीएम | इंग्लो इलेक्ट्रिकल | 27-01-2021 | 15-09-2021 | 18 | 1.5 | 2509.14 | 18,819 |
| 10 | भोपाल | A15B | 0.47 | ईएसडीएम | इंग्लो इलेक्ट्रिकल | 27-01-2021 | 15-09-2021 | 18 | 1.5 | 1902.09 | 14,266 |
| 11 | भोपाल | A16 | 1.15 | आईटी | मैग्नेट ब्रेन्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी | 08-11-2021 | 16-11-2021 | 16 | 1.3 | 4654.05 | 31,027 |
| 12 | भोपाल | A17 | 1.17 | आईटीईएस | स्प्लैश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 25-01-2021 | 02-08-2021 | 19 | 1.6 | 4734.99 | 37,485 |
| 13 | भोपाल | A18 | 1.71 | आईटीईएस | स्प्लैश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 25-01-2021 | 02-08-2021 | 19 | 1.6 | 6920.37 | 54,786 |
| 14 | भोपाल | A19 | 1.05 | आईटी | अपॉइंटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 03-09-2019 | 30-09-2019 | 42 | 3.5 | 4249.35 | 74,364 |
| 15 | भोपाल | A20 | 1.19 | आईटी | अपॉइंटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 03-09-2019 | 30-09-2019 | 42 | 3.5 | 4815.93 | 84,279 |
| 16 | भोपाल | A21 | 1.24 | आईटी | अपॉइंटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 03-09-2019 | 30-09-2019 | 42 | 3.5 | 5018.28 | 87,820 |
| 17 | भोपाल | A25 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 18 | भोपाल | A26 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 19 | भोपाल | A27 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 20 | भोपाल | A28 | 0.78 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 3156.66 | 56,557 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | भोपाल | A29 | 1.22 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर एलएलपी | 27-01-2021 | 13-08-2021 | 19 | 1.6 | 4937.34 | 39,087 |
| 22 | भोपाल | A30 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर प्राइवेट लिमिटेड | 10-11-2015 | 08-05-2018 | 58 | 4.8 | 4047 | 97,803 |
| 23 | भोपाल | A31 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर प्राइवेट लिमिटेड | 10-11-2015 | 08-05-2018 | 58 | 4.8 | 4047 | 97,803 |
| 24 | भोपाल | A32 | 1.05 | ईएसडीएम | हेवन टेक्नो सिस्टम्स | 17-09-2015 | 16-04-2019 | 47 | 3.9 | 4249.35 | 83,216 |
| 25 | भोपाल | A33 | 0.9 | ईएसडीएम | ड्रीम टेलीकम्युनिकेशन | 24-12-2019 | 17-07-2020 | 32 | 2.7 | 3642.3 | 48,564 |
| 26 | भोपाल | A34 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर एलएलपी | 27-01-2021 | 13-08-2021 | 19 | 1.6 | 4047 | 32,039 |
| 27 | भोपाल | A35 | 1 | ईएसडीएम | ग्रीन सर्फर एलएलपी | 27-01-2021 | 13-08-2021 | 19 | 1.6 | 4047 | 32,039 |
| 28 | भोपाल | A36 | 1 | ईएसडीएम | सोहम इनोवेशन लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 12-03-2021 | 24 | 2.0 | 4047 | 40,470 |
| 29 | भोपाल | A37 | 0.73 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 2954.31 | 52,931 |
| 30 | भोपाल | A38 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 31 | भोपाल | A39 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 32 | भोपाल | A40 | 1 | ईएसडीएम | श्रुति मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 30-11-2017 | 26-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 33 | भोपाल | B1 | 3.59 | आईटीईएस | डीएसई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 22-01-2021 | 30-07-2021 | 20 | 1.7 | 14528.73 | 1,21,073 |
| 34 | भोपाल | B2 | 1.41 | आईटीईएस | ज़ैपियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | 25-01-2021 | 31-03-2021 | 24 | 2.0 | 5706.27 | 57,063 |
| 35 | भोपाल | B4 | 1 | आईटी | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 18-03-2019 | 10-07-2019 | 44 | 3.7 | 4047 | 74,195 |
| 36 | भोपाल | B5 | 1 | आईटी | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 18-03-2019 | 10-07-2019 | 44 | 3.7 | 4047 | 74,195 |
| 37 | भोपाल | B6 | 0.47 | आईटी | वनीशा टेक्नोलॉजीज | 31-01-2019 | 24-05-2019 | 46 | 3.8 | 1902.09 | 36,457 |
| 38 | भोपाल | B7 | 0.47 | आईटीईएस | टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 13-04-2022 | 13-04-2022 | 11 | 0.9 | 1902.09 | 8,718 |
| 39 | भोपाल | B8A | 0.24 | ईएसडीएम | लूमिनियस वीआर पावर प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 11-10-2021 | 17 | 1.4 | 971.28 | 6,880 |
| 40 | भोपाल | B8B | 0.24 | ईएसडीएम | लूमिनियस वीआर पावर प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 11-10-2021 | 17 | 1.4 | 971.28 | 6,880 |
| 41 | भोपाल | B 10 | 0.47 | ईएसडीएम | आदर्श टेक्नोसॉफ्ट | 26-06-2018 | 20-08-2020 | 31 | 2.6 | 1902.09 | 24,569 |
| 42 | भोपाल | B 11 | 0.4 | ईएसडीएम | आदर्श टेक्नोसॉफ्ट | 26-09-2018 | 20-08-2020 | 31 | 2.6 | 1618.8 | 20,910 |
| 43 | भोपाल | B12 | 0.45 | आईटी | सीहॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 08-11-2021 | 01-06-2022 | 9 | 0.8 | 1821.15 | 6,829 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | भोपाल | B13 | 0.47 | आईटी | बालाजी एसोसिएट्स | 25-01-2021 | 30-07-2021 | 20 | 1.7 | 1902.09 | 15,851 |
| 45 | भोपाल | B14 | 0.47 | आईटीईएस | टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 26-01-2021 | 31-03-2021 | 24 | 2.0 | 1902.09 | 19,021 |
| 46 | भोपाल | B15 | 0.47 | आईटी | वनीशा टेक्नोलॉजीज | 31-01-2019 | 24-05-2019 | 46 | 3.8 | 1902.09 | 36,457 |
| 47 | भोपाल | B16 | 0.47 | आईटी | नेट लीजेंड्स | 06-01-2016 | 31-08-2017 | 67 | 5.6 | 1902.09 | 53,100 |
| 48 | भोपाल | B17 | 0.47 | ईएसडीएम | शिवम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स | 23-01-2020 | 16-07-2020 | 32 | 2.7 | 1902.09 | 25,361 |
| 49 | भोपाल | B18A | 0.24 | ईएसडीएम | प्लेक्सस आईटी सॉल्यूशन | 25-01-2021 | 25-06-2021 | 21 | 1.8 | 971.28 | 8,499 |
| 50 | भोपाल | B18B | 0.28 | ईएसडीएम | इंग्लो इलेक्ट्रिकल | 27-01-2021 | 21-06-2021 | 21 | 1.8 | 1133.16 | 9,915 |
| 51 | भोपाल | B19A | 0.2 | ईएसडीएम | लूमिनियस वीआर पावर प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 11-10-2021 | 17 | 1.4 | 809.4 | 5,733 |
| 52 | भोपाल | B19B | 0.24 | ईएसडीएम | लूमिनियस वीआर पावर प्राइवेट लिमिटेड | 29-01-2021 | 11-10-2021 | 17 | 1.4 | 971.28 | 6,880 |
| 53 | भोपाल | B20 | 0.47 | ईएसडीएम | शिवम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स | 23-01-2020 | 16-07-2020 | 32 | 2.7 | 1902.09 | 25,361 |
| 54 | भोपाल | B22 | 0.45 | आईटीईएस | एस एस टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 24-02-2015 | 27-08-2020 | 31 | 2.6 | 1821.15 | 23,523 |
| 55 | भोपाल | B23 | 0.452 | ईएसडीएम | आई.ई.एस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 26-10-2017 | 14-05-2019 | 46 | 3.8 | 1829.244 | 35,061 |
| 56 | भोपाल | B24 | 0.453 | आईटी | नेट क्रिएटिव माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 11-11-2016 | 12-09-2019 | 42 | 3.5 | 1833.291 | 32,083 |
| 57 | भोपाल | B25 | 0.455 | आईटीईएस | इन्फ्रारेड पावर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 07-04-2017 | 18-08-2020 | 31 | 2.6 | 1841.385 | 23,785 |
| 58 | भोपाल | B26 | 0.455 | आईटीईएस | ग्रो मोर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 03-01-2017 | 05-04-2019 | 47 | 3.9 | 1841.385 | 36,060 |
| 59 | भोपाल | B28 | 0.458 | आईटीईएस | आईटी एंड रिसर्च सेंटर | 11-11-2016 | 31-10-2017 | 65 | 5.4 | 1853.526 | 50,200 |
| 60 | भोपाल | B30 | 0.456 | आईटीईएस | जेट वेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 06-01-2016 | 29-07-2020 | 32 | 2.7 | 1845.432 | 24,606 |
| 61 | भोपाल | B32 | 0.453 | आईटी | सिम्शन टेक प्राइवेट लिमिटेड, | 08-01-2019 | 02-04-2019 | 47 | 3.9 | 1833.291 | 35,902 |
| 62 | भोपाल | B35 | 0.456 | आईटी | डिजिटल डेमोक्रेसी | 26-08-2017 | 31-01-2020 | 38 | 3.2 | 1845.432 | 29,219 |
| 63 | भोपाल | B36 | 0.45 | आईटी | ईकेएसपीई सॉफ्टवेयर एलएलपी | 25-01-2021 | 10-06-2021 | 21 | 1.8 | 1821.15 | 15,935 |
| 64 | भोपाल | B37 | 0.458 | आईटी | वीआरडी नेटवर्क कम्युनिकेशन (पी) लिमिटेड | 27-04-2015 | 10-04-2019 | 47 | 3.9 | 1853.526 | 36,298 |
| 65 | भोपाल | B38A | 0.23 | आईटीईएस | ऑप्टिको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 08-11-2021 | 25-02-2022 | 13 | 1.1 | 930.81 | 5,042 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | भोपाल | B38B | 0.23 | आईटी | ल्यूमिनस ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड | 03-11-2021 | 29-12-2021 | 15 | 1.3 | 930.81 | 5,818 |
| 67 | भोपाल | B39A | 0.23 | आईटीईएस | चाणक्य एक्सिस इन्फोटेक | 25-01-2021 | 06-04-2021 | 23 | 1.9 | 930.81 | 8,920 |
| 68 | भोपाल | B39B | 0.23 | आईटी | ट्रायोसॉफ्ट टेक्नोजीज प्राइवेट लिमिटेड | 27-01-2021 | 08-10-2021 | 17 | 1.4 | 930.81 | 6,593 |
| 69 | भोपाल | B40 | 0.452 | आईटी | विजन इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड | 27-06-2017 | 24-04-2019 | 47 | 3.9 | 1829.244 | 35,823 |
| 70 | भोपाल | B41 A | 0.23 | आईटीईएस | समृद्धि इन्फोटेक | 09-04-2018 | 10-04-2019 | 47 | 3.9 | 930.81 | 18,228 |
| 71 | भोपाल | B41 B | 0.226 | आईटी | सिनेट इन्फोटेक | 09-04-2018 | 03-04-2019 | 47 | 3.9 | 914.622 | 17,911 |
| 72 | भोपाल | B42 | 0.456 | ईएसडीएम | आई.ई.एस. कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 26-10-2017 | 14-05-2019 | 46 | 3.8 | 1845.432 | 35,371 |
| 73 | भोपाल | B43 | 0.46 | आईटी | आईसेक्ट लिमिटेड | 25-01-2021 | 13-08-2021 | 19 | 1.6 | 1861.62 | 14,738 |
| 74 | भोपाल | B44 | 0.9 | आईटीईएस | जे एम एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड | 22-01-2021 | 31-08-2021 | 19 | 1.6 | 3642.3 | 28,835 |
| 75 | भोपाल | B45 | 0.922 | आईटीईएस | सागासिटी सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड | 29-03-2014 | 14-08-2020 | 31 | 2.6 | 3731.334 | 48,196 |
| 76 | भोपाल | B47 | 0.929 | आईटीईएस | जैनसन इन्फो टेक, भोपाल | 25-03-2015 | 25-05-2019 | 46 | 3.8 | 3759.663 | 72,060 |
| 77 | भोपाल | B49 | 0.92 | ईएसडीएम | प्लेक्सस आईटी सॉल्यूशन | 09-11-2021 | 29-01-2022 | 14 | 1.2 | 3723.24 | 21,719 |
| 78 | भोपाल | B50 | 0.926 | आईटीईएस | जंक्शन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड | 15-04-2015 | 17-06-2020 | 33 | 2.8 | 3747.522 | 51,528 |
| 79 | भोपाल | B52 | 0.944 | आईटीईएस | सोलुजियोन आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, | 07-04-2015 | 21-02-2017 | 73 | 6.1 | 3820.368 | 1,16,203 |
| 80 | भोपाल | C1 | 4 | आईटीईएस | एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 05-06-2018 | 12-03-2019 | 48 | 4.0 | 16188 | 3,23,760 |
| 81 | भोपाल | C3 | 5 | आईटी | साइबर फ्यूचरिस्टिक | 03-05-2014 | 04-06-2015 | 93 | 7.8 | 20235 | 7,84,106 |
| 82 | भोपाल | C6 | 1.358 | आईटीईएस | वी विन लिमिटेड | 29-05-2015 | 17-01-2017 | 74 | 6.2 | 5495.826 | 1,69,455 |
| 83 | भोपाल | C10 | 3 | ईएसडीएम | एचएलबीएस टेक.प्राइवेट लिमिटेड | 31-03-2014 | 03-04-2019 | 47 | 3.9 | 12141 | 2,37,761 |
| 84 | भोपाल | C13A | 0.23 | ईएसडीएम | स्किल इंजीनियर सर्विसेज | 03-11-2021 | 01-03-2022 | 12 | 1.0 | 930.81 | 4,654 |
| 85 | भोपाल | C14 B | 0.25 | ईएसडीएम | एमडी प्लास्टिक्स | 03-11-2021 | 19-01-2022 | 14 | 1.2 | 1011.75 | 5,902 |
| 86 | इंदौर | 2 | 5.27 | आईटी | टुडिप टेक्नोलॉजीज | 24-10-2019 | 04-11-2020 | 28 | 2.3 | 21327.69 | 3,98,117 |
| 87 | इंदौर | 4 | 1.97 | आईटी | बेसिक डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 06-12-2018 | 18-02-2021 | 25 | 2.1 | 7972.59 | 1,32,877 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | इंदौर | 6A | 2.61 | ईएसडीएम | टेनको सिस्टम एंड स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर | 12-07-2019 | 11-09-2019 | 42 | 3.5 | 10562.67 | 2,95,755 |
| 89 | इंदौर | 9 | 0.11 | आईटीईएस | कोडेंसियस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 23-01-2021 | 28-07-2021 | 20 | 1.7 | 445.17 | 5,936 |
| 90 | इंदौर | 15 | 0.65 | ईएसडीएम | सम्यक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड | 26-10-2019 | 11-03-2020 | 36 | 3.0 | 2630.55 | 63,133 |
| 91 | इंदौर | 16 | 0.65 | आईटी | मोनो इन्फोटेक | 23-01-2021 | 14-06-2021 | 21 | 1.8 | 2630.55 | 36,828 |
| 92 | इंदौर | 17 | 0.91 | आईटी | नेटकॉम कंप्यूटर्स | 08-11-2021 | 07-01-2022 | 14 | 1.2 | 3682.77 | 34,373 |
| 93 | इंदौर | 18 | 1.09 | आईटी | न्यूटेक फ्यूजन साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड | 28-03-2014 | 14-05-2019 | 46 | 3.8 | 4411.23 | 1,35,278 |
| 94 | इंदौर | 19 | 0.61 | आईटीईएस | आई जॉब कंसल्टेंसी | 12-07-2019 | 18-09-2019 | 42 | 3.5 | 2468.67 | 69,123 |
| 95 | इंदौर | 20 | 0.61 | ईएसडीएम | टूमेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 24-03-2018 | 15-05-2019 | 46 | 3.8 | 2468.67 | 75,706 |
| 96 | इंदौर | 21 | 0.97 | आईटीईएस | श्रिंककॉम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड | 27-01-2021 | 16-08-2021 | 19 | 1.6 | 3925.59 | 49,724 |
| 97 | इंदौर | 23 | 3.26 | आईटीईएस | स्प्लैश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 27-01-2021 | 04-08-2021 | 19 | 1.6 | 13193.22 | 1,67,114 |
| 98 | इंदौर | 24 | 3 | ईएसडीएम | एपल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 24-03-2021 | 24 | 2.0 | 12141 | 1,94,256 |
| 99 | इंदौर | 25 | 2.93 | ईएसडीएम | एपल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 28-01-2021 | 24-03-2021 | 24 | 2.0 | 11857.71 | 1,89,723 |
| 100 | इंदौर | 26 | 3 | आईटीईएस | ब्लैक वोल्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड | 25-01-2021 | 23-06-2021 | 21 | 1.8 | 12141 | 1,69,974 |
| 101 | इंदौर | 27 | 2.12 | आईटीईएस | पॉलिसीएक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड | 26-10-2019 | 03-01-2020 | 38 | 3.2 | 8579.64 | 2,17,351 |
| 102 | इंदौर | 28 | 1.05 | ईएसडीएम | हर्ट्ज़ टेक्नो सिस्टम्स | 24-03-2017 | 24-07-2019 | 44 | 3.7 | 4249.35 | 1,24,648 |
| 103 | इंदौर | 29 | 1.05 | आईटी | साइबाइंड टेक्नोलॉजीज | 22-01-2021 | 25-02-2021 | 25 | 2.1 | 4249.35 | 70,823 |
| 104 | इंदौर | 30 | 1.1 | आईटी | स्पंदन कंसल्टेंसी एंड आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 24-01-2020 | 05-10-2020 | 29 | 2.4 | 4451.7 | 86,066 |
| 105 | इंदौर | 31 | 0.52 | आईटी | आइडियल आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 39 | 3.3 | 2104.44 | 54,715 |
| 106 | इंदौर | 32 | 0.52 | ईएसडीएम | गणित स्टार इंजीनियरिंग | 08-01-2019 | 30-04-2019 | 47 | 3.9 | 2104.44 | 65,939 |
| 107 | इंदौर | 33A | 0.23 | ईएसडीएम | इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस | 08-01-2019 | 03-05-2019 | 46 | 3.8 | 930.81 | 28,545 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | इंदौर | 33B | 0.22 | ईएसडीएम | कैलिब्रेट इंडिया | 01-03-2019 | 11-06-2019 | 45 | 3.8 | 890.34 | 26,710 |
| 109 | इंदौर | 34 | 0.52 | आईटी | आइडियल आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 24-10-2019 | 10-12-2019 | 39 | 3.3 | 2104.44 | 54,715 |
| 110 | इंदौर | 35 | 0.52 | ईएसडीएम | गणित स्टार इंजीनियरिंग | 08-01-2019 | 30-04-2019 | 47 | 3.9 | 2104.44 | 65,939 |
| 111 | इंदौर | 36 | 0.52 | आईटी | इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | 22-01-2021 | 31-08-2021 | 19 | 1.6 | 2104.44 | 26,656 |
| 112 | इंदौर | 37 | 0.94 | आईटी | फाइव एक्सेप्शन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 25-01-2021 | 14-06-2021 | 21 | 1.8 | 3804.18 | 53,259 |
| 113 | इंदौर | 38 | 0.87 | आईटी | पार्ख्या सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 24-03-2017 | 10-10-2017 | 65 | 5.4 | 3520.89 | 1,52,572 |
| 114 | इंदौर | 39 | 0.81 | आईटी | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 20-09-2017 | 15-04-2019 | 47 | 3.9 | 3278.07 | 1,02,713 |
| 115 | इंदौर | 40A | 0.4685 | आईटी | एबीएस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड | 14-02-2019 | 17-12-2020 | 27 | 2.3 | 1896.02 | 34,128 |
| 116 | इंदौर | 40B | 0.34 | ईएसडीएम | एनालॉग पॉवरटेक इंजीनियरिंग | 12-07-2019 | 03-10-2019 | 41 | 3.4 | 1375.98 | 37,610 |
| 117 | इंदौर | 41 | 0.34 | आईटी | डिसम्बी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 08-11-2021 | 13-10-2022 | 5 | 0.4 | 1375.98 | 4,587 |
| 118 | जबलपुर | 1A | 1 | आईटीईएस | टीएसडी कॉर्पोरेशन | 17-07-2019 | 16-08-2019 | 43 | 3.6 | 4047 | 72,509 |
| 119 | जबलपुर | 1B | 0.41 | ईएसडीएम | एप्पल हार्डवेयर | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 1659.27 | 33,185 |
| 120 | जबलपुर | 2 | 0.86 | ईएसडीएम | प्रेमसंस एंटरप्राइजेज | 31-08-2015 | 23-06-2017 | 69 | 5.8 | 3480.42 | 1,00,062 |
| 121 | जबलपुर | 3 | 1 | ईएसडीएम | सैफरन सोलर सिस्टम | 16-07-2014 | 24-11-2016 | 76 | 6.3 | 4047 | 1,28,155 |
| 122 | जबलपुर | 4A | 0.5 | आईटी | क्रेयॉन्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड | 12-07-2019 | 05-10-2019 | 41 | 3.4 | 2023.5 | 34,568 |
| 123 | जबलपुर | 4B | 0.12 | ईएसडीएम | एस-क्यूब सॉल्यूशंस | 31-01-2019 | 03-10-2019 | 41 | 3.4 | 485.64 | 8,296 |
| 124 | जबलपुर | 4C | 0.23 | ईएसडीएम | स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस | 03-06-2019 | 03-10-2019 | 41 | 3.4 | 930.81 | 15,901 |
| 125 | जबलपुर | 4D | 0.23 | ईएसडीएम | लीडर इलेक्ट्रिक | 03-06-2019 | 12-09-2019 | 42 | 3.5 | 930.81 | 16,289 |
| 126 | जबलपुर | 4E | 0.115 | ईएसडीएम | ख़ुशी इलेक्ट्रॉनिक्स | 03-06-2019 | 12-11-2020 | 28 | 2.3 | 465.405 | 5,430 |
| 127 | जबलपुर | 5 | 1 | ईएसडीएम | दिनेश इंटरप्राइजेज | 02-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 4047 | 80,940 |
| 128 | जबलपुर | 6 | 0.89 | ईएसडीएम | परिहार वर्क्स | 31-01-2019 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 3601.83 | 72,037 |
| 129 | जबलपुर | 6A | 0.46 | ईएसडीएम | आशीर्वाद हार्डवेयर | 02-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 1861.62 | 37,232 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | जबलपुर | 6B | 0.459 | ईएसडीएम | केकेएम आर्ट्स | 31-01-2019 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 1857.573 | 37,151 |
| 131 | जबलपुर | 7 | 0.23 | ईएसडीएम | सत्यजीत सनटेक | 11-03-2016 | 20-01-2020 | 38 | 3.2 | 930.81 | 14,738 |
| 132 | जबलपुर | 8 | 0.23 | ईएसडीएम | अंकित ट्रांसमिशन | 27-10-2016 | 23-10-2020 | 29 | 2.4 | 930.81 | 11,247 |
| 133 | जबलपुर | 9 | 0.23 | ईएसडीएम | अदिति इलेक्ट्रिकल | 09-07-2017 | 27-11-2017 | 64 | 5.3 | 930.81 | 24,822 |
| 134 | जबलपुर | 10 | 0.23 | ईएसडीएम | एनोड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड | 04-01-2017 | 23-08-2017 | 67 | 5.6 | 930.81 | 25,985 |
| 135 | जबलपुर | 11 | 0.23 | ईएसडीएम | डायमंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक | 11-05-2015 | 06-03-2017 | 72 | 6.0 | 930.81 | 27,924 |
| 136 | जबलपुर | 12 | 0.23 | ईएसडीएम | एसिकॉन इलेक्ट्रो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड | 02-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 930.81 | 18,616 |
| 137 | जबलपुर | 13 | 0.23 | ईएसडीएम | एसिकॉन इलेक्ट्रो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड | 02-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 930.81 | 18,616 |
| 138 | जबलपुर | 15 | 0.23 | ईएसडीएम | अंबुज नैनोमेडिक्स | 29-08-2017 | 18-11-2020 | 28 | 2.3 | 930.81 | 10,859 |
| 139 | जबलपुर | 14 | 0.23 | ईएसडीएम | अदिति इलेक्ट्रिकल | 09-07-2017 | 27-11-2017 | 64 | 5.3 | 930.81 | 24,822 |
| 140 | जबलपुर | 16 | 0.23 | ईएसडीएम | एक्वा सॉल्यूशंस | 04-03-2017 | 24-08-2017 | 67 | 5.6 | 930.81 | 25,985 |
| 141 | जबलपुर | 17A | 0.13 | ईएसडीएम | अक्षत आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स | 25-05-2015 | 23-08-2017 | 67 | 5.6 | 526.11 | 14,687 |
| 142 | जबलपुर | 17B | 0.115 | ईएसडीएम | सन राइज सप्लायर्स | 02-08-2017 | 25-05-2019 | 46 | 3.8 | 465.405 | 8,920 |
| 143 | जबलपुर | 17C | 0.115 | ईएसडीएम | नर्मदा एंटरप्राइजेज | 02-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 465.405 | 9,308 |
| 144 | जबलपुर | 17D | 0.115 | ईएसडीएम | त्रिपुरा सॉल्यूशंस | 26-08-2017 | 18-06-2019 | 45 | 3.8 | 465.405 | 8,726 |
| 145 | जबलपुर | 17E | 0.13 | आईटी | वी.आर. टेक्नोलॉजी | 02-08-2017 | 06-05-2019 | 46 | 3.8 | 526.11 | 10,084 |
| 146 | जबलपुर | 17F | 0.11 | ईएसडीएम | स्नेह कृषि केंद्र | 13-01-2015 | 06-03-2017 | 72 | 6.0 | 445.17 | 13,355 |
| 147 | जबलपुर | 17G | 0.115 | ईएसडीएम | एस.बी. इंजीनियरिंग वर्क्स | 02-08-2017 | 25-05-2019 | 46 | 3.8 | 465.405 | 8,920 |
| 148 | जबलपुर | 17H | 0.115 | ईएसडीएम | नाइसटेक टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 08-09-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 465.405 | 9,308 |
| 149 | जबलपुर | 17I | 0.13 | ईएसडीएम | नोकनील फार्मा | 12-12-2017 | 27-03-2020 | 36 | 3.0 | 526.11 | 7,892 |
| 150 | जबलपुर | 17J | 0.13 | ईएसडीएम | मेसर्स श्री जीएम प्रोटेक्टा | 05-09-2017 | 17-06-2019 | 45 | 3.8 | 526.11 | 9,865 |
| 151 | जबलपुर | 17K | 0.12 | ईएसडीएम | श्री इंजीनियरिंग वर्क्स | 23-10-2017 | 28-01-2021 | 26 | 2.2 | 485.64 | 5,261 |
| 152 | जबलपुर | 17L | 0.115 | ईएसडीएम | ओआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 23-07-2015 | 23-08-2017 | 67 | 5.6 | 465.405 | 12,993 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | जबलपुर | 18 | 0.3 | ईएसडीएम | सरोवा पंप्स इंडस्ट्रीज | 27-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 1214.1 | 10,623 |
| 154 | जबलपुर | 19 | 0.5 | ईएसडीएम | केटीटी टेक एंड फैब | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 2023.5 | 40,470 |
| 155 | जबलपुर | 20 | 0.65 | ईएसडीएम | शंकर सिक्योर विजन | 16-11-2016 | 23-10-2020 | 29 | 2.4 | 2630.55 | 31,786 |
| 156 | जबलपुर | 21 | 0.23 | ईएसडीएम | शिवम इको टेक | 23-10-2017 | 23-06-2020 | 33 | 2.8 | 930.81 | 12,799 |
| 157 | जबलपुर | 22 | 0.5 | आईटीईएस | कॉग्निक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड | 16-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 2023.5 | 40,470 |
| 158 | जबलपुर | 23 | 0.459 | ईएसडीएम | एस.एस.एस. इंडस्ट्रीज | 01-03-2019 | 19-08-2020 | 31 | 2.6 | 1857.573 | 23,994 |
| 159 | जबलपुर | 24 | 0.5 | आईटी | न्यूवा सॉफ्टवेयर | 01-03-2019 | 15-10-2019 | 41 | 3.4 | 2023.5 | 34,568 |
| 160 | जबलपुर | 25 | 0.44 | ईएसडीएम | पेरिफेरल टेक्नोकार्ट्स | | 16-08-2019 | 43 | 3.6 | 1780.68 | 31,904 |
| 161 | जबलपुर | 26 | 0.43 | ईएसडीएम | पेरिफेरल टेक्नोकार्ट्स | 01-03-2019 | 16-08-2019 | 43 | 3.6 | 1740.21 | 31,179 |
| 162 | जबलपुर | 27 | 0.46 | आईटी | आदित्य इन्फोटेक | 08-01-2019 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 1861.62 | 37,232 |
| 163 | जबलपुर | 28A | 0.23 | आईटी | के.पी. पॉलीपैक इंटरनेशनल | 03-06-2019 | 06-09-2019 | 42 | 3.5 | 930.81 | 16,289 |
| 164 | जबलपुर | 28B | 0.23 | ईएसडीएम | सर्पेंटिना | 03-06-2019 | 06-09-2019 | 42 | 3.5 | 930.81 | 16,289 |
| 165 | जबलपुर | 29 | 0.44 | आईटीईएस | अनन्या सिस्टम | 08-01-2017 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 1780.68 | 35,614 |
| 166 | जबलपुर | 30 | 0.23 | ईएसडीएम | अकुल देव इंडस्ट्रीज | 03-06-2019 | 15-10-2019 | 41 | 3.4 | 930.81 | 15,901 |
| 167 | जबलपुर | 31 | 0.115 | ईएसडीएम | केसरी सिस्टम | 18-08-2017 | 25-05-2019 | 46 | 3.8 | 465.405 | 8,920 |
| 168 | जबलपुर | 32 | 0.115 | ईएसडीएम | श्री विनायक ट्रेडिंग कंपनी | 03-06-2019 | 15-10-2019 | 41 | 3.4 | 465.405 | 7,951 |
| 169 | जबलपुर | 33 | 0.115 | ईएसडीएम | श्री विनायक ट्रेडिंग कंपनी | 03-06-2019 | 15-10-2019 | 41 | 3.4 | 465.405 | 7,951 |
| 170 | जबलपुर | 34 | 0.12 | आईटी | भगवा मीडिया सॉल्यूशंस एलएलपी | 03-06-2019 | 15-10-2019 | 41 | 3.4 | 485.64 | 8,296 |
| 171 | जबलपुर | 35 | 0.12 | ईएसडीएम | बाबा एंटरप्राइजेज | 03-06-2019 | 12-11-2020 | 28 | 2.3 | 485.64 | 5,666 |
| 172 | जबलपुर | 36 | 0.11 | आईटीईएस | श्री जे एसोसिएट्स | 31-07-2017 | 30-03-2019 | 48 | 4.0 | 445.17 | 8,903 |
| 173 | जबलपुर | 37 | 0.11 | आईटीईएस | श्री जे एसोसिएट्स | 31-07-2017 | 30-03-2019 | 48 | 4.0 | 445.17 | 8,903 |
| 174 | जबलपुर | 38 | 0.115 | आईटी | क्रिमसन्स सिस्टम | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 465.405 | 9,308 |
| 175 | जबलपुर | 39 | 0.115 | आईटी | क्रिमसन्स सिस्टम | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 465.405 | 9,308 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | जबलपुर | 40 | 0.11 | आईटी | रायकीओस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 03-06-2019 | 20-10-2020 | 29 | 2.4 | 445.17 | 5,379 |
| 177 | जबलपुर | 41 | 0.11 | आईटी | स्काईस्टार सॉफ्टवेयर जबलपुर | 08-01-2019 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 445.17 | 8,903 |
| 178 | जबलपुर | 42 | 0.111 | ईएसडीएम | अमरज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स | 03-06-2019 | 18-11-2020 | 28 | 2.3 | 449.217 | 5,241 |
| 179 | जबलपुर | 43 | 0.69 | आईटी | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 31-07-2017 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 2792.43 | 55,849 |
| 180 | जबलपुर | 44 | 0.61 | आईटी | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 31-07-2017 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 2468.67 | 49,373 |
| 181 | जबलपुर | 45 | 0.47 | आईटी | दक्ष जबलपुर | 25-10-2019 | 29-10-2020 | 29 | 2.4 | 1902.09 | 22,984 |
| 182 | जबलपुर | 46 | 0.47 | आईटी | एग्रो टेक इंडिया | 30-01-2021 | 07-09-2021 | 18 | 1.5 | 1902.09 | 14,266 |
| 183 | जबलपुर | 47A | 0.23 | ईएसडीएम | एग्रो टेक इंडिया | 25-01-2021 | 09-07-2021 | 20 | 1.7 | 930.81 | 7,757 |
| 184 | जबलपुर | 47B | 0.23 | ईएसडीएम | एग्रो टेक इंडिया | 25-01-2021 | 09-07-2021 | 20 | 1.7 | 930.81 | 7,757 |
| 185 | जबलपुर | 48 | 0.47 | ईएसडीएम | एग्रो टेक इंडिया | 25-01-2021 | 09-07-2021 | 20 | 1.7 | 1902.09 | 15,851 |
| 186 | जबलपुर | 49 | 0.22 | ईएसडीएम | फ्लेम इलेक्ट्रॉनिक्स | 28-01-2020 | 21-01-2021 | 26 | 2.2 | 890.34 | 9,645 |
| 187 | जबलपुर | 50 | 0.22 | ईएसडीएम | फ्लेम इलेक्ट्रॉनिक्स | 28-01-2020 | 21-01-2021 | 26 | 2.2 | 890.34 | 9,645 |
| 188 | जबलपुर | 51 | 0.22 | ईएसडीएम | जबलपुर पावर एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड | 27-01-2021 | 16-08-2021 | 19 | 1.6 | 890.34 | 7,049 |
| 189 | जबलपुर | 52 | 0.22 | ईएसडीएम | आशीष कंप्यूटर सर्विसेज | 30-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 890.34 | 7,790 |
| 190 | जबलपुर | 53 | 0.22 | आईटीईएस | डिजाइन ज़ोन | 25-01-2021 | 16-08-2021 | 19 | 1.6 | 890.34 | 7,049 |
| 191 | जबलपुर | 54 | 0.2 | ईएसडीएम | भोर्से पावर | 30-01-2021 | 09-07-2021 | 20 | 1.7 | 809.4 | 6,745 |
| 192 | जबलपुर | 55 | 0.11 | आईटीईएस | गुरुकृपा बीपीओ सर्विसेज | 27-01-2021 | 27-10-2021 | 17 | 1.4 | 445.17 | 3,153 |
| 193 | जबलपुर | 56 | 0.11 | ईएसडीएम | मेहता कंस्ट्रक्शन | 25-01-2021 | 27-10-2021 | 17 | 1.4 | 445.17 | 3,153 |
| 194 | जबलपुर | 58 | 0.11 | ईएसडीएम | पीसीएस एंड एसोसिएट्स | 30-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 445.17 | 3,895 |
| 195 | जबलपुर | 59 | 0.11 | ईएसडीएम | ए एस डिजिटल | 30-01-2021 | 27-10-2021 | 17 | 1.4 | 445.17 | 3,153 |
| 196 | जबलपुर | 60 | 0.11 | ईएसडीएम | सुरभित एंटरप्राइजेज | 29-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 445.17 | 3,895 |
| 197 | जबलपुर | 61 | 0.11 | ईएसडीएम | जबलपुर ई-वेस्ट क्लीनर | 27-01-2021 | 09-07-2021 | 20 | 1.7 | 445.17 | 3,710 |
| 198 | जबलपुर | 62 | 0.11 | ईएसडीएम | आशीष कंप्यूटर सर्विसेज | 29-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 445.17 | 3,895 |

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | भूखण्ड सं. | क्षेत्र | संपत्ति आईडी | कंपनी का नाम | एलओए तिथि | रजिस्ट्री तिथि | आवंटन की अवधि (माह में) | आवंटन की अवधि (वर्षों में) | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | 31 मार्च 2023 तक देय रखरखाव शुल्क (राशि रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | जबलपुर | 63 | 0.11 | ईएसडीएम | रुद्र इंडस्ट्रीज | 30-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 445.17 | 3,895 |
| 200 | जबलपुर | 64 | 0.22 | आईटी | प्रोग्रेसो टेक | 27-01-2021 | 27-10-2021 | 17 | 1.4 | 890.34 | 6,307 |
| 201 | जबलपुर | 65 | 0.22 | ईएसडीएम | स्लिम पॉइंट एंड ब्यूटी क्लिनिक | 30-01-2021 | 16-08-2021 | 19 | 1.6 | 890.34 | 7,049 |
| 202 | जबलपुर | 66 | 0.22 | ईएसडीएम | अल रजा मोटर्स | 27-01-2021 | 28-06-2021 | 21 | 1.8 | 890.34 | 7,790 |
| 203 | जबलपुर | 69 | 0.22 | ईएसडीएम | अथर्व सेल्स | 30-01-2021 | 27-08-2021 | 19 | 1.6 | 890.34 | 7,049 |
| 204 | जबलपुर | A | 0.49 | आईटीईएस | नेट सर्व सॉल्यूशंस | 11-05-2015 | 27-11-2017 | 64 | 5.3 | 1983.03 | 52,881 |
| 205 | जबलपुर | B | 0.61 | आईटी | एसजे सिस्टम्स | 01-08-2017 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 2468.67 | 49,373 |
| 206 | जबलपुर | C | 0.65 | आईटीईएस | श्री नर्मदा इन्फोटेक | 12-07-2019 | 18-11-2020 | 28 | 2.3 | 2630.55 | 30,690 |
| 207 | जबलपुर | D | 0.87 | आईटीईएस | साई ग्राफिक्स | 15-06-2015 | 23-06-2017 | 69 | 5.8 | 3520.89 | 101,226 |
| 208 | जबलपुर | E1 | 0.12 | आईटी | एक्रोस्टिक आईटी सॉल्यूशंस | 31-07-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 485.64 | 9,713 |
| 209 | जबलपुर | E2 | 0.13 | आईटी | इनोवेशन सॉल्यूशंस | 01-08-2017 | 07-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| 210 | जबलपुर | E3 | 0.23 | आईटी | टारिटास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 31-07-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 930.81 | 18,616 |
| 211 | जबलपुर | E4 |  | आईटी | टारिटास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 31-07-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 0 | ,0 |
| 212 | जबलपुर | E5 | 0.3 | आईटी | बाइट बॉन्डिंग | 31-07-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 1214.1 | 24,282 |
| 213 | जबलपुर | E6 |  | आईटी | बाइट बॉन्डिंग | 31-07-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 0 | 0 |
| 214 | जबलपुर | F1 | 0.12 | आईटीईएस | गहोई बिजनेस एसोसिएट्स | 01-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 485.64 | 9,713 |
| 215 | जबलपुर | F2 | 0.13 | आईटीईएस | गहोई बिजनेस एसोसिएट्स | 01-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| 216 | जबलपुर | F3 | 0.13 | आईटी | एस यूनिटेक | 01-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| 217 | जबलपुर | F4 | 0.13 | आईटी | एस यूनिटेक | 01-08-2017 | 09-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| 218 | जबलपुर | F5 | 0.13 | आईटी | श्री जी इन्फोटेक | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| 219 | जबलपुर | F6 | 0.13 | आईटी | श्री जी इन्फोटेक | 01-08-2017 | 08-03-2019 | 48 | 4.0 | 526.11 | 10,522 |
| **कुल** |  |  | **140.5165** |  |  |  |  |  |  |  | **99,78,278** |

## परिशिष्ट 2.1.3

*(कंडिका 2.1.5.9 में संदर्भित)*

### (अ) आईटी पार्कों में स्थान के आवंटियों से लंबित स्थान किराये का विवरण

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | प्रतिष्ठानों की संख्या | देय स्थान किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | आईटी पार्क भोपाल | 14 | 23,26,335 |
| 2 | आईटी पार्क ग्वालियर | 10 | 6,47,10,948 |
| 3 | आईटी पार्क इंदौर | 69 | 1,08,41,595 |
| 4 | आईटी पार्क जबलपुर | 15 | 89,99,612 |
| **कुल** | | **108** | **8,68,78,490** |

### (ब) आईटी पार्कों में भूमि आवंटियों से लंबित लीज़ किराये का विवरण

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | आई टी पार्क का नाम | प्रतिष्ठानों की संख्या | देय लीज़ किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | आईटी पार्क भोपाल | 23 | 33,59,660 |
| 2 | आईटी पार्क इंदौर | 7 | 60,51,877 |
| 3 | आईटी पार्क जबलपुर | 31 | 17,54,408 |
| **कुल** | | **61** | **1,11,65,945** |

## परिशिष्ट 2.1.4

*(कंडिका 2.1.6.1 में संदर्भित)*

## कौशल अंतर प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति में पाई गई अनियमितताओं का विवरण

| फर्म का नाम | आवेदन की तिथि | वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि | प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि | प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि | प्रतिभागियों की संख्या | प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹ में) | क्या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न है | क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न है | ईपीएफ पंजीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसर्स स्वैप इन्फोटेक | 06.05.20 | 10.07.19 | 01.08.19 | 31.03.20 | 7 | 30,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| जेनी टॉक प्राइवेट लिमिटेड | 04.08.20 | 31.03.19 | 01.09.19 | 31.05.20 | 16 | 1,45,559 | नहीं | नहीं | नहीं |
| नाइसटेक टेक्नो इंडिया | 06.08.21 | 04.08.20 | 01.06.21 | 20.07.21 | 20 | 2,00,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| नाइसटेक टेक्नो इंडिया | 30.12.21 | 04.08.20 | 01.11.21 | 15.12.21 | 28 | 2,10,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| रैनिसिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 15.04.21 | 23.11.2020 | 01.01.21 | 28.02.21 | 33 | 2,82,288 | नहीं | नहीं | नहीं |
| मैसर्स एएम वेबटेक | 31.03.2021 | 03.04.2019 | 01.03.2020 | 28.02.2021 | 21 | 1,76,425 | नहीं | नहीं | नहीं |
| मैसर्स अपॉइंटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | 21.05.2019 | 19.05.2017 | 01.03.2017 से 01.01.2019 | 30.04.2017 से 31.03.2019 | 19 | 90,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च | 18.03.2019 | 21.12.2015 | 21.12.2015 से 12.01.2018 | 20.03.2016 से 12.04.2018 | 935 | 93,50,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| अल्टुइस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 25.03.2022 | 25.04.2020 | 28.12.2021 | 02.03.2022 | 450 | 43,41,287 | नहीं | नहीं | हाँ |
| आर्टेक इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | 21.11.2019 | 01.08.2018 | 03/2018 से 01/2019 | 04/2018 से 04/2019 | 46 | 4,60,000 | नहीं | नहीं | हाँ |
| बेस्टपीयर्स | 25.09.2020 | 01.04.2019 | 01.01.2020 | 31.08.2020 | 18 | 1,76,994 | नहीं | नहीं | हाँ |
| माइंडरूबी टेक्नोलॉजी | 30.10.2020 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 31.08.2020 | 4 | 40,000 | नहीं | नहीं | नहीं |
| | **कुल** | | | | | **1,55,02,553** | | | |

## परिशिष्ट 2.1.5

*(कंडिका 2.1.7.5 में संदर्भित)*

## भूमि के अल्प उपयोग का विवरण

| क्र.सं. | फर्म का नाम | यूनिट का प्रकार | पट्टा अनुबंध की तिथि | भूखण्ड संख्या | कुल भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र (वर्ग मी. में) | कवर्ड ग्राउंड एरिया (वर्ग मी. में) | उपयोग किये जाने वाला 85 प्रतिशत क्षेत्र (वर्ग मी. में) | उपयोग की गई भूमि का प्रतिशत | निर्माण की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अपॉइंटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | आईटी | 30.09 .2019 | ए-19, ए-20 और ए-21 | 14083.1 | 6033.99 | 2011.41 | 11970.55 | 14.28 | केवल A-19 और A-20 में निर्मित |
| 2 | गोल्डस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | ईएसडीएम | 08.12. 2021 | ए-12 और ए-13 | 13678.9 | 3133.81 | 2749.91 | 11627.07 | 20.10 | केवल A-13 में निर्माण |
| 3 | डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | आईटी | 10.07. 2019 | बी-4 और बी-5 | 8093.72 | 1618.27 | 809.65 | 6879.66 | 10.00 | केवल बी-5 में निर्माण किया गया। भूखण्ड संख्या बी-4 के मामले में, भवन निर्माण की अनुमति 05.12.2019 को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 04.12.2022 तक के लिए जारी की गई थी। |
| 4 | साइबर फ्यूचरिस्टिक | आईटी | 04.06.2015 | सी-3 | 20234.3 | 2809.53 | 2809.53 | 17199.15 | 13.88 | भवन का निर्माण भूमि के 13.88 प्रतिशत (2,809.53 वर्ग मीटर) भाग (20,234.30 वर्ग मीटर) पर किया गया। |
| 5 | वी विन लिमिटेड | आईटीईएस | 17.01.2017 | सी-6 | 5463.84 | 9664.05 | 1919.4 | 4646.26 | 35.13 | |
| 6 | गहोई बिजनेस एसोसिएट्स | आईटीईएस | 09.03.2019 | एफ-1 और एफ-2 | 1000 | 829.2 | 281.20 | 880 | 28.12 | |

| क्र.सं. | फर्म का नाम | यूनिट का प्रकार | पट्टा अनुबंध की तिथि | भूखण्ड संख्या | कुल भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) | प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र (वर्ग मी. में) | कवर्ड ग्राउंड एरिया (वर्ग मी. में) | उपयोग किये जाने वाला 85 प्रतिशत क्षेत्र (वर्ग मी. में) | उपयोग की गई भूमि का प्रतिशत | निर्माण की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | एस यूनीटेक | आईटी | 09.03.2019 | एफ-3 और एफ-4 | 1017.3 | 893.08 | 183.59 | 864.71 | 18.05 | |
| 8 | तीन जे एसोसिएट्स | आईटीईएस | 30.03.2019 | 36 और 37 | 890.4 | 61.79 | 61.80 | 756.84 | 6.94 | भवन का निर्माण आवंटित क्षेत्र (9500 वर्ग फीट) के लगभग 1/3 भाग पर किया गया था तथा अधिकांश भूमि अप्रयुक्त थी। |
| **कुल** | | | | | **73,485.97** | **25,043.72** | **10,826.5** | **54,824.24** | | |

## परिशिष्ट 2.2.1

*(कंडिका 2.2.5.1 में संदर्भित)*

## अनुमान में भिन्नता का विवरण

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/ अनुबंध संख्या और तिथि | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक लागत (₹ करोड़ में) | कार्य की अनुमानित राशि (₹ करोड़ में) | मूल्य में अनुमान से भिन्नता (₹ करोड़ में) | अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-4) | 7 |
| 1 | औद्योगिक क्षेत्र अधारताल जिला जबलपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 13/2018-19 27/02/2019 | 2.67 | 3.46 | 0.79 | -22.85 |
| 2 | औद्योगिक क्षेत्र पीपलखिरिया जिला रायसेन में सीमेंट कंक्रीट रोड, पुलिया निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 14/18-19 27/02/2019 | 2.63 | 3.34 | 0.70 | -21.11 |
| 3 | शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय, बावड़िया कला, भोपाल के कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम का आंतरिक साज-सज्जा एवं विद्युतीकरण कार्य। | 17/18-19 06/03/2019 | 1.69 | 1.34 | -0.35 | 25.79 |
| 4 | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 28/2020-21 24/02/2022 | 3.44 | 2.43 | -1.00 | 41.23 |
| 5 | एन.एच.एम. के चतुर्थ तल पर कोविड-19 कमांड सेंटर के लिए ई.पी.बी.एक्स एवं एल.ई.डी. सप्लाई एवं इंस्टालेशन कार्य। | 02/2020-21 26/05/2020 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | -36.52 |
| 6 | आई/ए बिरला नगर जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 1.93 | 3.55 | 1.61 | -45.60 |
| 7 | औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी भाटा जिला निवाड़ी में अधोसंरचना का विकास कार्य। | 22/ 08/03/2021 | 1.65 | 2.95 | 1.30 | -44.13 |
| 8 | सेमी अर्बन आई/ई और न्यू आई/ए टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 09/ 30/10/2019 | 2.07 | 2.54 | 0.47 | -18.68 |
| 9 | विभिन्न जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, गुना, श्योपुर में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण हेतु आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित। | 05/ 20/06/2019 | 1.56 | 1.94 | 0.39 | -19.91 |
| 10 | म.प्र. के विभिन्न 17 जिलों शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी एवं सिंगरौली में आपदा प्रबंधन के सुचारू समन्वय एवं प्रबंधन हेतु कॉल सेंटर की स्थापना के अन्तर्गत आंतरिक साज-सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | 30/ 25/06/2021 | 1.81 | 2.037 | 0.21 | -10.58 |
| 11 | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सी.सी. रोड का निर्माण। | 05/2021-22/ | 2.70 | 2.37 | -0.32 | 13.68 |

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/ अनुबंध संख्या और तिथि | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक लागत (₹ करोड़ में) | कार्य की अनुमानित राशि (₹ करोड़ में) | मूल्य में अनुमान से भिन्नता (₹ करोड़ में) | अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-4) | 7 |
| | | 13/07/2021 | | | | |
| 12 | आई/ए सिया, जिला देवास में विभिन्न विकास गतिविधियों का निर्माण। | 02/19-20<br>20/06/2019 | 2.72 | 2.40 | -0.32 | 13.16 |
| 13 | आई/ए छावनी आगर में बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 08/20-21<br>15/03/2021 | 0.08 | 1.52 | 0.73 | -47.65 |
| 14 | एकलव्य भवन में कम्प्यूटर लैब का आंतरिक विद्युतीकरण एवं साज-सज्जा कार्य। | 14/18-19/<br>08/03/2019 | 1.83 | 2.19 | 0.36 | -16.28 |
| 15 | देवास रोड पर आरसीसी नाली का निर्माण। | 6/21-22<br>13/07/2021 | 2.81 | 4.18 | 1.37 | -32.76 |
| 16 | पोलो मैदान का निर्माण, विस्तारीकरण और रोशनी कार्य। | 18/2021-22<br>15/09/2021 | 0.92 | 1.10 | 0.19 | -16.91 |
| 17 | बुनकर सेवा समिति में भवन नवीनीकरण कार्य। | 41/2016-17/<br>29/08/2016 | 1.81 | 1.29 | -0.52 | 40.28 |
| 18 | पाइप आई/ए सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 09/2021-22/<br>15/07/2021 | 2.39 | 2.85 | 0.46 | -16.05 |
| 19 | आई/ए कुम्हारी, रतलाम में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 06/2019-20<br>22/10/2019 | 0.61 | 1.64 | 1.03 | -62.92 |

## परिशिष्ट 2.2.2

*(कंडिका 2.2.5.2 में संदर्भित)*

## निष्पादन कार्यक्रम के लिए जुर्माने का विवरण

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश / अनुबंध संख्या और तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | जुर्माना @ ₹ 50,000 या अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निमिष कुमार | न्यू आई/ए फरनाखेड़ी, उज्जैन में सीसी रोड, नाली, एचपीसी कार्य। | 1005/ 01/03/2021 | 4.58 | 50,000 |
| 2 | निमिष कुमार | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सरफेस नाली का निर्माण। | 366/ 14/07/2021 | 4.18 | 50,000 |
| 3 | निमिष कुमार | न्यू आई/ए सिया देवास में सीसी रोड, एचपीसी कार्य। | 370/ 14/07/2021 | 3.14 | 50,000 |
| 4 | रियाजुद्दीन खान | आई/ई सिया, देवास में आरसीसी सरफेस नाली का निर्माण। | 387/ 15/07/2021 | 2.85 | 50,000 |
| 5 | सुनील कुमार जैन | आई/ए नर्मदा रोड, बरवाहा, जिला खरगोन में सीमेंट कंक्रीट रोड कार्य। | 1489/ 07/03/2019 | 2.58 | 50,000 |
| 6 | बी.के. इलेक्ट्रिकल्स | आई/ए सिया, जिला देवास में सीसी रोड, आरसीसी नाली, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण। | 262/ 22/06/2019 | 2.40 | 50,000 |
| 7 | निमिष कुमार | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सीसी रोड का निर्माण। | 374/ 14/07/2021 | 2.37 | 50,000 |
| 8 | एबॉट्सन इम्पेक्स पी.लि. | इंदौर और उज्जैन के विभिन्न स्थानों पर एकलव्य स्कूल भवन का निर्माण। | 1523/ 08/03/2019 | 2.19 | 50,000 |
| 9 | रियाजुद्दीन खान | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सीमेंट कंक्रीट रोड आदि। | 1354/ 20/02/2019 | 1.81 | 50,000 |
| 10 | सुनील कुमार जैन | आई/ए मैक्सी रोड, उज्जैन में सीसी रोड कार्य। | 1480/ 05/03/2019 | 1.69 | 50,000 |
| 11 | सत्येन्द्र के. तिवारी | नवीन औद्योगिक क्षेत्र, कुम्हारी, जौरा, जिला रतलाम में विकास कार्य। | 790/ 22/10/2019 | 1.64 | 50,000 |
| 12 | शिव डेवलपर्स, शिवपुरी | आई/ए आगर (छावनी), आगर मालवा में बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 1092/ 15/03/2021 | 1.52 | 50,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश / अनुबंध संख्या और तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | जुर्माना @ ₹ 50,000 या अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | अनुराग एंड संस | न्यू औद्योगिक क्षेत्र, कनावटी, जिला नीमच में विकास कार्य। | 784/ 21/10/2019 | 1.36 | 50,000 |
| 14 | राजकमल राठौड़ | पोलोग्राउंड, इंदौर में बुनकर सेवा केंद्र भवन। | 1818/ 29/08/2016 | 1.29 | 50,000 |
| 15 | सुनील कुमार जैन | आई/ए सेक्टर-3 बरवाहा में सीमेंट कंक्रीट रोड आदि। | 1484/ 07/03/2019 | 1.21 | 50,000 |
| 16 | बी.के. इलेक्ट्रिकल्स | आई/ई पोलोग्राउंड इंदौर में विस्तारीकरण एवं रोशनी कार्य। | 684/ 17/09/2021 | 1.10 | 50,000 |
| 17 | निमिष कुमार | औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-ए, गरोठ, जिला मंदसौर में विकास कार्य। | 819/ 25/10/2019 | 1.08 | 50,000 |
| 18 | मेसर्स कुंडे श्वराया कंस्ट्रक्शन | औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल, जिला- भोपाल (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड एवं आरसीसी नाली का निर्माण कार्य। | 751/16 10/08/2021 | 5.27 | 50,000 |
| 19 | मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन | औद्योगिक क्षेत्र हरदा जिला- हरदा (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण कार्य, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया एवं बी.टी. का सड़क पेच कार्य। | 591/11 17/05/2021 | 3.50 | 50,000 |
| 20 | मेसर्स चौधरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भोपाल | इमालीखेड़, जिला-छिंदवाड़ा में सीमेंट कंक्रीट सड़क, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया और आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 489/05 01/07/2019 | 2.87 | 50,000 |
| 21 | सुनील कुमार जैन | औद्योगिक क्षेत्र अधारताल जिला जबलपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 1884/13 27/02/2019 | 2.81 | 50,000 |
| 22 | मैसर्स चौधरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भोपाल | औद्योगिक क्षेत्र पीपलखिरिया जिला रायसेन में सीमेंट कंक्रीट रोड, पुलिया निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 1885/14 27/02/2019 | 2.76 | 50,000 |
| 23 | मैसर्स गंगाधर शर्मा एंड संस | औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आर.सी.सी. नाली एवं ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 743/15 10/08/2021 | 2.23 | 50,000 |
| 24 | मैसर्स एबॉट्सन्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल | चतुर्थ तल पर्यावास भवन, भोपाल (म.प्र.) में आईटी सेंटर के साथ-साथ एचवीएसी एवं संबद्ध कार्य। | 1899/14 28/12/2019 | 1.70 | 50,000 |
| 25 | मैसर्स चतुरलाल कॉन्ट्रैक्टर भोपाल | कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास रूम 1/2 आंतरिक विद्युतीकरण कार्य के लिए एकलव आदर्श आवासीय विद्यालय में विभिन्न जिलों में रामपुर (पी.वी.टी.जी.) नारीगाल जिला जबलपुर, सिजहाड़ा, जबलपुर, मंडला जिला मंडला, सिंगरदीप जुनरदेव जिला छिंदवाड़ा, घाटसोद जिला सिवनी, डिंडोरी जिला डिंडोरी और उक्जा जिला बालाघाट में आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण का कार्य। | 478/04 29/06/2019 | 1.64 | 50,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश / अनुबंध संख्या और तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | जुर्माना @ ₹ 50,000 या अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | मैसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी | संस्कृति भवन बाणगंगा भोपाल में कलात्मक सजावटी भित्ति चित्र साज-सज्जा नवीकरण सिविल और अन्य संबद्ध कार्य। | 1203/09 25/07/2022 | 1.53 | 50,000 |
| 27 | मैसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी | शासकीय आईटीआई परिसर गोविंदपुरा भोपाल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नवीनीकरण एवं साज-सज्जा कार्य। | 4137/ 41 24/02/2023 | 1.50 | 50,000 |
| 28 | मैसर्स बॉनटन टेक्नोमेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर | भू-अभिलेख सोसायटी कार्यालय के लिए कार्य तथा शासकीय मुद्रणालय भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल में एचवीएसी एवं संबद्ध कार्य। | 1092/ 09 08/09/2020 | 1.44 | 50,000 |
| 29 | मेसर्स सी आर कंस्ट्रक्शन | मॉडर्न डेयरी बुलमदर फार्म, भोपाल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण एवं मुख्य विद्युत प्रशिक्षण आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य। | 1248/138 27/01/2017 | 1.38 | 50,000 |
| 30 | मैसर्स माँ काली कंस्ट्रक्शन्स | यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल में आंतरिक नवीनीकरण, विद्युत एवं सिविल कार्य। | 2738/26 18/02/2021 | 1.31 | 50,000 |
| 31 | मैसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी | संदीपनी आश्रम और त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन और खजुराहो संग्रहालय (म.प्र.) में विभिन्न सिविल संबद्ध कार्य और कलात्मक, साज-सज्जा कार्य। | 667/ 12 02/08/2021 | 1.25 | 50,000 |
| 32 | मेसर्स चतुरलाल कांट्रेक्टर भोपाल | शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय, बावड़िया कला, भोपाल के कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम का आंतरिक साज-सज्जा एवं विद्युतीकरण कार्य। | 1936/17 06/03/2019 | 1.09 | 50,000 |
| 33 | मेसर्स नरेश कटारे, ग्वालियर | आई/ए महाराजपुरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 10/ 30/10/2019 | 3.13 | 50,000 |
| 34 | मेसर्स सत्येन्द्र कुमार तिवारी, ग्वालियर | आई/ए बिरला नगर जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 2.92 | 50,000 |
| 35 | मैसर्स शैलेन्द्र सिंह गुर्जर, मुरैना | आई/ए नरसरहा जिला शहडोल (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 21/ 08/03/2021 | 2.84 | 50,000 |
| 36 | मैसर्स अनुज तिवारी, झाँसी | औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी भाटा जिला निवाड़ी में अधोसंरचना का विकास कार्य। | 22/ 08/03/2021 | 2.39 | 50,000 |
| 37 | श्री बी.के. चौबे, पन्ना | सेमी अर्बन आई/ई और न्यू आई/ए टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 09/ 30/10/2019 | 2.06 | 50,000 |
| 38 | मैसर्स एबॉट्सन इंफेक्स प्रा. लिमिटेड, भोपाल | म.प्र. के विभिन्न 17 जिलों शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी एवं सिंगरौली में आपदा प्रबंधन के सुचारू समन्वय एवं प्रबंधन हेतु कॉल सेंटर की स्थापना के अन्तर्गत आंतरिक साज-सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | 30/ 25/06/2021 | 2.05 | 50,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश / अनुबंध संख्या और तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | जुर्माना @ ₹ 50,000 या अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | मैसर्स एबॉट्सन इंपेक्स प्रा. लिमिटेड, भोपाल | विभिन्न जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, गुना, श्योपुर में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य के साथ कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के लिए आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण कार्य। | 05/ 20/06/2019 | 1.64 | 50,000 |
| 40 | एम/एस श्री गिर्राज कंस्ट्रक्शन, अशोकनगर | आई/ए बड़ोदी जिला शिवपुरी (म.प्र.) में वाइंडिंग का निर्माण और बिटुमिनस सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 14/ 23/09/2020 | 1.62 | 50,000 |
| 41 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छतरपुर में विविध सिविल संबद्ध नवीनीकरण और साज-सज्जा कार्य। | 35/ 17/03/2022 | 1.40 | 50,000 |
| 42 | मेसर्स राकेश दीक्षित, टीकमगढ़ | आई/ए खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 29/ 10/06/2021 | 1.34 | 50,000 |
| 43 | मेसर्स माँ काली कंस्ट्रक्शन, भोपाल | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टीकमगढ़ में विविध सिविल संबद्ध नवीनीकरण और साज-सज्जा कार्य। | 36/ 17/03/2022 | 1.18 | 50,000 |
| 44 | श्री अजय अग्रवाल सीहोर | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीहोर में कार्यालय भवन निर्माण एवं आंतरिक विद्युतीकरण एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य। | 472/ 01/07/2020 | 0.73 | 50,000 |
| 45 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल | भारत भवन भोपाल का नवीनीकरण एवं साज-सज्जा कार्य तथा त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन (म.प्र.) में हाइड्रेंट सिस्टम की स्थापना। | 476/ 06/05/2022 | 0.67 | 50,000 |
| 46 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल | जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल में एलईडी डिस्प्ले, कियोस्क, ऑडियो वीडियो, पर्यटकों के लिए गाइड और सर्वर कार्य की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। | 3044/ 27/03/2021 | 0.67 | 50,000 |
| 47 | मेसर्स महेश प्रसाद अग्रवाल, शहडोल | उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.) में डीआईसी कार्यालय भवन का निर्माण एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। | 16/ 05/01/2021 | 0.63 | 50,000 |
| 48 | रूट्स इंदौर | आई/ए सांवेर रोड, इंदौर (सेक्टर ए एवं सी) में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. सरफेस नाली का निर्माण। | 387/ 14/07/2021 | 0.44 | 43,760 |
| 49 | संघी सेल्स | जेएनवी बरगढ़ ओडिशा में चारदीवारी के शेष कार्य का निर्माण। | 651/ 20/08/2018 | 0.40 | 40,000 |
| 50 | एन्टर्प्राइज़िंग कंसल्टिंग इंजीनियर्स भोपाल | न्यू आई/ए, सेक्टर/ए, गरोठ (मंदसौर) और आई/ए कनावटी (नीमच) में 33 केवी की आपूर्ति प्रदान करना। | 808/ 23/10/2019 | 0.28 | 27,720 |
| 51 | राजकमल राठौड़ | महेश्वर खरगोन में एचएसवीएन बिक्री केंद्र में साज-सज्जा कार्य। | 332/ 30/04/2015 | 0.20 | 20,000 |
| 52 | मेसर्स गंगाधर शर्मा एंड संस | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 2767/28 24/02/2022 | 0.20 | 19,940 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश / अनुबंध संख्या और तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | जुर्माना @ ₹ 50,000 या अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | मेसर्स हिमालय ट्रेडर्स भोपाल | संचालनालय कोषालय एवं लेखा भोपाल कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा कार्य। | 1816/11 15/02/2019 | 0.20 | 19,670 |
| 54 | दिनेश मितवाल एंड एसोसिएट्स | त्रिवेणी संग्रहालय, उज्जैन में विभिन्न प्रकार के कार्य (भाग/2)। | 201/13 03/05/2017 | 0.10 | 9,900 |
| 55 | मेसर्स इंप्रेशन फर्नीचर भोपाल | कोविड कमांड सेंटर चतुर्थ तल, एनएचएम कार्यालय, अरेरा हिल्स भोपाल में ईपीबीएक्स एवं एलईडी आपूर्ति एवं स्थापना कार्य। | 135/02 26/05/2020 | 0.09 | 9,250 |
| 56 | रे कॉन्ट्रैक्टर | आई/ए राऊ में बिटुमेन सतह का एकल कोट कार्य। | 383/ 15/03/2021 | 0.02 | 1,830 |
| 57 | मेसर्स हिमालय ट्रेडर्स भोपाल | वल्लभ भवन, भोपाल स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में रोलर ब्लाइंड आपूर्ति एवं स्थापना कार्य। | 1756/18 06/11/2020 | 0.01 | 900 |
| **कुल** | | | | | **25,42,970** |

## परिशिष्ट 2.2.3

*(कंडिका 2.2.5.3 में संदर्भित)*

## ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी का विवरण

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मात्रा (घन मीटर में) | | | वसूल की जाने वाली रॉयल्टी (राशि रुपये मे) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | धातु | रेत | मुरम | धातु | रेत | मुरम | कुल |
| 1 | संस्कृति भवन बाणगंगा भोपाल में कलात्मक सजावटी भित्ति चित्र साज-सज्जा नवीकरण सिविल और अन्य संबद्ध कार्य। | 9/22-23 25/07/2022 | 1.89 | 147.52 | 0.00 | 189.00 | 14,752.00 | 0.00 | 14,941.00 |
| 2 | औद्योगिक क्षेत्र पीपलखिरिया जिला रायसेन में सीमेंट कंक्रीट रोड, पुलिया निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 14/18-19 27/02/2019 | 4,822.30 | 1,866.60 | 3,155.53 | 4,82,230.00 | 1,86,660.00 | 1,57,776.50 | 8,26,666.50 |
| 3 | औद्योगिक क्षेत्र अधारताल जिला जबलपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 13/18-19 27/02/2019 | 4,234.67 | 1,954.70 | 808.70 | 4,23,467.00 | 1,95,470.00 | 40,435.00 | 6,59,372.00 |
| 4 | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 28/20-21 24/02/2022 | 5,335.14 | 4,199.02 | 7,810.57 | 5,33,514.00 | 4,19,902.00 | 3,90,528.50 | 1,34,3944.50 |
| 5 | औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आर.सी.सी. नाली एवं ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 15/21-22 10/08/2021 | 5,055.90 | 2,889.31 | 1,471.58 | 5,05,590.00 | 2,88,931.00 | 73,579.00 | 8,68,100.00 |
| 6 | औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल जिला- भोपाल (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 16/21-22 10/08/2021 | 15,941.96 | 5,346.11 | 3,538.06 | 15,94,196.00 | 5,34,611.00 | 1,76,903.00 | 2,30,5710.00 |
| 7 | भारत भवन भोपाल का जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा कार्य तथा त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन (म.प्र.) में हाइड्रेंट सिस्टम की स्थापना। | 03/22-23 06/05/2022 | 8.88 | 26.10 | 6.28 | 888.00 | 2,610.00 | 314.00 | 3,812.00 |
| 8 | औद्योगिक क्षेत्र हरदा जिला-हरदा (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया एवं बी.टी. रोड पेंच निर्माण कार्य। | 11/21-22 17/05/21 | 7,808.39 | 3,585.86 | 1,640.66 | 7,80,839.00 | 3,58,586.00 | 82,033.00 | 12,21,458.00 |
| 9 | इमलीखेड़ा, जिला छिंदवाड़ा में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया और आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 05/19-20 01/07/2019 | 5,785.37 | 2,501.79 | 1,072.27 | 5,78,537.00 | 2,50,179.00 | 53,613.50 | 8,82,329.50 |
| 10 | आई/ए बिरला नगर जिला ग्वालियर में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 6,189.37 | 1,596.91 | 0.00 | 6,18,936.90 | 1,59,690.65 | 0.00 | 7,78,627.55 |

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मात्रा (घन मीटर में) | | | वसूल की जाने वाली रॉयल्टी (राशि रुपये मे) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | धातु | रेत | मुरम | धातु | रेत | मुरम | कुल |
| 11 | सेमी अर्बन आई/ई और न्यू आई/ए टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 09/ 30/10/2019 | 6,946.00 | 1,575.36 | 0.00 | 6,94,600.14 | 1,57,535.54 | 0.00 | 8,52,135.68 |
| 12 | आई/ए महाराजपुरा जिला ग्वालियर में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 10/ 30/10/2019 | 12,985.39 | 3,882.23 | 0.00 | 12,98,539.45 | 3,88,223.41 | 0.00 | 16,86,762.86 |
| 13 | नेवारी में बुनियादी ढांचा विकास (सड़क) कार्य। | 22/ 08/03/2021 | 3,542.17 | 1,153.73 | 0.00 | 3,54,216.58 | 1,15,373.30 | 0.00 | 4,69,589.89 |
| 14 | आई/ए बड़ोदी जिला शिवपुरी (म.प्र.) में बिटुमिनस सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। | 14/ 23/09/2020 | 8,611.33 | 0.00 | 0.00 | 8,61,132.53 | 0.00 | 0.00 | 8,61,132.53 |
| 15 | आई/ए नरसरहा जिला शहडोल (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 21/ 08/03/2021 | 7,146.28 | 1,823.09 | 0.00 | 7,14,627.98 | 1,82,309.23 | 0.00 | 8,96,937.22 |
| 16 | आई/ए खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 29/ 10/06/2021 | 4,138.59 | 890.09 | 0.00 | 4,13,859.00 | 89,009.17 | 0.00 | 5,02,868.17 |
| 17 | उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.) में डीआईसी कार्यालय भवन का निर्माण एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। | 16/ 05/01/2021 | 93.24 | 2,181.41 | 0.00 | 9,324.41 | 2,18,140.69 | 0.00 | 2,27,465.10 |
| 18 | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सीमेंट कंक्रीट रोड आदि। | 1354/ 20/02/2019 | 3,875.66 | 3,234.99 | 1,395.13 | 3,87,566.00 | 3,23,499.00 | 69,756.50 | 7,80,821.50 |
| 19 | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सी.सी. रोड का निर्माण। | 374/ 14/07/2021 | 7,758.63 | 2,493.92 | 16,491.02 | 7,75,863.00 | 2,49,392.00 | 8,24,551.00 | 18,49,806.00 |
| 20 | आई/ए सिया, जिला देवास में भिन्न विकास गतिविधियों का निर्माण। | 262/ 22/06/2019 | 4,443.45 | 1,394.02 | 14,950.95 | 4,44,345.00 | 1,39,402.00 | 7,47,547.50 | 13,31,294.50 |
| 21 | नागझिरी, उज्जैन में आर.सी.सी. सरफेस नाली का निर्माण। | 366/ 14/07/2021 | 5,366.71 | 1,932.94 | 0.00 | 5,36,671.00 | 1,93,294.00 | 0.00 | 7,29,965.00 |
| 22 | नर्मदा रोड बरवाहा में सीमेंट रोड का निर्माण। | 1489/ 7/03/2019 | 4,726.49 | 2,110.41 | 3,206.23 | 4,72,649.00 | 2,11,041.00 | 1,60,311.50 | 8,44,001.50 |
| 23 | आई/ए गरोठ, मंदसौर में सीमेंट कंक्रीट रोड आर.सी.सी. ह्यूम पाइप का कार्य। | 819/ 25/10/2019 | 2,853.97 | 934.05 | 1,800.57 | 2,85,397.00 | 93,405.00 | 90,028.50 | 4,68,830.50 |
| 24 | बुनकर सेवा समिति में भवन जीर्णोद्धार कार्य। | 1818/ 29/08/2016 | 340.99 | 3,455.94 | 1,219.05 | 34,099.00 | 3,45,594.00 | 60,952.50 | 4,40,645.50 |

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मात्रा (घन मीटर में) | | | वसूल की जाने वाली रॉयल्टी (राशि रुपये मे) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | धातु | रेत | मुरम | धातु | रेत | मुरम | कुल |
| 25 | आई/ए सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप कार्य। | 370/ 14/07/2021 | 6,727.35 | 1,794.29 | 29,021.76 | 6,72,735.00 | 1,79,429.00 | 14,51,088.00 | 23,03,252.00 |
| 26 | आई/ए फुरनाखेड़ी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 1005/ 01/03/2021 | 8,666.35 | 2,783.19 | 10,468.04 | 8,66,635.00 | 2,78,319.00 | 5,23,402.00 | 16,68,356.00 |
| 27 | आई/ए कनावटी, नीमच में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 784-87/ 21/10/2019 | 2,272.22 | 1,139.03 | 1,526.40 | 2,27,222.00 | 1,13,903.00 | 76,320.00 | 4,17,445.00 |
| 28 | आई/ए सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 387/ 15/07/2021 | 4,762.04 | 1,547.23 | 12,889.60 | 4,76,204.00 | 1,54,723.00 | 6,44,480.00 | 12,75,407.00 |
| 29 | आई/ए कुम्हारी, रतलाम में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 790/ 22/10/2019 | 1,143.91 | 574.88 | 1,106.56 | 1,14,391.00 | 57,488.00 | 55,328.00 | 2,27,207.00 |
| 30 | आई/ए मक्सी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 1480/ 05/03/2019 | 3,661.24 | 1,141.51 | 2,582.67 | 3,66,124.00 | 1,14,151.00 | 1,29,133.50 | 6,09,408.50 |
| 31 | आई/ए बरवाहा, खरगोन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 1484/12 05/03/2019 | 3,157.50 | 1,037.37 | 1,701.20 | 3,15,750.00 | 1,03,737.00 | 85,060.00 | 5,04,547.00 |
| **कुल** | | | | | | | | | **2,78,52,849.49** |

## परिशिष्ट 2.2.4

*(कंडिका 2.2.5.4 डी में संदर्भित)*

### कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण जुर्माना लगाने में विफलता का विवरण

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या और तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | तैनात किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी | वास्तव में तैनात तकनीकी कर्मचारी | इंजीनियरों की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति इंजीनियर X प्रति माह 30,000 रुपये) | डिप्लोमा धारक की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति डिप्लोमा धारक X 18000 रुपये प्रति माह) | लगाया जाने वाला कुल जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेसर्स चौधरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स | पीपल खेरिया, रायसेन में विकास कार्य। | 14/18-19 27/02/2019 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 02 डिप्लोमा धारक- 02 | 3,60,000 | 0 | 3,60,000 |
| 2 | मेसर्स गंगाधर शर्मा एंड संस | औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आर.सी.सी. नाली एवं ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 15/2021-22 10/08/2021 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-0 | 0 | 1,08,000 | 1,08,000 |
| 3 | मेसर्स एबॉटसन्स प्राइवेट लिमिटेड | चतुर्थ तल पर्यावास भवन, भोपाल (म.प्र.) में आईटी सेंटर के साथ-साथ एचवीएसी एवं संबद्ध कार्य। | 14/2019-20 28/12/2019 | 2 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती का कोई दस्तावेज नहीं मिला। | 2,40,000 | 36,000 | 2,76,000 |
| 4 | मेसर्स चतुरलाल कांट्रेक्टर भोपाल | जिला बालाघाट में कंप्यूटर लैब बनाने हेतु आंतरिक साज-सज्जा एवं नवीनीकरण कार्य। | 04/19-20 29/06/2019 | 3 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती का कोई दस्तावेज नहीं मिला। | 3,60,000 | 54,000 | 4,14,000 |
| 5 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन, भोपाल | संस्कृति भवन बाणगंगा भोपाल में कलात्मक सजावटी भित्ति चित्र साज-सज्जा नवीकरण सिविल और अन्य संबद्ध कार्य। | 09/2022-23 25/07/2022 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 1,80,000 | 1,08,000 | 2,88,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या और तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | तैनात किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी | वास्तव में तैनात तकनीकी कर्मचारी | इंजीनियरों की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति इंजीनियर X प्रति माह 30,000 रुपये) | डिप्लोमा धारक की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति डिप्लोमा धारक X 18000 रुपये प्रति माह) | लगाया जाने वाला कुल जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन, भोपाल | शासकीय आईटीआई परिसर गोविंदपुरा भोपाल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नवीनीकरण एवं साज-सज्जा कार्य। | 41/22-23 24/02/2023 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 1,20,000 | 72,000 | 1,92,000 |
| 7 | मेसर्स बोंटन टेक्नोमेक प्रा. लिमिटेड इंदौर | भू-अभिलेख सोसायटी कार्यालय के लिए कार्य, के साथ शासकीय मुद्रणालय भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल में एचवीएसी एवं संबद्ध कार्य। | 09/2020-21 08/09/2020 | 2 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती का कोई दस्तावेज नहीं मिला। | 2,40,000 | 36,000 | 2,76,000 |
| 8 | मेसर्स सीआर कंस्ट्रक्शन | मॉडर्न डेयरी बुल मदर फार्म भोपाल में कार्य। | 138/2016-17 27/01/2017 | 8 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती का कोई दस्तावेज नहीं मिला। | 9,60,000 | 1,44,000 | 11,04,000 |
| 9 | मेसर्स मां काली कंस्ट्रक्शन | यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल में आंतरिक नवीनीकरण, विद्युत एवं सिविल कार्य। | 26/20-21 18/02/2021 | 3 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-01 | 2,70,000 | 0 | 2,70,000 |
| 10 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी | संदीपनी आश्रम और त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन और खजुराहो संग्रहालय (म.प्र.) में विभिन्न सिविल संबद्ध कार्य और कलात्मक, साज-सज्जा कार्य। | 12/2021-22 02/08/2021 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 1,20,000 | 72,000 | 1,92,000 |
| 11 | मेसर्स चतुरलाल कांट्रेक्टर भोपाल | शासकीय गुरुकुल आवासीय विद्यालय बावड़िया कलां भोपाल में आंतरिक साज-सज्जा एवं विद्युतीकरण कार्य। | 17/18-19 06/03/2019 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती का कोई दस्तावेज नहीं मिला। | 7,20,000 | 1,08,000 | 8,28,000 |
| 12 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन, भोपाल | भारत भवन भोपाल का जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा कार्य तथा त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन (म.प्र.) में हाइड्रेंट सिस्टम की स्थापना कार्य। | 03/22-23 06/05/2022 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 1,20,000 | 72,000 | 1,92,000 |
| 13 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन, भोपाल | जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल में एलईडी डिस्प्ले की स्थापना कार्य, परीक्षण और कमीशनिंग। | 33/2020-21 27/03/2021 | 2 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 60,000 | 36,000 | 96,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या और तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | तैनात किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी | वास्तव में तैनात तकनीकी कर्मचारी | इंजीनियरों की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति इंजीनियर X प्रति माह 30,000 रुपये) | डिप्लोमा धारक की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति डिप्लोमा धारक X 18000 रुपये प्रति माह) | लगाया जाने वाला कुल जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | मेसर्स गंगाधर शर्मा एंड संस | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 28/2020-21 24/02/2022 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-0 | 0 | 72,000 | 72,000 |
| 15 | मेसर्स सत्येन्द्र कुमार तिवारी, ग्वालियर | आई/ए बिरला नगर जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | तैनाती से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था। | 7,20,000 | 1,08,000 | 8,28,000 |
| 16 | मेसर्स महेश प्रसाद अग्रवाल, शहडोल | उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.) में डीआईसी कार्यालय भवन का निर्माण एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। | 16/ 05/01/2021 | 8 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर-02 डिप्लोमा-02 | 4,80,000 | 0 | 4,80,000 |
| 17 | मैसर्स शैलेन्द्र सिंह गुर्जर, मुरैना | आई/ए नरसरहा जिला शहडोल (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 21/ 08/03/2021 | 8 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर-03 डिप्लोमा-02 | 2,40,000 | 0 | 2,40,000 |
| 18 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल | आईटीआई छतरपुर में नवीनीकरण और साज-सज्जा कार्य। | 35/ 17/03/2022 | 4 माह | इंजीनियर-04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 03 डिप्लोमा धारक-0 | 1,20,000 | 72,000 | 1,92,000 |
| 19 | मेसर्स माँ काली कंस्ट्रक्शन, भोपाल | आईटीआई टीकमगढ़ में नवीनीकरण एवं साज-सज्जा कार्य। | 36/ 17/03/2022 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर-2 डिप्लोमा-0 | 2,40,000 | 72,000 | 3,12,000 |
| 20 | मैसर्स एबॉट्सन इंपेक्स प्रा. लिमिटेड, भोपाल | कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास रूम के निर्माण के लिए आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। | 05/ 20/06/2019 | 3 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। | 3,60,000 | 54,000 | 4,14,000 |
| 21 | मैसर्स एबॉट्सन इंपेक्स प्रा. लिमिटेड, भोपाल | विभिन्न जिलों में कॉल सेंटरों का निर्माण। | 30/ 25/06/2021 | 1 महीना | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। | 1,20,000 | 18,000 | 1,38,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या और तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | तैनात किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी | वास्तव में तैनात तकनीकी कर्मचारी | इंजीनियरों की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति इंजीनियर X प्रति माह 30,000 रुपये) | डिप्लोमा धारक की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति डिप्लोमा धारक X 18000 रुपये प्रति माह) | लगाया जाने वाला कुल जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | मेसर्स रियाजुद्दीन खान देवास | आई/ए देवास रोड, उज्जैन में सीमेंट कंक्रीट रोड आदि कार्य। | 08/2018-19 18/02/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 3,60,000 | 72,000 | 4,32,000 |
| 23 | मेसर्स निमिष कुमार | आई/ए देवास रोड, उज्जैन पर सी.सी. रोड का निर्माण। | 05/2021-22 13/07/2021 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 3,60,000 | 72,000 | 4,32,000 |
| 24 | मेसर्स बी.के. इलेक्ट्रिकल | आई/ए सिया, जिला देवास में विभिन्न विकास गतिविधियों का निर्माण । | 02/19-20 20/06/2019 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 5,40,000 | 1,08,000 | 6,48,000 |
| 25 | मेसर्स शिव डेवलपर्स | आई/ए छावनी आगर में बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 08/20-21 15/03/2021 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | * रिकॉर्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 26 | मेसर्स एबॉटसन्सइनपेक्स प्राइवेट लिमिटेड | एकलव्य विद्यालय में कम्प्यूटर लैब का आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। | 14/2018-19 08/03/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | * रिकॉर्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 27 | मेसर्स निमिष कुमार | देवास रोड पर आरसीसी नाली का निर्माण। | 06/21-22 13/07/2021 | 8 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 7,20,000 | 1,44,000 | 8,64,000 |
| 28 | मेसर्स सुनील कुमार जैन | बड़वाह में सीमेंट सड़क का निर्माण। | 11/2018-19 05/03/2019 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 5,40,000 | 108,000 | 6,48,000 |
| 29 | मेसर्स बी.के.इलेक्ट्रिकल | पोलो ग्राउंड का निर्माण एवं संवर्द्धन एवं प्रकाश कार्य। | 18/2021-22 15/09/2021 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 3,60,000 | 72,000 | 4,32,000 |
| 30 | मेसर्स निमिष कुमार | आई/ए गरोठ, मंदसौर में सीमेंट कंक्रीट रोड आरसीसी ह्यूम पाइप। | 08/2019-20 25/10/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | * रिकॉर्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 31 | मेसर्स निमिष कुमार | आई/ए सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 07/2021-22 13/07/2021 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 3,60,000 | 72,000 | 4,32,000 |

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या और तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | तैनात किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी | वास्तव में तैनात तकनीकी कर्मचारी | इंजीनियरों की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति इंजीनियर X प्रति माह 30,000 रुपये) | डिप्लोमा धारक की भर्ती न करने पर निविदा शर्त के अनुसार जुर्माना (प्रति डिप्लोमा धारक X 18000 रुपये प्रति माह) | लगाया जाने वाला कुल जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | मेसर्स निमिष कुमार | आई/ए फुरनाखेड़ी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 05/2020-21 01/03/2021 | 10 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 9,00,000 | 1,80,000 | 10,80,000 |
| 33 | मेसर्स अनुराग एंड संस | आई/ए कनावटी, नीमच में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 05/2019-20 21/10/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | * रिकॉर्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली, अंतिम बिल से 650 रुपये का जुर्माना काटा गया। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 34 | मेसर्स रियाजुद्दीन खान देवास | आई/ए सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 09/2021-22 15/07/2021 | 6 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 5,40,000 | 1,08,000 | 6,48,000 |
| 35 | मेसर्स सुनील कुमार जैन | आई/ए मक्सी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 10/2018-19 05/03/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | *रिकार्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 36 | मेसर्स सुनील कुमार जैन | आई/ए बड़वाह, खरगोन में सीमेंट सड़क ह्यूम पाइप निर्माण। | 12/2018-19 05/03/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | रिकार्ड में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/श्रम रिपोर्ट नहीं मिली। | 4,80,000 | 72,000 | 5,52,000 |
| 37 | मेसर्स सत्येन्द्र कुमार तिवारी, ग्वालियर | आई/ए कुम्हारी,रतलाम में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप निर्माण। | 06/2019-20 22/10/2019 | 4 माह | इंजीनियर- 04 डिप्लोमा धारक-01 | इंजीनियर- 01 डिप्लोमा धारक-0 | 3,60,000 | 72,000 | 4,32,000 |
| **कुल** | | | | | | | **1,39,50,000** | **26,82,000** | **1,66,32,000** |

## परिशिष्ट 2.2.5

*(कंडिका 2.2.5.5 में संदर्भित)*

## एलडी की कम वसूली का विवरण

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध मूल्य | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | वास्तविक समापन तिथि | दिनों में विलम्ब | प्रबंधन द्वारा काटी गयी एलडी | एलडी वसूला जाना चाहिए था | शेष एलडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औद्योगिक क्षेत्र बिरला नगर जिला ग्वालियर में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 292.40 | 31/08/2019 | 30/01/2021 | 518 | 0.15 | 29.24 | 29.09 |
| 2 | विभिन्न जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, गुना, श्योपुर में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य के साथ कंप्यूटर प्रयोगशाला और स्मार्ट शिक्षणकच्छ के निर्माण के लिए आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण कार्य। | 05/ 20/06/2019 | 163.68 | 19/09/2019 | 04/09/2020 | 351 | 0.00 | 16.37 | 16.37 |
| 3 | अर्ध-शहरी ओद्योगिक क्षेत्र और नए ओद्योगिक क्षेत्र टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। | 09/ 30/10/2019 | 206.23 | 29/04/2020 | 09/01/2021 | 255 | 0.00 | 20.62 | 20.62 |
| 4 | ओद्योगिक क्षेत्र महाराजपुरा जिला ग्वालियर में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 10/ 30/10/2019 | 313.39 | 29/04/2020 | 28/12/2020 | 243 | 0.00 | 31.34 | 31.34 |
| 5 | औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी भाटा जिला निवाड़ी में अधोसंरचना का विकास कार्य। | 22/ 08/03/2021 | 239.19 | 07/11/2021 | 15/06/2022 | 220 | 0.11 | 23.92 | 23.81 |
| 6 | औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल में सीमेंट कंक्रीट रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 16/ 10/08/2021 | 527.03 | 06/02/2022 | 17/08/2022 | 192 | 0.01 | 50.59 | 50.58 |
| 7 | औद्योगिक क्षेत्र हरदा जिला/हरदा में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया एवं बीटी रोड पंच कार्य का निर्माण। | 11/ 17/05/2021 | 350.24 | 13/11/2021 | 22/12/2022 | 404 | 0.82 | 35.02 | 34.20 |
| 8 | इमलीखेड़, जिला छिंदवाड़ा में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया और आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 05/ 01/07/2019 | 287.27 | 28/12/2019 | 30/06/2020 | 185 | 0.00 | 26.57 | 26.57 |
| 9 | औद्योगिक क्षेत्र अधारताल जिला जबलपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य। | 13/ 2018-19 27/02/2019 | 281.26 | 26/08/2019 | 25/03/2021 | 577 | 0.20 | 28.13 | 27.93 |

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध मूल्य | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | वास्तविक समापन तिथि | दिनों में विलम्ब | प्रबंधन द्वारा काटी गयी एलडी | एलडी वसूला जाना चाहिए था | शेष एलडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | औद्योगिक क्षेत्र पीपलखिरिया जिला रायसेन में सीमेंट कंक्रीट रोड, पुलिया निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण कार्य। | 14/18-19 27/02/2019 | 275.61 | 26/08/2019 | 18/07/2020 | 327 | 0.27 | 27.56 | 27.29 |
| 11 | चतुर्थ तल पर्यावास भवन, भोपाल (म.प्र.) में आईटी सेंटर के साथ-साथ तापन,वेंटिलेशन और वातानुकूलन प्रणाली ( एचवीएसी ) एवं संबद्ध कार्य। | 14/2019-20 28/12/2019 | 169.63 | 26/02/2020 | 28/07/2020 | 153 | 0.00 | 12.98 | 12.98 |
| 12 | कंप्यूटर प्रयोगशाला और स्मार्ट शिक्षणकच्छ 1/2 आंतरिक विद्युतीकरण कार्य के लिए एकलव आदर्श आवासीय विद्यालय में विभिन्न जिलों में रामपुर (पी.वी.टी.जी.) नरियागला जिला जबलपुर, सिझोरा, जबलपुर, मंडला जिला जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा घंसौर जिला सिवनी डिंडोरी जिला डिंडोरी और बालाघाट में आंतरिक साज-सज्जा और नवीनीकरण का कार्य। | 04 /19-20 29/06/2019 | 164.26 | 27/09/2019 | 27/03/2021 | 547 | 0.00 | 16.43 | 16.43 |
| 13 | भू-अभिलेख सोसायटी कार्यालय के लिए कार्य के साथ शासकीय मुद्रणालय भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल में साथ तापन,वेंटिलेशन और वातानुकूलन प्रणाली ( एचवीएसी ) एवं संबद्ध कार्य ( एचवीएसी) एवं संबद्ध कार्य। | 09/2020-21 08/09/2020 | 144.15 | 07/11/2020 | 28/06/2021 | 233 | 0.10 | 14.42 | 14.32 |
| 14 | मॉडर्न डेयरी बुलमदर फार्म, भोपाल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण एवं मुख्य विद्युत प्रशिक्षण आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य। | 138/2016-17 27/01/2017 | 137.63 | 24/09/2017 | 20/12/2017 | 87 | 0.00 | 5.99 | 5.99 |
| 15 | यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल में आंतरिक नवीनीकरण, विद्युत एवं निर्माण और संरचनात्मक कार्य। | 26/20-21 18/02/2021 | 130.61 | 19/05/2021 | 30/11/2022 | 560 | 0.00 | 13.06 | 13.06 |
| 16 | शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय, बावड़िया कला, भोपाल के कम्प्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय , जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान लैब एवं स्मार्ट शिक्षणकक्ष का आंतरिक साज-सज्जा एवं विद्युतीकरण कार्य। | 17/18-19 06/03/2019 | 108.93 | 02/09/2019 | 16/06/2020 | 288 | 0.10 | 10.89 | 10.79 |
| 17 | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीहोर के कार्यालय भवन का निर्माण, साथ ही आंतरिक विद्युतीकरण एवं आंतरिक साज-सज्जा का कार्य। | 05/2020-21 01/07/2020 | 72.78 | 26/02/2021 | 20/08/2021 | 175 | 0.09 | 6.37 | 6.28 |

| क्र. सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध मूल्य | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | वास्तविक समापन तिथि | दिनों में विलम्ब | प्रबंधन द्वारा काटी गयी एलडी | एलडी वसूला जाना चाहिए था | शेष एलडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | भारत भवन भोपाल का जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा कार्य तथा त्रिवेणी संग्रहालय, उज्जैन (म.प्र.) में अग्निशमन जल प्रणाली (हाइड्रेंट सिस्टम) की स्थापना। | 03/22-23 06/05/2022 | 67.00 | 13/10/2022 | 20/02/2023 | 130 | 0.00 | 4.36 | 4.36 |
| 19 | संचालनालय कोषालय एवं लेखा कार्यालय, भोपाल में आंतरिक साज-सज्जा कार्य। | 11/18-19 15/02/2019 | 19.67 | 16/05/2019 | 31/05/2020 | 381 | 0.05 | 1.97 | 1.92 |
| 20 | औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, उज्जैन में सी.सी. रोड का निर्माण। | 05/2021-22 13/07/2021 | 237.32 | 21/02/2022 | 30/09/2022 | 221 | 0.00 | 23.73 | 23.73 |
| 21 | औद्योगिक क्षेत्र सिया, जिला देवास में विभिन्न विकास गतिविधियों का निर्माण। | 02/19-20 20/06/2019 | 240.04 | 21/12/2019 | 26/10/2020 | 310 | 0.27 | 24.00 | 23.73 |
| 22 | देवास रोड पर आरसीसी नाली का निर्माण। | 06/21-22 13/07/2021 | 417.67 | 20/06/2022 | 21/10/2022 | 123 | 0.00 | 25.69 | 25.69 |
| 23 | बड़वाह में सीमेंट सड़क का निर्माण। | 11/2018-19 05/03/2019 | 257.95 | 07/12/2019 | 16/12/2020 | 375 | 0.25 | 25.80 | 25.55 |
| 24 | औद्योगिक क्षेत्र सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 07/2021-22 14/07/2021 | 314.00 | 11/12/2021 | 06/06/2022 | 177 | 0.14 | 27.79 | 27.65 |
| 25 | औद्योगिक क्षेत्र कनावटी, नीमच में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 05/2019-20 21/10/2019 | 136.06 | 15/05/2020 | 06/11/2020 | 175 | 0.00 | 11.91 | 11.91 |
| 26 | औद्योगिक क्षेत्र सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 09/2021-22 15/07/2021 | 284.74 | 02/03/2022 | 11/07/2022 | 131 | 0.12 | 18.65 | 18.53 |
| 27 | औद्योगिक क्षेत्र कुम्हारी, रतलाम में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 06/2019-20 22/10/2019 | 163.73 | 15/05/2020 | 25/11/2020 | 194 | 0.15 | 15.88 | 15.73 |
| 28 | औद्योगिक क्षेत्र मक्सी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण। | 10/2018-19 05/03/2019 | 168.61 | 05/07/2019 | 05/01/2020 | 184 | 0.19 | 15.51 | 15.32 |
| 29 | औद्योगिक क्षेत्र बरवाहा, खरगोन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप निर्माण कार्य। | 12/2018-19 05/03/2019 | 121.25 | 15/10/2019 | 11/03/2020 | 148 | 0.12 | 8.97 | 8.85 |
| **कुल** | | | | | | | **3.14** | **573.76** | **570.62** |

## परिशिष्ट 2.2.6

*(कंडिका 2.2.5.6 में संदर्भित)*

### ठेकेदार द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना में विफलता के कारण जुर्माना न वसूलने का विवरण

| क्र.सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | पूर्ण होने की निर्धारित अवधि | जुर्माने की राशि (राशि ₹ मे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औद्योगिक क्षेत्र बिरला नगर जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य। | 04/ 01/03/2019 | 2.92 | 6 माह | 3,00,000 |
| 2 | अर्धशहरी औद्योगिक क्षेत्र एवं न्यू आई/ए टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सीसी रोड, आरसीसी नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य | 09/ 30/10/2019 | 2.06 | 6 माह | 3,00,000 |
| 3 | औद्योगिक क्षेत्र महाराजपुरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य | 10/ 30/10/2019 | 3.13 | 6 माह | 3,00,000 |
| 4 | औद्योगिक क्षेत्र बरोदी जिला शिवपुरी (म.प्र.) में बिटुमिनस सड़क का घुमावदार ग एवं सुदृढ़ीकरण कार्य | 14/ 23/09/2020 | 1.62 | 4 माह | 2,00,000 |
| 5 | उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.) डीआईसी कार्यालय भवन का निर्माण , आंतरिक विद्युतीकरण कार्य | 16/ 05/01/2021 | 0.63 | 8 माह | 4,00,000 |
| 6 | औद्योगिक क्षेत्र नरसरहा जिला शहडोल (म.प्र.) में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य | 21/ 08/03/2021 | 2.84 | 8 माह | 4,00,000 |
| 7 | औद्योगिक क्षेत्र खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य | 29/ 10/06/2021 | 1.34 | 6 माह | 3,00,000 |
| 8 | निवाड़ी भाटा, जिला निवाड़ी में बुनियादी ढांचे के विकास कार्य | 22/ 08/03/2021 | 2.39 | 8 माह | 4,00,000 |
| 9 | औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल जिला -भोपाल (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य | 751/ 10/08/2021 | 5.27 | 6 माह | 3,00,000 |
| 10 | औद्योगिक क्षेत्र हरदा जिला- हरदा (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आर.सी.सी. नाली, ह्यूम पाइप पुलिया एवं बी.टी. रोड पंच कार्य का निर्माण | 591/ 17/05/2021 | 3.50 | 6 माह | 3,00,000 |
| 11 | औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ जिला छिंदवाड़ा में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी ह्यूम पाइप पुलिया और आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 489/ 01/07/2019 | 2.87 | 6 माह | 3,00,000 |
| 12 | आधारताल जिला जबलपुर में विकास कार्य | 1884/ 27/02/2019 | 2.81 | 6 माह | 3,00,000 |
| 13 | पीपलखेरिया जिला रायसेन में विकास कार्य। | 1885/ | 2.76 | 6 माह | 3,00,000 |

| क्र.सं. | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | पूर्ण होने की निर्धारित अवधि | जुर्माने की राशि (राशि ₹ मे) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/02/2019 | | | |
| 14 | औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी नाली और ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य | 743/ 10/08/2021 | 2.23 | 6 माह | 3,00,000 |
| 15 | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 2767/ 24/02/2022 | 0.20 | 4 माह | 2,00,000 |
| 16 | औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, उज्जैन पर सी.सी. रोड का निर्माण | 05/2021-22 13/07/2021 | 2.37 | 4 माह | 2,00,000 |
| 17 | औद्योगिक क्षेत्र सिया, जिला देवास में विभिन्न विकास गतिविधियों का निर्माण | 02/2019-20 20/06/2019 | 2.40 | 6 माह | 3,00,000 |
| 18 | देवास रोड पर आरसीसी नाली का निर्माण | 06/2021-22 13/07/2021 | 4.18 | 8 माह | 4,00,000 |
| 19 | बड़वाह में सीमेंट सड़क का निर्माण | 11/2018-19 5/3/2019 | 1.21 | 6 माह | 3,00,000 |
| 20 | औद्योगिक क्षेत्र गरोठ, मंदसौर में सीमेंट कंक्रीट रोड आरसीसी ह्यूम पाइप कार्य | 08/2019-20 25/10/2019 | 1.08 | 4 माह | 2,00,000 |
| 21 | औद्योगिक क्षेत्र फुरनाखेड़ी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण | 05/2020-21 01/03/2021 | 4.58 | 10 माह | 5,00,000 |
| 22 | औद्योगिक क्षेत्र कनावटी, नीमच में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण | 05/2019-20 21/10/2019 | 1.36 | 4 माह | 2,00,000 |
| 23 | औद्योगिक क्षेत्र सिया, देवास में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण | 09/2021-22 15/07/2021 | 4.18 | 6 माह | 3,00,000 |
| 24 | औद्योगिक क्षेत्र कुम्हारी,रतलाम में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण | 06/2019-20 22/10/2019 | 1.64 | 4 माह | 2,00,000 |
| 25 | औद्योगिक क्षेत्र मक्सी, उज्जैन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप का निर्माण | 10/2018-19 05/03/2019 | 1.69 | 4 माह | 2,00,000 |
| 26 | औद्योगिक क्षेत्र बड़वाह खरगोन में सीमेंट रोड ह्यूम पाइप निर्माण | 12/2018-19 05/03/2019 | 2.58 | 4 माह | 2,00,000 |
| **कुल** | | | | | **76,00,000** |

## परिशिष्ट 2.2.7

*(कंडिका 2.2.5.7 में संदर्भित)*

## अनुबंध की संभावित राशि में वृद्धि (पीएसी)

| क्र.सं. | ठेकेदार का नाम | कार्य विवरण | कार्य आदेश/अनुबंध संख्या एवं तिथि | अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में) | पीएसी में वृद्धि का माह | पीएसी में वृद्धि | प्रतिशत में वृद्धि | पूर्ण होने की वास्तविक लागत (₹ करोड़ में) | पूर्ण होने की अनुसूची अवधि | वास्तविक समापन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेसर्स चतुरलाल कांट्रेक्टर | जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 1/2 आंतरिक विद्युतीकरण कार्य,कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं स्मार्ट शिक्षण कच्छ बनाने के लिए आंतरिक साज-सज्जा एवं नवीनीकरण कार्य | 04/2019-20 29/06/2019 | 1.64 | अगस्त-19 | 0.54 | 32.87 | 2.22 | 3 माह | 27/03/2021 |
| 2 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन भोपाल | संस्कृति भवन बाणगंगा भोपाल में कलात्मक सजावटी भित्ति चित्र साज-सज्जा नवीकरण विभिन्न निर्माण और संरचना से जुड़े और अन्य संबद्ध कार्य | 09/2022-23 25/07/2022 | 1.53 | अक्टूबर -22 | 0.95 | 62.06 | 2.87 | 6 माह | 10/01/2023 |
| 3 | मेसर्स माँ काली कंस्ट्रक्शन्स | यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल में आंतरिक नवीनीकरण, विद्युत एवं विभिन्न निर्माण और संरचना से जुड़े कार्य | 26/2020-21 18/02/2021 | 1.31 | अगस्त -21 | 0.91 | 69.60 | 2.67 | 3 माह | 30/11/2022 |
| 4 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन कंपनी | सांदीपनि आश्रम और त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन और खजुराहो संग्रहालय (म.प्र.) में विभिन्न निर्माण और संरचना से जुड़े कार्य और कलात्मक, साज-सज्जा कार्य | 12/2021-22/ 02/08/2021 | 1.25 | दिसम्बर -21 | 0.40 | 32.05 | 1.91 | 4 माह | 30/12/2021 |
| 5 | मेसर्स चतुरलाल गोंड कॉन्ट्रैक्टर्स भोपाल | शासकीय गुरुकुल आवासीय विद्यालय, बावड़िया कला, भोपाल के कम्प्यूटर प्रयोगशाला , पुस्तकालय , जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला एवं स्मार्ट शिक्षण कच्छ का आंतरिक साज-सज्जा एवं विद्युतीकरण कार्य | 17/2018-19 06/03/2019 | 1.09 | जुलाई -19 | 0.47 | 43.12 | 1.59 | 6 माह | 16/06/2020 |
| 6 | मेसर्स भावसार कंस्ट्रक्शन भोपाल | भारत भवन के नवीनीकरण और साज-सज्जा का कार्य तथा त्रिवेणी संग्रहालय, उज्जैन में हाइड्रेंट प्रणाली की स्थापना | 03/2022-23 12/05/2022 | 0.67 | अक्टूबर -22 | 0.90 | 134.33 | 1.79 | 4 माह | 20/02/2023 |
| 7 | मैसर्स गंगाधर शर्मा | औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 28/2020-21 24/02/2019 | 1.99 | अगस्त -21 | 0.80 | 40.12 | 3.11 | 4 माह | 24/10/2021 |
| **कुल** | | | | **9.48** | | **4.97** | | | | |

## परिशिष्ट 2.2.8

*(कंडिका 2.2.8.1 में संदर्भित)*

### प्रयोगशाला के कम उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | परीक्षण प्रयोगशाला का नाम | वर्ष | संस्थापित क्षमता | प्राप्त नमूनों की संख्या | परीक्षण किये गये नमूनों की संख्या | क्षमता उपयोग प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंदौर | 2020-21 | 4,500 | 2,252 | 2,252 | 50.04 |
| | | 2021-22 | 4,500 | 3,406 | 3,406 | 75.69 |
| | | 2022-23 | 4,500 | 4,432 | 4,432 | 98.49 |
| | | **कुल (ए)** | **13,500** | **10,090** | **10,090** | **74.74** |
| 2 | जबलपुर | 2020-21 | 2,160 | 1,038 | 1038 | 48.06 |
| | | 2021-22 | 2,160 | 1,117 | 1,117 | 51.71 |
| | | 2022-23 | 2,160 | 710 | 710 | 32.87 |
| | | **कुल (बी)** | **6,480** | **2,865** | **2,865** | **44.21** |
| **कुल योग (ए+बी)** | | | **19,980** | **12,955** | **12,955** | **64.84** |

## परिशिष्ट 2.3.1

*(कंडिका 2.3.5.2 डी में संदर्भित)*

### सीएम हेल्पलाइन के तहत शिकायत के निवारण में देरी का विवरण

| क्र सं | डीआरईओ का नाम | शिकायत संख्या | शिकायत की तारीख | शिकायत के निवारण की तारीख | शिकायत के निवारण में दिनों का उपभोग किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शहडोल | 7400192 | 23 नवंबर 18 | 28 जुलाई 19 | 247 |
| 2 | शहडोल | 7405503 | 24 नवंबर 18 | 23 जुलाई 19 | 241 |
| 3 | शहडोल | 7428637 | 30 नवंबर 18 | 30 जुलाई 19 | 242 |
| 4 | शहडोल | 7537973 | 24 दिसम्बर 18 | 28 अक्टूबर 20 | 674 |
| 5 | शहडोल | 7926756 | 2 मार्च 19 | 2 मार्च 21 | 731 |
| 6 | शहडोल | 8110195 | 2 मार्च 19 | 12 दिसम्बर 19 | 285 |
| 7 | शहडोल | 8135998 | 6 अप्रैल 19 | 6 फरवरी 20 | 306 |
| 8 | शहडोल | 8804494 | 21 जुलाई 19 | 31 मार्च 21 | 619 |
| 9 | शहडोल | 12368880 | 8 अक्टूबर 20 | 17 सितम्बर 21 | 344 |
| 10 | अनूपपुर | 7180783 | 17 अक्टूबर 18 | 25 फरवरी 20 | 496 |
| 11 | अनूपपुर | 7795443 | 9 फरवरी 19 | 25 जुलाई 20 | 532 |
| 12 | उमरिया | 4023587 | 13 जून 17 | 8 अप्रैल 18 | 299 |
| 13 | उमरिया | 5649819 | 11 मार्च 18 | 28 जुलाई 19 | 504 |
| 14 | उमरिया | 6383045 | 1 जुलाई 18 | 16 जुलाई 19 | 380 |
| 15 | उमरिया | 6592651 | 28 जुलाई 18 | 27 जुलाई 19 | 364 |
| 16 | ग्वालियर | 12180933 | 14 सितम्बर 20 | 5 दिसम्बर 20 | 82 |
| 17 | ग्वालियर | 12276502 | 26 सितम्बर 20 | 4 दिसम्बर 20 | 69 |
| 18 | ग्वालियर | 18514844 | 29 जुलाई 22 | 21 सितम्बर 22 | 54 |
| 19 | ग्वालियर | 19975634 | 25 नवंबर 22 | 27 दिसम्बर 22 | 32 |
| 20 | ग्वालियर | 20275492 | 19 दिसम्बर 22 | 28 जून 23 | 191 |
| 21 | सतना | 4992796 | 19 नवंबर 17 | 30 जून 21 | 1,319 |
| 22 | सतना | 4999569 | 20 नवंबर 17 | 11 जनवरी 21 | 1,148 |
| 23 | सतना | 5408096 | 28 जनवरी 18 | 12 जनवरी 19 | 349 |
| 24 | सतना | 5568852 | 24 फरवरी 18 | 12 जनवरी 19 | 322 |
| 25 | सतना | 6076701 | 17 मई 18 | 7 सितम्बर 20 | 844 |
| 26 | सतना | 6652235 | 5 अगस्त 18 | 31 जनवरी 20 | 544 |
| 27 | सतना | 6731841 | 16 अगस्त 18 | 30 जून 21 | 1,049 |
| 28 | सतना | 6979952 | 22 सितम्बर 18 | 4 मार्च 21 | 894 |
| 29 | सतना | 9988386 | 30 दिसम्बर 19 | 30 जून 21 | 548 |
| 30 | शिवपुरी | 12343757 | 4 अक्टूबर 20 | 7 दिसम्बर 20 | 64 |
| 31 | शिवपुरी | 12673056 | 20 नवंबर 20 | 12 जनवरी 21 | 53 |
| 32 | शिवपुरी | 12747621 | 30 नवंबर 20 | 3 अप्रैल 21 | 124 |
| 33 | शिवपुरी | 12793402 | 7 दिसम्बर 20 | 20 फरवरी 21 | 75 |
| 34 | शिवपुरी | 13962025 | 25 अप्रैल 21 | 13 सितम्बर 21 | 141 |
| 35 | शिवपुरी | 14244300 | 27 मई 21 | 25 जुलाई 21 | 59 |
| 36 | शिवपुरी | 14272105 | 30 मई 21 | 6 सितम्बर 21 | 99 |
| 37 | शिवपुरी | 14426893 | 16 जून 21 | 17 नवंबर 21 | 154 |
| 38 | शिवपुरी | 14493194 | 23 जून 21 | 8 सितम्बर 21 | 77 |
| 39 | शिवपुरी | 14585878 | 3 जुलाई 21 | 8 सितम्बर 21 | 67 |
| 40 | शिवपुरी | 19470728 | 15 अक्टूबर 22 | 5 दिसम्बर 22 | 51 |
| 41 | शिवपुरी | 20182246 | 12 दिसम्बर 22 | 29 जनवरी 23 | 48 |

| क्र सं | डीआरईओ का नाम | शिकायत संख्या | शिकायत की तारीख | शिकायत के निवारण की तारीख | शिकायत के निवारण में दिनों का उपभोग किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | शिवपुरी | 20225024 | 15 दिसम्बर 22 | 4 फरवरी 23 | 51 |
| 43 | शिवपुरी | 20344043 | 24 दिसम्बर 22 | 3 फरवरी 23 | 41 |
| 44 | शिवपुरी | 21269377 | 5 मार्च 23 | 2 मई 23 | 58 |
| 45 | बैतूल | 12543670 | 31 अक्टूबर 20 | 25 फरवरी 21 | 117 |
| 46 | बैतूल | 14048451 | 6 मई 21 | 16 जून 21 | 41 |
| 47 | बैतूल | 12581151 | 6 नवंबर 20 | 16 दिसम्बर 20 | 40 |
| 48 | बैतूल | 13265773 | 5 फरवरी 21 | 12 मार्च 21 | 35 |
| 49 | बैतूल | 13713803 | 27 मार्च 21 | 27 जुलाई 21 | 122 |
| 50 | बैतूल | 14225367 | 25 मई 21 | 19 अगस्त 21 | 86 |
| 51 | बैतूल | 14655604 | 11 जुलाई 21 | 25 अगस्त 21 | 45 |
| 52 | बैतूल | 17517509 | 5 मई 22 | 13 जून 22 | 39 |
| 53 | बैतूल | 17587461 | 12 मई 22 | 25 अगस्त 22 | 105 |
| 54 | बैतूल | 19720184 | 4 नवंबर 22 | 17 दिसम्बर 22 | 43 |
| 55 | बैतूल | 20376254 | 27 दिसम्बर 22 | 5 जून 23 | 160 |
| 56 | बैतूल | 20454061 | 2 जनवरी 23 | 28 अप्रैल 23 | 116 |
| 57 | बैतूल | 20947052 | 8 फरवरी 23 | 9 अगस्त 23 | 182 |
| 58 | बैतूल | 20963651 | 9 फरवरी 23 | 18 अप्रैल 23 | 68 |
| 59 | बैतूल | 21754934 | 12 अप्रैल 23 | 9 जुलाई 23 | 88 |
| 60 | बैतूल | 23619883 | 8 अगस्त 23 | 12 सितम्बर 23 | 35 |
| 61 | मन्दसौर | 13013088 | 8 अप्रैल 21 | 29 दिसम्बर 21 | 265 |
| 62 | मन्दसौर | 11534355 | 6 जून 20 | 17 दिसम्बर 20 | 194 |
| 63 | मन्दसौर | 9742241 | 23 नवंबर 19 | 20 मार्च 20 | 118 |
| 64 | मन्दसौर | 7372422 | 19 नवंबर 18 | 17 फरवरी 20 | 455 |
| 65 | मन्दसौर | 7155083 | 13 अक्टूबर 18 | 5 फरवरी 19 | 115 |
| 66 | मन्दसौर | 9606203 | 4 नवंबर 19 | 25 फरवरी 20 | 113 |
| 67 | राजगढ़ | 13829556 | 10 अप्रैल 21 | 21 अगस्त 21 | 133 |
| 68 | राजगढ़ | 14508314 | 25 जून 21 | 2 जनवरी 22 | 191 |
| 69 | राजगढ़ | 17782812 | 30 मई 22 | 20 जनवरी 23 | 235 |
| 70 | राजगढ़ | 18967372 | 30 सितम्बर 22 | 9 दिसम्बर 22 | 70 |
| 71 | राजगढ़ | 19061928 | 11 सितम्बर 22 | 12 दिसम्बर 22 | 92 |
| 72 | राजगढ़ | 12449444 | 18 अक्टूबर 20 | 12 दिसम्बर 20 | 55 |
| 73 | देवास | 13209128 | 29 जनवरी 21 | 8 दिसम्बर 21 | 313 |
| 74 | देवास | 12487947 | 23 अक्टूबर 20 | 2 दिसम्बर 21 | 405 |
| 75 | देवास | 12566439 | 4 नवंबर 20 | 19 अक्टूबर 21 | 349 |
| 76 | देवास | 12942971 | 25 दिसम्बर 20 | 17 नवंबर 21 | 327 |
| 77 | देवास | 12998384 | 2 जनवरी 21 | 17 नवंबर 21 | 319 |
| 78 | देवास | 13393420 | 19 फरवरी 21 | 21फरवरी 22 | 367 |
| 79 | देवास | 12768161 | 3 दिसम्बर 20 | 14 जुलाई 21 | 223 |
| 80 | देवास | 13885215 | 16 अप्रैल 21 | 28 दिसम्बर 21 | 256 |
| 81 | जबलपुर | 12749720 | 1 दिसम्बर 20 | 18 जनवरी 21 | 48 |
| 82 | जबलपुर | 12217782 | 19 सितम्बर 20 | 5 जनवरी 21 | 108 |
| 83 | जबलपुर | 12647613 | 16 नवंबर 20 | 12 जनवरी 21 | 57 |
| 84 | जबलपुर | 12739412 | 29 नवंबर 20 | 13 जनवरी 21 | 45 |
| 85 | जबलपुर | 12800267 | 8 दिसम्बर 20 | 23 फरवरी 21 | 77 |
| 86 | जबलपुर | 13255952 | 4 फरवरी 21 | 27 जून 21 | 143 |

| क्र सं | डीआरईओ का नाम | शिकायत संख्या | शिकायत की तारीख | शिकायत के निवारण की तारीख | शिकायत के निवारण में दिनों का उपभोग किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | जबलपुर | 13430565 | 24 फरवरी 21 | 30 अगस्त 21 | 187 |
| 88 | जबलपुर | 12304180 | 30 सितम्बर 20 | 12 नवंबर 20 | 43 |
| 89 | जबलपुर | 12574743 | 5 नवंबर 20 | 15 फरवरी 21 | 102 |
| 90 | जबलपुर | 12602625 | 9 नवंबर 20 | 22 दिसम्बर 20 | 43 |

## परिशिष्ट 2.4.1

*(कंडिका 2.4.1 में संदर्भित)*

## डिस्कॉम में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्रं. सं. | योजना | कंपनी का नाम | सभी शहर | | | नमूना शहर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत लागत | निष्पादित लागत | स्वीकृत के विरूद्ध निष्पादित लागत (प्रतिशत में) | स्वीकृत लागत | निष्पादित लागत | स्वीकृत के विरूद्ध निष्पादित लागत (प्रतिशत में) |
| 1 | व्यवस्था सुदृढ़ीकरण | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 523.67 | 496.10 | 94.74 | 382.45 | 381.84 | 99.84 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 543.41 | 543.41 | 100.00 | 340.67 | 345.58 | 101.44 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 482.28 | 425.70 | 88.27 | 329.12 | 287.35 | 87.31 |
| 2 | स्मार्ट मीटरिंग | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 69.09 | 24.89 | 36.03 | 69.09 | 24.89 | 36.03 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | जीआईएस सबस्टेशन | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 29.57 | 0 | 0.00 | 14.91 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 24.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | आरटी-डीएएस | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 6.34 | 0 | 0.00 | 6.86 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 6.40 | 0 | 0.00 | 6.40 | 0 | 0.00 |
| 5 | आई टी | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 15.06 | 15.04 | 99.87 | 15.06 | 15.04 | 99.87 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 41.15 | 0 | 0.00 | 41.15 | 0 | 0.00 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 29.65 | 22.68 | 76.49 | 29.65 | 22.68 | 76.49 |
| 6 | ईआरपी | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 7.97 | 8.71 | 109.28 | 7.97 | 8.71 | 109.28 |
| | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 7.53 | 11.12 | 147.68 | 7.53 | 11.12 | 147.68 |
| | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 7.39 | 9.49 | 128.42 | 7.39 | 9.49 | 0.00 |
| **कुल** | | | **1,793.53** | **1,564.11** | **87.21** | **1,284.67** | **1,113.67** | **86.69** |

## परिशिष्ट 2.4.2

*(कंडिका 2.4.4 में संदर्भित)*

## वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के चयनित वृत्त

| कंपनी का नाम | क्रं. सं. | वृत्त का नाम | चयनित/अचयनित |
|---|---|---|---|
| म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | 1 | नीमच (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 2 | बड़वानी (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 3 | शाजापुर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 4 | बुरहानपुर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 5 | उज्जैन (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 6 | देवास (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 7 | इंदौर शहर वृत्त | चयनित |
| | 8 | इंदौर (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 9 | मन्दसौर (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 10 | झाबुआ (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 11 | धार (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 12 | खंडवा (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 13 | खरगोन (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 14 | रतलाम (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | 15 | जबलपुर शहर वृत्त | चयनित |
| | 16 | छिंदवाड़ा (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 17 | सीधी (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 18 | सतना (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 19 | छतरपुर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 20 | सागर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 21 | टीकमगढ़ (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 22 | जबलपुर (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 23 | रीवा (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 24 | मंडला (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 25 | शहडोल (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 26 | कटनी (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 27 | सिवनी (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 28 | नरसिंहपुर (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 29 | दमोह (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | 30 | भिंड (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 31 | भोपाल शहर वृत्त | चयनित |
| | 32 | ग्वालियर शहर वृत्त | चयनित |
| | 33 | ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 34 | मुरैना (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 35 | सीहोर (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 36 | शिवपुरी (ओ एंड एम) वृत्त | चयनित |
| | 37 | बैतूल (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 38 | भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 39 | गुना (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 40 | होशंगाबाद (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 41 | रायगढ़ (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 42 | श्योपुर (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| | 43 | विदिशा (ओ एंड एम) वृत्त | अचयनित |
| **कुल वृत्त - 43** | | | **चयनित वृत्त - 21** |

## परिशिष्ट 2.4.3

*(कंडिका 2.3.5.3 में संदर्भित)*

## एनएडी और डीपीआर के बीच तुलना

| | | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | | | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) |
| क्रं. सं. | मदों का विवरण | इकाई | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा |
| 1 | 33/11 केवी या 66/11 केवी एसएस: नया | नग | 410 | 35.00 | 91.46 | 48 | 2 | 95.83 | 47 | 15 | 68.09 |
| 2 | 33/11 केवी या 66/11 केवी एसएस: अतिरिक्त ट्रांसफार्मर | नग | 154 | 20.00 | 87.01 | 7 | 0 | 100.00 | 34 | 2 | 94.12 |
| 3 | 33/11 केवी या 66/11 केवी एसएस: ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि | नग | 151.15 | 85.75 | 43.27 | 46 | 10 | 78.26 | 43 | 7 | 83.72 |
| 4 | 33/11 केवी या 66/11 केवी एसएस: नवीनीकरण और आधुनिकीकरण | नग | 171 | 167.00 | 2.34 | 4316 | 1931 | 55.26 | 230 | 46 | 80.00 |
| 5 | नए 33 केवी फीडर- नया/ बाइफ़रकेशन/ऑगमनटेशन | केएमएस | 321.75 | 201.25 | 37.45 | 314.5 | 20 | 93.64 | 361.2 | 163.55 | 54.72 |
| 6 | 33केवी फीडर-ऑगमनटेशन | केएमएस | 2078.84 | 100.00 | 95.19 | 239.2 | 0 | 100.00 | 181.5 | 92 | 49.31 |
| 7 | ईएचवी स्टेशन पर 33 केवी लाइन बे एक्सटेंशन | नग | 0 | 6.00 | 100.00 | 0 | 4 | 100.00 | 14 | 16 | -14.29 |
| 8 | नये 11 केवी फीडर- नये/ बाइफ़रकेशन | केएमएस | 959.15 | 864.63 | 9.85 | 922.1 | 615.6 | 33.24 | 784.2 | 337.88 | 56.91 |
| 9 | नये 11 केवी फीडर- ऑगमनटेशन | केएमएस | 2463.22 | 443.57 | 81.99 | 1004.3 | 598.1 | 40.45 | 254.3 | 95.69 | 62.37 |
| 10 | 11 केवी बे एक्सटेंशन | केएमएस | | 23.00 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 8 | 100.00 |
| 11 | डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर-नया | एमवीए | 188.91 | 1224.00 | -547.93 | 1895 | 1208 | 36.25 | 1740 | 933 | 46.38 |
| 12 | डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर – आर व एम | नग | 5739 | 646.00 | 88.74 | 0 | 0 | 0.00 | 5474 | 1965 | 64.10 |
| 13 | एलटी सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि | एमवीए | 719.0492 | 481.00 | 33.11 | 2125 | 833 | 60.80 | 872 | 161 | 81.54 |
| 14 | एलटी लाइन : नया फीडर/ फीडर बाइफ़रकेशन/ | केएमएस | 784.32 | 715.05 | 8.83 | 541.95 | 347.45 | 35.89 | 667.42 | 353.8 | 46.99 |
| 15 | एलटी लाइन : ऑगमनटेशन | केएमएस | 158.02 | 513.58 | -225.01 | 1333.2 | 587.3 | 55.95 | | | |
| 16 | एचवीडीएस | नग | 272 | 82.00 | 69.85 | 279 | 0 | 100.00 | 362 | 225 | 37.85 |

| | | | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | | | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) | एनएडी | डीपीआर | विचलन (% में) |
| 17 | कैपसिटर बैंक | एमवीए आर | 58.8 | 30.00 | 48.98 | 38.6 | 0 | 100.00 | 63 | 27 | 57.14 |
| 18 | एरियल बंच्ड केबल्स | केएमएस | 5389.809 | 1695.10 | 68.55 | 3272.99 | 2834.1 | 13.41 | 2714.85 | 1490.19 | 45.11 |
| 19 | भूमिगत केबल्स | केएमएस | 246.35 | 25.20 | 89.77 | 154.3 | 13.1 | 91.51 | 143 | 16.5 | 88.46 |
| 20 | नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल (सरकारी प्रतिष्ठानों में) | नग/ 5 केवीए | 108 | 181.00 | -67.59 | 258 | 31 | 87.98 | 160 | 29 | 81.88 |
| 21 | मीटरिंग - फीडर/बाउन्ड्री पॉइंट | नग | 477 | | 100.00 | 286938 | 139641 | 51.33 | 497071 | 174573 | 64.88 |
| 22 | मीटरिंग - डीटी | नग | 5613 | | 100.00 | | | | | | |
| 23 | मीटरिंग - उपभोक्ता | नग | 467983 | 245486 | 47.54 | | | | | | |
| 24 | सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड/स्मार्ट मीटर | नग | 17743 | | 100.00 | | | | | | |
| 25 | एएमआई, स्मार्ट मीटर )एस सी ए डी ए शहरों में) | नग | 16016 | | 100.00 | | | | | | |
| 26 | आरएमयू, सेक्शनलाइज़र, ऑटो रिक्लोज़र, एफपीआई इत्यादि। | लॉट | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | एएमआर सर्वर की स्थापना | लॉट | 0 | 1.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 100.00 |
| 28 | एबी केबल पर नया 11 केवी फीडर (केवल भोपाल शहर) | केएमएस | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 100.00 |
| 29 | पैंथर कंडक्टर पर 33 केवी लाइन डबल सर्किट 13 मीटर लंबी एच-बीम | केएमएस | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 103 | 0 | 100.00 |
| 30 | मोनोपोल पर नया 33 केवी फीडर (केवल भोपाल शहर) | केएमएस | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 100.00 |
| 31 | कैंसर हिल पर स्विच यार्ड, जिसमें 2 इनकमिंग और 5 आउटगोइंग 33 केवी बे | नग | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | अन्य | लॉट | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750 | 100.00 |

## परिशिष्ट 2.4.4

*(कंडिका 2.4.6.2 ए में संदर्भित)*

## एनआईटी के (तकनीकी-वाणिज्यिक मानदंड) साथ एसबीडी की तुलना

| क्रं. सं. | मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार | | एनआईटी के अनुसार | | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3a बोली लगाने के लिए परिशिष्ट ए से बीडीएस वॉल्यूम-I_सेक्शन -III | **(i)** बोली लगाने वाले ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले 7 वर्षों में **एकल टर्नकी अनुबंध के तहत** [33 केवी या 66 केवी श्रेणी] और [11 केवी या 22 केवी श्रेणी] (जैसा भी मामला हो) के सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिसमें निम्न की स्थापना हो प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 50% (अर्थात 33 केवी/66 केवी वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है)<br>एवं<br>प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 50% और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}], और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br><br>**<u>या</u>**<br>बोली लगाने वाले ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले **7** वर्षों में **दो टर्नकी अनुबंधों** में [33 केवी या 66 केवी वर्ग] और [11 केवी या 22 केवी वर्ग] (जैसा भी मामला हो) के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिनमें से प्रत्येक में स्थापना हो: | 4a. परिशिष्ट ए से बोली लगाने के लिए डेटा शीट वॉल्यूम I_सेक्शन -III को | **(i)** बोली लगाने वाले को बोली खुलने की तिथि तक पिछले 7 वर्षों में **एकल टर्नकी अनुबंध** में सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू किया जाना चाहिए।<br>क. प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 20% (अर्थात 33 केवी/11 केवी वर्ग के लिए सभी ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/0.4 केवी और 22 केवी/0.4 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग) और इस प्रकार निर्मित प्रणाली बोली खुलने की तिथि तक कम से कम एक (1) वर्ष तक संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए।<br>**<u>एवं</u>**<br>ख. प्रस्तावित बोली में विचारित लाइनों की लंबाई का कम से कम 20.0% [एलटी से 66 केवी तक लाइनों का योग] और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष तक संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br>**<u>एवं</u>**<br>ग.के प्रतिशत और (ख) के प्रतिशत का योग कम से कम 100 होना चाहिए।<br>**<u>या</u>**<br>**(ii)** बोली लगाने वाले ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले **7** वर्षों में **दो टर्नकी अनुबंधों में** उप-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू की हो, जिसमें स्थापना हो<br>क. प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम **20%** (अर्थात **33** केवी/**11** केवी वर्ग के लिए सभी ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और **11** केवी/**0.4** केवी और **22** केवी/**0.4** केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग) और इस प्रकार निर्मित | बड़ी मात्रा में काम करने का कम अनुभव रखने वाले छोटे बोली लगाने वाले बोली में भाग लेने के पात्र थे। |

| क्रं. सं. | मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार | | एनआईटी के अनुसार | | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 40% (अर्थात 33 केवी/66 केवी वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है)<br>एवं<br>प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 40% और [{ 11केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}], और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br>या<br>बोली लगाने वाले ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले 7 वर्षों में **तीन टर्नकी अनुबंधों** में [33 केवी या 66 केवी वर्ग] और [11 केवी या 22 केवी वर्ग] (जैसा भी मामला हो) के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिनमें से प्रत्येक में स्थापित हो:<br>प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 30% (अर्थात 33 केवी/66 केवी वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का जोड़ और 11 केवी/22 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का जोड़, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है)<br>एवं<br>प्रस्तावित बोली में विचार किए गए [33 केवी/66 केवी लाइनों] की लंबाई का 30% और [{ 11केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों का योग}], और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली | | प्रणाली बोली खुलने की तिथि तक कम से कम एक (1) वर्ष तक संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br>**एवं**<br>ख. प्रस्तावित बोली में विचारित लाइनों की लंबाई का कम से कम 20.0% [एलटी से 66 केवी तक लाइनों का योग] और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br>**एवं**<br>ग. (क) के प्रतिशत और (ख) के प्रतिशत का योग कम से कम 160 होना चाहिए।<br>**या**<br>**(iii)** बोली लगाने वाले ने बोली खुलने की तिथि तक पिछले 7 वर्षों में **तीन टर्नकी अनुबंधों** में उप-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों/फीडरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की हो, जिसमें स्थापित हो<br>क. प्रस्तावित बोली में विचारित ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 20% (अर्थात 33 केवी/11 केवी वर्ग के लिए सभी ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/0.4 केवी और 22 केवी/0.4 केवी वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग) और इस प्रकार निर्मित प्रणाली बोली खुलने की तिथि को कम से कम एक (1) वर्ष तक संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए।<br>**एवं**<br>ख. प्रस्तावित बोली में विचारित लाइनों की लंबाई का कम से कम 20.0% [एलटी से 66 केवी तक लाइनों का योग] और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष तक संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए, | |

| क्रं. सं. | मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार | | एनआईटी के अनुसार | | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खुलने की तारीख तक कम से कम एक (1) वर्ष के लिए संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br><br>**(ii)** संयुक्त उद्यम फर्मों (जिसमें एक भागीदार प्रमुख भागीदार के साथ तीन से अधिक भागीदार न हों) द्वारा भी बोलियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसमें<br><br>क) सभी साझेदारों को संयुक्त रूप से उपरोक्त पैरा III (i) या III (ii) या III (iii) में निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।<br>**एवं**<br>ख) प्रमुख साझेदार ने बोली खुलने की तिथि को पिछले 7 वर्षों में एकल टर्नकी अनुबंध के तहत [33 केवी या 66 केवी] और [11 केवी या 22 केवी श्रेणी] (जैसा भी बोली में मामला हो) के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन/फीडर को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिसमें प्रस्तावित बोली में मानी गई ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 40% (अर्थात 33 केवी/66 केवी श्रेणी के लिए पावर ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी श्रेणी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है) की स्थापना हो और प्रस्तावित बोली में मानी गई [33 केवी/66 केवी लाइनों] और [{ 11केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों}] लाइनों की लंबाई का 40% हो, और इस प्रकार बनाई गई | | **एवं**<br>ग. (क) के प्रतिशत और (ख) के प्रतिशत का योग कम से कम 180 होना चाहिए।<br><br>**(iv)** संयुक्त उद्यम फर्मों (जिसमें एक भागीदार प्रमुख भागीदार के रूप में हो तथा तीन से अधिक भागीदार न हों) द्वारा भी बोलियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसमें सभी भागीदारों को संयुक्त रूप से ऊपर निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। | प्रमुख भागीदार के न्यूनतम अनुभव प्रतिशत की अनदेखी करने से ऐसे प्रमुख भागीदार को भाग लेने का मौका मिल गया, जिनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं था, और जिन्होंने बाद में घटिया कार्य किया। |

| क्रं. सं. | मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार | | एनआईटी के अनुसार | | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रणाली बोली खुलने की तिथि तक कम से कम एक (1) वर्ष से संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए,<br>**एवं**<br>ग) प्रत्येक अन्य साझेदार ने बोली खुलने की तिथि को पिछले 7 वर्षों में एकल टर्नकी अनुबंध के तहत [33 केवी या 66 केवी] और [11 केवी या 22 केवी श्रेणी] (जैसा भी मामला हो) के सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन/फीडर को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो, जिसमें प्रस्तावित बोली में मानी गई ट्रांसफ़र्मेशन कैपिसिटी का कम से कम 25% (अर्थात 33 केवी/66 केवी श्रेणी के लिए पावर ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग का योग और 11 केवी/22 केवी श्रेणी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग का योग, जैसा कि वर्तमान बोली में प्रस्तावित है) और प्रस्तावित बोली में मानी गई [33 केवी/66 केवी लाइनों] और [{11 केवी या 22 केवी और एलटी लाइनों}] लाइनों की लंबाई का 25% हिस्सा स्थापित किया हो, और इस प्रकार बनाई गई प्रणाली बोली खुलने की तिथि तक कम से कम एक (1) वर्ष से संतोषजनक संचालन में होनी चाहिए | | | |

## परिशिष्ट 2.4.5

*(कंडिका 2.4.6.2 बी में संदर्भित)*

## बोली दस्तावेज़ों में कमियाँ

| क्र. सं. | लॉट नंबर /एनआईटी दिनांक | वृत्त | फर्म का नाम | तकनीकी बोली दस्तावेज़ों में कमियाँ | वाणिज्यिक बोली दस्तावेज़ों में कमियाँ | कार्य सौंपने के पत्र के अनुसार राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर** | | | | | | |
| 1 | लॉट-01 /14.02.17 | खरगोन & बुरहानपुर | मेसर्स पावर सॉल्यूशन | पूर्व अवधि का कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया | प्रमुख साझेदार के सी ए द्वारा प्रमाणित वित्तीय पैरामीटर से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए | 29.09 |
| 2 | लॉट-04 /14.02.17 | शाजापुर (आगर सहित) | मेसर्स हरपाल सिंह | ट्रांसफार्मर क्षमता के 20% से कम होने के कारण निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया | लागू नहीं | 29.09 |
| 3 | लॉट- 05 /14.02.17 | धार & झाबुआ | मेसर्स यूबीटेक लिमिटेड | लागू नहीं | तरल परिसंपत्तियां (एलए) और/या निधि आधारित ऋण सुविधाओं तक पहुंच या उपलब्धता का साक्ष्य संबंधी दस्तावेज अपेक्षित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि दस्तावेज अनुमानित लागत का केवल 10% से कम दर्शाता है | 39.57 |
| 4 | लॉट- 07 /14.02.17 | रतलाम | श्री राम स्विचगियर | मापदंड के अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है | लागू नहीं | 31.81 |
| **कुल म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर** | | | | | | **129.56** |
| **म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर** | | | | | | |
| 5 | एक लॉट में चार वृत्त/ | छतरपुर, रीवा- सतना & सीधी | मेसर्स अदरक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड | प्रमुख साझेदार कंपनी सिर्फ आठ माह पुरानी थी और विदेशी कंपनी होने के कारण वह निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। | इसकी होल्डिंग कंपनी के टर्नओवर और नेटवर्थ पर विचार किया गया, जो एक विदेशी कंपनी थी और निविदा के लिए पात्र नहीं थी। | 54.45<br>35.63<br>43.24<br>29.92 |
| **कुल म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर** | | | | | | **163.24** |
| **कुल योग (म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर + म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर)** | | | | | | **292.80** |

## परिशिष्ट 2.4.6

*(कंडिका 2.4.7.1 में संदर्भित)*

### डिस्कॉम वार महत्वपूर्ण 10 मदों के संबंध में अवॉर्ड की गई मात्रा और वास्तव में निष्पादित की गई मात्रा की तुलना का विवरण

| क्रं. सं. | विवरण | इकाई | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | | | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | | | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एनआईटी मात्रा | वास्तविक मात्रा | प्रतिशत में भिन्नता | एनआईटी मात्रा | वास्तविक मात्रा | प्रतिशत में भिन्नता | एनआईटी मात्रा | वास्तविक मात्रा | प्रतिशत में भिन्नता |
| 1 | 33/11 केवी एस/एस: नया | नग | 34 | 39 | 14.71 | 0 | 2 | 100.00 | 14 | 17 | 21.43 |
| 2 | 33/11 केवी एस/एस: अतिरिक्त ट्रांसफार्मर | नग | 20 | 27 | 35.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | 900.0 |
| 3 | 33/11 केवी एस/एस: ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि | नग | 42 | 51 | 21.43 | 0 | 10 | 100.00 | 7 | 25 | 257.14 |
| 4 | नए 33 केवी नए फीडर/ फीडरों का बाइफर्केशन : | केएमएस | 201 | 162.16 | 19.32 | 4 | 12 | 200.00 | 163.55 | 136.89 | 16.30 |
| 5 | 33 केवी फीडर रीकंडक्टरिंग/ ऑग्मेंटेशन | केएमएस | 88 | 36.89 | 58.08 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 46.31 | 49.66 |
| 6 | 11 केवी लाइन: नया फीडर/ फीडर बाइफर्केशन | केएमएस | 908 | 837 | 7.82 | 557 | 557.16 | 0.03 | 332.48 | 311.52 | 6.30 |
| 7 | 11 केवी लाइन: ऑग्मेंटेशन/ रीकंडक्टरिंग | केएमएस | 371 | 219.79 | 30.45 | 208 | 130.7 | 37.16 | 95.30 | 204.08 | 114.14 |
| 8 | नए वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना | नग | 1091 | 1628 | 49.22 | 1000 | 1540 | 54.00 | 929 | 1223 | 31.65 |
| 9 | एलटी लाइन: नया फीडर/ फीडर बाइफर्केशन | केएमएस | 569 | 1381.07 | 142.72 | 2484 | 2145.42 | 13.11 | 0 | 0 | - |
| 10 | एलटी लाइन: ऑग्मेंटेशन/ रीकंडक्टरिंग | केएमएस | 1951 | 1322.35 | 32.15 | 414 | 799.47 | 93.11 | 234 | 0 | 100.0 |

## परिशिष्ट 2.4.7

*(कंडिका 2.4.7.4 एवं 2.4.7.14 में संदर्भित)*

## परियोजना का शॉर्ट क्लोजर और लागत में वृद्धि

**(₹ करोड़ में)**

| (क) परियोजना का शॉर्ट क्लोजर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रं. सं.** | **डिस्कॉम का नाम** | **परियोजना का नाम** | **स्वीकृत लागत** | **निर्धारित लागत** | **वास्तविक व्यय** | **राशि करोड़ में** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7) = (5)-(6)** |
| 1 | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | शाजापुर | 27.47 | 28.51 | 24.33 | 4.18 |
| 2 | | देवास | 38.72 | 39.95 | 38.23 | 1.72 |
| 3 | | इंदौर शहर | 230.78 | 249.72 | 236.62 | 13.10 |
| 4 | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | भिंड | 35.86 | 26.26 | 17.09 | 9.17 |
| 5 | | भोपाल शहर | 150.40 | 147.72 | 135.80 | 11.92 |
| 6 | | ग्वालियर शहर | 46.35 | 51.57 | 51.11 | 0.46 |
| 7 | | ग्वालियर ओ एंड एम | 46.4 | 38.84 | 36.57 | 2.27 |
| 8 | | मुरेना | 31.64 | 32.12 | 29.43 | 2.69 |
| 9 | | सीहोर | 1.58 | 1.58 | 1.49 | 0.09 |
| 10 | | शिवपुरी | 16.89 | 16.90 | 15.86 | 1.04 |
| **कुल** | | | **626.09** | **633.17** | **586.53** | **46.64** |

| (ख) परियोजनाओं की लागत में वृद्धि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रं. सं.** | **डिस्कॉम का नाम** | **परियोजना का नाम** | **स्वीकृत लागत** | **वास्तविक व्यय** | **लागत में वृद्धि (करोड़ ₹ में)** |
| 1 | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | बड़वानी | 11.78 | 16.02 | 4.24 |
| 2 | | देवास | 38.72 | 39.95 | 1.23 |
| 3 | | नीमच | 24.06 | 26.21 | 2.15 |
| 4 | | इंदौर शहर | 230.78 | 243.21 | 12.43 |
| 5 | म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर | जबलपुर शहर | 77.49 | 88.35 | 10.86 |
| 6 | | सतना | 50.69 | 62.12 | 11.43 |
| 7 | | सीधी | 30.68 | 32.56 | 1.88 |
| 8 | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल | ग्वालियर शहर | 46.35 | 51.11 | 4.77 |
| **कुल** | | | | | **48.99** |

## परिशिष्ट 2.4.8

*(कंडिका 2.4.7.5 में संदर्भित)*

### फीडर मीटर और अद्यतन फीडरों का विवरण

| क्रं. सं. | वृत्त का नाम | फीडर | अद्यतन फीडर |
|---|---|---|---|
| 1 | इंदौर | 525 | 335 |
| 2 | उज्जैन | 126 | 108 |
| 3 | देवास | 51 | 0 |
| 4 | शाजापुर | 376 | 0 |
| 5 | बुरहानपुर | 24 | 0 |
| 6 | बड़वानी | 31 | 0 |
| 7 | नीमच | 37 | 0 |
| **कुल** | | **1,170** | **443** |

## परिशिष्ट 2.4.9

*(कंडिका 2.4.7.7. में संदर्भित)*

## गारंटी अवधि के बाद अप्रयुक्त सामग्री का विवरण

| क्रं. सं. | सामग्री का विवरण | मात्रा | सामग्री प्राप्ति की तिथि | गारंटी की अवधि | जीपी की समाप्ति की तिथि | एसओआर क्रम सं. | दर (₹ में) | हानि (₹ मे) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डीओ सेट 11 केवी | 15954 | 01.06.2019 | 18 | 22.11.2020 | 255 | 612 | 97,63,848 |
| 2 | डीओ सेट 33 केवी | 180 | 14.06.2017 | 18 | 06.12.2018 | 255 | 612 | 1,10,160 |
| 3 | फेस कंडक्टर टाइप II के लिए पियर्सिंग कनेक्टर (मैन 16-95 वर्ग मिमी और टैप ऑफ 1.5-10 वर्ग मिमी) | 52150 | 27.01.2018 | 18 | 16.07.2019 | 144 | 47 | 24,51,050 |
| 4 | एक्सएलपीई एलटी 1-कोर एल्यूमीनियम अनआर्मर्ड 70 वर्ग मिमी केबल | 36.258 | 18.04.2017 | 18 | 17.03.2020 | 75 | 46391 | 16,82,045 |
| 5 | 50 मिमी व्यास के 115 टर्न और 4 मिमी जीआई तार के 2.5 मीटर लीड का अर्थिंग कॉइल | 17631 | 29.05.18 | 18 | 28.11.2019 | 277 | 104 | 18,33,624 |
| 6 | स्टे वायर के बिना स्टे सेट 20 मिमी (पेंटेड) | 565 | 14.12.2018 | 12 | 13.12.2019 | 419 | 741 | 4,18,665 |
| 7 | अर्थिंग कॉइल | 30711 | 30.10.2018 | 18 | 29.04.2020 | 277 | 104 | 31,93,944 |
| 8 | 33 केवी डीओसेट्स | 174 | 17.09.2018 | 12 | 16.09.2019 | 255 | 612 | 1,06,488 |
| 9 | 1 कोर 25 वर्गमिमी केबल | 334.89 | 15.07.2017 | 18 | 14.01.2019 | 72 | 19301 | 64,63,712 |
| 10 | 1 कोर 25 वर्गमिमी केबल | 10.371 | 15.07.2017 | 18 | 14.01.2019 | 72 | 19301 | 2,00,170.7 |
| **कुल** | | | | | | | | **2,62,23,706.7** |

## परिशिष्ट 2.4.10

*(कंडिका 2.4.7.8 में संदर्भित)*

## परियोजना प्रबंधन एजेंसी की प्रमुख कमियाँ

| वृत्त का नाम | देखी गई कमियां |
|---|---|
| इंदौर शहर | पश्चिम डिवीजनों, उत्तर डिवीजन (नवंबर 2020), दक्षिण डिवीजन में विभिन्न स्थानों (मई/ जुलाई 2019) पर गुणवत्ता उपायों से संबंधित विभिन्न विसंगतियां देखी गईं, हालांकि कन्सल्टन्ट) पीएमए) ने सभी स्थानों पर माप के माध्यम से इन कमियों की पुष्टि नहीं की। यह भी देखा गया कि 22 माह तक कन्सल्टन्ट का एक फील्ड इंजीनियर अनुपस्थित था। इसके अलावा, बिलों की अनुशंसा करने से पहले पीएमए ने ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर दोषों के सुधार के लिए उपयुक्त अनुपालन रिपोर्ट सुनिश्चित नहीं की और भविष्य में घातक घटना से बचने के लिए इसकी निगरानी करने में विफल रहा और बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण के टीकेसी के बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए।<br>खराब प्रगति के बावजूद, डिस्कोपिंग आदेश और इसके वास्तविक विभागीय निष्पादन के बीच कार्यों के दायरे और प्रकृति का मेल न होने के बावजूद कन्सल्टन्ट द्वारा कारणों के साथ ऐसा कोई मुद्दा प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| देवास | यह पाया गया कि दोषपूर्ण मीटरों (769 की संख्या) को न बदलना, पुराने खंभों और लाइनों को न हटाना, पीसीसी खंभों को न बदलना, लाइनों में अर्थिंग और मफिंग न करना, अनुचित स्थापना के कारण करंट का रिसाव और लाइनों का टूटना तथा अन्य मुद्दों को पीएमए की पूर्णता रिपोर्ट में सूचित नहीं किया गया, जबकि लेखापरीक्षा ने यह देखा गया कि कार्य प्रगति पर था। |
| शाजापुर | जीआई तार की मात्रा में अंतर 4347 किलोग्राम और सर्विस केबल की 12186 मीटर की मात्रा के अंतर की कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई, नलखेड़ा शहर में टीकेसी द्वारा 1.17 करोड़ की राशि का कार्य न किया जाना, जो अंततः पूरा नहीं हुआ, मैदान में बिखरी सामग्री का पड़ा होना, रिंग फेंसिंग और मीटरिंग कार्य का पूरा न होना और अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट कन्सल्टन्ट द्वारा कभी नहीं की गई। |
| बुरहानपुर | श्रम अनुबंध देने में देरी, क्षेत्र के स्टोर से सामग्री जारी होने के बावजूद सामग्री नहीं उठाना, शिवाजी नगर वार्ड नंबर 47 में कार्य में वृद्धि के बावजूद श्रम ठेकेदारों द्वारा पुरानी लाइन को नहीं हटाया जाना, समापन को अंतिम रूप देने में देरी। इन मुद्दों को कभी भी सुधारात्मक उपायों के साथ निष्पादन के दौरान कन्सल्टन्ट द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया। |
| बड़वानी | साइट पर सामग्री के संयुक्त सत्यापन (09.05.2019) में पाया गया कि परियोजना कन्सल्टन्ट निष्पादित कार्यों के किसी भी पर्यवेक्षण, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को जाँचे बिना टीकेसी के बिलों पर हस्ताक्षर कर रहा था। |
| नीमच | लंबित डीटीआर मीटरिंग (160 संख्या) की रिपोर्ट न करना, और परियोजना के पूरा होने के बाद भी अनुचित उपभोक्ता सूचीकरण, दोषपूर्ण मीटरों को वापस ना करना (संख्या 133) और ना ही बदला जाना (संख्या 130) |
| उज्जैन | सिंहस्थ में वास्तविक अस्थायी कार्यों की पहचान कर रिपोर्ट नहीं दी गई, साथ ही पीएफसी से डीपीआर स्वीकृत कराए बिना 11 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने का तथ्य भी कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि उनके द्वारा कार्यों की कोई निगरानी एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया। |
| अन्य कमियाँ (उपरोक्त सभी परियोजनाओं में सामान्य) | • परियोजना कन्सल्टन्ट की ओर से की गई कमियों के कारण सभी परियोजनाओं में देरी हुई, साथ ही गुणवत्ता संबंधी कई समस्याएं भी हुईं, जैसे सामग्रियों के प्रयोगशाला परीक्षण में देरी, नमूने में वस्तुओं का गायब होना, शहरवार अंतिम बीओक्यू की तुलना में मात्रा के बिल (बीओक्यू) को अंतिम रूप देने में देरी, स्थानवार कार्यों की वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित न करना, कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता में कमी।<br>• आईपीडीएस परियोजनाओं में सामग्री वापस न मिलने के बारे में परियोजना कन्सल्टन्ट द्वारा इस संबंध में अनुस्मारक भेजने के बावजूद रिपोर्ट न करना।<br>• आईपीडीएस कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में कंपनी और एमपीपीएमसीएल के दिशा-निर्देशों का पालन न करना। परियोजना स्थल पर वास्तविक भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सभी प्रकार से परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित न करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन द्वारा कार्य जारी रहने के बावजूद, तथा घोषित समाप्ति से 3 माह के भीतर अंतिम बीओक्यू प्रदान करने में असमर्थता के बावजूद, पूर्णता की घोषणा कर दी गई। |

## *परिशिष्ट 2.4.11*

*(कंडिका 2.4.7.13 में संदर्भित)*

## समय विस्तार के प्रस्ताव का लेखापरीक्षा विश्लेषण

| क) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर | | |
|---|---|---|
| **क्रं. सं.** | **विषय** | **पैरा का संक्षिप्त विवरण** |
| 1 | टीकेसी द्वारा अनुबंधित समय अवधि के भीतर ईओटी प्रस्ताव प्रस्तुत न करना | टीकेसी को ऐसी घटना या परिस्थिति के शुरू होने के बाद और अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले यथाशीघ्र विस्तार के लिए अपना नोटिस प्रस्तुत करना आवश्यक था, हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी टीकेसी ने निर्धारित समापन की समाप्ति के बाद ईओटी के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया था। इससे पता चलता है कि उन्होंने अनुबंध के निष्पादन में किसी भी देरी को कम करने के लिए न तो अपने उचित प्रयासों का उपयोग किया और न ही मुद्दों को हल करने और उसके विश्लेषण के लिए एक व्यावहारिक और उचित अवधि के भीतर लाने का इरादा किया। प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन एजेंसी ने भी उनके अनुरोध पर कार्रवाई करते समय इस महत्वपूर्ण अनियमितता को इंगित नहीं किया। |
| 2 | ईओटी प्रस्तावों के प्रसंस्करण में अत्यधिक देरी | प्रबंधन ने समय विस्तार (ईओटी) प्रस्तावों के प्रसंस्करण और अंतिम अनुशंसा में अत्यधिक विलंब किया क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए 10 माह से 26 माह (एलओटी-03, 04, 07, 10, 11 और 14) की समय अवधि ली गई और शेष एलओटी 3 माह से 5 माह की सीमा के भीतर संसाधित किए गए। अधिकांश देरी क्षेत्रीय कार्यालयों (एलओटी-4, 10 और 11, 14) से औचित्य प्रस्तुत करने में देरी और तकनीकी समिति की अनुशंसा (एलओटी-07) में देरी के कारण हुई। विस्तार अनुरोधों के निपटान के लंबित रहने के कारण, टीकेसी को व्यावहारिक रूप से अनुरोधित विस्तार अवधि के दौरान परियोजना को निष्पादित करने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप टीकेसी द्वारा देरी को कम करने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित नहीं किए गए, जिससे परियोजना को समय पर पूरा करने का उद्देश्य विफल हो गया। |
| 3 | डिस्कोप्ड लॉट्स में अनुचित ईओटी | आईपीडीएस परियोजनाओं की डीस्कोपिंग के बावजूद, लॉट-1, लॉट-04, लॉट-05, लॉट-07, लॉट-08, लॉट-10 और लॉट-11 के टीकेसी 24 माह की कुल पूर्णता अवधि में अपने 70% घटक कार्यों को पूरा करने में विफल रहे और साथ ही साथ अपने विस्तारित समय अवधि में भी इसे पूरा नहीं कर सके। फील्ड प्रबंधन और पीएमए भी समय विस्तार की प्रक्रिया और अनुशंसा करते समय इन महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित करने में विफल रहे और उन परियोजनाओं के समान ही व्यवहार किया जिनमें डीस्कोपिंग नहीं की गई थी। ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में कंपनी से प्राप्त डीस्कोपिंग के माध्यम से सहायता को फील्ड प्रबंधन के साथ-साथ पीएमए द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। |
| 4 | टीकेसी के अनुरोध के बिना पूर्णता अवधि में अनुचित ईओटी | लेखापरीक्षा ने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि लॉट-03 (देवास) के मामले में, हालांकि टीकेसी ने चरणवार विस्तार अवधि (चरण- I, II, III) को छोड़कर समग्र पूर्णता अवधि में कोई विस्तार नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी प्रबंधन ने अंततः पूर्णता अवधि (03.04.2019 से 17.01.2020) में 9 माह का अनुचित समय विस्तार प्रदान किया। इससे पता चलता है कि फील्ड प्रबंधन ने अनुशंसा से पहले टीकेसी के प्रस्ताव को ठीक से पढ़ा भी नहीं था। इसके अलावा, लॉट-06 और लॉट-07 में, देरी के प्रत्येक कारण की देरी अवधि को छोड़कर टीकेसी द्वारा कोई विस्तारित पूर्णता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि ईओटी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के समय टीकेसी परियोजना के संभावित समापन के बारे में भी सुनिश्चित नहीं थे। लेकिन फिर भी, प्रबंधन ने न तो कोई सवाल उठाया और न ही ईओटी के लिए उचित औचित्य प्रदान किया। |
| 5 | सर्वेक्षण और बीओक्यू को अंतिम रूप देने के कारण अनुचित समय विस्तार | आबंटन के अनुसार सर्वेक्षण और बीओक्यू को अंतिम रूप देना कार्य के दायरे का हिस्सा था और नियोक्ता (कंपनी) द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जो अनुबंध की समय अवधि के मुकाबले प्रदर्शन को उचित रूप से प्रभावित कर सकता था, लेकिन लॉट-1 से लॉट-12 के समान टीकेसी के बावजूद देरी के कारणों के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा, टीकेसी ने प्रारंभिक सर्वेक्षण और उसके बीओक्यू, बीओक्यू को फिर से जमा करने/अंतिम रूप देने, प्रबंधन द्वारा कारणों सहित रिटर्न आदि का कोई विवरण प्रदान नहीं किया है और फील्ड प्रबंधन ने भी टीकेसी के दावे पर अपने इनपुट में समय अवधि की अनुशंसा के साथ टीकेसी के तथ्यों को अग्रेषित करने के अलावा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। ऐसे परिदृश्य में, समय विस्तार के दावे के समर्थन में यह कारण संभव नहीं हो सकता है। |
| 6 | आरओडब्ल्यू एवं सार्वजनिक बाधा के कारण अनुचित समय विस्तार | कंपनी प्रबंधन के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन एजेंसी प्रत्येक आरओडब्ल्यू मुद्दे के खिलाफ विशिष्ट औचित्य प्रदान करने में विफल रही क्योंकि उन्होंने केवल टीकेसी द्वारा प्रस्तावित तथ्यों को अग्रेषित किया था और उनकी अनुशंसाओं में कोई तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं देखा गया था और तदनुसार, तकनीकी समिति और समय विस्तार समिति ने अपने निर्णयों के आधार पर ईओटी को अनुचित लाभ की अनुमति दी। |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | शट डाउन की अनुपलब्धता और नियोजित परमिटों के रद्द होने के कारण अनुचित ईओटी | परियोजना नियोजन की जिम्मेदारी ठेकेदार के साथ-साथ टीकेसी की भी थी और ठेकेदार को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी भी देरी को कम करने के लिए हर समय अपने उचित प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। अनुबंध दिए जाने पर, टीकेसी को इस तरह से योजना बनानी चाहिए थी कि इसके कारण कोई बाधा न आए । हालांकि, त्योहारों, चुनाव, परीक्षा जैसे सभी कारणों की पहले से ही कल्पना की जा सकती थी क्योंकि यह नियोजन के लिए मौजूदा तथ्य थे। प्रबंधन ने भी फील्ड अधिकारियों के संदर्भ में किसी भी जिम्मेदारी के विवरण के बिना इसे आगे बढ़ाया, अगर उन्होंने प्रस्तुत किया कि संबंधित देरी उनकी ओर से हुई थी क्योंकि अगर देरी हुई थी, तो टीकेसी या फील्ड प्रबंधन जिम्मेदार होना चाहिए था। |
| 8 | हार्ड रॉक, अप्रत्याशित घटना और भारी बारिश के कारण अनुचित ईओटी | यह कार्य टीकेसी को अनुबंध अवधि के साथ दिया गया था, जिसमें बरसात का मौसम भी शामिल था, इसलिए बरसात के मौसम में बारिश की अवधि को ईओटी के लिए नहीं माना जा सकता है, सिवाय असाधारण मूसलाधार बारिश के, जो किसी भी मामले में नहीं देखी गई। इसके अलावा, टीकेसी की बोली के अनुसार कार्य दिया गया था, जिसमें उस क्षेत्र के नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया था, जिसमें काम करना था और सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित अवधि दी गई थी। इसलिए, हार्ड रॉक के मुद्दे को समय विस्तार के लिए आधार नहीं माना जा सकता है। |
| 9 | सामग्री की चोरी के कारण अनुचित ईओटी | चोरी टीकेसी के साइट स्टोर से हुई थी और सामग्री की सुरक्षा टीकेसी की जिम्मेदारी थी और प्रबंधन की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद, फील्ड प्रबंधन ने इसे आगे बढ़ाया और इसके आधार पर उच्च समिति ने इस आधार पर ईओटी की अनुमति दे दी। |
| 10 | कोविड-19 के कारण अनुचित ईओटी | कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध मार्च 2020 से शुरू हुए थे और लॉट-1 से 12 तक की परियोजनाओं को अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक 24 माह के निर्धारित समय में पूरा किया जाना था। इसलिए, अगर उन्होंने उचित कार्य योजना, अच्छी गति और प्रगति के साथ परियोजनाओं को निष्पादित किया होता, तो कोविड-19 का मुद्दा नहीं उठता। कोविड-19 का लाभ टीकेसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी धीमी प्रगति के कारण परियोजना कोविड तक खिंच गई। |
| 11 | जीएसटी संशोधन मुद्दे के कारण अनावश्यक समय विस्तार | एक्स-वर्क्स प्राइस और लागू कर दो अलग-अलग घटक हैं और आबंटन के अनुसार, टीकेसी अनुबंध के अनुसार करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और इसी तरह, उन्होंने अपने उप-विक्रेताओं के साथ एक समझौता भी किया होगा। इसके अलावा, संशोधन की तारीखों को छोड़कर, ऐसा कोई विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसमें देरी के बारे में उचित ठहराया जा सके। यदि ऐसे विशिष्ट विवरण प्रस्तावित किए गए होते, तो प्रबंधन द्वारा मामले दर मामले के आधार पर उनका विश्लेषण किया जा सकता था। प्रबंधन ने पर्याप्त और उचित औचित्य के बिना इसे अग्रेषित करने में भी गलती की। |
| 12 | एलडी रिफंडिंग /एलडी की कटौती न करने के माध्यम से टीकेसी को अनुचित लाभ पहुंचाना | सभी परियोजनाओं (लॉट-01 से लॉट-12) में इस तरह की देरी हुई कि अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से टीकेसी पर लिक्विडेटेड डैमेज लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन दूसरी ओर, प्रबंधन ने न केवल ₹ 9.37 करोड़ की एलडी की कम कटौती की, बल्कि संबंधित टीकेसी को ₹ 7.81 करोड़ की कटौती की गई एलडी भी वापस कर दी। इसलिए, रिफंडिंग/गैर-कटौती के माध्यम से टीकेसी को ₹ 17.81 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। |

**ख) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर**

| क्रं. सं. | विषय | पैरा का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 1 | टीकेसी द्वारा अनुबंधित समय अवधि के भीतर ईओटी प्रस्ताव प्रस्तुत न करना | टीकेसी को ऐसी घटना या परिस्थिति के आरंभ होने के बाद और अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले यथासंभव जल्द से जल्द विस्तार के लिए अपना नोटिस प्रस्तुत करना आवश्यक था, हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान सभी परियोजनाओं के लिए फर्जी पूर्णता की घोषणा की गई थी। हालांकि, फर्जी घोषणा के बाद कई महीनों तक काम जारी रहा। सभी टीकेसी ने निर्धारित पूर्णता की समाप्ति के बाद चरण ईओटी (चरण-I से चरण-III) के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया था और पांच मामलों में (जबलपुर ओ एंड एम वृत्त , जबलपुर शहर वृत्त , शहडोल, दमोह और सीधी वृत्त), संपूर्ण (टीकेसी + विभागीय) कार्य के वास्तविक समापन के बाद भी; बाकी मामलों में ईओटी तब लागू किया गया जब वास्तविक कार्य लगभग पूरा होने वाला था। इससे पता चलता है कि उन्होंने न तो अनुबंध के निष्पादन में किसी भी देरी को कम करने के लिए अपने उचित प्रयासों का उपयोग किया और न ही मुद्दों को हल करने और उसके विश्लेषण के लिए एक व्यावहारिक और उचित अवधि के भीतर लाने का इरादा किया। प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन एजेंसी ने भी उनके अनुरोध पर कार्रवाई करते समय इस महत्वपूर्ण अनियमितता को इंगित नहीं किया। |
| 2 | ईओटी प्रस्तावों के प्रसंस्करण में अत्यधिक देरी | प्रबंधन ने समय के विस्तार (ईओटी) प्रस्तावों के प्रसंस्करण और अंतिम अनुशंसा में अत्यधिक देरी की क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए 28 माह से 47 माह (नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, छतरपुर और सीधी) की समयावधि ली गई थी जैसा कि परिशिष्ट- I में दर्शाया गया था और बाकी |

| | | |
|---|---|---|
| | | ईओटी प्रस्तावों को 4 माह से 24 माह की सीमा के भीतर संसाधित किया गया था। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों (छिंदवाड़ा, सागर, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, रीवा, दमोह और सिवनी) ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में काफी समय लिया। इसके अलावा, सीधी (15 माह) और कटनी (31 माह) के लिए अपनी अनुशंसा देने में समिति को काफी समय लगा। |
| 3 | डिस्कोप्ड लॉट्स में अनुचित ईओटी | आईपीडीएस परियोजनाओं के डीस्कोपिंग के बावजूद, टीकेसी अर्थात कि जबलपुर शहर, जबलपुर ओ एंड एम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ 24 माह की कुल पूर्णता अवधि में अपने काम को पूरा करने में विफल रहे। ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने में कंपनी से डीस्कोपिंग के माध्यम से प्राप्त सहायता और साथ ही फर्जी पूर्णता की घोषणा ने टीकेसी को चरण विस्तार प्रदान करने में अनुचित रूप से मदद की। |
| 4 | शट डाउन की अनुपलब्धता और नियोजित परमिटों के रद्द होने के कारण अनुचित ईओटी | परियोजना नियोजन की जिम्मेदारी ठेकेदार के साथ-साथ टीकेसी की भी थी और ठेकेदार को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी भी देरी को कम करने के लिए हर समय अपने उचित प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। अनुबंध दिए जाने पर, टीकेसी को इस तरह से योजना बनानी चाहिए थी कि इसके कारण कोई बाधा न आए। हालांकि, त्योहारों, चुनाव, परीक्षा जैसे सभी कारणों की पहले से ही कल्पना की जा सकती थी क्योंकि ये नियोजन के लिए मौजूदा तथ्य थे। प्रबंधन ने फील्ड अधिकारियों के संदर्भ में कारणों के साथ बिना किसी जिम्मेदारी के विवरण के इसे अग्रेषित कर दिया, यदि उन्होंने प्रस्तुत किया कि संबंधित देरी उनकी ओर से हुई थी क्योंकि यदि देरी हुई थी, तो टीकेसी या फील्ड प्रबंधन को जिम्मेदार होना चाहिए था। |
| 5 | जीएसटी संशोधन मुद्दे के कारण अनुचित समय विस्तार | एक्स-वर्क्स प्राइस और लागू कर दो अलग-अलग घटक हैं और कार्य के आबंटन के अनुसार, टीकेसी अनुबंध के अनुसार करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और इसी तरह, उन्होंने अपने उप-विक्रेताओं के साथ भी समझौता किया होगा। इसके अलावा, संशोधन की तारीखों को छोड़कर, ऐसा कोई विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसमें इसके कारण हुई देरी के बारे में उचित ठहराया जा सके। यदि ऐसे विशिष्ट विवरण प्रस्तावित किए गए होते, तो प्रबंधन द्वारा मामले दर मामले के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा सकता था। यह देखा गया कि प्रत्येक टीकेसी को क्षेत्र की किसी भी अनुशंसा के बिना, समिति द्वारा स्टेज- I में 102 दिनों के बड़े विस्तार की अनुमति दी गई थी। |
| 6 | एलडी रिफंडिंग /एलडी की कटौती न करने के माध्यम से टीकेसी को अनुचित लाभ पहुंचाना | सभी परियोजनाओं (15 सर्किल) में इस तरह की देरी हुई कि टीकेसी पर अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से लिक्विडेटेड डैमेज लगाई जानी चाहिए थी, हालांकि प्रबंधन ने एलडी काट लिया लेकिन बाद में संबंधित टीकेसी को काटी गई राशि वापस कर दी। इस प्रकार , कंपनी ने ₹ 22.22 करोड़ की एलडी राशि वापस करके टीकेसी को अनुचित लाभ पहुंचाया। |

## परिशिष्ट 2.4.12

*(कंडिका 2.4.11.1 में संदर्भित)*

## ईआरपी मॉड्यूल में कमियां

| क्रं. सं. | मॉड्यूल | कार्य |
|---|---|---|
| **मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर** | | |
| 1 | मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) | विभिन्न सब-मॉड्यूल्स/ कार्य जैसे कार्यकर्ता क्षतिपूर्ति नीति, विविध विवरण, इनाम विवरण, शिकायतें, मुकदमे, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, विदेश यात्रा, प्रशिक्षु के लिए गारंटी बांड, चल और अचल संपत्ति, स्वास्थ्य प्रबंधन, बाहरी प्रशिक्षण विवरण, ट्रेड यूनियन विवरण, यूनियन इंटरैक्शन प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद समाधान प्रक्रिया, डीएमएस-डाक प्रबंधन, बाहरी प्रशिक्षण नामांकन, सेवानिवृत्ति प्रक्रिया, अधिगम प्रबंधन, कैलेंडर निर्माण, प्रशिक्षण कैलेंडर निर्माण, श्रेणी, प्रशिक्षण कैलेंडर पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षाओं की पेशकश, समय, लागत, अवधि, सत्र, लागत जानकारी, संसाधन निर्माण, संसाधन बुकिंग, संसाधन लागत/मानदेय, नामांकन प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, प्रशिक्षण कोड, प्रशिक्षण बैच, ईएचआरएमएस के माध्यम से आउटसोर्स किए गए कर्मचारी के वेतन भुगतान, अवकाश के लिए कक्षा IV कर्मचारियों की आईडी डेटा अभी भी सात सर्किल ऑडिट में मैनुअल सिस्टम के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने 2014 से अब तक हुए भारी खर्च के बावजूद आईटी-ईआरपी प्रणाली से अधिकतम लाभ लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान नहीं दिया है। |
| 2 | परियोजना मॉड्यूल | परियोजना के क्रियान्वयन/अनुमान प्रबंधन सहित इसकी निगरानी से संबंधित कार्य पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे थे, तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) से संबंधित आईपीडीएस परियोजना (टर्नकी और विभागीय दोनों) की गतिविधियां और इसके दस्तावेजीकरण जैसे सर्वेक्षण रिपोर्ट और कार्य की प्रगति आईटी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न नहीं हो रही थी, सिवाय अनुमान/एनएडी/डीपीआर के निर्माण, कार्य आदेश के निर्माण, एमआईसीसी, स्थानवार एमबी रिकॉर्डिंग, परिशिष्ट G के निर्माण। इसलिए, अतिरिक्त व्यय और पर्याप्त ईआरपी प्रणाली होने के बावजूद, प्रबंधन इसके माध्यम से आईपीडीएस परियोजनाओं का प्रबंधन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप समय पर निष्पादन में बाधाओं की पहचान करने में विफलता, प्रगति का अनुचित दस्तावेजीकरण, निगरानी, सत्यापन, परियोजना की गतिविधियों को इसकी वित्तीय और भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने की कमी, देरी और परियोजना में अन्य टालने योग्य अनियमितताएं हुईं। |
| 3 | खरीद और भंडारण मॉड्यूल | आईपीडीएस के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि अनुमान और क्रय आदेश ईआरपी (विभागीय कार्य) के माध्यम से जारी किए गए थे, तथापि, इस पीओ/अनुमानों के विरुद्ध, इसकी आगे की गतिविधियां जैसे प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन ऑफ मटीरियल्स, इशुअंसेस ऑफ डिस्पैच इंस्ट्रक्शन्स, इसके एमआईसीसी, इसके एनएबीएल टेस्ट्स सैंपलिंग डिटेल, टेस्ट रिपोर्ट्स, एस्टिमेट्स/ऑर्डर्स के विरुद्ध सामग्री की खपत, संवर्द्धन/प्रतिस्थापन के मामले में भंडारों को वापस की गई पुरानी/विखंडित सामग्री, जारी करना और वापसी मांगपत्र बनाना, अधिशेष सामग्री का विवरण, पीओ के विरुद्ध सामग्रियों का लागत समायोजन/संशोधन, सामग्रियों का निरीक्षण और सत्यापन, सामग्रियों की गुणवत्ता जांच आदि ईआरपी प्रणाली में दर्ज नहीं किए जा रहे थे। |
| 4 | वित्त और लेखा मॉड्यूल | यह देखा गया कि टीडीएस प्रमाणपत्र तैयार करना, अकाउंट रिसीवेबल: टीसीएस सर्टिफिकेशन जेनरेशन, लेखापरीक्षा: सरकारी लेखापरीक्षा (आईआर और पैराग्राफ को छोड़कर) वैधानिक लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल रूप से की जा रही थी। |
| **मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर** | | |
| 1 | मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) | यह देखा गया कि विभिन्न उप-मॉड्यूल/कार्य जैसे, मैनपावर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, विजिलेंस क्लीयरेंस, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, लॉयर कम्युनिकेशन, कोर्ट, फोरम्स, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ), लीगल ओपिनियन(कानूनी राय), ओम्बड्समैन(लोकपाल), सूचना का अधिकार के सभी आदेशों का डेटाबेस, ग्रेडेशन विवरण, प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया, पुरस्कार विवरण शिकायत, विदेश यात्रा, श्योरटी बॉंड्स फॉर ट्रेनी, चल और अचल संपत्ति ट्रेड यूनियन विवरण, यूनियन संपर्क प्रक्रिया, स्वास्थ्य प्रबंधन, औद्योगिक विवाद प्रक्रिया का समाधान, डीएमएस-डाक प्रबंधन, बाहरी प्रशिक्षण विवरण, बाहरी प्रशिक्षण नामांकन, शिक्षण प्रबंधन (प्रशिक्षण) ईआरपी प्रणाली में प्रदान किए गए मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल के बावजूद मैन्युअल रूप से किए जा रहे हैं। |
| 2 | वित्त और लेखा मॉड्यूल | यह पाया गया कि ईआरपी सिस्टम में दिए गए मॉड्यूल/सब-मॉड्यूल के बावजूद निम्नलिखित कार्य यानी बिलिंग सिस्टम को ईआरपी अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट तैयार करना, लागत विश्लेषण, लाभप्रदता विश्लेषण, लाभ केंद्र लेखा, बीमा और अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, ऋण के ब्याज |

| क्रं. सं. | मॉड्यूल | कार्य |
|---|---|---|
| | | और दंड की स्वचालित गणना, टीडीएस प्रमाणपत्र निर्माण, अकाउंट रिसीवेबल: टीसीएस प्रमाणन निर्माण, आर-15 स्टेटमेंट, टैरिफ से संबंधित विवरण मैन्युअल रूप से किए जा रहे थे। इसके अलावा, वार्षिक लेखों की तैयारी आंशिक रूप से मैन्युअल मोड में की जा रही है और वैधानिक लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई कि यह मैन्युअल या ईआरपी मोड के माध्यम से किया जा रहा है। |

# शब्दावली

# संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

| संक्षेपाक्षर | विस्तारित रूप |
|---|---|
| **एजीएम** | वार्षिक आम बैठक |
| **एएमसी** | वार्षिक रखरखाव अनुबंध |
| **एएमआई** | स्वचालित मीटरिंग उपकरण |
| **एटीएंडसी** | समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक |
| **बीईई** | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो |
| **बीओडी** | निदेशक मंडल |
| **सीए** | चार्टर्ड एकाउंटेंट |
| **सीएजी** | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक |
| **कैपेक्स** | पूंजीगत व्यय |
| **सीईए** | केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| **सीईओ** | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| **सीएफए** | केंद्रीय वित्तीय सहायक |
| **सीएफओ** | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| **सीवीसी** | केंद्रीय सतर्कता आयोग |
| **डी डी जी** | विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन |
| **डिस्कॉम** | वितरण कंपनी |
| **दिशा** | जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति |
| **डीओएसटी** | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग |
| **डीपीआर** | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| **डीआरसी** | वितरण सुधार समिति |
| **डीआरईओ** | जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी |
| **ईबीई** | कर्मचारी लाभ व्यय |
| **ईसीबीसी** | ऊर्जा संरक्षण और भवन संहिता |
| **ईई** | कार्यकारी इंजीनियर |
| **ईईएसएल** | एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड |
| **ईआरपी** | उद्यम संसाधन योजना |
| **ईएसडीएम** | इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण |
| **जीसीसी** | अनुबंध की सामान्य शर्तें |
| **जीआईएस** | गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन |
| **जीएम** | महाप्रबंधक |
| **जीओआइ** | भारत सरकार |
| **जीओएमपी** | मध्य प्रदेश सरकार |
| **जीडब्ल्यूएच** | गीगावाट घंटा |
| **एचपी** | अश्व शक्ति |
| **एचआरएमएस** | मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली |
| **एचवीडीएस** | उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली |
| **आईसीएआई** | भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान |
| **आईडी** | स्वतंत्र निदेशक |
| **आईडीए** | इंदौर विकास प्राधिकरण |
| **आईआईए** | आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान |
| **आईपीडीएस** | एकीकृत विद्युत वितरण योजनाएं |
| **आईटी** | सूचना प्रौद्योगिकी |
| **आइटीइएस** | आईटी सक्षम सेवाएँ |
| **केएमपी** | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक |
| **केडब्लू** | किलो वाट |

| संक्षेपाक्षर | विस्तारित रूप |
|---|---|
| **एलओए** | आबंटन पत्र |
| **एलओआई** | आशय का पत्र |
| **लूपा** | भूमि उपयोग अनुमति समझौता |
| **एमडी** | प्रबंध निदेशक |
| **एमडीएएस** | मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली |
| **एमआईएस** | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| **एमएनआरई** | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| **एमओपी** | विद्युत मंत्रालय |
| **एमओयू** | समझौता ज्ञापन |
| **एमपीएचआईडीएम** | मध्य प्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास बोर्ड |
| **एमपीआईडीसी** | मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम |
| **एमपीएलयूएनएल** | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| **म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.** | मध्य प्रदेश मध्यक्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| **एमपीएनआरईडी** | मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग |
| **एमपीएनआरईडी** | आयुक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग |
| **म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.** | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| **म.प्र.पा.मै.क.लि.** | मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड |
| **म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.** | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| **एमपीएसईडीसीएल** | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड |
| **एमपीयूवीएनएल** | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| **एमएसई** | सूक्ष्म एवं लघु उद्यम |
| **एमएसएमई** | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| **एमयू** | मिलियन यूनिट |
| **एमडबल्यू** | मेगा वाट |
| **एनएडी** | आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज़ |
| **एनआईटी** | निविदा आमंत्रण सूचना |
| **एनओएफएन** | राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क |
| **एनआरसी** | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| **पीएफसी** | विद्युत वित्त आयोग |
| **पीएचई** | सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग |
| **पीएमए** | परियोजना प्रबंधन एजेंसी |
| **पीएमसी** | परियोजना प्रबंधन और परामर्श |
| **पीएमकुसुम** | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना उत्थान महाभियान |
| **पीएमकुसुम** | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना उत्थान महाभियान |
| **पीपीए** | बिजली खरीद समझौता |
| **पीएसयू** | सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम |
| **आरएपीडीआरपी** | पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम |
| **आरई** | नवीकरणीय ऊर्जा |
| **आरईसी** | ग्रामीण विद्युत निगम |
| **आरईएससीओ** | अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी |
| **आरएफपी** | प्रस्ताव के लिए अनुरोध |
| **आरएमडी** | कच्चा माल विभाग |
| **आरएमएस** | रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम |
| **आरओसीई** | नियोजित पूंजी पर रिटर्न |
| **आरओआरआर** | वास्तविक प्रतिफल की दर |
| **आरपीजी** | नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर |
| **आरआरआरडी** | सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र |

| संक्षेपाक्षर | विस्तारित रूप |
|---|---|
| **आरटी-डीएएस** | वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली |
| **आरयूएमएसएल** | रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड |
| **एसएआईएल** | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| **एसबीडी** | मानक बोली दस्तावेज़ |
| **एससीएडीए** | पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण |
| **एसई** | अधीक्षण अभियंता |
| **सेबी** | भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड |
| **एसईसीएफ** | राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि |
| **एसईसीएल** | साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड |
| **एसएनए** | राज्य नोडल एजेंसी |
| **एसपीआईएन** | सौर फोटोवोल्टिक स्थापना |
| **एसपीएससी** | सौर पंप संचालन समिति |
| **एसपीएसई** | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम |
| **एसपीवी** | सौर फोटोवोल्टिक |
| **एसआरएस** | सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश |
| **एसटीयू** | राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता |
| **एसडब्ल्यूपीएस** | सौर जल पम्पिंग स्टेशन |
| **टीईसी** | तकनीकी मूल्यांकन समिति |
| **टीकेसी** | टर्नकी ठेकेदार |
| **टीडब्ल्यूडी** | आदिवासी कल्याण विभाग |
| **यूजी** | भूमिगत केबलिंग |
| **यूजेएएलए** | सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति |
| **यूएसपीसी** | यूनिवर्सल सोलर पंप नियंत्रक |
| **वीजीएफ** | व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण |
| **डब्ल्यूबीएम** | व्हिसल ब्लोअर तंत्र |
| **डब्ल्यूसीएल** | वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड |
| **डब्ल्यूपीडीए** | पवन ऊर्जा विकास समझौता |
| | |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi